SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

2025 की संख्या 23

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2025 की संख्या 23
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

प्रस्तावना			vii
कार्यकारी सारांश			ix
अध्याय I	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश**		
	1.1	परिचय	1
	1.2	सरकारी कंपनियों एवं निगमों में निवेश	5
	1.3	सीपीएसई से प्राप्त प्रतिलाभ	19
	1.4	सरकारी कंपनियों एवं निगमों की परिचालन दक्षता	28
अध्याय II	**सीएजी की निगरानी भूमिका**		
	2.1	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा	35
	2.2	सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	35
	2.3	सीपीएसई द्वारा वित्तीय विवरण की प्रस्तुति	35
	2.4	सीएजी की निगरानी-वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	40
	2.5	सीएजी की निगरानी भूमिका का परिणाम	41
	2.6	लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के प्रावधानों का अनुपालन न करना	128
	2.7	प्रबंधन पत्र	134
अध्याय III	**कॉर्पोरेट गवर्नेंस**		
	3.1	परिचय	137
	भाग-क: सीपीएसई जिनके शेयर/शेयर और बॉन्ड दोनों 31 मार्च, 2023 तक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे		
	3.2	निदेशक मंडल	141

	3.3	निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें	147
	3.4	स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण	150
	3.5	रिक्तियों को भरने में अंतराल	150
	3.6	विविध	151
	3.7	लेखापरीक्षा समिति	153
	3.8	वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष की उपस्थिति	155
	3.9	सतर्कता तंत्र	156
	3.10	संबंधित पार्टी लेनदेन	156
	3.11	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	158
	3.12	हितधारक संबंध समिति	160
	3.13	सहायक कंपनियाँ	161
	3.14	जोखिम प्रबंधन समिति	162
	3.15	अनुपालन प्रमाणपत्र	162
	3.16	निष्कर्ष	163
	भाग-ख: सीपीएसई/वैधानिक निगम जिनके बॉन्ड/डिबेंचर 31 मार्च, 2023 तक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे		
	3.17	परिचय	166
	3.18	वित्तीय परिणाम	166
	3.19	स्टॉक एक्सचेंज को सूचनाएं/अन्य प्रस्तुतियाँ	168
	3.20	गैर-परिवर्तनीय (ऋण) प्रतिभूतियों और असंपरिवर्तनीय वरीयता शेयरों के धारकों को दस्तावेज और जानकारी	168
	3.21	निदेशक मंडल	169
	3.22	विविध	172
	3.23	लेखापरीक्षा समिति	173
	3.24	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	175

	3.25	अनुपालन प्रमाणपत्र	176
	3.26	निष्कर्ष	178
अध्याय IV	**विनिवेश प्रक्रिया**		
	4.1	भारत सरकार (जीओई) की विनिवेश नीति	181
	4.2	विनिवेश के तरीके	183
	4.3	विनिवेश की प्रक्रिया	184
	4.4	पिछले पांच वर्षों के लिए सीपीएसई के विनिवेश का लक्ष्य और उपलब्धि	187
	4.5	2022-23 के दौरान विनिवेश से प्रणाली-वार प्राप्ति	189
	4.6	अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री - प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश और बिक्री के लिए प्रस्ताव	190
	4.7	अन्य मुद्दे	202
अध्याय V	**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**		
	5.1	परिचय	205
	5.2	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कवरेज	206
	5.3	नियोजन	207
	5.4	वित्तीय घटक	211
	5.5	परियोजना कार्यान्वयन	221
	5.6	निगरानी ढांचा	224
	5.7	रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण	226
	5.8	निष्कर्ष	230
अध्याय VI	**प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनीरत्न सीपीएसई के मध्य समझौता ज्ञापन का विश्लेषण**		
	6.1	परिचय	231
	6.2	विश्लेषण का कवरेज	235
	6.3	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	237
	6.4	निष्कर्ष	250

अनुलग्नक	I	31 मार्च, 2023 तक सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों/वैधानिक निगमों की सूची	253
	II	2022-23 के दौरान सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में आई/क्षेत्र से बाहर हुई सीपीएसई	275
	III क	बकाया खातों या बकाया न होने वाले खातों या परिसमापनधीन कंपनी का विवरण - सरकारी कंपनियाँ	278
	III ख	बकाया खातों या बकाया न होने वाले खातों या परिसमापनधीन कंपनी का विवरण - सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	281
	IV	सरकारी कंपनियों की सूची, जहाँ कुल परिसंपत्तियों का मूल्य 31 मार्च, 2023 तक बकाया दीर्घकालिक ऋणों से कम था	283
	V	65 सूचीबद्ध सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि और कमी	284
	VI	सरकारी कंपनियों और निगमों की सूची, जिन्हें 2021-22 में घाटे की तुलना में 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सीपीएसई में जोड़ा गया	287
	VII	2022-23 में लाभ कमाने वाली कंपनियों की सूची से बाहर की गई सरकारी कंपनियों की सूची	289
	VIII	31 मार्च 2023 तक शून्य या नकारात्मक निवल मूल्य वाली सरकारी कंपनियों की सूची	290
	IX	सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	293
	X	सरकारी कंपनियों और निगमों की इक्विटी पर लाभ	364
	XI	अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन करने वाले सीपीएसई की सूची	416
	XII	उन सीपीएसई की सूची जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट संशोधित की	417
	XIII	उन सीपीएसई की सूची जहाँ सीएजी द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गईं	419

	XIV	उन सीपीएसई का विवरण जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानक/इंड एएस का अनुपालन न करने की रिपोर्ट की गई	423
	XV	उन सीपीएसई का विवरण जहाँ सीएजी द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण सुधार किया गया	425
	XVI	उन सीपीएसई का विवरण जहाँ सीएजी द्वारा प्रबंधन पत्र जारी किए गए	446
	XVII	उन सीपीएसई की सूची जिनके शेयर/बांड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे और लेखापरीक्षा में शामिल थे	454
	XVIII	उन सीपीएसई/वैधानिक निगमों की सूची जिनके बांड/डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे	456
	XIX	उन सीपीएसई की सूची जिनके शेयर और बॉन्ड दोनों स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं	457
	XX	वर्ष 2022-23 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या न रखने वाले सीपीएसई	458
	XXI	वर्ष 2022-23 से पहले के वर्षों के दौरान नियोजित बिक्री के प्रस्तावों की स्थिति	470
	XXII	रणनीतिक विनिवेश की स्थिति	475
	XXIII	लाभ कमाने वाले सीपीएसई	477
	XXIV	सीएसआर 2022-23 के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए सीपीएसई	483
	XXV	सीएसआर समिति का गठन	486
	XXVI	सीएसआर नीति का निर्माण	490
	XXVII	वार्षिक सीएसआर योजना	493
	XXVIII	पिछले वर्षों की आगे बढ़ाई गई राशि से व्यय	496
	XXIX	कुल सीएसआर व्यय	497
	XXX	श्रेणीवार सीएसआर व्यय	502
	XXXI	मंत्रालय/विभागवार सीएसआर व्यय	505
	XXXII	सीपीएसई का उच्च से निम्न तक सीएसआर व्यय	510

	XXXIII	अव्ययित एवं निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की गई राशि	513
	XXXIV	प्रशासनिक उपरिव्यय और प्रभाव आकलन व्यय	517
	XXXV	सामान्य विषय पर सीएसआर निधि का आवंटन	520
	XXXVI	सीपीएसई ने सभी परियोजनाओं के लिए आधारभूत सर्वेक्षण किया	523
	XXXVII	कुल सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या	528
	XXXVIII	इन-हाउस और आउटसोर्स सीएसआर परियोजना पर डेटा	531
	XXXIX	बाहरी एजेंसियों के चयन के तरीके पर डेटा	534
	XL	फोकस क्षेत्र-अनुसूची VII के अनुसार	538
	XLI	स्थानीय क्षेत्र में किया गया सीएसआर व्यय	543
	XLII	सीएसआर निधि और उपयोग की निगरानी	546
	XLIII	वेबसाइट पर सीएसआर डेटा का प्रकटीकरण	549
	XLIV	सीएसआर रिपोर्टिंग प्रारूप	552
	XLV	निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियां	555
	XLVI	प्रभाव आकलन	558
	XLVII	डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार समझौता ज्ञापन मापदंड और अंकन प्रतिमान	561
	XLVIII	वर्ष 2021-22 के लिए सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का विवरण	563
	XLIX	वर्ष 2022-23 के लिए सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का विवरण	564
	L	वर्ष 2021-22 के लिए सीपीएसई की समझौता ज्ञापन उपलब्धियों के प्रदर्शन मूल्यांकन का विवरण	565
	LI	वर्ष 2022-23 के लिए सीपीएसई की समझौता ज्ञापन उपलब्धियों के प्रदर्शन मूल्यांकन का विवरण	566

प्रस्तावना

1. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के खातों का लेखापरीक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखा सीएजी के अधिकारियों द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं और सीएजी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर अपनी टिप्पणी देते हैं या उन्हें पूरक बनाते हैं । इसके अलावा, ये कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(7) के प्रावधानों के अंतर्गत सीएजी द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।

2. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों के अनुसार उनके लेखों का लेखा-परीक्षण सीएजी द्वारा किया जाना आवश्यक है। पाँच ऐसे निगमों के संबंध में, अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम, प्रासंगिक विधियाँ सीएजी को उनका एकमात्र लेखापरीक्षक नामित करती हैं। एक निगम अर्थात केन्द्रीय भंडारण निगम के संबंध में, केन्द्रीय भंडारण निगम के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए सीएजी की सलाह पर सरकार द्वारा लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। सीएजी को यह अधिकार है कि वे आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा कर सकते हैं।

3. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकारी कंपनी या निगम के खातों से संबंधित प्रतिवेदन सीएजी द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

4. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की इस सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट में छः अध्याय शामिल हैं, अर्थात् केंद्रीय सार्वजनिक

क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश, सीएजी की पर्यवेक्षण भूमिका, निगमित प्रशासन, विनिवेश, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनीरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापनों का विश्लेषण। उन सीपीएसई के संबंध में जहां किसी विशेष वर्ष के लेखा 31 मार्च, 2024 से पहले प्राप्त नहीं हुए, अंतिम बार लेखापरीक्षा किए गए लेखों के आंकड़े अपनाए गए हैं। अध्याय-I के कुछ सीपीएसई के संबंध में, पिछले वर्ष के आंकड़े, अनंतिम आंकड़ों को लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के कारण, 2025 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 6 में दर्शाए गए संगत आंकड़ों से मेल नहीं खा सकते हैं।

6. इस प्रतिवेदन में 'कंपनियों/निगमों या सीपीएसई' के सभी संदर्भों को 'केन्द्र सरकार की कंपनियों/निगमों' के संदर्भ में समझा जा सकता है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा न पता चले।

7. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गई है।

8. लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सीपीएसई के प्रबंधन और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

I. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

परिचय

31 मार्च, 2023 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 716 केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) थे। इनमें 501 सरकारी कंपनियां, 209 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां और छः वैधानिक निगम शामिल थे। यह प्रतिवेदन 655 सीपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन को प्रस्तुत करती है, जिसमें 469 सरकारी कंपनियां और निगम (छः वैधानिक निगमों सहित) और 186 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल हैं। 61 सीपीएसई (जिनमें 23 सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल हैं) जिनके लेखा तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे या जिनके पहले खाते बकाया/प्राप्त नहीं हुए थे, इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं हैं।

(पैरा 1.1.3)

केन्द्र सरकार का निवेश

469 सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखों से पता चला कि 31 मार्च, 2023 तक केंद्र सरकार के पास शेयर पूंजी में ₹9,24,770 करोड़ की इक्विटी होल्डिंग थी। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे सीपीएसई को दिए गए दीर्घकालिक ऋण की राशि 31 मार्च 2023 तक ₹2,24,233 करोड़ थी। पिछले वर्ष की तुलना में, ऐसे सीपीएसई की इक्विटी में केंद्र सरकार की होल्डिंग में 2022-23 के दौरान ₹2,88,100 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई और बकाया दीर्घकालिक ऋण में ₹50,849 करोड़ की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2023 तक, 180 सीपीएसई के पास बकाया दीर्घकालिक ऋण थे। इनमें से 154 सीपीएसई (85.56 प्रतिशत) की कुल परिसंपत्तियाँ उनके बकाया दीर्घकालिक ऋणों से अधिक थी, जबकि शेष 26 सीपीएसई की कुल परिसंपत्तियाँ का मूल्य उनके दीर्घकालिक ऋणों से कम था।

(पैरा 1.2, 1.2.1, 1.2.2.1 एवं 1.2.2.2)

बाजार पूंजीकरण

66 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (सात सहायक कंपनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य, जिनके शेयरों का 2022-23 के दौरान कारोबार हुआ था, 31 मार्च, 2023 तक ₹17,28,067 करोड़ था, जो 31 मार्च, 2022 तक 65 सीपीएसई के ₹15,88,664 करोड़ की तुलना में ₹1,39,403 करोड़ (8.77 प्रतिशत) अधिक था। 59 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (सात सहायक कंपनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च 2023 तक ₹16,47,979 करोड़ था, जिसमें से केंद्र सरकार के पास शेयरों का बाजार मूल्य ₹10,03,886 करोड़ (60.92 प्रतिशत) था।

(पैरा 1.2.4)

सरकारी कंपनियों और निगमों से रिटर्न

274 सरकारी कंपनियों और निगमों ने 2022-23 के दौरान ₹2,54,239 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसमें से 66.10 *प्रतिशत* (₹1,68,064 करोड़) का योगदान तीन क्षेत्रों अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत और कोयला और लिग्नाइट में 76 सीपीएसई द्वारा किया गया। इन 274 सीपीएसई का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 2022-23 में 13.74 *प्रतिशत* था, जबकि 2021-22 में 254 सीपीएसई का यह 15.57 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.3.1)

वर्ष 2022-23 के दौरान 181 सरकारी कंपनियों को ₹45,250 करोड़ का घाटा हुआ। 31 मार्च, 2023 तक 210 सरकारी कम्पनियों का संचित घाटा 2,21,421 करोड़ था। इनमें से 79 कम्पनियों का निवल मूल्य उनके संचित घाटे के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2023 तक इन कंपनियों की कुल निवल संपत्ति ₹49,508 करोड़ तक नकारात्मक हो गई थी। इन 79 सीपीएसई में से 17 ने वर्ष 2022-23 के दौरान ₹1,003 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

(पैरा 1.3.2 एवं 1.3.3)

133 सरकारी कंपनियों और निगमों ने वर्ष 2022-23 के लिए ₹1,10,884 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इसमें से, केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्त किये जाने योग्य लाभांश की राशि ₹53,506 करोड़ थी, जो सभी 469 सरकारी कम्पनियों और निगमों की इक्विटी पूंजी में केन्द्र सरकार द्वारा किये गए कुल निवेश (₹9,24,770 करोड़) पर 5.79 *प्रतिशत* रिटर्न

दर्शाता है। अन्य सीपीएसई में ₹47,082 करोड़ की इक्विटी होल्डिंग पर 60 सीपीएसई द्वारा प्राप्त/प्राप्ति योग्य लाभांश 2022-23 में ₹26,169 करोड़ था।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 10 सरकारी कंपनियों ने ₹31,152 करोड़ का योगदान दिया, जो सभी 133 सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 28.09 *प्रतिशत* है।

(पैरा 1.3.4)

बिक्री और विपणन

469 सरकारी कंपनियों और निगमों की कुल बिक्री ₹37,12,360 करोड़ रही। इन सीपीएसई में से 135 सीपीएसई ने सरकारी क्षेत्र को ₹4,27,819 करोड़ मूल्य की वस्तुएं बेचीं/सेवाएं प्रदान कीं, जो उनकी कुल बिक्री ₹18,86,376 करोड़ का 22.68 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.4.3)

II. सीएजी की निगरानी भूमिका

31 मार्च 2023 तक सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 716 सीपीएसई (छः वैधानिक निगमों सहित) में से, वर्ष 2022-23 के लिए 30 सितंबर 2023 तक 584 सीपीएसई से वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। सीएजी ने 359 सीपीएसई (छः वैधानिक निगमों सहित) के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की।

(पैरा 2.5.1)

सीएजी द्वारा वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, आठ सीपीएसई ने अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया तथा 62 सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत करने से पहले अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संशोधन किया।

चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का लाभप्रदता और परिसंपत्तियों/देयताओं पर वित्तीय प्रभाव क्रमशः ₹7,297.28 करोड़ और ₹1,51,860.08 करोड़ था।

कुछ कम्पनियों अर्थात ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईएफसीआई लिमिटेड, उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस

कंपनी लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अतीत में वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

(पैरा 2.5.1.1, 2.5.1.2 एवं 2.5.1.3)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 19 सीपीएसई में वित्तीय विवरण तैयार करने में लेखांकन मानकों/इंड एएस के प्रावधानों से विचलन देखा गया। सीएजी ने 14 सीपीएसई में भी ऐसे विचलन की ओर इशारा किया।

(पैरा 2.6)

सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों या पूरक लेखापरीक्षा के दौरान रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताओं और कमियों को भी सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से 266 सीपीएसई के प्रबंधन को सूचित किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए जारी प्रबंधन पत्रों के आधार पर, सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण सुधार किए गए।

(पैरा 2.7)

III. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में 71 सूचीबद्ध सीपीएसई को शामिल किया गया, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे (जिनमें 20 सीपीएसई शामिल हैं जिनके शेयर और बांड/डिबेंचर दोनों सूचीबद्ध थे) और चार वैधानिक निगमों (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) सहित 36 सीपीएसई, जिनके केवल बांड/डिबेंचर 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे। यह पाया गया कि कुछ सीपीएसई/वैधानिक निगमों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों तथा निगमित शासन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(पैरा 3.1.2)

वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 68 में गैर-कार्यकारी निदेशकों की आवश्यक संख्या (कुल बोर्ड क्षमता का कम से कम 50 *प्रतिशत*) थी, जबकि तीन सीपीएसई एक महीने से लेकर 11 महीने तक की अवधि के लिए इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा, 46 सीपीएसई (65 *प्रतिशत*) में एक महीने से लेकर 12 महीने तक की अवधि के लिए आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में नहीं थे (कमी का *प्रतिशत* 11 से 100 *प्रतिशत* के बीच था)।

(पैरा 3.2.1 और 3.2.2.1)

71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 65 के बोर्ड में एक महिला निदेशक थी, जबकि छह सीपीएसई (आठ *प्रतिशत*) के बोर्ड में 2022-23 के दौरान दो से 12 महीने की अवधि के लिए कोई महिला निदेशक नहीं थी। इसके अलावा, 13 सूचीबद्ध सीपीएसई (शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में से) के बोर्ड में 2022-23 के दौरान दो से 12 महीने की अवधि के लिए कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी।

(पैरा 3.2.3)

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम छह निदेशक होने चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि तीन सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं का हिस्सा) में यह मानदंड पूरा नहीं हुआ।

(पैरा 3.2.4)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल, जिस बोर्ड समिति के वे सदस्य हैं, उसकी सभी बैठकों और कंपनी की आम बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से चार सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) के स्वतंत्र निदेशकों ने 2022-23 के दौरान बोर्ड और उसकी समितियों की कम से कम 80 *प्रतिशत* बैठकों में भाग नहीं लिया। इसके अलावा, 10 सीपीएसई (14 *प्रतिशत*) के स्वतंत्र निदेशकों ने सीपीएसई की आम बैठकों में भाग नहीं लिया।

(पैरा 3.3.1 और 3.3.2)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (4) में प्रावधान है कि यदि किसी पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पद रिक्त होता है, तो बोर्ड द्वारा उस रिक्ति को रिक्ति की

तिथि से छह महीने के भीतर भरा जाएगा। हालाँकि, 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 11 सीपीएसई (15 *प्रतिशत*) में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पद छह महीने की अवधि के भीतर नहीं भरा गया। यह देरी निर्धारित समय सीमा से एक महीने से लेकर दो साल तक की रही।

(पैरा 3.5)

दो सीपीएसई (तीन *प्रतिशत*) में लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था; चार सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) में लेखा परीक्षा समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; दो सीपीएसई (तीन *प्रतिशत*) में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शामिल नहीं हुए। चार सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) में लेखा परीक्षा समिति का कोरम अपर्याप्त था।

(पैरा 3.7.1.1, 3.7.1.2, 3.8 और 3.7.2)

IV. विनिवेश प्रक्रिया

निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने वर्ष 2022-23 के दौरान नौ मामलों में विनिवेश (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम, बिक्री प्रस्ताव, शेयरों की पुनर्खरीद, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम से धन प्रेषण और शत्रु शेयरों की बिक्री) के माध्यम से ₹35,294 करोड़ की राशि प्राप्त की। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, भारत सरकार की किसी इक्विटी शेयरधारिता के बिना एक संयुक्त उद्यम कंपनी, का रणनीतिक विनिवेश भी किया गया।

(पैरा 4.4 और 4.5)

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विनिवेश से प्राप्तियाँ ₹65,000 करोड़ निर्धारित की गई थीं, जिन्हें संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर ₹50,000 करोड़ कर दिया गया। वास्तविक प्राप्तियाँ ₹35,294 करोड़ रहीं, जो संशोधित अनुमान का 70.58 *प्रतिशत* है।

(पैरा 4.4)

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम ने ₹1,275 करोड़ की लाभांश आय (मार्च 2023) दीपम को प्रेषित की, जिसे दीपम द्वारा विनिवेश प्राप्तियों के भाग के रूप में रिपोर्ट किया जा रहा था। चूँकि यह आय सरकारी शेयरधारिता से प्राप्त धन का भाग नहीं है, इसलिए इसे विनिवेश प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(पैरा 4.6.5.1)

V. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

समीक्षा में 31 मार्च 2023 को समाप्त एक वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में 76 सीपीएसई (13 महारत्न, 11 नवरत्न, 36 मिनीरत्न और 16 अन्य कंपनियां) को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 76 सीपीएसई में से 74 सीपीएसई ने अधिनियम के तहत अपेक्षित सीएसआर समिति का गठन किया। एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) और सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) ने सीएसआर समिति का गठन नहीं किया। अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार सभी 74 सीपीएसई में समिति में कम से कम तीन निदेशक थे। एक सूचीबद्ध कंपनी होने के बावजूद बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में (बीएलआईएल) एक भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

(पैरा 5.3.1)

2022-23 के दौरान 76 सीपीएसई का कुल सीएसआर व्यय ₹3,739.12 करोड़ था। विभिन्न मंत्रालयों के 76 चयनित सीपीएसई में से, सीएसआर पर सबसे अधिक व्यय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत सीपीएसई (14 सीपीएसई, ₹1,259.61 करोड़) द्वारा किया गया, इसके बाद विद्युत मंत्रालय (10 सीपीएसई, ₹1,151.72 करोड़) और कोयला मंत्रालय (नौ सीपीएसई, ₹540.92 करोड़) का स्थान रहा। सबसे कम सीएसआर व्यय विमानन मंत्रालय द्वारा किया गया (एक सीपीएसई, ₹4.09 करोड़)

(पैरा 5.4.2)

76 सीपीएसई में से, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने सबसे अधिक ₹475.89 करोड़ का सीएसआर व्यय किया, जो कुल सीएसआर व्यय का 12.73 *प्रतिशत* था। इसके बाद पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने ₹321.66 करोड़ (8.60 *प्रतिशत*), एनटीपीसी लिमिटेड ने ₹315.32 करोड़ (8.43 *प्रतिशत*), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने ₹264.03 करोड़ (7.06 *प्रतिशत*) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) ने ₹209.95 करोड़ (5.61 *प्रतिशत*) का योगदान दिया। ₹3,739.12 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय के मुकाबले, इन पांच सीपीएसई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत दो, विद्युत् मंत्रालय के तहत तीन) ने कुल ₹1,586.85 करोड़ के साथ 42.44 *प्रतिशत* का योगदान दिया।

(पैरा 5.4.3)

राज्यों के संदर्भ में, सीएसआर पर सर्वाधिक व्यय दिल्ली में हुआ जो ₹432.16 करोड़ (11.56 *प्रतिशत*) था, इसके बाद ओडिशा में ₹362.96 करोड़ (9.71 *प्रतिशत*) और असम में ₹231.45 करोड़ (6.18 *प्रतिशत*) का स्थान रहा। इन तीन राज्यों (दिल्ली, ओडिशा और असम) ने कुल सीएसआर व्यय का 27.45 *प्रतिशत* हिस्सा व्यय किया। दो केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार में सीएसआर व्यय शून्य था, सबसे कम मेघालय (₹37.97 लाख) और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (₹48.50 लाख) में था।

(पैरा 5.4.3.1)

वर्ष 2022-23 के लिए, स्वास्थ्य और पोषण, सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए चुना गया सामान्य विषय था। समीक्षा किए गए 76 सीपीएसई में से, 36 सीपीएसई, सामान्य विषय पर 60 *प्रतिशत* सीएसआर व्यय के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

(पैरा 5.4.6)

76 सीपीएसई में से 34 सीपीएसई ने 3,381 परियोजनाओं के संबंध में सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों को चिन्हित करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन किए थे। 16 सीपीएसई ने 905 परियोजनाओं/गतिविधियों के संबंध में आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन नहीं किए। 16 सीपीएसई ने आधारभूत सर्वेक्षण के साथ 643 परियोजनाएं और आधारभूत सर्वेक्षण के बिना 241 परियोजनाएं शुरू कीं; और सात सीपीएसई ने कोई परियोजनाएँ शुरू नहीं कीं और तीन सीपीएसई ने आधारभूत/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण के लिए डेटा उपलब्ध नहीं कराया।

(पैरा 5.5.1)

स्वास्थ्य देखभाल पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया (कुल व्यय का 35.12 *प्रतिशत* अर्थात ₹3,739.12 करोड़) जिसकी राशि ₹1,313.04 करोड़ रही। अगला सर्वाधिक व्यय (₹933.40 करोड़) शिक्षा पर हुआ जो कुल व्यय का 24.96 *प्रतिशत* था।

(पैरा 5.5.3)

कंपनी अधिनियम में प्रावधान है कि सीपीएसई सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि खर्च करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे जहाँ वे काम करते हैं। 76 सीपीएसई के संबंध में, 17 सीपीएसई ने अपनी सीएसआर नीति

में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया, जबकि 59 सीपीएसई ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया।

(पैरा 5.5.4)

VI. प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनीरत्न सीपीएसई के मध्य समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

सीपीएसई और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन की प्रणाली सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों सीपीएसई के लिए अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सीपीएसई के निष्पादन का आकलन करने के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया का एक प्रकार का तंत्र है। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 11 मिनीरत्न सीपीएसई (68 मिनीरत्न सीपीएसई में से) और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण किया।

(पैरा 6.2 और 6.3)

डीपीई दिशानिर्देशों में समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठकें आयोजित करने और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने में विलंब हुआ। वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापनों पर अंतिम तिमाही में हस्ताक्षर किए गए तथा वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापनों पर मुख्य रूप से वर्ष की तीसरी तिमाही में हस्ताक्षर किए गए। दोनों वर्षों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के काफी समय बाद किए गए, जिससे सीपीएसई को समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया।

(पैरा 6.3.1.1)

धारक कंपनी अपनी सहायक कंपनी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दे सकती है और यह प्रक्रिया वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए क्रमश: 31 मई 2021 एवं 31 मार्च 2022 तक हो जानी चाहिये। यद्यपि, दो धारक कंपनियों (एनएचपीसी लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड) द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट देने में एक वर्ष से अधिक एवं तीन वर्ष का विलंब हुआ।

(पैरा 6.3.1.3)

आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड और आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) के संबंध में टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होने के बावजूद टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर कोई लेनदेन नहीं हुआ। तथापि, डीपीई द्वारा समझौता ज्ञापन मूल्यांकन रिपोर्ट में आईआरईएल के संबंध में पूरे पाँच अंक दिए गए तथा हुडको को तीन अंक दिए गए।

(पैरा 6.3.2.1)

मेकॉन लिमिटेड ने 2021-22 और 2022-23 के लिए सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देशों और 2021-22 के लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम का अनुपालन नहीं किया, हालांकि, डीपीई द्वारा कुल एमओयू स्कोर से कोई अंक नहीं काटा गया।

(पैरा 6.3.3.1)

एनएचपीसी लिमिटेड, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियमों और कंपनी अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया, तथापि डीपीई द्वारा कोई अंक नहीं काटा गया।

(पैरा 6.3.3.2)

डीपीई दिशानिर्देशों में समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एमओयू डैशबोर्ड पर निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अपलोड करने और डीपीई द्वारा निष्पादन रेटिंग अपलोड करने के बीच समय का अंतराल वर्ष 2021-22 के लिए 98 दिनों तक था और वर्ष 2022-23 के लिए 100 दिनों तक था।

(पैरा 6.3.3.5)

अध्याय I

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

अध्याय I

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

1.1 परिचय

सरकारी कंपनी

कोई भी कंपनी जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* प्रदत्त शेयर पूंजी केंद्र सरकार या एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से राज्य सरकारों के पास हो और इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 *प्रतिशत* केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास है, एवं इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी सम्मिलित है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ के रूप में संदर्भित किया गया है।

प्रतिवेदन का यह अध्याय सरकारी कंपनियाँ, वैधानिक निगम एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन में, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) शब्द में उन सरकारी कंपनियाँ को सम्मिलित किया गया है जिनमें केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 50 *प्रतिशत* या उससे अधिक है एवं ऐसी सरकारी कंपनियाँ की सहायक कंपनी है। संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निगम एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ को भी सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

---

[1] ***राजपत्र अधिसूचना दिनांक 04 सितंबर, 2014 के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया कंपनी (जटिलता निवारण) सातवां आदेश, 2014 ।***

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23 में कहा (दिसंबर 2023) कि वैधानिक निगम के अलावा, सीपीएसई का मतलब उन सरकारी कंपनियाँ से है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 50 *प्रतिशत* से अधिक इक्विटी रखी जाती है। इन कंपनियाँ की सहायक कंपनियां, यदि भारत में पंजीकृत हैं, को भी सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह विभागीय रूप से संचालित सार्वजनिक उद्यमों, बैंकिंग संस्थानों एवं बीमा कंपनियाँ को सम्मिलित नहीं करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) एवं डीपीई द्वारा अपनाई गई परिभाषा में अंतर के कारण, सीएजी एवं डीपीई द्वारा सीपीएसई के रूप में मानी जाने वाली कंपनियाँ की संख्या में अंतर था। नतीजतन, डीपीई के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सीपीएसई की संख्या 402 थी, जबकि इस प्रतिवेदन के अनुसार सीपीएसई की संख्या 716 थी (507 सरकारी कंपनी एवं वैधानिक निगम एवं सरकार द्वारा नियंत्रित 209 अन्य कंपनियां)।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कंपनियाँ एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ-साथ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सीएजी सरकारी कंपनियाँ एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं एवं ऐसी कंपनियाँ के खातों की लेखापरीक्षा करने के तरीके पर निर्देश देते हैं। इसके अलावा, सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ वैधानिक निगम को नियंत्रित करने वाली संविधियों के अनुसार, उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ही किए जाने का प्रावधान है।

भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों में ऐसे प्रावधान है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार इन संस्थानों के लेखाओं की जांच एवं रिपोर्ट देने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2022-23 तक ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या सम्मिलित है

यह प्रतिवेदन सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करती है, जैसा कि उनके खातों से पता चलता है।

वर्ष 2022-23 के लिए सीएजी द्वारा आयोजित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी वित्तीय विवरणों के परिशोधन के साथ-साथ महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों का प्रभाव (एवं पिछले वर्षों के जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) इस प्रतिवेदन में दिया गया है। इस प्रतिवेदन में, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक हैं, वैधानिक निगम के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी अभ्युक्तियों का प्रभाव भी सम्मिलित है।

यह प्रतिवेदन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के लिए सीपीएसई के पालन की स्थिति एवं कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन, सीपीएसई में विनिवेश प्रक्रिया, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं समझौता ज्ञापन के विश्लेषण की समग्र तस्वीर भी प्रस्तुत करती है।

1.1.3 सीपीएसई की संख्या

सरकारी कंपनियाँ	**501**
वैधानिक निगम	**6**
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	**209**
कुल सीपीएसई	**716**

31 मार्च, 2023 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 716 सीपीएसई ***(अनुलग्नक-I)*** थे। इनमें 501 सरकारी कंपनियां[2], छः वैधानिक निगम[3] एवं सरकार द्वारा नियंत्रित 209 अन्य कंपनियां सम्मिलित हैं। इनमें से, 655 सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन का सारांश इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है एवं इन सीपीएसई की प्रकृति नीचे तालिका 1.1 में दर्शायी गई है:

---

[2] *501 सरकारी कंपनियों में 231 स्टैंडअलोन/होल्डिंग सरकारी कंपनियां और 270 सहायक कंपनियां/सरकारी कंपनियों के संयुक्त उद्यम शामिल हैं*

[3] *भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय भंडारण निगम, दामोदर घाटी निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।*

तालिका 1.1: इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सीपीएसई की कवरेज एवं प्रकृति

सीपीएसई के नाम	सीपीएसई की कुल संख्या	प्रतिवेदन में सम्मिलित सीपीएसई की संख्या				प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं की गई सीपीएसई की संख्या
		तक के लेखा			कुल	
		2022-23	2021-22	2020-21		
सरकारी कंपनियाँ	501	442	13	8	463*	38
वैधानिक निगम	6	6	0	0	6	0
कुल कंपनियाँ/ निगम (ए)	507	448	13	8	469	38
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ **(बी)**	209	182	3	1	186	23
कुल (ए+बी)	**716**	**630**	**16**	**9**	**655**[4]	**61**

**463 सरकारी कंपनियाँ में से, केंद्र सरकार की 209 सीपीएसई में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। शेष 254 सरकारी कंपनियां या तो सरकारी कंपनियाँ की सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम (जेवी) हैं या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत सम्मिलित शेयर पूंजी न होने के कारण गारंटी द्वारा सीमित कंपनियाँ[5] हैं।*

2022-23 के दौरान सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में आने/ से बाहर जाने वाली सरकारी कंपनियाँ/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ का विवरण ***अनुलग्नक-II*** में दिया गया है।

इस प्रतिवेदन में 61 सीपीएसई (23 सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियाँ सहित) सम्मिलित नहीं हैं, जिनके वित्तीय विवरण तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखाएं देय/प्राप्त नहीं हुए थे। इन सीपीएसई की पहचान ***अनुलग्नक-III क*** एवं ***अनुलग्नक-III ख*** में दो तारांकन (**) द्वारा की जा सकती है।

---

[4] ***25 सीपीएसई (21 सरकारी कंपनियों और 4 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों) के आंकड़े इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के अनुसार शामिल किए गए हैं क्योंकि कट-ऑफ तिथि (31 मार्च, 2024) से पहले प्रासंगिक वर्ष की लेखाएं प्राप्त नहीं हुई थी।***

[5] ***क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन।***

इस प्रतिवेदन में विचार की गई सरकारी कंपनियाँ एवं वैधानिक निगम के वित्तीय निष्पादन का सारांश	
सीपीएसई की संख्या	507
सम्मिलित सीपीएसई	469
प्रदत्त पूंजी (469 सीपीएसई)	₹11,48,276 करोड़
दीर्घकालिक ऋण (180 सीपीएसई)	₹27,11,848 करोड़
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार बाजार पूंजीकरण (66 व्यापार वाली सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां)	₹17,28,067 करोड़
निवल लाभ (274 सीपीएसई)	₹2,54,239 करोड़
निवल हानि (181 सीपीएसई[6])	₹45,250 करोड़
शून्य लाभ / हानि	12 सीपीएसई
घोषित लाभांश (133 सीपीएसई)	₹1,10,884 करोड़
निवल परिसंपत्ति (469 सीपीएसई)	₹25,17,875 करोड़

1.2 सरकारी कंपनियाँ एवं निगमों में निवेश

31 मार्च, 2023 के अंत तक 469 सरकारी कंपनियाँ एवं निगम[7] में प्रदत्त पूंजी एवं ऋण की राशि तालिका 1.2 में दर्शायी गई है:

---

[6] *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नुकसान को इसकी अचल संपतियों में निवल स्थापना व्यय के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के नुकसान को इसके आईडब्ल्यूएआई फंड के साथ समायोजित किया गया था।*

[7] *507 सीपीएसई - 38 सीपीएसई जिनकी लेखाएं तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया थीं या परिसमापन के अधीन थीं या प्रथम लेखा देय/प्राप्त नहीं हुए थे।*

तालिका 1.2: सरकारी कंपनियाँ एवं निगम में प्रदत्त पूंजी एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
	प्रदत्त पूंजी[8]	दीर्घकालिक ऋण	कुल	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	कुल
केंद्र सरकार	9,24,770	2,24,233	11,49,003	6,36,670	1,73,384	8,10,054
केंद्र सरकार की कंपनियाँ / के निगम	1,23,819	46,741	1,70,560	1,04,440	45,176	1,49,616
राज्य सरकार / राज्य सरकार की कंपनियाँ / राज्य सरकार के निगम	46,795	34,641	81,436	41,651	32,445	74,096
वित्तीय संस्थान एवं अन्य	52,892	24,06,233	24,59,125	36,616	22,68,633	23,05,249
कुल	**11,48,276**	**27,11,848**	**38,60,124**	**8,19,377**	**25,19,638**	**33,39,015**
कुल निवेश में केन्द्र सरकार के निवेश का *प्रतिशत*	80.54	8.27	29.77	77.70	6.88	24.26

स्रोत: वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए सीपीएसई के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।

यह देखा गया कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान सरकारी कंपनियाँ एवं निगम में निवेश की गई कुल धनराशि में ₹5,21,109 करोड़ (15.61 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, जिसमें प्रदत्त पूंजी में ₹3,28,899 करोड़ की वृद्धि एवं दीर्घकालिक ऋणों में ₹1,92,210 करोड़ की वृद्धि सम्मिलित थी।

[8] ***रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई 38 सरकारी कंपनियों में से 13 सीपीएसई की जानकारी उपलब्ध थी, जिनकी प्रदत्त पूंजी ₹1,828 करोड़ थी।***

1.2.1 इक्विटी हिस्सेदारी

2022-23 के दौरान, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 469 सीपीएसई में ₹3,28,899 करोड़ के प्रदत्त पूंजी की निवल वृद्धि दर्ज की गई। 2022-23 के दौरान सीपीएसई में केंद्र सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी ₹2,88,100 करोड़[9] बढ़ गई है। 34 सीपीएसई में ₹2,88,147 करोड़ के शेयर जारी करने एवं चार सीपीएसई में ₹47 करोड़ के शेयरों के विनिवेश/प्रति-क्रय आदि के निवल परिणामस्वरूप ₹2,88,100 करोड़ की वृद्धि थी।

वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ₹2,88,147 करोड़ की नई इक्विटी हिस्सेदारी में से, 30 सीपीएसई में ताजा इक्विटी के रूप में ₹2,82,563 करोड़ की इक्विटी हिस्सेदारी थी, जिससे परिणामस्वरूप संबंधित सीपीएसई को नकदी प्रवाह हुआ एवं चार सीपीएसई[10] में ₹5,584 करोड़ बोनस शेयर जारी करने/इक्विटी में अविलयन के रूप में था।

2020-21 से 2022-23 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार एवं अन्य[11] द्वारा सरकारी कंपनियाँ एवं निगम में इक्विटी में हिस्सेदारी को चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: सरकारी कंपनियाँ एवं निगम में अंशधारिता

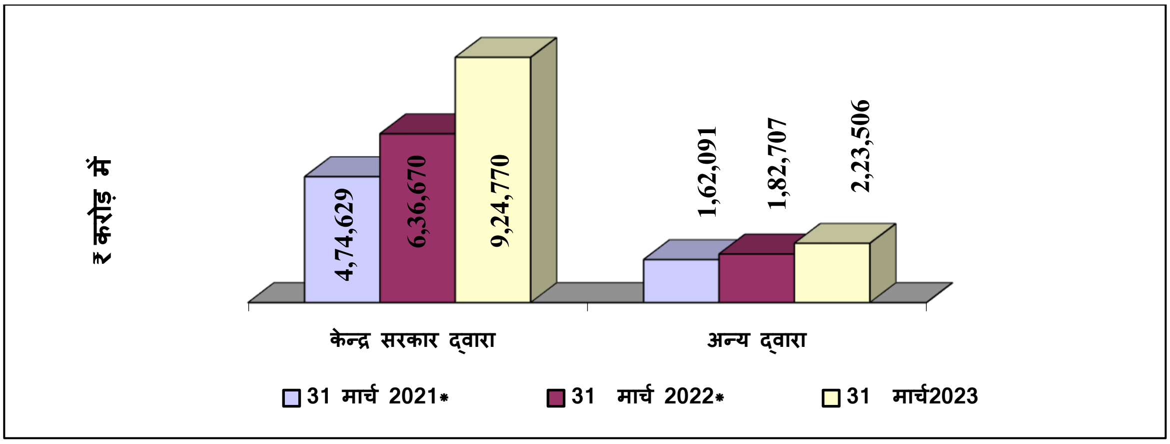

** पिछले वर्षों के अवन्तिम आंकड़े 2022-23 के दौरान अघतन किए गए क्योंकि उस वर्ष के खाते प्राप्त हुए थे।*

---

[9] *21 सरकारी कंपनियों के अनंतिम आंकड़े उनके अंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़ों के आधार पर इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं क्योंकि रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वर्ष 2022-23 की लेखाएं कट-ऑफ तिथि (31.03.2024) से पहले प्राप्त नहीं हुई थीं।*

[10] *इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड।*

[11] *अन्य में केंद्र सरकार की कंपनियां/निगम, राज्य सरकारें, राज्य सरकार की कंपनियां/निगम और वित्तीय संस्थान आदि शामिल हैं।*

सीपीएसई की प्रदत्त पूंजी में 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए ₹5,000 करोड़ से अधिक के निवेश का विवरण निम्नलिखित तालिका 1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: 2022-23 की अवधि में केंद्र सरकार द्वारा ₹5,000 करोड़ से अधिक का निवेश

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई के नाम	मंत्रालय के नाम	राशि
वैधानिक निगम		
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	1,58,725[12]
सरकारी कंपनियाँ		
म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड	रक्षा	32,505
भारत संचार निगम लिमिटेड	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	26,386
एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	रक्षा	16,596
यंत्र इंडिया लिमिटेड	रक्षा	12,425
आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड	रक्षा	12,361
इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	रक्षा	5,776

1.2.2 सरकारी कंपनियाँ एवं निगम को दिए गए ऋण

1.2.2.1 31 मार्च 2023 तक बकाया दीर्घकालिक ऋणों की गणना

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सभी स्रोतों से 469 सरकारी कंपनियाँ एवं निगम में से 180 सीपीसीई में बकाया कुल दीर्घकालिक ऋण ₹27,11,848 करोड़ थे। 2022-23 के दौरान, सरकारी कंपनियाँ एवं निगम के दीर्घकालिक ऋणों में ₹1,92,210 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 180 सीपीएसई के कुल दीर्घकालिक ऋणों में से, 54 सीपीएसई में केंद्र सरकार से ₹2,24,233 करोड़[13] का ऋण

[12] इसमें उपकर निधि, बजटीय सहायता (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और अन्य), इनविट परियोजनाओं से प्राप्तियां, टोल प्रेषण की वापसी आदि शामिल हैं।

[13] विश्व बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) आदि जैसी बाहरी एजेंसियों से ऋण सहित।

था। इन 54 सीपीएसई में से, 29 सीपीएसई में 2022-23 से संबंधित ₹51,081 करोड़ के ऋण थे, जबकि 2022-23 के दौरान नौ सीपीएसई[14] ने ऋण चुकाया था।

29 सीपीएसई में से, 14 सीपीएसई[15] को चल रही परियोजनाओं/ प्रचलनों के कार्यान्वयन के वित्तपोषण के लिए ऋण दिया गया था एवं शेष 15 सीपीएसई के मामले में, ऋण में वृद्धि या तो पहले के ऋणों पर बकाया ब्याज या कर्मचारियों की बकाया राशि को पूरा करने के लिए दिए गए ऋण के कारण थी।

2020-21 से 2022-23 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी कंपनियाँ एवं निगम (केंद्र सरकार एवं अन्य द्वारा[16]) के बकाया दीर्घकालिक ऋणों का वर्षवार विवरण को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: सरकारी कंपनियाँ एवं निगम में बकाया दीर्घकालिक ऋण

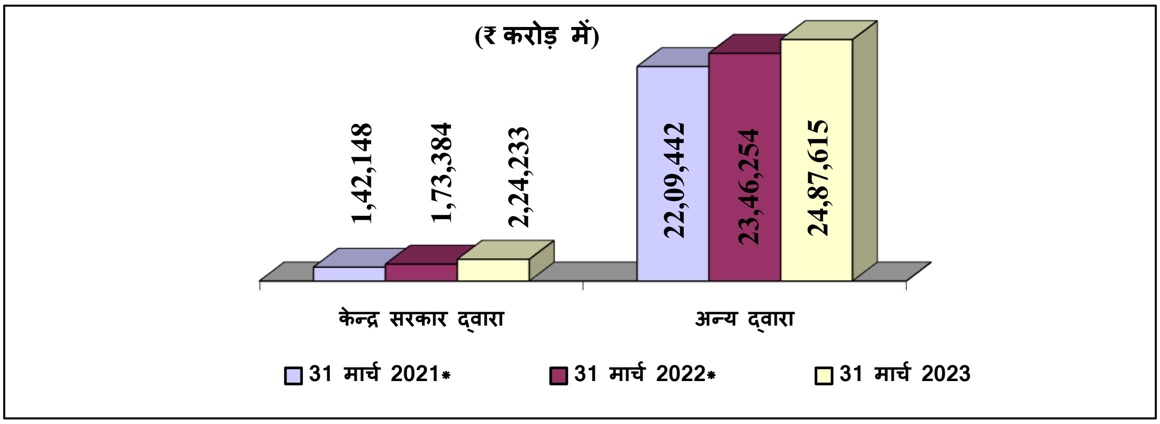

** पिछले वर्षों के अवन्तिम आंकड़े 2022-23 के दौरान अघतन किए गए क्योंकि उस वर्ष के खाते प्राप्त हुए थे।*

---

[14] ***महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, हेम्सफेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड।***

[15] ***कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड***

[16] ***अन्य में केंद्र सरकार की कंपनियां/निगम, राज्य सरकारें, राज्य सरकार की कंपनियां/निगम और वित्तीय संस्थान आदि शामिल हैं।***

यह देखा जा सकता है कि सरकारी कंपनियाँ एवं निगम को अन्य स्त्रोतों द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋण में ₹1,41,361 करोड़ की वृद्धि हुई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान इसमें ₹50,849 करोड़ की वृद्धि हुई थी।

469 सरकारी कंपनियाँ एवं निगम में से, 289 सीपीएसई (एक सांविधिक निगम यानी केंद्रीय भंडारण निगम सहित) के पास 31 मार्च, 2023 तक कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं था।

1.2.2.2 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल ऋण एवं कुल परिसंपत्तियों का अनुपात, यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई कंपनी शोधन-क्षम बनी रह सकती है। शोधन-क्षम माने जाने के लिए, किसी इकाई की परिसंपत्ति का मूल्य उसके ऋण/कर्ज़ के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च, 2023 तक बकाया ऋण वाली 180 सीपीएसई में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य के अनुसार दीर्घकालिक ऋणों का कवरेज नीचे तालिका 1.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: कुल परिसंपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋण का कवरेज

	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	सीपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	परिसंपत्ति	ऋण के लिए परिसंपत्ति की प्रतिशतता	सीपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	परिसंपत्ति	ऋण के लिए परिसंपत्ति की प्रतिशतता
वैधानिक निगम	5	3,98,916	10,83,218	271.54				
सूचीबद्ध कंपनियां	39	17,32,900	37,76,936	217.95	1	23,500	9,870	42.00
अ-सूचीबद्ध कंपनियां	110	5,43,861	12,98,927	238.83	25	12,672	2,416	19.07
कुल	**154**	**26,75,677**	**61,59,081**		**26**	**36,172**	**12,286**	

जबकि शेष 180 सीपीएसई में से, 154 सीपीएसई में, कुल परिसंपत्ति का मूल्य दीर्घकालिक ऋण बकाया से ज्यादा था, 26 सीपीएसई में ***(अनुलग्नक-IV)***, कुल परिसंपत्ति का मूल्य दीर्घकालिक ऋण बकाया से कम था।

1.2.2.3. ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का प्रयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना, उसी अवधि के ब्याज खर्चों द्वारा ब्याज एवं करों से पहले (ईबीआईटी) कंपनी की कमाई को विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम आईसीआर यह दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। सीपीएसई के सकारात्मक एवं नकारात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण, जिसके 2020-21 से 2022-23 तक के पिछले तीन वर्ष दौरान ऋण बकाया थे,निम्नलिखित तालिका 1.5 में दर्शाये गए हैं:

तालिका 1.5: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं कर से पहले की आय (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की संख्या	शून्य ब्याज के साथ सीपीएसई की संख्या	आईसीआर>=1 वाली सीपीएसई की संख्या	आईसीआर<1 वाली सीपीएसई की संख्या
	वैधानिक निगमों					
2020-21	31,704	28,623	5	1	2	2
2021-22	5,773	5,698	5	1	3	1
2022-23	5,776	9,506	5	1	3	1
	सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां					
2020-21	97,494	2,70,063	41	3	30	8
2021-22	89,229	3,15,696	39	1	32	6
2022-23	98,394	2,64,157	40	1	31	8
	अ-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां					
2020-21	19,467	21,487	132	44	47	41
2021-22	21,743	34,828	137	45	48	44
2022-23	25,444	41,980	135	28	63	44

यह देखा गया कि असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ में एक के बराबर या उससे अधिक आईसीआर वाले तथा एक से कम आईसीआर वाले सीपीएसई की संख्या में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, कुल मिलाकर, एक के बराबर या उससे अधिक आईसीआर वाले सीपीएसई की संख्या 2021-22 में 83 (3+32+48) से बढ़कर 2022-23 में 97 (3+31+63) हो गई थी। इसी तरह, एक से कम आईसीआर वाले सीपीएसई भी 2021-22 में 51 (1+6+44) से 2022-23 में बढ़कर 53 (1+8+44) हो गए थे।

सात सीपीएसई[17] के संबंध में, 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार उनके ऋण/कर्ज़ पर देय ब्याज उनकी कुल परिसंपत्तियों के मूल्य से अधिक था, जिसने इन कंपनियाँ में दिवाला के उच्च जोखिम का संकेत दिया था।

1.2.2.4 केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का समय-वार विश्लेषण

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए 19 सीपीएसई के दीर्घकालिक ऋणों पर ₹11,608.53 करोड़ की ब्याज राशि बकाया थी। सीपीएसई में केंद्र सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज का समय-वार विश्लेषण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	केंद्र सरकार के 1 वर्ष से कम के ऋणों पर ब्याज बकाया	1 - 3 वर्षों के लिए केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज बकाया	केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है
1.	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	1,706.21	66.00	204.45	1,435.76
2.	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड	52.70	0	0	52.70
3.	बिको लॉरी लिमिटेड	10.51	0	2.08	8.43

[17] अंडमान फिशरीज लिमिटेड, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, महाराष्ट्र बायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नेशनल साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड, टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	केंद्र सरकार के 1 वर्ष से कम के ऋणों पर ब्याज बकाया	1 - 3 वर्षों के लिए केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज बकाया	केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है
4.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	74.67	3.89	11.57	59.21
5.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	123.85	0	0	123.85
6.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,051.88	1,233.17	1,687.79	2,130.92
7.	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	816.15	415.96	400.19	0
8.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	93.69	26.00	45.69	22.00
9.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	398.61	50.00	103.94	244.67
10.	आई टी आई लिमिटेड	25.56	3.00	6.00	16.56
11.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	820.99	54.59	93.61	672.79
12.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.55	0.55	0	0
13.	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	625.26	0	62.76	562.50
14.	नेपा लिमिटेड	262.85	48.59	104.74	109.52
15.	एनएचपीसी लिमिटेड	70.16	70.16	0.00	0.00
16.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	26.42	1.80	6.25	18.37
17.	आरईसी लिमिटेड	3.25	3.25	0.00	0.00
18.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	11.12	0.00	11.12	0.00

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	केंद्र सरकार के 1 वर्ष से कम के ऋणों पर ब्याज बकाया	1 - 3 वर्षों के लिए केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज बकाया	केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है
19.	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1,434.10	239.02	478.03	717.05
	कुल	**11,608.53**	**2,215.98**	**3,218.22**	**6,174.33**

यह देखा गया कि केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज 2021-22 में ₹4,184.16 करोड़ (25 सीपीएसई) से 2022-23 में ₹11,608.53 करोड़ (19 सीपीएसई) बढ़ गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि 53.19 *प्रतिशत* ब्याज तीन साल से अधिक समय से बकाया था।

1.2.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ में निवेश

वर्ष 2022-23 के दौरान 186 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ[18] में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियाँ/निगम द्वारा निवेश की गई पूंजी को चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ में शेयर पूंजी का संयोजन

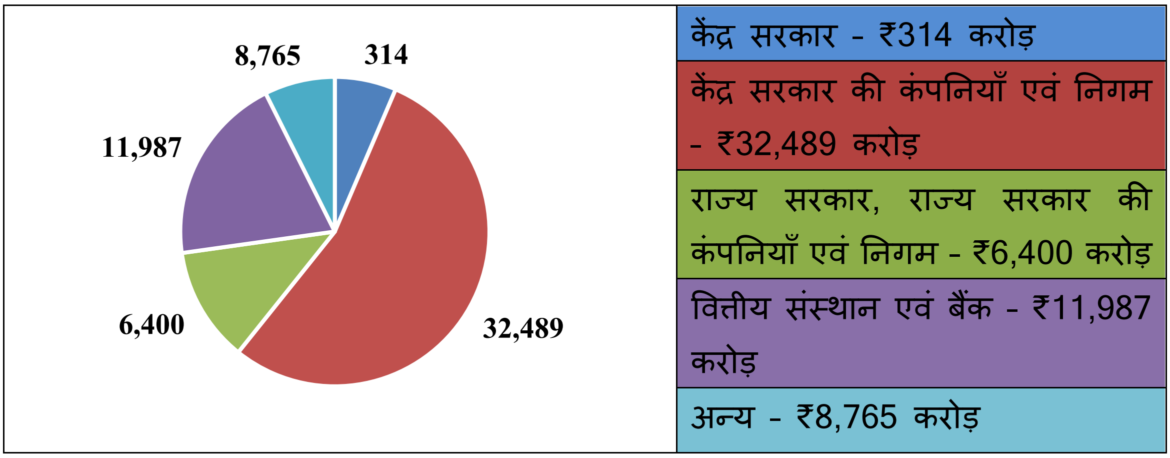

[18] *186 = 209 - 23 सरकार ने अन्य कंपनियों को नियंत्रित किया जिनकी लेखाएं तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया थीं या परिसमापन के तहत थीं या प्रथम लेखा देय / प्राप्त नहीं हुआ था।*

31 मार्च 2023 तक, 186 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ मे प्रदत्त पूंजी ₹59,955 करोड़ थी। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ की प्रदत्त पूंजी में पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में ₹9,484 करोड़ की वृद्धि हुई थी।

1.2.4 सरकारी कंपनियाँ में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण उन कंपनियाँ के शेयरों के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिनके शेयर सूचीबद्ध हैं। 31 मार्च, 2023 तक, 76 सीपीएसई के शेयर जिसमें 59 सरकारी कंपनियाँ, सरकारी कंपनियाँ की नौ सहायक कंपनियाँ[19] एवं आठ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ[20] भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे, जिनमें से एक सीपीएसई (एनएमडीसी स्टील लिमिटेड) को केवल 2022-23 के दौरान सूचीबद्ध किया गया था। इसके अलावा, सरकारी कंपनियाँ की नौ सहायक कंपनियाँ में से, दो सहायक कंपनियाँ के शेयर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे[21]।

सभी 59 सरकारी कंपनियाँ एवं सरकारी कंपनियाँ की सात सहायक कंपनियाँ (कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध दो कंपनियाँ को छोड़कर) के शेयरों का व्यापार 2022-23 के दौरान बीएसई पर किया गया था।

66 व्यापार वाली सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ (सात सहायक कंपनियाँ सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च, 2023 को ₹17,28,067 करोड़ (इक्विटी निवेश ₹1,17,689 करोड़) था, जबकि इसकी तुलना में 31 मार्च, 2022 तक 65 सीपीएसई का निवेश ₹15,88,664 करोड़ (इक्विटी निवेश ₹1,06,053 करोड़) था. इस प्रकार, 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, व्यापार वाली सूचीबद्ध सीपीएसई के शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹1,39,403 करोड़ (8.77 *प्रतिशत*) बढ़ गया।

---

[19] ***बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, द उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड।***

[20] ***ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड।***

[21] ***ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड।***

सेबी द्वारा निर्धारित लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप की परिभाषा[22] एवं बीएसई के अनुसार शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियाँ के बाजार पूंजीकरण मूल्य को ध्यान में रखते हुए, व्यपार वाली सूचीबद्ध सीपीएसई को लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: 66 सूचीबद्ध सीपीएसई का वर्गीकरण

विवरण	2022-23	2021-22	समान सीपीएसई
लार्ज कैप सीपीएसई	9	10	9
मिड कैप सीपीएसई	14	13	12
स्मॉल कैप सीपीएसई	43	42	42
कुल	**66**	**65**	

यह देखा गया कि 2021-22 में 42 स्मॉल कैप सीपीएसई में से, एक कंपनी[23] 2022-23 में मिड कैप कंपनी बन गई। 2021-22 में 13 मिड कैप सीपीएसई में से एक कंपनी[24] 2022-23 में स्मॉल कैप कंपनी बन गई। 2021-22 में 10 लार्ज कैप सीपीएसई में से एक कंपनी[25] 2022-23 में मिड कैप कंपनी बन गई। इसके परिणामस्वरूप 2022-23 में 43 (42-1+1+1) स्मॉल कैप सीपीएसई (एनएमडीसी स्टील लिमिटेड केवल 2022-23 के दौरान सूचीबद्ध हुई थी), 14 (13+1-1+1) मिड कैप सीपीएसई एवं 9 (10-1) लार्ज कैप सीपीएसई हुई।

अधिकतम बाजार पूंजीकरण वाले शीर्ष तीन क्षेत्र पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस (₹5,23,574 करोड़-30.30%), विद्युत (₹4,51,281 करोड़-26.11%) एवं रक्षा (₹2,08,009 करोड़-12.04%) थे। रक्षा क्षेत्र में शेयरों के बाजार मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि (₹78,797 करोड़-60.98%) के बाद विद्युत क्षेत्र (₹76,471 करोड़-20.40%) एवं कोयला

---

22 सेबी के दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 के परिपत्र के अनुसार, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:
लार्ज कैप: पूर्ण बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में पहली - 100वीं कंपनी
मिड कैप: पूर्ण बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में 101वीं - 250वीं कंपनी
स्मॉल कैप: पूर्ण बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में 251वीं कंपनी से आगे

23 भारत डायनामिक्स लिमिटेड।

24 नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड

25 इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

क्षेत्र (₹20,919 करोड़-17.22%) में वृद्धि देखी गई, जबकि शेयरों के बाजार मूल्य में सबसे अधिक कमी पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस क्षेत्र (₹20,400 करोड़-3.75%) के बाद इस्पात क्षेत्र (₹16,166 करोड़-14.89%) एवं खान क्षेत्र (₹9,422 करोड़-28.25%) में रही। 31 मार्च 2023 तक 59 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ (सात सहायक कंपनियाँ को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹16,47,979 करोड़ था, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा रखे गए शेयरों का बाजार मूल्य ₹10,03,886 करोड़ (60.92 %) था।

इस अवधि के दौरान, एस एवं पी बीएसई संसेक्स[26] 31 मार्च 2022 को 58,568.51 से 0.72 *प्रतिशत* बढ़कर 31 मार्च 2023 को 58,991.52 हो गया। इसकी तुलना में, एस एवं पी बीएसई-सीपीएसई सूचकांक[27] 31 मार्च 2022 को 1,587.95 से 8.07 *प्रतिशत* बढ़कर 31 मार्च 2023 को 1,716.13 हो गया। एस एवं पी बीएसई संसेक्स एवं एस एवं पी बीएसई-सीपीएसई इंडेक्स की तुलना में पिछले पांच वर्षों के लिए व्यापारित सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ के बाजार पूंजीकरण के ट्रेंड को चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.4: एस एवं पी बीएसई संसेक्स एवं सीपीएसई इंडेक्स की तुलना में व्यापारित सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ के बाजार पूंजीकरण की प्रवृत्ति

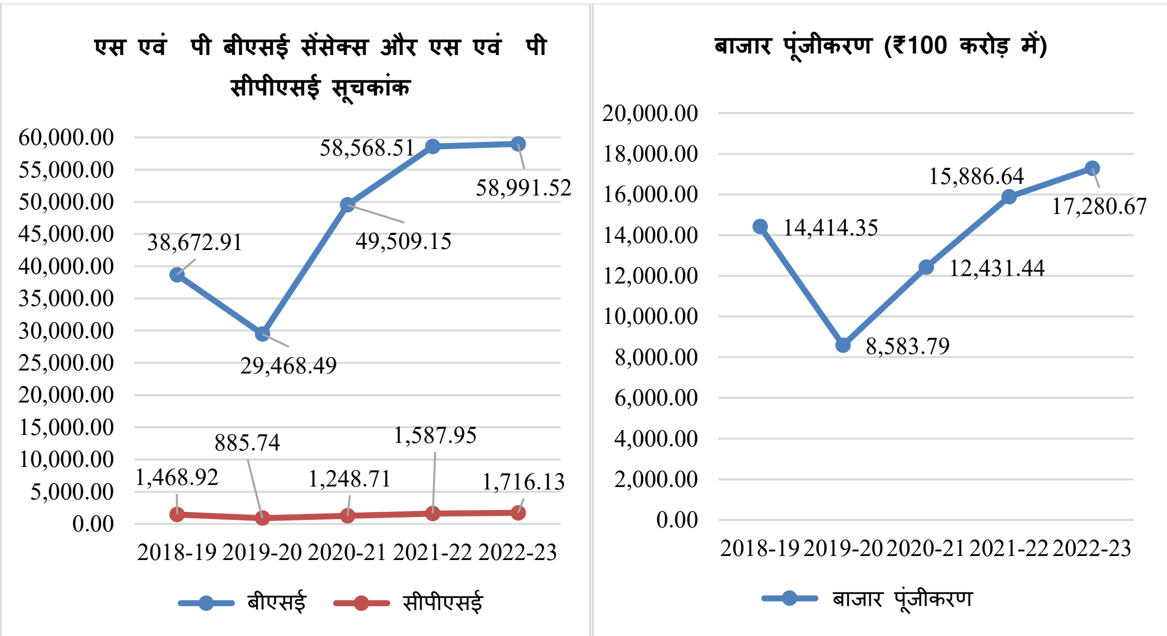

---

[26] *एस एवं पी बीएसई संसेक्स एक बेंचमार्क सूचकांक है जो 30 घटक शेयरों का एक समूह है जो बड़ी, तरल और प्रतिनिधि कंपनियों के नमूने का प्रतिनिधित्व करती है।*

[27] *बीएसई में सूचीबद्ध सीपीएसई के निष्पादन को एस एवं पी बीएसई सीपीएसई सूचकांक मापता है।*

यह देखा गया कि एस एवं पी बीएसई सेंसेक्स एवं एस एवं पी बीएसई सीपीएसई इंडेक्स की तुलना में 2018-19 से 2022-23 के दौरान ट्रेड सूचीबद्ध सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण की प्रवृत्ति समान था। 2018-19 से 2019-20 तक, इन सीपीएसई के शेयरों का बाजार मूल्य 40.45 *प्रतिशत* (₹14,41,435 करोड़ से ₹8,58,379 करोड़ तक) कम हो गया। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान एस एवं पी बीएसई सेंसेक्स में 23.80 *प्रतिशत* (38,672.91 से 29,468.49 तक) एवं एस एवं पी बीएसई-सीपीएसई इंडेक्स में 39.70 *प्रतिशत* (1,468.92 से 885.74 तक) की कमी आई। 2019-20 से, बाजार पूंजीकरण के साथ-साथ एस एवं पी बीएसई सेंसेक्स एवं सीपीएसई इंडेक्स में एक बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई।

2022-23 के दौरान सरकारी कंपनियाँ की सात व्यापार किए गए सहायक कंपनियाँ के शेयरों का बाजार मूल्य, 31 मार्च, 2023 को ₹80,087 करोड़ था। इन सात सहायक सरकारी कंपनियाँ में शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च, 2022 की तुलना में 31 मार्च, 2023 को ₹4,755 करोड़ बढ़ गया।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार उच्चतम बाजार पूंजीकरण वाली शीर्ष 10 व्यपार वाली सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां तालिका 1.8 में दर्शायी गई हैं।

तालिका 1.8: उच्चतम बाजार पूंजीकरण वाली सरकारी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
1.	ऑइल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,89,962	2,06,191
2.	एनटीपीसी लिमिटेड	1,69,934	1,30,857
3.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,57,436	1,51,263
4.	कोल इंडिया लिमिटेड	1,31,667	1,12,778
5.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,10,061	1,11,981
6.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	91,296	49,727
7.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	74,633	77,920
8.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	71,307	51,376
9.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	69,203	69,137
10.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	45,840	61,968

65 व्यापार की गई सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ में से (नए सूचीबद्ध सीपीएसई अर्थात एनएमडीसी स्टील लिमिटेड को छोड़कर) 33 सीपीएसई के संबंध में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई थी, जबकि 32 सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण में कमी आई थी ***(अनुलग्नक-V)***।

1.3 सीपीएसई से प्राप्त प्रतिलाभ

1.3.1 सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

2021-22 में 254 की तुलना में 2022-23 में लाभ अर्जित करने वाली सरकारी कंपनियाँ एवं निगम की संख्या 274 थी। (43 सीपीएसई को जोड़ा गया एवं 23 सीपीएसई को बाहर रखा गया)। इन 43 सीपीएसई ***(अनुलग्नक-VI)*** में से, सात सीपीएसई नए थे एवं उनके संचालन के पहले वर्ष में लाभ प्राप्त हुआ था, 31 सीपीएसई को पिछले वर्ष में नुकसान होने के बाद लाभ हुआ एवं पांच सीपीएसई को पिछले वर्ष में शून्य लाभ/हानि हुई थी। 31 में से 14 को प्रचालन लाभ[28] के कारण लाभ हुआ था। पिछले वर्ष लाभ कमाने के बाद घाटे में रहने वाले 23 सीपीएसई में से, ***(अनुलग्नक-VII)*** 18 सीपीएसई को मुख्य रूप से प्रचालन घाटे के कारण नुकसान हुआ था।

निम्नलिखित मानदंडों को अपनाते हुए पिछले दो वर्षों यानी 2021-22 एवं 2022-23 के लिए लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई का वर्गीकरण तालिका 1.9 में दर्शाया गया है:

- ₹10,000 करोड़ से अधिक लाभ वाले सीपीएसई को उच्च लाभ अर्जित वाले सीपीएसई के रूप में माना गया है।
- ₹1,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच लाभ वाली सीपीएसई को मध्यम लाभ अर्जित वाली सीपीएसई के रूप में माना गया है।
- ₹1,000 करोड़ से कम लाभ वाले सीपीएसई को कम लाभ अर्जित वाले सीपीएसई के रूप में माना गया है।

[28] *कुल प्रचालन आय कम व्यय।*

तालिका 1.9: लाभ अर्जित वाली सीपीएसई का वर्गीकरण

सीपीएसई का वर्ग	2022-23	2021-22	समान सीपीएसई
₹10,000 करोड़ से अधिक लाभ	7	9	6
₹1,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच लाभ	34	23	21
₹1,000 करोड़ से कम का लाभ	233	222	192
कुल	274	254	219

सरकारी कंपनियाँ द्वारा 2022-23 के दौरान अर्जित लाभ ₹13,458 करोड़ (5.03 *प्रतिशत*) घटकर 2021-22 में ₹2,67,697 करोड़ से 2022-23 में ₹2,54,239 करोड़ हो गया। तदनुसार, 2022-23 में 274 सीपीएसई का इक्विटी पर रिटर्न[29] (आरओई) 13.74 *प्रतिशत* था, जबकि 2021-22 में 254 सीपीएसई का 15.57 *प्रतिशत* था। 2022-23 में सभी 467 सरकारी कंपनियाँ एवं निगम[30] जिसमें 181 घाटे में चल रही एवं 12 शून्य लाभ/हानि कंपनियां सम्मिलित हैं, आरओई 10.43 *प्रतिशत* थी। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान अर्जित लाभ करने वाले सीपीएसई की संख्या चार्ट 1.5 में दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई में वृद्धि हो रही थी।

चार्ट 1.5: लाभ अर्जित वाले सीपीएसई की संख्या

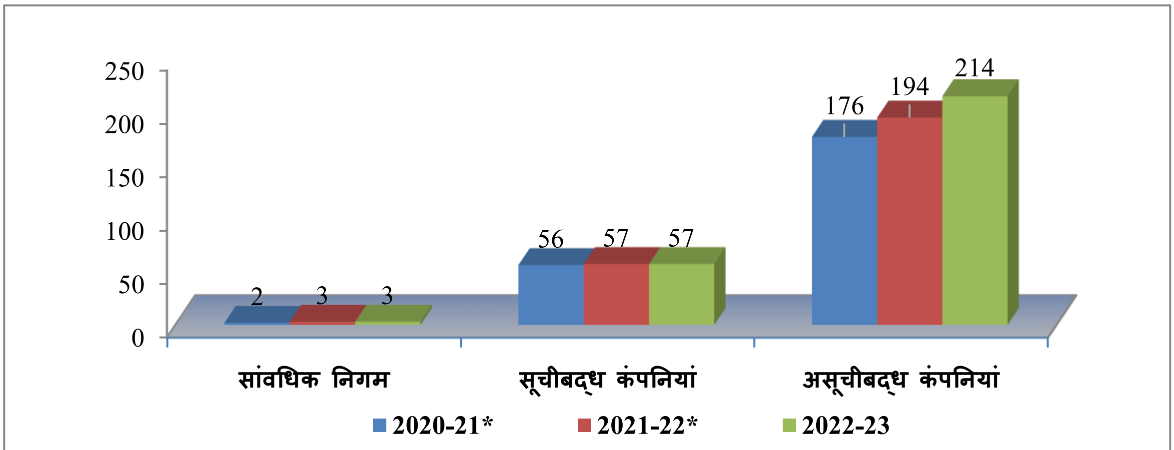

---

[29] *इक्विटी पर रिटर्न = (कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/इक्विटी) * 100, जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + संरक्षित निधियां और अधिशेष - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।*

[30] *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, उनके घाटे को फुटनोट 6 में दिए अनुसार समायोजित किया गया है।*

* *पिछले वर्षों के आंकड़े 2022-23 के दौरान अपडेट किए गए जब उस वर्ष की लेखाएं प्राप्त हुई थीं।*

2022-23 के दौरान अधिकतम लाभ में योगदान देने वाले शीर्ष तीन क्षेत्रों का विवरण तालिका 1.10 में संक्षेपित है।

तालिका 1.10: 2022-23 के दौरान अधिकतम लाभ में योगदान देने वाले शीर्ष तीन क्षेत्र

क्षेत्र	लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल लाभ के लिए लाभ की प्रतिशतता
ऑइल एंड नैचुरल गैस			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	7	67,225	26.44%
अ-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	7	9,538	3.75%
उप-योग (ए)	**14**	76,763	30.19%
विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	4	37,727	14.84%
अ-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	46	9,168	3.61%
वैधानिक निगम	1	704	0.28%
उप-योग (बी)	**51**	47,599	18.72%
कोयला एवं लिग्नाइट			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	2	16,051	6.31%
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	9	27,651	10.88%
उप-योग (सी)	**11**	43,701	17.19%
कुल (ए+बी+सी)	**76**	**1,68,064**	**66.10%**

2022-23 में सरकारी कंपनियाँ एवं निगम के कुल लाभ में 76 सीपीएसई का 66.10 *प्रतिशत* अर्थात् ₹1,68,064 करोड़ के निवल लाभ का योगदान रहा, जबकि 2021-22 में इन क्षेत्रों में 65 सीपीएसई द्वारा 68.53 *प्रतिशत* का योगदान था।

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹10,000 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित करने वाली सरकारी कंपनियों की सूची तालिका 1.11 में दी गई है।

तालिका 1.11: ₹10,000 करोड़ से अधिक का निवल लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की सूची

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	आरओई (*प्रतिशत* में)
1	ऑइल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	38,829	15.06
2	*एनटीपीसी लिमिटेड*	17,197	12.85
3	*पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड*	15,333	18.51
4	*कोल इंडिया लिमिटेड*	14,802	88.60
5	*महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड*	13,475	101.26
6	*पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड*	11,605	17.02
7	*आरईसी लिमिटेड*	11,055	19.35
कुल		**1,22,296**	**19.42**

यह देखा जा सकता है कि इन सात सरकारी कंपनियाँ ने 2022-23 के दौरान 274 सरकारी कंपनियाँ एवं निगम द्वारा अर्जित ₹2,54,239 करोड़ के कुल लाभ में 48.10 *प्रतिशत* का योगदान दिया। इन सात सरकारी कंपनियाँ का आरओई 19.42 *प्रतिशत* है एवं शेष 267 सरकारी कंपनियाँ का आरओई 10.81 *प्रतिशत* है।

186 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ में से, 136 सीपीएसई ने 2022-23 के दौरान ₹19,806 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जो 2021-22 में ऐसी 127 सीपीएसई द्वारा अर्जित ₹15,011 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹4,795 करोड़ (31.94 *प्रतिशत*) की वृद्धि थी। इसके अलावा, 2021-22 में 127 सीपीएसई के आरओई 4.11 *प्रतिशत* की तुलना में 2022-23 में 136 सीपीएसई का आरओई 4.66 *प्रतिशत* था। 2021-22 में 180 सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियाँ में आरओई 3.29 *प्रतिशत* की तुलना में 2022-23 में ऐसी सभी 186 अन्य कंपनियाँ में आरओई 3.21 *प्रतिशत* था।

1.3.2 सीपीएसई को हुई हानि

वर्ष 2022-23 के दौरान 181 सरकारी कंपनियां[31] घाटे में थीं। इन 181 घाटे में चल रहे सीपीएसई में से पिछले पांच वर्षों में 66 को दो से चार वर्षों के लिए हानि हुई है, जबकि 78 सीपीएसई को पिछले पांच वर्षों से लगातार हानि हुई है। सरकारी कंपनियाँ एवं निगम

[31] ***भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, उनके नुकसान को फुटनोट 6 में दिए गए अनुसार समायोजित किया जाता है।***

द्वारा किया गया नुकसान 2021-22 में ₹31,327 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹45,250 करोड़ हो गया, जैसा कि तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: 2020-21 से 2022-23 के दौरान घाटे में चलने वाली सीपीएसई की संख्या

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	हानि उठाने वाली सीपीएसई की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	निवल परिसंपत्ति[32] (₹ करोड़ में)
वैधानिक निगमों				
2020-21	1	1,962	0	12,850
2021-22	0	0	0	0
2022-23	0	0	0	0
असूचीबद्ध कंपनियाँ				
2020-21	145	24,145	45,335	96,716
2021-22	148	26,328	1,15,834	1,20,027
2022-23	170	32,521	1,24,129	1,30,384
सूचीबद्ध कंपनियाँ				
2020-21	13	8,364	17,036	21,051
2021-22	12	4,999	21,314	-17,369
2022-23	11	12,729	23,219	10,517
कुल				
2020-21	159	34,471	62,371	1,30,617
2021-22	160	31,327	1,37,148	1,02,658
2022-23	181	45,250	1,47,348	1,40,901

तालिका 1.13 में सूचीबद्ध सीपीएसई को वर्ष 2022-23 के दौरान ₹1,000 करोड़ से अधिक का हानि हुई।

[32] *निवल परिसंपत्ति का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी और संरक्षित निधियों का कुल योग और अधिशेष कम संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय। संरक्षित निधियों का अर्थ है लाभ और शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी निधियाँ लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से बनाई गईं निधियाँ और मूल्यह्रास प्रावधान को वापस लिखना शामिल नहीं है।*

तालिका 1.13: सीपीएसई जिसने 2022-23 के दौरान ₹1,000 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम	निवल हानि
1	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड	2,253
2	भारत संचार निगम लिमिटेड	8,162
3	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,570
4	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,974
5	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2,911
6	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,865
7	द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,968
8	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2,859
9	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,829
	कुल	**38,391**

यह देखा जा सकता है कि 2022-23 के दौरान 181 सीपीएसई द्वारा किए गए कुल नुकसान में इन नौ सीपीएसई ने 84.84 *प्रतिशत* का योगदान दिया।

इसके अलावा, 2021-22 में 180 सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियाँ में से 51 सीपीसीई को ₹2,406 करोड़ की हानि की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसी 186 कंपनियाँ में से 49 कंपनियाँ को ₹5,735 करोड़ हानि हुई, जो ₹3,329 करोड़ (138.36 *प्रतिशत*) की वृद्धि दर्शाता है।

1.3.3 सरकारी कंपनियाँ में पूंजी का क्षरण

31 मार्च, 2023 तक 210 सरकारी कंपनियां[33] थीं जिनकी संचित हानि ₹2,21,421 करोड़ थी। 210 सीपीएसई में से, 150 सीपीएसई को वर्ष 2022-23 में ₹25,505 करोड़ की हानि हुई एवं 60 सीपीएसई को कोई नुकसान (शून्य लाभ/हानि कंपनियाँ सहित) नहीं हुआ भले ही उनका सचित हानि ₹74,073 करोड़ था। 31 मार्च, 2023 तक 210 सीपीएसई में से 25 को ₹18,321 करोड़ की संचित हानि के साथ बंद कर दिया गया था।

[33] *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, उनके नुकसान को फुटनोट 6 में दिए गए अनुसार समायोजित किया जाता है।*

कुल मिलाकर, सभी 469 सरकारी कंपनियाँ एवं निगम की निवल संपत्ति ₹11,48,276 करोड़ की प्रदत्त पूंजी की तुलना में ₹25,17,875 करोड़ थी। 210 सीपीएसई में से 79 की निवल संपत्ति संचित हानि के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गई थी एवं उनकी निवल संपत्ति या तो शून्य या नकारात्मक थी। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, इन 79 सीपीएसई में ₹79,843 करोड़ के इक्विटी निवेश की तुलना में, इन की निवल संपत्ति (-) ₹49,508 करोड़ थी ***(अनुलग्नक-VIII)***। इसमें छह सूचीबद्ध कंपनियां सम्मिलित थीं, जिनकी निवल संपत्ति ₹960 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले (-) ₹21,502 करोड़ थी। 79 सीपीएसई जिनकी पूंजी कम हो गई थी, उनमें से (शून्य या नकारात्मक निवल मूल्य होने के कारण), 17 सीपीएसई ने 2022-23 के दौरान ₹1,003 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। इसके अलावा, 79 सीपीएसई में से 37 को पिछले पांच वर्षों के दौरान लगातार हानि हुआ एवं 31 मार्च, 2023 को संचित हानि एवं नकारात्मक निवल मूल्य क्रमशः ₹52,511 करोड़ एवं ₹36,966 करोड़ था।

79 सीपीएसई जिनकी पूंजी कम हो गई थी, उनमें से 16 सीपीएसई पर 31 मार्च, 2023 तक बकाया सरकारी ऋण ₹9,656 करोड़ था। इसमें एक सूचीबद्ध कंपनी (मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) भी शामिल थी, जिस पर ₹1,375 करोड़ का सरकारी ऋण बकाया था।

390 सीपीएसई, जिनका निवल परिसंपत्ति 31 मार्च, 2023 के अंत में सकारात्मक थी उनमें से 35 सीपीएसई की निवल परिसंपत्ति उनकी प्रदत्त पूंजी के आधे से भी कम थी। 35 सीपीएसई में से, 13 सीपीएसई को ₹5,775 करोड़ की निवल परिसंपत्ति के साथ पिछले पांच वर्षों के दौरान निरंतर हानि हो रही थी एवं ₹3,335 करोड़ की निवल परिसंपत्ति के साथ 13 सीपीएसई को पिछले पांच वर्षों में दो से चार वर्षों के लिए हानि हो रही थी, जो उनकी संभावित वित्तीय अस्वस्थता का संकेत दे रहा था।

1.3.4 सीपीएसई द्वारा लाभांश भुगतान

सरकारी कंपनियाँ एवं निगम द्वारा अर्जित लाभ एवं घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: अर्जित लाभ एवं घोषित लाभांश

वर्ग	सीपीएसई की संख्या	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
वैधानिक निगम	2	725	3,342	1,051
सूचीबद्ध कंपनियाँ	49	1,07,187	1,77,421	87,733
अ-सूचीबद्ध कंपनियाँ	82	67,747	48,461	22,332
कुल	133	1,75,659	2,29,224	1,10,884

469 सरकारी कंपनियाँ एवं निगम में से, 133 सीपीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश की घोषणा की। इन 133 लाभ कमाने वाली कंपनियाँ के निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभांश 2021-22 में 43.26 *प्रतिशत* से बढ़कर 2022-23 में 48.37 *प्रतिशत* हो गया। 2022-23 में सीपीएसई द्वारा घोषित लाभांश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹243 करोड़ की वृद्धि हुई। 2020-21 से 2022-23 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश की घोषणा करने वाले सीपीएसई की अर्जित निवल लाभ एवं प्रदत्त पूंजी की तुलना में घोषित लाभांश को चार्ट 1.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.6: घोषित लाभांश बनाम अर्जित निवल लाभ एवं प्रदत्त पूंजी

(₹ करोड़ में)

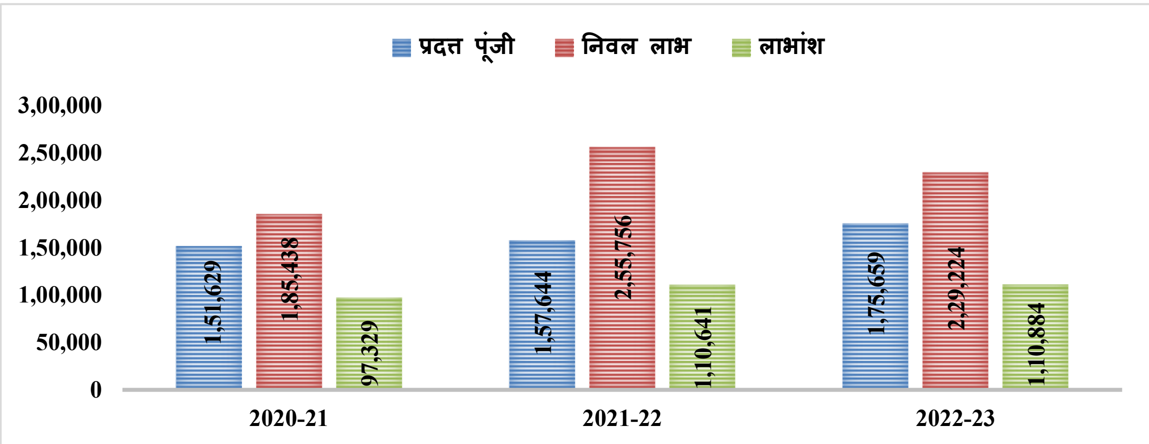

वर्ष 2022-23 के लिए 133 सीपीएसई (उनके निवल मूल्य का 6.51 *प्रतिशत*) द्वारा घोषित ₹1,10,884 करोड़ के कुल लाभांश में से, केंद्र सरकार द्वारा ₹1,31,502 करोड़ के इक्विटी निवेश वाले 84 सीपीएसई[34] में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त / प्राप्य लाभांश ₹53,506 करोड़

[34] सरकारी कंपनियां और वैधानिक निगम हैं जहां केंद्र सरकार का सीधे स्वामित्व है।

था जो ₹86,632 करोड़ के कुल घोषित लाभांश का 61.76 *प्रतिशत* था। केंद्र सरकार द्वारा 469 सीपीएसई की इक्विटी पूंजी में किए गए ₹9,24,770 करोड़ के सकल निवेश पर केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश के रूप में 2021-22 के दौरान 8.54 *प्रतिशत* के मुकाबले 5.79 *प्रतिशत* था। 60 सीपीएसई के मामले में, अन्य सीपीएसई में ₹47,082 करोड़ की उनकी इक्विटी हिस्सेदारी पर इन सीपीएसई द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश 2022-23 में ₹26,169 करोड़ था। पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस क्षेत्र के अंतर्गत 10 सीपीएसई ने ₹31,152 करोड़ के लाभांश की घोषणा की, जो 2022-23 में 133 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹1,10,884 करोड़ के कुल लाभांश का 28.09 *प्रतिशत* था। 2022-23 में 49 सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा घोषित ₹87,497 करोड़ का कुल लाभांश इन सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण (₹16,73,940 करोड़) का 5.23 *प्रतिशत* था।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹19,806 करोड़ का लाभ अर्जित करने वाली 136 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ में से 57 कंपनियाँ ने ₹4,366 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो उनके ₹18,062 करोड़ के प्रदत्त पूंजी का 24.17 *प्रतिशत* था। 2022-23 के दौरान लाभांश घोषित करने वाली इन 57 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ का क्षेत्रवार वर्गीकरण तालिका 1.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ द्वारा घोषित लाभांश

क्षेत्र	कंपनियाँ की संख्या	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
अनुबंध एवं निर्माण सेवाएँ	1	196	55	10
वित्तीय सेवाएँ	28	4,250	5,924	810
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श	4	4	21	3
बीमा	4	2,490	2,705	325
पेट्रोलियम	6	1,934	869	290
विद्युत	7	8,389	5,463	2,528
दूरसंचार सेवाएँ	1	58	132	3
परिवहन सेवाएँ	5	721	552	394
कृषि आधारित उद्योग	1	20	2	3
कुल	**57**	**18,062**	**15,723**	**4,366**

1.4 सरकारी कंपनियों एवं निगमों की परिचालन दक्षता

1.4.1 नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई)

नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई), एक ऐसा अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता एवं दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित होती है। आरओसीई की गणना नियोजित पूंजी[35] द्वारा ब्याज एवं करों से पहले (ईबीआईटी), कंपनी की आय को विभाजित करके की जाती है। आरओसीई का सीपीएसई वार विवरण ***(अनुलग्नक-IX)*** में दिया गया है। 2020-21 से 2022-23 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी सीपीएसई[36] की समेकित आरओसीई तालिका 1.16 में दी गई है।

तालिका 1.16: नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ

वर्ष	सीपीएसई की संख्या	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (*प्रतिशत* में)
2020-21	412	3,62,328	36,47,544	9.93
2021-22	432	4,14,298	39,99,547	10.36
2022-23	467	4,00,216	43,72,417	9.15

यह देखा गया कि मुख्य रूप से ईबीआईटी में कमी एवं नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण 2021-22 में सीपीएसई का आरओसीई 10.36 *प्रतिशत* से घटकर 9.15 *प्रतिशत* हो गया।

1.4.2 सीपीएसई का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)[37] शेयरधारकों की इक्विटी द्वारा, निवल आय को विभाजित करके गणना की गई कंपनियाँ के वित्तीय निष्पादन का एक मापदंड है। आरओई का सीपीएसई वार विवरण ***(अनुलग्नक-X)*** में दिया गया है। 2020-21 से 2022-23 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी सीपीएसई[38] का समेकित आरओई तालिका 1.17 में दर्शाया गया है।

---

[35] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + संरक्षित निधियाँ और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

[36] राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, उनके नुकसान को फुटनोट 6 में दिए गए अनुसार समायोजित किया जाता है।

*[37] इक्विटी पर रिटर्न = (कर के बाद निवल लाभ और वरीयता लाभांश / इक्विटी) *100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + संरक्षित निधियाँ और अधिशेष - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।*

[38] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, उनके नुकसान को फुटनोट 6 में दिए गए अनुसार समायोजित किया जाता है।

तालिका 1.17: लाभांश

वर्ष	सीपीएसई की संख्या	कर एवं अधिमान लाभांश के पश्चात निवल लाभ (₹ करोड़ में)	इक्विटी (₹ करोड़ में)	आरओई (*प्रतिशत* में)
2020-21	412	1,59,285	16,04,117	9.93
2021-22	432	2,36,370	18,29,816	12.92
2022-23	467	2,08,990	20,04,682	10.43

यह देखा गया कि मुख्य रूप से निवल लाभ में कमी एवं इक्विटी में वृद्धि के कारण 2021-22 में सीपीएसई का आरओई 12.92 *प्रतिशत* से 10.43 *प्रतिशत* तक कम हो गया।

सरकारी कंपनियाँ एवं निगम का क्षेत्रवार आरओई, जहां 2020-21 से 2022-23 के दौरान क्षेत्र की कुल इक्विटी ₹10,000 करोड़ से अधिक थी, तालिका 1.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.18: ₹10,000 करोड़ एवं उससे अधिक की कुल इक्विटी वाले क्षेत्रों का आरओई

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2022-23	2021-22	2020-21
1.	कोयला एवं लिग्नाइट	50.72	41.31	33.81
2.	अनुबंध एवं निर्माण सेवाएँ	16.79	14.85	12.4
3.	उर्वरक	12.05	8.84	8.44
4.	वित्तीय सेवाएँ	15.2	13.23	11.76
5.	भारी उद्योग	1.15	0.86	-10.93
6.	औद्योगिक विकास	6.77	6.7	20.76
7.	बीमा	-2.27	-2.48	0.25
8.	खनिज एवं धातु	18.45	25.66	18.6
9.	पेट्रोलियम	9.87	17.01	13.66
10.	विद्युत	12.43	13.81	11.67
11.	इस्पात	-1.35	23.13	6.91
12.	परिवहन उपकरण	20.35	23.96	18.3
13.	परिवहन सेवाएँ	2.02	-2.6	-5.24

यह देखा जा सकता है कि कोयला एवं लिग्नाइट, अनुबंध एवं निर्माण सेवाएं, उर्वरक, वित्तीय सेवाएं, भारी उद्योग, औद्योगिक विकास, बीमा, परिवहन सेवाएं जैसे क्षेत्रों के लिए आरओई

में वृद्धि हुई थी, जबकि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में अन्य क्षेत्रों के संबंध में इसमें गिरावट आई।

1.4.3 बिक्री एवं विपणन

2022-23 के दौरान, 469 सरकारी कंपनियाँ एवं निगम की कुल बिक्री ₹37,12,360 करोड़ थी। इन 469 सीपीएसई में से, 135 सीपीएसई ने अपनी ₹18,86,376 करोड़ की कुल बिक्री में से सरकारी क्षेत्र को ₹4,27,819 करोड़ की वस्तुएं बेचीं/सेवाएं प्रदान की। इन 135 सीपीएसई की सरकारी क्षेत्र को बिक्री का समग्र *प्रतिशत* उनकी कुल बिक्री के संदर्भ में 22.68 *प्रतिशत* था। 469 सीपीएसई में से 63 सीपीएसई ने ₹1,38,939 करोड़ (₹24,17,171 करोड़ की उनकी कुल बिक्री का 5.75 *प्रतिशत*) के वस्तु/ सेवाओं का निर्यात किया था, जबकि 46 सीपीएसई ने ₹8,52,951 करोड़ के वस्तु/ सेवाओं का आयात किया था, जिसके परिणामस्वरूप सीपीएसई द्वारा ₹7,14,012 करोड़ का निवल आयात किया गया था।

एकाधिकार गैर-एकाधिकार सीपीएसई के संदर्भ में कुल बिक्री, सरकारी क्षेत्र को बिक्री एवं उस पर निर्यात का विवरण तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: गैर-एकाधिकार की तुलना में एकाधिकार सीपीएसई का बिक्री विवरण

प्रकार/वर्ष	सीपीएसई की संख्या	कुल बिक्री (₹ करोड़ में)	सरकारी क्षेत्र की बिक्री (₹ करोड़ में)	निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में)
एकाधिकार सीपीएसई[39]				
2020-21	52	12,20,963	47,539	29,827
2021-22	61	17,43,531	65,886	48,348
2022-23	62	22,01,815	79,371	50,912

[39] एकाधिकार का अर्थ है एक बाजार संरचना जिसमें एक ही विक्रेता होता है, जो बाजार में एक अद्वितीय उत्पाद बेचता है। एकाधिकार बाजार में, विक्रेता को किसी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह वस्तुओं का एकमात्र विक्रेता होता है और उसका कोई करीबी विकल्प नहीं होता है। यदि किसी सीपीएसई के संचालन के भौगोलिक क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो उसे एकाधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत सीपीएसई को एकाधिकार श्रेणी में शामिल किया गया है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण तंत्र प्रभावी रूप से सरकारी नियंत्रण में है, सरकारी स्वामित्व और नियंत्रित वाली पेट्रोलियम उत्पाद कंपनियाँ आभासी एकाधिकार के रूप में कार्य करती हैं।

प्रकार/वर्ष	सीपीएसई की संख्या	कुल बिक्री (₹ करोड़ में)	सरकारी क्षेत्र की बिक्री (₹ करोड़ में)	निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में)
गैर-एकाधिकार सीपीएसई				
2020-21	362	10,54,787	2,63,382	58,312
2021-22	373	13,13,037	3,26,434	87,310
2022-23	407	15,10,545	3,48,448	88,027
कुल				
2020-21	**414**	**22,75,750**	**3,10,921**	**88,139**
2021-22	**434**	**30,56,568**	**3,92,320**	**1,35,658**
2022-23	**469**	**37,12,360**	**4,27,819**	**1,38,939**

2022-23 के दौरान 469 सीपीएसई द्वारा ₹37,12,360 करोड़ की कुल बिक्री की तुलना में, 63 सीपीएसई द्वारा निर्यात बिक्री 3.74 *प्रतिशत* (₹1,38,939 करोड़) थी। 2022-23 के दौरान ₹5,000 करोड़ से अधिक की निर्यात बिक्री के साथ सीपीएसई तालिका 1.20 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.20: 2022-23 के दौरान ₹5,000 करोड़ से अधिक की निर्यात बिक्री के साथ सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम	निर्यात बिक्री
1.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	42,589
2.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,934
3.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	15,208
4.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,003
5.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	38,283
6.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,352
7.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	7,779
	कुल	**1,21,148**

इन सात सीपीएसई की निर्यात बिक्री, सभी 63 सीपीएसई द्वारा किए गए कुल निर्यात का 87.20 *प्रतिशत* है।

1.4.4 अनुसंधान एवं विकास

प्रौद्योगिकी, उत्पाद या आविष्कार का पेटेंट किसी कंपनी को दूसरों को उसे बनाने, उपयोग करने या बेचने से रोकने का अधिकार देता है। यह विकास लागत की वसूली करने एवं पेटेंट

प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश पर रिटर्न प्राप्त करने में भी मदद करता है। पेटेंट का पंजीकरण इस जोखिम को सीमित करने में मदद करता है कि उसी विचार पर विकसित प्रौद्योगिकी, उत्पाद या आविष्कार किसी अन्य कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा। तालिका 1.21, पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत पेटेंटों की तुलना में अनुसंधान एवं विकास व्यय को दर्शाती है।

तालिका 1.21: अनुसंधान एवं विकास व्यय एवं पंजीकृत पेटेंट

2020-21		2021-22		2022-23	
अनु. एवं वि. व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट की संख्या	अनु. एवं वि. व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट की संख्या	अनु. एवं वि. व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट की संख्या
5,319	1,457	6,802	1,605	7,433	964

यह देखा गया कि अनुसंधान एवं विकास व्यय 2021-22 में ₹6,802 करोड़ से 2022-23 में ₹631 करोड़ बढ़कर ₹7,433 करोड़ हो गया एवं 2021-22 में पंजीकृत पेटेंट की संख्या 1,605 से 641 घटकर 2022-23 के दौरान 964 हो गई।

2022-23 के दौरान पंजीकृत 964 पेटेंटों में से 18 पेटेंटों का व्यावसायिकरण आठ सीपीएसई द्वारा किया गया था एवं जैसा कि तालिका 1.22 में उल्लेख किया गया है 2022-23 के दौरान ₹279.47 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया था।

तालिका 1.22: व्यावसायिकरण किए गए पेटेंट की संख्या एवं अर्जित राजस्व

क्र.सं.	सीपीएसई की संख्या	अनु. एवं वि. पर कुल व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट की संख्या	वाणिज्यीकृत किए गए पेटेंट की संख्या	पेटेंट के वाणिज्यीकरण पर अर्जित राजस्व (₹ करोड़ में)
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1,075.64	22	6	233.50
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	698.21	127	1	0.52
3	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	319.22	36	3	0
4	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	32.31	8	2	0
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	30.10	10	2	0
6	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	26.98	6	1	0.45

क्र.सं.	सीपीएसई की संख्या	अनु. एवं वि. पर कुल व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट की संख्या	वाणिज्यीकृत किए गए पेटेंट की संख्या	पेटेंट के वाणिज्यीकरण पर अर्जित राजस्व (₹ करोड़ में)
7	मेकॉन लिमिटेड	1.99	49	1	0
8	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	0.59	3	2	45.00
	कुल	**2,185.04**	**261**	**18**	**279.47**

इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान ₹500 करोड़ से अधिक का अनुसंधान एवं विकास व्यय करने वाली सीपीएसई तालिका 1.23 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.23: ₹500 करोड़ से अधिक का अनुसंधान एवं विकास व्यय करने वाली सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल अनु. एवं वि. व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट की संख्या	निवल लाभ में अनुसंधान एवं विकास व्यय का *प्रतिशत*
1	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	2,494	5,811	55	42.92
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1,076	3,007	22	35.78
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	698	8,242	127	8.47
4	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	542	38,829	14	1.40

यह देखा गया कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2022-23 के दौरान अनुसंधान एवं विकास व्यय पर ₹2,494 करोड़ की उच्चतम राशि खर्च की थी एवं कंपनी द्वारा पंजीकृत पेटेंट की संख्या 55 थी। इसी तरह, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2022-23 के दौरान अनुसंधान एवं विकास व्यय पर क्रमशः ₹1,076 करोड़ एवं ₹698 करोड़ खर्च किए थे, जिसमें पेटेंट क्रमशः 22 एवं 127 दर्ज किए गए थे।

मार्च 2025 में टिप्पणियों के लिए डीपीई को अध्याय जारी किया गया था एवं प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

अध्याय II

सीएजी की निगरानी भूमिका

अध्याय II

सीएजी की निगरानी भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कंपनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सीएजी के पास पूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर टिप्पणी जारी करने या उस पर अनुपूरक प्रतिवेदन जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षित है कि उनके लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा संसद को प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाए।

2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

वर्ष 2022-2023 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अगस्त 2022 में की गई थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर सीएजी द्वारा की जाएगी। वर्ष 2022-2023 के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अगस्त 2022 में सीएजी द्वारा की गई थी।

2.3 सीपीएसई द्वारा वित्तीय विवरण की प्रस्तुति

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कंपनी के कार्यचालन और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जाती है। ऐसी तैयारी के बाद, यथाशीघ्र वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर या उसके अनुपूरक प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणि प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेददन संसद के दोनों सदनो के समक्ष रखा जाना

चाहिए। वैधानिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/वैधानिक निगमों में निवेशित सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करनी होती है। यह भी कहा गया है कि एक वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तिथि एवं अगली वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तिथि के मध्य 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। धारा में आगे यह भी प्रावधान है कि प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के मामले में, यह कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी तथा किसी अन्य मामले में, यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि रजिस्ट्रार किसी विशेष कारण से प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक के अलावा किसी अन्य वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन की अवधि को तीन महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकता है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस धारा में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित अन्य व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास जैसे दंड लगाने का भी प्रावधान है।

उपरोक्त के मद्देनजर एवं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सीएजी को किसी कंपनी के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के लिए दी गई 60 दिनों की समय-सीमा एवं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए 21 दिनों की नोटिस अवधि पर विचार करने के बाद, आदर्श रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वर्ष 2022-2023 के लिए अपने वित्तीय विवरण 11 जुलाई 2023 तक सीएजी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। हालाँकि, बड़ी संख्या में सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (सीपीएसई) ने 11 जुलाई 2023 तक अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किए। कुछ सीपीएसई ने 30 सितंबर 2023 तक सीएजी को अपने वित्तीय विवरण

प्रस्तुत नहीं किए, जो वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की अंतिम तिथि थी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित पैराग्राफ में दी गई है।

2.3.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (सीपीएसई) द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने में सामयिकता

31 मार्च 2023 तक, सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में 501 सरकारी कंपनियां एवं 209 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां (सीपीएसई) थीं। इनमें से दो सरकारी कम्पनियों तथा तीन सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों, जो नई थीं, से वित्तीय विवरण अपेक्षित नहीं थे।

31 मार्च 2024 तक 710 सीपीएसई में से 81 सीपीएसई के वित्तीय विवरण बकाया थे।.

वर्ष 2022-23 के लिए 499 सरकारी कंपनियों एवं 206 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों से वित्तीय विवरण अपेक्षित थे। इनमें से केवल 295 सरकारी कंपनियों (59.12 *प्रतिशत*) एवं 116 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (56.31 *प्रतिशत*) ने 11 जुलाई 2023 तक सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए। इसके अलावा, 30 सितंबर 2023 तक केवल 407 सरकार द्वारा कंपनियों (81.56 *प्रतिशत*) एवं 171 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (83.01 *प्रतिशत*) से वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 तक 442 सरकारी कंपनियों (88.58 *प्रतिशत*) एवं 182 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (88.35 *प्रतिशत*) से प्राप्त हुए। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 तक 57 सरकारी कंपनियों (11.42 *प्रतिशत*) एवं 24 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (11.65 *प्रतिशत*) के वित्तीय विवरण विभिन्न कारणों से लंबित थे। सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में लंबितता का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने में लंबित मामलों का ब्यौरा

विवरण	सरकारी कंपनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां					
	सरकारी कंपनियां		सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ		कुल	
31 मार्च 2023 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में सीपीएसई की कुल संख्या	501		209		710	
	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध
सूचीबद्ध/असूचीबद्ध	69	432	8	201	77	633
घटाएँ: नए सीपीएसई जिनसे 2022-2023 के लिए वित्तीय विवरण देय नहीं थे	0	2	0	3	0	5
सीपीएसई की संख्या जिनसे 2022-2023 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्त होने बाकी थे	69	430	8	198	77	628
11 जुलाई 2023 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले सीपीएसई की संख्या	63	232	8	108	71	340
30 सितंबर 2023 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय विवरण	68	339	8	163	76	502

विवरण		सरकारी कंपनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां					
		सरकारी कंपनियां		सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ		कुल	
प्रस्तुत करने वाले सीपीएसई की संख्या							
31 मार्च 2024 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले सीपीएसई की संख्या		68	374	8	174	76	548
प्रस्तुत किये जाने हेतु लंबित वित्तीय विवरणों की संख्या		1	56	0	24	1	80
प्रस्तुत किये जाने हेतु लंबित वित्तीय विवरणों के कारणों का विवरण	**(i) परिसमापन के अंतर्गत**	1	26	0	16	1	42
	(ii) निष्क्रिय	0	0	0	0	0	0
	(iii) अन्य	0	30	0	8	0	38
अन्य श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने हेतु लंबित वित्तीय विवरणों का समय-वार विश्लेषण	**एक वर्ष (2022-2023)**	0	13	0	3	0	16
	दो वर्ष (2021-2022 एवं 2022-2023)	0	8	0	1	0	9
	तीन वर्ष एवं अधिक	0	9	0	4	0	13

इन सीपीएसई के नाम ***अनुलग्नक-III क*** एवं ***अनुलग्नक-III ख*** में दर्शाए गए हैं।

2.3.3 वैधानिक निगमों द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने में सामयिकता

छ: वैधानिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पांच वैधानिक निगम जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, सभी निगमों अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्ष 2022-2023 के वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2023 से पूर्व लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। केंद्रीय भंडारण निगम के मामले में, सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है एवं वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2023 से पहले प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी की निगरानी-वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में तथा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है। वैधानिक निगमों को अपने वित्तीय विवरण, सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शाषित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अनुसार निर्धारित प्रारूप में तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करते हैं एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करके एक निरीक्षणकारी भूमिका निभाता है, जिसका समग्र

उद्देश्य यह है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन उचित एवं प्रभावी ढंग से करें। यह कार्य निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करके पूरा किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अनुपूरक या टिप्पणी करना।

2.4.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को सीएजी को लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमाणित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, यदि हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत उल्लिखित किए जाते हैं, जिन्हें वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

2.5 सीएजी की निगरानी भूमिका का परिणाम

2.5.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा

वर्ष 2022-2023 के वित्तीय विवरण 407 सरकारी कंपनियों (68 सूचीबद्ध कंपनियों सहित), 171 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (आठ सूचीबद्ध कंपनियों सहित) एवं छह

वैधानिक निगमों से 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त हुए। इनमें से 273 सरकारी कम्पनियों, 80 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों तथा छ: वैधानिक निगमों के वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई।

कुल मिलाकर, सीएजी ने 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त वित्तीय विवरणों में से 67.08 *प्रतिशत* सरकारी कंपनियों एवं 46.78 *प्रतिशत* सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की। समीक्षा के परिणाम के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

सीएजी ने वर्ष 2022-2023 के लिए 353 सीपीएसई और छ: वैधानिक निगमों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की।

2.5.1.1 वित्तीय विवरणों का संशोधन

सीएजी द्वारा वित्तीय विवरणों की की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, सात सरकारी कंपनियों एवं एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी, जैसा कि ***अनुलग्नक XI*** में विस्तृत है, ने एजीएम में प्रस्तुत करने से पहले अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया था।

2.5.1.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का परिशोधन

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 47 सरकारी कंपनियों एवं 15 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने, जैसा कि ***अनुलग्नक XII*** में विस्तृत है, अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में इन कंपनियों के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पहले अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया था।

2.5.1.3 सीपीएसई पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी की गई सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-2023 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद, सीएजी द्वारा चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई। जिन 103 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में टिप्पणियाँ जारी की गईं उनकी सूची ***अनुलग्नक XIII*** में दी गई है। सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव ₹7,297.28 करोड़ एवं परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹1,51,860.08 करोड़ था नीचे दी गई हैं। पूर्व में इंगित किए जाने के बावजूद, कुछ

सीपीएसई जैसे आईएफसीआई लिमिटेड (क.i.1), द उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (क.ii.4), भारत संचार निगम लिमिटेड (ख.i.2) (ख.ii.2), ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ख.i.9), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ख.ii.3), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ख.ii.4), नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ख.ii.12) एवं ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग.आई.1) ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की, जिसे नीचे भी दर्शाया गया है:

क. सूचीबद्ध सरकार द्वारा सीपीएसई

क.i. लाभप्रदता के बारे में टिप्पणियाँ

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	आईएफसीआई लिमिटेड (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण)	• ऋण को अधिक बताया गया तथा वर्ष के लिए घाटा ₹283.43 करोड़ कम दर्शाया गया, जैसा कि नीचे दिया गया है: (i) ऋणों में मेसर्स पायनियर गैस पावर लिमिटेड के विरुद्ध ₹434.72 करोड़ का मूल बकाया सम्मिलित है, जो 31 मार्च 2018 को अ-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। आईएफसीआई के पास अन्य ऋणदाताओं के साथ पीजीपीएल की परिसंपत्तियों पर प्रथम समतुल्य प्रभार के रूप में प्रतिभूति है। तीन मूल्यांकनकर्ताओं की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट (फरवरी 2022) के अनुसार, परियोजना का औसत उचित मूल्य (अप्रचलन के साथ) ₹393.44 करोड़ था। कंपनी ने जून 2022 में संपूर्ण परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अनुरूप ₹375 करोड़ के आरक्षित मूल्य को मंजूरी दी। हालाँकि, यह आगे नहीं बढ़ सका एवं नए मूल्यांकन के लिए कहा गया है (मई 2023)।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		चूंकि प्रतिभूति का औसत उचित मूल्य ₹393.44 करोड़ है, आईएफसीआई की 28.02 *प्रतिशत* हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम संभावित वसूली ₹110.24 करोड़ है। इसलिए, शेष ₹324.48 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। शेष ₹324.48 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को ₹91.50 करोड़ (₹232.98 करोड़ की अनर्जक हानि भत्ते के समायोजन के बाद) कम दर्शाया गया तथा उसी राशि के समान ऋण को अधिक दर्शाया गया। (ii) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के अनुसार, परिसमापन के अधीन ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ऋण के संबंध में ₹135.81 करोड़ की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप ₹38.30 करोड़ की अनर्जक हानि को कम करके दिखाया गया (₹97.51 करोड़ की अनर्जक हानि भत्ते के समायोजन के बाद) एवं उसी राशि के समान ऋण को अधिक बताया गया। पिछले वर्ष इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। (iii) ऋणों में मधुकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल) के विरुद्ध ₹151.50 करोड़ का बकाया मूलधन सम्मिलित था। कंपनी ने अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के आधार पर अधिकतम वसूली योग्य राशि ₹31.43 करोड़ आंकी एवं तदनुसार ₹70 करोड़ के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए सहमति व्यक्त की (जनवरी 2020), जिसे

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		एमआईएल द्वारा सहमति नहीं दी गई। इसलिए, कंपनी ने (दिसंबर 2020)ओटीएस को रद्द कर दिया। एमआईएल द्वारा ₹51 करोड़ (ब्याज के लिए ₹3 करोड़ सहित) का एक नया ओटीएस प्रस्ताव (26 अगस्त 2022)पेश किया गया। तदनुसार, कुल बकाया ₹151.50 करोड़ में से अधिकतम संभावित वसूली केवल ₹51 करोड़ थी। शेष ₹100.50 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप अनर्जक हानि को ₹28.34 करोड़ (₹72.16 करोड़ की अनर्जक हानि भत्ते के समायोजन के बाद)कम दर्शाया गया तथा ऋण को समान राशि से अधिक दर्शाया गया। पिछले वर्ष इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
		(iv) 8 जून 2021 को स्वीकृत एनसीएलटी के निर्णय एवं समाधान योजना के अनुसार, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) से ₹382.21 करोड़ के बकाया के मुकाबले कंपनी का दावा अधिकतम ₹70.31 करोड़ तक सीमित कर दिया गया था। इसके अलावा, प्रबंधन के अनुसार, सावधि जमा के रूप में ₹125 करोड़ की राशि को लेनदारों के मध्य वितरण के लिए नहीं माना गया एवं ₹302 करोड़ की राशि को 'सुरक्षित दावों के बजाय असुरक्षित दावों' के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया। इसे कंपनी के पक्ष में मानते हुए, अधिकतम अतिरिक्त वसूली ₹4.40 करोड़ आंकी गई। इस प्रकार, वीआईएल से वसूली जाने वाली अधिकतम राशि केवल ₹74.71 करोड़ (₹70.31 करोड़ तथा ₹4.40 करोड़) थी।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम		टिप्पणी
			शेष ₹307.50 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप अनर्जक हानि को ₹86.71 करोड़ (₹220.79 करोड़ की क्षीणता हानि भत्ते के समायोजन के बाद)कम दर्शाया गया तथा ऋण को समान राशि से अधिक दर्शाया गया। पिछले वर्ष इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
		(v)	ऋणों में लिज़ ट्रेडर्स एंड एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएपीएल) के विरुद्ध ₹90.94 करोड़ का बकाया मूलधन सम्मिलित था। एलटीएपीएल द्वारा चूक के कारण, समाधान पेशेवर (आरपी) के समक्ष मामला दायर किया गया। आरपी ने बताया कि कॉर्पोरेट देनदार के पास सुरक्षा एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा कोई अन्य परिसंपत्ति नहीं है एवं पिछले 3-4 वर्षों से कोई कारोबार नहीं किया गया है। कंपनी के पास केवल कोल्लम, केरल में एक संपत्ति का एकमात्र प्रभार है, जिसका उचित मूल्य केवल ₹32.69 करोड़ है। चूंकि कंपनी के पास कोई अन्य प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है, इसलिए शेष ₹58.25 करोड़ को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। शेष ₹58.25 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप अनर्जक हानि को ₹16.43 करोड़ कम दर्शाया गया (₹41.82 करोड़ की अनर्जक हानि भत्ते के समायोजन के बाद) तथा ऋण को समान राशि से अधिक दर्शाया गया।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		पिछले वर्ष इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। (vi) ऋणों में आर्कोटेक लिमिटेड के विरुद्ध ₹59.21 करोड़ का मूलधन बकाया सम्मिलित है। कंपनी को (16 दिसंबर 2022) जीएलआईएक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड[40] से प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें आईएफसीआई का हिस्सा ₹41.64 करोड़ है, जो पीएनबी (अग्रणी बैंक) की स्वीकृति के अधीन है। चूंकि कुल बकाया ₹59.21 करोड़ के मुकाबले वसूली की अधिकतम संभावना केवल ₹41.64 करोड़ है, इसलिए ₹17.57 करोड़ की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप क्षीणता हानि को ₹4.95 करोड़ कम दर्शाया गया (₹12.62 करोड़ के अनर्जक हानि भते के समायोजन के बाद) तथा ऋण को समान राशि अधिक दर्शाया गया। (vii) ऋण में 31 मार्च 2023 तक खेड़ सिन्नर एक्सप्रेसवे लिमिटेड (केएसईएल) के प्रति बकाया ₹14.10 करोड़ का मूलधन सम्मिलित है, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) परियोजना को लागू करने के लिए आईएलएंडएफएस समूह के अंतर्गत गठित एक विशेष उद्देश्य वाहन है। एनएचएआई ने इस परियोजना को समाप्त कर दिया। आईएलएंडएफएस समूह ने एनसीएलटी में समाधान योजना दायर की जिसे मार्च 2020 में मंजूरी मिल गई। एनएचएआई ने केएसईएल के

[40] *जीएलआईएक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड संकटग्रस्त परिसंपत्तियों में निवेश करती है और उसने आर्कोटेक लिमिटेड की पहचान की है तथा आईएफसीआई को प्रस्ताव दिया है।*

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		परियोजना खातों में समाप्ति राशि का भुगतान (जून 2022) कर दिया एवं कंपनी को उसका हिस्सा ₹64.11 करोड़ प्राप्त हुआ (31 मार्च 2023) एवं उसे बकाया मूलधन में समायोजित कर दिया गया। चूंकि आगे कोई वसूली अपेक्षित नहीं है, इसलिए शेष ₹14.10 करोड़ को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए। शेष ₹14.10 करोड़ (₹10.12 करोड़ की क्षीणता हानि भत्ते के समायोजन के बाद) की राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप क्षीणता हानि को ₹3.98 करोड़ कम दर्शाया गया तथा ऋण को समान राशि से अधिक दर्शाया गया। पिछले वर्ष इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
		(viii) ऋण में उत्तम गैल्वा मेटालिक्स लिमिटेड (यूजीएमएल) के विरुद्ध ₹126.57 करोड़ का मूल बकाया सम्मिलित था। ऋण सुविधा वडोदरा में 24.44 एकड़ भूमि (मूल्य ₹135.63 करोड़) के अनन्य बंधक, मेसर्स टेन्साइल स्टील लिमिटेड (भूमि मालिक) की कॉर्पोरेट गारंटी एवं प्रमोटरों (उत्तम समूह) की व्यक्तिगत गारंटी के माध्यम से सुरक्षित की गई थी। उत्तम ग्रुप ने (नवंबर 2016) पीएचसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (पीबीपीएल) को सह-उधारकर्ता एवं गिरवी रखी गई भूमि के डेवलपर के रूप में सम्मिलित किया। चूंकि इस्पात क्षेत्र समस्याओं का सामना कर रहा था, यूजीएमएल एवं उत्तम ग्रुप समग्र रूप से चलनिधि संकट में चले गए एवं उनका खाता (जून 2018) अनिष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। यूजीएमएल को एनसीएलटी में भर्ती किया गया (जुलाई 2018) एवं

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		अनुमोदित समाधान योजना दिसंबर 2020 में लागू की गई। योजना के अनुसार, आईएफसीआई को ₹11.67 करोड़ की अग्रिम राशि, ₹28.81 करोड़ के अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी), ₹11.37 करोड़ की प्राप्य राशि का असाइनमेंट एवं ₹0.13 करोड़ के डिबेंचर प्राप्त हुए, जिन्हें बाद में इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया। आईएफसीआई भी एसएआरएफ़ए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत वसूली के उपाय कर रहा है, हालाँकि, सिविल कोर्ट, वडोदरा द्वारा दिए गए यथास्थिति निर्देश (जुलाई 2019) के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद, पीबीपीएल ने (सितंबर 2022)15 महीने की अवधि में देय ₹80 करोड़ के समझौता निपटान के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ₹24.01 करोड़ (₹28.81 करोड़ में से) के एनसीडी आईएफसीआई के बुक में बने रहेंगे एवं यूजीएमएल के नए प्रबंधन (इवोइंट मेटालिक्स लिमिटेड) द्वारा उनकी चुकौती की जाएगी। प्रस्ताव को क्रेडिट एवं परिचालन समिति की सिफारिश पर निदेशकों की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित (01 मई 2023) कर दिया गया है। चूंकि कुल बकाया ₹102.56 करोड़ के सापेक्ष वसूली की अधिकतम संभावना केवल ₹80 करोड़ है, इसलिए शेष ₹22.56 करोड़ को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। शेष ₹22.56 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप अनर्जक हानि को ₹6.36 करोड़ (₹16.20 करोड़ की अनर्जक हानि क्षति भत्ते के समायोजन के बाद)कम दर्शाया गया तथा ऋण को समान राशि से अधिक दर्शाया गया।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		(ix) ऋण में सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के विरुद्ध ₹75.90 करोड़ का बकाया मूलधन सम्मिलित था। सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से संबंधित समाधान योजना समाप्त हो गई थी एवं मामला परिसमापन में चला गया था। परिसमापन मूल्य ₹234 करोड़ आंका गया तथा परिसमापन की स्थिति में कंपनी का हिस्सा केवल ₹0.17 करोड़ है। इसके अलावा, कंपनी के पास ₹51.39 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियों का प्रभार है। चूंकि अधिकतम संभावित वसूली ₹51.56 करोड़ है, इसलिए शेष राशि ₹24.34 करोड़ को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। शेष ₹24.34 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप अनर्जक हानि को ₹6.86 करोड़ कम दर्शाया गया (₹17.48 करोड़ की अनर्जक हानि भत्ते के समायोजन के बाद) तथा ऋण को समान राशि से अधिक दर्शाया गया। पिछले वर्ष इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। • एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड में किए गए निवेश के प्रति शेयर नवीनतम उपलब्ध मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप निवेश को अधिक दर्शाया गया एवं क्षीणता हानि को ₹102.81 करोड़ कम दर्शाया गया।
2.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	• कंपनी ने बिल की गई ऊर्जा शुल्क के लिए ₹29.55 करोड़ की सीमा तक देयता प्रदान की, क्योंकि बिल की गई दर (2018-19: ₹887.74 प्रति मीट्रिक टन) एवं टैरिफ अवधि 2019-2024 के लिए लिग्नाइट ट्रांसफर प्राइस के लिए

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		दिसंबर 2022 में दायर टैरिफ याचिका दरों के मध्य का अंतर सीईआरसी के अनुमोदन के अधीन था। वर्ष 2018-19 के लिए लिग्नाइट स्थानांतरण मूल्य (703.27 प्रति मीट्रिक टन) के निर्धारण का आदेश सीईआरसी द्वारा जून 2022 में जारी किया गया था। 2019-24 के लिए टैरिफ याचिका की स्वीकृति लंबित रहने तक, कंपनी को दिसंबर 2022 में दाखिल बिल दर एवं टैरिफ याचिका दरों के मध्य अंतर के बजाय, बिल दर (2018-19: ₹887.74 प्रति मीट्रिक टन) एवं 2018-19 के लिए संशोधित दर (₹703.27 प्रति मीट्रिक टन) के मध्य अंतर पर विचार करते हुए ₹98.08 करोड़ की देयता प्रदान करनी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप देनदारियों अर्थात विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष को कम दर्शाया गया है तथा लाभ को ₹68.53 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। • 2022-23 के दौरान, कंपनी ने 'विवाद से विश्वास योजना' (वीएसवीएस) के अनुसार पूर्ववर्ती टैरिफ अवधि के विवादित आयकर निर्धारण मामलों के निपटान के लिए अपने ग्राहकों से ₹386.51 करोड़ की राशि बिल की। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, किसी विद्युत उत्पादक कंपनी की मुख्य गतिविधियों से होने वाली आय पर कर उसके ग्राहकों से वसूला जा सकता है। गैर-महत्वपूर्ण गतिविधि/अन्य व्यवसाय से प्राप्त किसी भी आय पर कर डिस्कॉम्स से वसूल नहीं किया जाएगा तथा इसका वहन उत्पादन कंपनी द्वारा किया जाएगा। वीएसवीएस के अंतर्गत कंपनी द्वारा

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		बिल की गई राशि (₹386.51 करोड़) में से, निम्नलिखित के कारण ₹122.13 करोड़ की राशि का कर चुकाया गया: क) बिलों के विलंबित भुगतान पर विद्युत बोर्डों से अधिभार (*₹90.67* करोड़)। ख) 80आईए (कर अवकाश) दावे के लिए डिस्कॉम द्वारा आयकर प्रतिपूर्ति (₹19.76 करोड़)। ग) अर्जित अन्य आय (₹11.7 करोड़) पर धारा 80-आईए (कर अवकाश) के अंतर्गत कटौती। चूंकि सीईआरसी के नियम, डिस्कॉम्स से मुख्य व्यवसाय पर किए गए कर व्यय की वसूली की अनुमति देते हैं एवं उपरोक्त तीनों मदें गैर-मुख्य व्यवसाय व्यय हैं, इसलिए कंपनी को इसका बिल ग्राहकों को नहीं देना चाहिए था। कंपनी को प्राप्य राशि के विरुद्ध ₹122.13 करोड़ का प्रावधान करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य एवं लाभ को ₹122.13 करोड़ अधिक दर्शाया गया।
3.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	• देयता का प्रावधान न करने (गेल द्वारा उठाई गई मांग) के परिणामस्वरूप लाभ को ₹15.17 करोड़ अधिक दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं को भी उतनी ही राशि कम दर्शाया गया। • कंपनी ने अधिशेष अमोनिया के आयात समता मूल्य का निर्धारण करने के लिए निर्धारित नीति का पालन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व को अधिक दर्शाया गया है तथा परिणामस्वरूप देयता (सरकार द्वारा को देय) को ₹11.87 करोड़ से कम दर्शाया गया है।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
4.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष 2008-09 एवं 2022-23 के लिए भुगतान किए गए आयकर की राशि ₹93.09 करोड़ को वापस लिख लिया गया तथा लाभ-क्षीणता हानि विवरण में उसे लाभ के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कंपनी ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत टनभार कर का विकल्प चुना। इस विकल्प के अनुसार शिपिंग गतिविधियों से होने वाली आय पर रियायती दर से कर लगाया जाता है। शिपिंग गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों से होने वाली आय पर नियमित दर से आयकर लगाया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए, कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज, जो ₹227.68 करोड़ था, को शिपिंग गतिविधि से आय के रूप में मानने के लिए अपील की थी। न्यायाधिकरण ने 14 मार्च 2023 को अपना आदेश पारित किया जिसमें कहा गया, "मूल्यांकनकर्ता (एससीआई) द्वारा अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है"। न्यायाधिकरण के आदेश के आधार पर एवं आयकर विभाग से रिफंड आदेश की प्रतीक्षा किए बिना, कंपनी ने कर रिफंड से उत्पन्न लाभ के रूप में ₹93.14 करोड़ का हिसाब लगाया। प्रबंधन ने पुष्टि की है कि उन्हें आयकर विभाग द्वारा न तो कोई रिफंड आदेश प्राप्त हुआ है एवं न ही अपील के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है। इस प्रकार, रिफंड की गणना किसी ठोस साक्ष्य पर आधारित नहीं है। इसलिए, रिफंड का लेखाकरण सही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप लाभ एवं आयकर परिसंपत्तियों (प्रावधान के बाद शुद्ध) को ₹93.09 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

क.ii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी कॉनकॉर एयर लिमिटेड में ₹36.65 करोड़ का निवेश किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने इंड एएस-36 के पैरा 12 (एफ) के अनुसार कॉनकॉर एयर लिमिटेड में अपने निवेश का मूल्यांकन किया एवं एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निकाले गए ₹35.40 करोड़ के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर ₹1.25 करोड़ की क्षीणता हानि के लिए प्रावधान किया। हालाँकि, कंपनी द्वारा निकाला गया उचित मूल्य इंड एएस - 113, उचित मूल्य माप के अनुरूप नहीं था। कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की वहन राशि (कॉनकॉर एयर लिमिटेड की शुद्ध परिसंपत्तियां) ₹23.14 करोड़ दर्शाई थी। कंपनी को कॉनकॉर एयर लिमिटेड में अपने निवेश को ₹36.65 करोड़ की वहन राशि के मुकाबले केवल ₹23.14 करोड़ मानना चाहिए था एवं केवल ₹1.25 करोड़ की क्षीणता हानि के बजाय ₹13.51 करोड़ की क्षीणता हानि का प्रावधान करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप निवेश के साथ-साथ कर-पूर्व लाभ को भी ₹12.26 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।
2.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	बैंकों के साथ बंधी सावधि जमाओं को निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में सम्मिलित किए जाने के कारण नकद एवं नकद समतुल्य राशि को ₹25.20 करोड़ से अधिक बताया गया। इसके परिणामस्वरूप गैर-चालू-अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
3.	एनटीपीसी लिमिटेड (सीएफएस एवं एसएफएस)	कंपनी ने सीईआरसी विनियमों एवं इसकी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 7 का उल्लंघन करते हुए तलाईपल्ली कोयला खदान की वाणिज्यिक संचालन तिथि घोषित नहीं की, जबकि उत्पादन 2019 में ही शुरू हो गया था, यानी उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो साल से अधिक समय बीत चुका है। इसके परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को अधिक दर्शाया गया है तथा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को ₹925.80 करोड़ कम दर्शाया गया है। पूंजीकरण की तिथि से मूल्यह्रास भी वसूल किया जाना था।
4.	उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	• खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957 के अंतर्गत देय मुआवजे के लिए दिसंबर 2017 एवं नवंबर 2018 में ओडिशा सरकार द्वारा के पास जमा की गई ₹27.15 करोड़ की राशि का प्रावधान नहीं किया गया, जबकि इसे ओडिशा सरकार द्वारा द्वारा आंशिक भुगतान के रूप में विनियोजित कर लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया तथा वर्ष के लिए क्षीणता हानि को ₹27.15 करोड़ कम दर्शाया गया। यह मुद्दा 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था। • कंपनी के आकलन के अनुसार, फरवरी 2020 में ओडिशा सरकार द्वारा द्वारा नवीनीकृत दो खनन पट्टों अर्थात् बेलकुंडी एवं भद्रसाही के पूरक पट्टा कार्यों के निष्पादन के लिए स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के लिए ₹74.27 करोड़ देय थे। इसके लिए प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप चालू देनदारियों में ₹74.27 करोड़ की कमी

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		एवं अमूर्त परिसंपत्तियों (परिशोधन व्यय के बाद शुद्ध) में ₹19.80 करोड़ की कमी आई। इसके अलावा, संबंधित पट्टों की अवधि पर विचार करते हुए, चालू वर्ष का परिशोधन व्यय ₹3.71 करोड़ कम दर्शाया गया है तथा प्रतिधारित आय (अनर्जक हानि) ₹50.76 करोड़ कम दर्शाई गई है। यह मुद्दा 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था। • ओडिशा सरकार ने(फरवरी 2020) कंपनी के बेलकुंडी एवं भद्रसाही नामक खनन पट्टों को क्रमशः 15 अगस्त 2026 एवं 30 सितंबर 2030 तक नवीनीकृत किया, साथ ही अपेक्षित वन मंजूरी की उपलब्धता के अधीन पूरक पट्टा विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया। इसके बाद, कंपनी ने उपरोक्त खदानों के लिए विस्तारित खनन पट्टा अवधि के साथ वन मंजूरी के विस्तार के लिए आवेदन किया। ओडिशा सरकार ने पट्टे में सम्मिलित वन भूमि पर शुद्ध वर्तमान मूल्य के रूप में ₹19.74 करोड़ एवं ₹51.25 करोड़ की मांग की (अक्टूबर 2021), जिसमें से कंपनी ने क्रमशः ₹18.08 करोड़ एवं ₹51.11 करोड़ के भुगतान के लिए सहमति व्यक्त की एवं ओडिशा सरकार से मांग में संशोधन का अनुरोध किया। कंपनी की आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत इन राशियों का भुगतान एवं खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। • कंपनी की भारतीय लेखा नीति के पैरा 4.2 के अनुसार, लौह अयस्क एवं मैंगनीज खदानों के लिए सरकार प्राधिकरणों को एनपीवी एवं संबंधित भुगतानों से युक्त खनन अधिकारों को भुगतान की तारीख या खनन पट्टे के

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		नवीकरण की तारीख से जो भी पहले हो, पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। हालाँकि, कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति का उल्लंघन करते हुए न तो एन.पी.वी. के लिए प्रावधान किया एवं न ही खनन पट्टे के नवीकरण की तिथि से उसका परिशोधन किया। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों एवं 'संयंत्र संपत्ति एवं उपकरण' में ₹69.19 करोड़ की कमी दर्शाई गई है। इसके अलावा, संबंधित पट्टों की अवधि पर विचार करने पर, इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय में भी ₹23.87 करोड़ की कमी दर्शाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए क्षीणता हानि में भी इतनी ही राशि की कमी दर्शाई गई है। आकस्मिक देयताओं को भी ₹69.19 करोड़ अधिक बताया गया है।

क.iii. प्रकटन पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अंतर्गत आवश्यक ₹169 करोड़ की राशि की निम्नलिखित 'प्रतिबद्धताओं' का खुलासा नहीं किया; क) एनबीसीसी प्लेस, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के पंजीकरण पर देय स्टाम्प शुल्क ₹0.91 करोड़ है।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		ख) ईआरपी के कार्यान्वयन हेतु परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए मेसर्स केपीएमजी को देय शेष राशि ₹0.64 करोड़ (करों को छोड़कर)। ग) ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स रेलटेल लिमिटेड को ₹20.81 करोड़ का अनुबंध प्रदान किया (मई 2022)गया। घ) कार्यालय स्थान के लिए 6019 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के लिए पट्टा प्रीमियम के कारण रेल भूमि विकास प्राधिकरण को देय शेष राशि ₹146.64 करोड़।
2.	आईटीआई लिमिटेड	कंपनी ने के.आर.पुरम, बेंगलुरू में अधिग्रहित 1320 वर्ग मीटर के मुआवजे के रूप में दक्षिण पश्चिम रेलवे से प्राप्त होने वाली राशि के रूप में ₹29.08 करोड़ दिखाए। हालाँकि, 16 मार्च 2023 को कंपनी एवं दक्षिण पश्चिम रेलवे के मध्य हुई बैठक के विवरण के अनुसार, यह राशि ₹11.72 करोड़ थी। इस तथ्य का खुलासा लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है।
3.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा 2004-05 से 2020-21 की अवधि के लिए बकाया संपत्ति कर के संबंध में मार्च 2021 में उठाई गई मांग को सम्मिलित नहीं करने के कारण आकस्मिक देनदारियों को ₹101.23 करोड़ की राशि से कम दर्शाया गया था।

क.iv. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट	• कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैरा 3.i.सी के अंतर्गत आवश्यक अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेखों के बारे में कोई खुलासा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
	कॉर्पोरेशन लिमिटेड	में नहीं किया गया है। उपरोक्त जानकारी का खुलासा न करने से लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी। • सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि "वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी की सूचना नहीं मिली है"। उक्त रिपोर्टिंग अपूर्ण थी एवं सीएआरओ 2020 के पैरा xi.ए के अनुरूप नहीं थी, जिसमें यह पूछा जाना आवश्यक है कि क्या वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी गई है या रिपोर्ट की गई है। चूंकि सांविधिक लेखापरीक्षक ने कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में केवल महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की रिपोर्ट की है, इसलिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है। • सांविधिक लेखापरीक्षक ने सूचित किया है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/लोन/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं देखा गया है। उक्त रिपोर्टिंग अधूरी है, क्योंकि निर्देशों के अनुसार, यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो ये निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए लागू होंगे। चूंकि कंपनी एक ऋणदाता होने के साथ-साथ उधारकर्ता भी है, इसलिए कंपनी द्वारा ऋणदाता के रूप में किए गए ऋणों/लोन/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		में डालने का विवरण भी वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रिपोर्ट किया जाना चाहिए था।
2.	आईएफसीआई लिमिटेड (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण)	कंपनी के पास विभिन्न फोरमों अर्थात आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण एवं उच्च न्यायालय के समक्ष 10 आयकर अपीलें लंबित हैं। हालाँकि, स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित केवल तीन मामलों को सम्मिलित किया तथा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण एवं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को सम्मिलित नहीं किया। इसके अलावा, कंपनी पर विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2009-10 एवं 2013-14 से 2016-17 से संबंधित ₹8.15 करोड़ की आयकर मांग बकाया है, जिसे भी लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया है। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3 (vii) (बी) के अनुपालन न करने के अलावा उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी।

ख. गैर-सूचीबद्ध सरकारी सीपीएसई

ख.i. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन में बस्ताकोला परियोजना की स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए ₹73.44 करोड़ की राशि सम्मिलित थी। स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन की गणना के लिए, ओवर बर्डन हटाने की प्रति घनमीटर लागत निकालते समय, कंपनी ने विस्फोटक की लागत पर विचार नहीं किया है तथा ओवरहेड की लागत को कम दर्शाया है। विस्फोटक की लागत एवं वास्तविक

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		ओवरहेड्स के आधार पर ओवर बर्डन हटाने की प्रति घन मीटर सही लागत को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन की राशि ₹93.47 करोड़ को लाभ एवं क्षीणता हानि विवरण में चार्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन को कम दर्शाया गया तथा ₹20.03 करोड़ का लाभ अधिक दर्शाया गया।
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	• 01 दिसंबर 2011 से 30 सितंबर 2014 तक की अवधि के लिए अधिकतम वेतनमान पर पेंशन अंशदान के लिए प्रावधान न किए जाने के कारण कर्मचारी लाभ व्यय में ₹97.07 करोड़ की राशि कम दर्शाई गई। इसके परिणामस्वरूप नुकसान को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गई थी। • कंपनी द्वारा अपने लेखा-बही में लीजहोल्ड भूमि, जिसे फ्रीहोल्ड भूमि माना गया था, के परिशोधन को सम्मिलित न करने के कारण मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय में ₹1,722.67 करोड़ की राशि कम दर्शाई गई। इसके परिणामस्वरूप अनर्जक हानि को कम दर्शाया गया है तथा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को समान राशि से अधिक दर्शाया गया है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गई थी। • दूरसंचार विभाग के टीईआरएम सेल द्वारा ग्राहक आवेदन प्रपत्र जुर्माना एवं ईएमएफ जुर्माना के कारण लगाए गए जुर्माने को सम्मिलित नहीं करने के कारण अन्य व्यय में ₹208.95 करोड़ की राशि कम दर्शाई गई। इसके

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		परिणामस्वरूप उसी राशि के समान अनर्जक हानि को भी कम करके आंका गया है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गई थी।
3.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	राजमहल क्षेत्र के संबंध में मेसर्स एनटीपीसी द्वारा कोयले में अत्यधिक सतही नमी के कारण दायर की गई ₹258.72 करोड़ की कुल दावा राशि के विरुद्ध, जो वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए ईंधन आपूर्ति समझौते के निर्धारित मानदंडों से परे है, कंपनी ने केवल ₹44.20 करोड़ का प्रावधान किया। एनटीपीसी के दावों के लिए कम प्रावधान के परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम दर्शाया गया तथा लाभ को ₹214.52 करोड़ अधिक दर्शाया गया।
4.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण)	• वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (सीएंडएजी की टिप्पणियों के आधार पर) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें यह बताया गया था कि कर से पहले लाभ को ₹459.15 करोड़ कम दिखाया गया था एवं टर्म लोन पर स्थगन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज आय को उलटने के कारण विविध देनदारियों को उसी राशि से अधिक दिखाया गया था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की, एवं यह टिप्पणी की गई कि कंपनी ने नकद आधार पर ₹60.46 करोड़ की आस्थगित ब्याज आय को मान्यता दी एवं ₹398.69 करोड़ की शेष ब्याज आय को मान्यता नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन के उपार्जन आधार का अनुपालन नहीं हुआ। कंपनी को चालू वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹107.01 करोड़ की आस्थगित ब्याज आय प्राप्त हुई,

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		जिसे नकद आधार पर आय के रूप में मान्यता दी गई है। हालाँकि, ₹301.03 करोड़ की शेष ब्याज आय को मान्यता नहीं दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन के उपार्जन आधार का अनुपालन नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि की ब्याज आय में ₹408.04 करोड़ की कमी, विविध देयता खाते (ब्याज पूंजीकरण) में ₹301.03 करोड़ की अधिकता तथा अन्य आय में ₹107.01 करोड़ की वृद्धि दर्शाई गई है। परिणामस्वरूप, वर्ष का लाभ भी ₹301.03 करोड़ कम दर्शाया गया है। • मेसर्स इंदौर देवास टोलवेज लिमिटेड (आईडीटीएल) का ऋण खाता कंपनी के पास अतिदेय था एवं 31 दिसंबर 2019 को अनिष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। 31 मार्च 2023 तक आईडीटीएल के विरूद्ध बकाया मूलधन ₹116.02 करोड़ था, जिसके विरूद्ध ₹93.61 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परियोजना प्राधिकरण (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने रियायतग्राही (आईडीटीएल) की ओर से विभिन्न दोषों का हवाला देते हुए 16 दिसंबर 2022 को परियोजना को समाप्त कर दिया। ऋणदाताओं ने ऋण वसूली के लिए एक संयुक्त मुकदमा दायर किया जो ऋण वसूली न्यायाधिकरण, हैदराबाद में लंबित है। यद्यपि ऋण परिसंपत्ति की वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, फिर भी उसे अमान्य नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं लेखांकन के पारंपरिक सिद्धांत का अनुपालन नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप ऋण में ₹116.02 करोड़,

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		प्रावधान में ₹93.61 करोड़ तथा वर्ष के लाभ में ₹22.41 करोड़ का अधिक दर्शाया गया। • कंपनी ने (मई 2011)मेसर्स एसईडब्लू कृष्णानगर बहरामपुर हाईवेज लिमिटेड (एसकेबीएचएल) को ₹100 करोड़ का ऋण(₹99.82 करोड़ वितरित) स्वीकृत किया। हालाँकि, परियोजना में पर्याप्त देरी के कारण एसकेबीएचएल कंपनी का बकाया चुकाने में असमर्थ रही एवं 30 जून 2018 को ऋण खाता अनिष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। 31 मार्च 2023 तक एसकेबीएचएल के विरुद्ध बकाया मूलधन ₹99.82 करोड़ था, जिसके विरुद्ध ₹78.99 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यद्यपि ऋण परिसंपत्ति की वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, फिर भी उसे अमान्य नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं लेखांकन के रूढ़िवाद सिद्धांत का अनुपालन नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप ऋण में ₹99.82 करोड़, प्रावधान में ₹78.99 करोड़ तथा वर्ष के लाभ में ₹20.83 करोड़ का अधिक दर्शाया गया।
5.	इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	कंपनी द्वारा परिचालन एवं रखरखाव व्यय के रूप में किए गए ₹136.93 करोड़ के व्यय को भारत सरकार द्वारा /पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, एडीएनओसी एवं/या एचपीसीएल से वसूली योग्य/वसूली किए गए व्ययों के विरुद्ध समायोजित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(13) एवं इंड एएस 01

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		के पैरा 32 के साथ-साथ आईएसपीआरएल के एसोसिएशन के ज्ञापन का उल्लंघन है। वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, भारत सरकार द्वारा /एमओपीएनजी, एडीएनओसी एवं एचपीसीएल से प्राप्य/प्राप्त राशि के विरुद्ध ओएंडएम व्यय की ऑफसेटिंग की सही प्रस्तुति के संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की राय कंपनी द्वारा नहीं मांगी गई थी।
6.	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• अन्य आय में 2022-23 के दौरान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निधि से अधिशेष जमा पर कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज के रूप में ₹86.33 करोड़ सम्मिलित हैं। अधिशेष ईएपी निधियों की जमाराशियों पर अर्जित आय को अन्य आय के अंतर्गत दर्शाने के स्थान पर पूंजीगत-कार्य-प्रगति के अंतर्गत समायोजन के रूप में दर्शाने के परिणामस्वरूप अन्य आय एवं कर-पूर्व लाभ में ₹86.33 करोड़, प्रतिधारित आय में ₹114.63 करोड़ तथा पूंजीगत कार्य-प्रगति में ₹200.96 करोड़ का अधिक विवरण दिया गया।
7.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	• आईआरडीए परिपत्र के विपरीत, कंपनी ने मोटर थर्ड पार्टी उप-खंड में ₹190 करोड़ के प्रीमियम डेफिसिएंसी रिजर्व (पीडीआर) के नकारात्मक आंकड़ों को विविध राजस्व खंड के अंतर्गत अन्य उप-खंडों से संबंधित पीडीआर के सकारात्मक आंकड़ों के साथ समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप प्रीमियम कमी रिजर्व को कम दर्शाया गया

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		है, तथा उसी राशि के समान हानि को ₹190 करोड़ कम दर्शाया गया है। • अनर्जित प्रीमियम रिजर्व में ₹312.85 करोड़ की राशि सम्मिलित है, जो 2022-23 में प्राप्त प्रीमियम के लिए बनाई गई अनर्जित प्रीमियम रिजर्व है, जो झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी को आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की सेवा के लिए 2022-23 से पहले जारी की गई पॉलिसियों के लिए है एवं जिनके जोखिम पहले ही समाप्त हो चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए प्रावधान, असमाप्त जोखिम एवं अनर्जक हानि हेतु आरक्षित निधियों को ₹312.85 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। • मोटर थर्ड पार्टी दावों पर ₹100.12 करोड़ का ब्याज प्रावधान, टाई-अप व्यवसाय के लिए आईटी सिस्टम में गणना में अनजाने में हुई त्रुटि के कारण कम दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं के अंतर्गत बकाया दावों को ₹100.12 करोड़ कम दर्शाया गया है, तथा इसी प्रकार विविध दावों (शुद्ध) को भी इतनी ही राशि कम दर्शाया गया है। घाटा भी ₹100.12 करोड़ कम दर्शाया गया। • 2022-23 के दौरान आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की सेवा के दौरान कंपनी द्वारा ₹134.82 करोड़ का रिफंड प्रीमियम बुक नहीं किया गया। इस प्रकार, ₹134.82 करोड़ के रिफंड प्रीमियम का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) - विविध को अधिक दर्शाया गया तथा अनर्जक हानि को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया।
8.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।	• अन्य आय में विलंबित भुगतान प्रभार (डीपीसी) से प्राप्त ₹1,171.49 करोड़ की राशि सम्मिलित थी। इसमें से ₹1,110.01 करोड़ की राशि उन बिजली लाभार्थियों के संबंध में डीपीसी से संबंधित है, जिन्होंने बिजली (विलंब भुगतान अधिभार एवं संबंधित मामले) नियम, 2022 के अनुसार ईएमआई में बकाया राशि को समाप्त करने का विकल्प चुना है। जिसमें से वर्ष के दौरान ₹813.34 करोड़ की राशि प्राप्त हुई तथा 31 मार्च 2023 तक ₹296.67 करोड़ की राशि प्राप्य रह गई। लेकिन ₹1,110.01 करोड़ की पूरी राशि को आय के रूप में दर्ज किया गया है जो लेखांकन नीति संख्या 16 - राजस्व मान्यता एवं अन्य आय का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप अन्य आय एवं लाभ दोनों को ₹296.67 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।
9.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण)	• असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित राशि में ₹220.75 करोड़ सम्मिलित हैं, जो अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर) है, जो 2022-23 से पहले (अर्थात 2021-22 तक) वर्ष के लिए जारी पॉलिसियों के विरुद्ध 2022-23 में प्राप्त प्रीमियम के लिए बनाया गया है एवं वे जोखिम जिनके लिए 2022-23 के दौरान समाप्त हो चुके है। उन पॉलिसियों पर यूपीआर का निर्माण, जिनके जोखिम 31 मार्च 2023 तक पहले ही समाप्त हो चुके हैं, के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए असमाप्त जोखिम एवं क्षीणता

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		हानि के लिए रिजर्व को ₹220.75 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। पिछले वर्ष इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। • प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्राप्त प्रीमियम में ₹561.24 करोड़ सम्मिलित नहीं थे, जो उन पॉलिसियों से संबंधित प्रीमियम थे, जिनके विरुद्ध वर्ष के दौरान जोखिम उठाया गया था, क्योंकि प्रीमियम वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप, असमाप्त जोखिम के लिए संबंधित रिजर्व भी बुक नहीं किया गया है। प्रीमियम आय की बुकिंग न होने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष व्यवसायों से प्रीमियम को ₹561.24 करोड़ तथा 'प्रीमियम अर्जित-शुद्ध' को ₹338.87 करोड़ कम दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप असमाप्त जोखिम हेतु आरक्षित निधि को कम दर्शाया गया है तथा वर्ष के लिए घाटे को ₹169.44 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। • कंपनी की लेखा नीति संख्या 6 (डी) के अनुसार, शुद्ध आईबीएनआर/आईबीएनईआर की गणना सकल दावा आरक्षित निधियों में सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर के *प्रतिशत* के रूप में की जाती है। तथापि, कंपनी ने बीमांकिक प्रमाणीकरण के अनुरूप मोटर टीपी (गैर-पूल) व्यवसाय में ₹7,173.89 करोड़ का सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर दर्ज किया है तथा उसे सेशन आईबीएनआर/आईबीएनईआर में परिवर्तित किया है तथा कंपनी की लेखा नीति संख्या 6 (डी) के अनुसार क्रमशः

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		₹668.40 करोड़ एवं ₹6,505.49 करोड़ के स्थान पर शुद्ध आईबीएनआर/आईबीएनईआर राशि ₹502.17 करोड़ एवं ₹6,671.72 करोड़ है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं, दावों (शुद्ध) के साथ-साथ वर्ष के लिए घाटे को ₹166.23[41] करोड़ अधिक दर्शाया गया है। पिछले वर्ष इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। • कंपनी ने 31 मार्च 2023 तक सूचित किए गए लेकिन क्षेत्रीय कार्यालयों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किए गए दावों के आंकड़ों को दर्ज करने के लिए अप्रैल 2023 में प्रधान कार्यालय स्तर पर एक जर्नल वाउचर (जेवी) पारित किया। इस संबंध में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं: (**क**) क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में 31 मार्च 2023 तक आयुष्मान भारत के संबंध में पॉलिसीधारकों द्वारा सूचित दावों के लिए उपरोक्त जेवी में ₹157.05 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं की गई। यह कंपनी की लेखा नीति संख्या 6(ए) के अनुरूप नहीं था, जिसमें यह प्रावधान है कि अनुमानित देयताओं को वर्ष के अंत तक सूचित किए गए दावे के लिए दर्ज किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं के साथ-साथ वर्ष के लिए घाटा भी ₹157.05 करोड़ कम दर्शाया गया। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में आयुष्मान भारत के संबंध में ₹380.91 करोड़ के बकाया दावों में से ₹363.66

[41] *₹6,671.72 करोड़ घटा ₹6,505.49 करोड़*

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		करोड़ के लिए कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं पाया गया। किसी भी सहायक दस्तावेज के अभाव में, लेखापरीक्षा में ₹363.66 करोड़ के बकाया दावों की बुकिंग की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। (ख) इसके अलावा, उपरोक्त जेवी के माध्यम से फसल खंड के अलावा अन्य में ₹107.35 करोड़ के दावे दर्ज करते समय, कंपनी ने सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों पर विचार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए शुद्ध दावा एवं क्षीणता हानि ₹19.82 करोड़[42] अधिक दर्शाई गई है। • कंपनी ने उन पॉलिसियों पर अप्रयुक्त प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर) को उलटते हुए, जिनका जोखिम वर्ष के अंत में या उससे पहले समाप्त हो गया था, ₹128.12 करोड़ के प्रीमियम वाली 54,507 पॉलिसियों को भी बाहर रखा, जो चालू वर्ष यानी 2022-23 के दौरान समाप्त नहीं हुई थीं, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में समाप्त हो रही थीं। इसके परिणामस्वरूप सकल आधार पर ₹64.06 करोड़ तथा शुद्ध आधार पर ₹57.44 करोड़ की यूपीआर की शॉर्ट बुकिंग हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए असमाप्त जोखिम एवं क्षीणता हानि हेतु रिजर्व को भी ₹57.44 करोड़ कम दर्शाया गया। • आईआरडीए के नियमों एवं अपनी स्वयं की नीति के विपरीत, कंपनी ने अपने खातों को अंतिम रूप देने की तिथि तक सर्वेक्षक/अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर अद्यतन राशि के बजाय प्रारंभ में सूचित दावों की

[42] *₹107.35 करोड़ के सकल दावों में से ₹87.53 करोड़ घटा (₹107.35 करोड़ * 81.54 प्रतिशत, जो कि सकल बकाया दावों से शुद्ध बकाया दावों का अनुपात है)।*

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		राशि पर विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹57.53 करोड़ से कम दावे दर्ज किए गए। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं के साथ-साथ वर्ष के लिए घाटा भी ₹46.91 करोड़[43] कम दर्शाया गया है। • बकाया दावों में खरीफ-2018 के लिए फसल दावों के संबंध में ₹32.19 करोड़ की अधिक राशि सम्मिलित थी। कंपनी ने (2019-20) 100 *प्रतिशत* शेयर के लिए कुल दावा देयता ₹349.89 करोड़ अनुमानित की थी एवं बकाया दावों को ₹297.23 करोड़ पर बुक किया था एवं इसे 31 मार्च 2023 तक आगे बढ़ाया था। हालाँकि, खातों को अंतिम रूप देने तक कुल दावा देयता ₹319.77 करोड़ थी तथा शेष राशि ₹30.12 करोड़ को वास्तविक उपज एवं सीमांत उपज डेटा से संबंधित कुछ विवाद के कारण स्थगित रखा गया है। हालाँकि, कंपनी ने मुख्यालय में पारित एक पूरक जेवी के माध्यम से ₹32.36 करोड़ की अतिरिक्त राशि दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप कुल प्रावधान ₹297.40 करोड़ के बजाय ₹329.59 करोड़ (₹297.23 करोड़ धन (+) ₹32.36 करोड़) हो गया, जो कंपनी के ₹349.89 करोड़ के हिस्से का 85 *प्रतिशत* था। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2023 तक बकाया दावों की संख्या ₹32.19 करोड़ अधिक हो गई, साथ ही नुकसान भी उतनी ही राशि अधिक बताया गया। • कंपनी ने उन पॉलिसियों के लिए अप्रयुक्त प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर) से ₹274.71 करोड़ के प्रीमियम को वापस करते

[43] *₹57.53 करोड़ * 81.54 प्रतिशत, जो कि सकल बकाया दावों का शुद्ध बकाया दावों से अनुपात है।*

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		हुए, जिनका जोखिम वर्ष के अंत में या उससे पहले समाप्त हो गया था, शुद्ध आधार के बजाय सकल आधार पर यूपीआर को बाहर रखा। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए असमाप्त जोखिम एवं क्षीणता हानि हेतु आरक्षित निधि में ₹14.21 करोड़ की कमी दर्शाई गई है। • यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल) ने 04 जनवरी 2021 से 03 जनवरी 2022 की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी (जीपीए) जारी की। कंपनी ने उक्त एसबीआई जीपीए पॉलिसी में 15 *प्रतिशत* सह-बीमा शेयर एवं 15 *प्रतिशत* आवक आरआई वैकल्पिक अंश स्वीकार किया। कंपनी को यूआईआईसीएल से 31 मार्च 2023 तक बकाया दावों का विवरण (11 अप्रैल 2023) प्राप्त हुआ, जो 100 *प्रतिशत* हिस्सेदारी के रूप में ₹68.63 करोड़ है। तदनुसार, कंपनी का हिस्सा ₹20.60 करोड़ है। यद्यपि कंपनी ने आरआई फैकल्टीवेटिव का 15 *प्रतिशत* हिस्सा आवक बुक कर लिया है, लेकिन वह ₹10.30 करोड़ का 15 *प्रतिशत* सह-बीमा शेयर बुक करने में चूक गई। इसके परिणामस्वरूप विविध राजस्व खाते के अंतर्गत किए गए दावों (शुद्ध) को कम दर्शाया गया है तथा चालू देयताओं को ₹10.30 करोड़ कम दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष का घाटा भी ₹10.30 करोड़ कम दर्शाया गया है।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
10.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	कंपनी ने तीन खुली खदानों में परियोजना रिपोर्टों में उल्लिखित 1.55 से 1.6 के मध्य के औसत विशिष्ट गुरुत्व अनुपात के बजाय रूपांतरण कारक के रूप में 5.02 से 6.64 के मध्य के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात को गलत तरीके से लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप ओवरबर्डन के लिए सामान्य लागत का कम आवंटन हुआ एवं परिणामस्वरूप स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन व्यय का कम प्रभार हुआ। गलत रूपांतरण कारक के प्रयोग के परिणामस्वरूप स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन व्यय को कम दर्शाया गया तथा वर्ष के लिए लाभ को ₹39.07 करोड़ अधिक दर्शाया गया।

ख.ii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (फ्रीहोल्ड भूमि) में ₹12,159.79 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं थी, जो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य (₹12,191.83 करोड़) एवं कंपनी द्वारा बुक की गई भूमि के मूल्य (₹32.04 करोड़) के मध्य का अंतर है। भूमि के बाजार मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों एवं अन्य इक्विटी को ₹12,159.79 करोड़ कम दर्शाया गया। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय विवरणों में हस्तांतरित भूमि एवं वास्तव में अधिग्रहित भूमि का कारखाना-वार मिलान प्रकट नहीं किया गया है।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	• 2019 एवं 2020 में मुद्रीकरण के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा पहचानी गई एवं अनुमोदित की गई परिसंपत्तियों को सम्मिलित करने के कारण संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को ₹2,046.71 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप 'बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों' का भी उसी राशि से कम विवरण दर्शाया है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गई थी। • अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में ₹45.20 करोड़ की राशि को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, जिसे हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड से वसूली योग्य बताया गया है, जिसे सितंबर 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश के अंतर्गत बंद कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप क्षीणता हानि को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है। • 2013 से 2019 की अवधि के दौरान ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम के कारण ₹38.09 करोड़ की राशि को सम्मिलित करके अन्य चालू परिसंपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। इन अग्रिमों को न तो समायोजित/समाधान किया गया है एवं न ही लेखा पुस्तकों में इनका प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप क्षीणता हानि को भी उसी राशि तक कम दर्शाया गया है। • व्यापार देयताओं में ₹214.53 करोड़ की राशि को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, जिसमें विक्रेताओं, कालातीत चेकों, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से तीन वर्ष से अधिक समय से प्राप्त ईएमडी एवं सुरक्षा जमा राशि सम्मिलित है।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		इसके परिणामस्वरूप नुकसान की राशि भी उतनी ही अधिक बताई गई है।
3.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कंपनी ने परियोजना के कार्यान्वयन तथा 30 वर्ष की रियायत अवधि के लिए नए रेलवे का संचालन एवं रखरखाव करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ रियायत समझौता किया है। समझौते के अनुसार, रेल मंत्रालय नेटवर्क का उपयोग करेगा एवं कंपनी को ट्रैक एक्सेस शुल्क का भुगतान करेगा। इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण (फरवरी 2023) न तो कंपनी को नियंत्रण अधिकार देता है एवं न ही इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियां 30 वर्ष की रियायत अवधि समाप्त होने के बाद भी कंपनी के स्वामित्व में रहेंगी। इंड एएस - 115 के पैरा 11 के अनुसार, सेवा रियायत समझौते के अंतर्गत बनाए गए ऐसे बुनियादी ढांचे को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। हालाँकि, कंपनी ने रियायत समझौते के अंतर्गत बनाए गए बुनियादी ढांचे को भारतीय लेखा मानक 115 का उल्लंघन करते हुए 'संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण/प्रगति में पूंजीगत कार्य' के रूप में मान्यता दी है। इसलिए, 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण' को ₹35,952.37 करोड़ अधिक बताया गया, 'प्रगति में पूंजीगत कार्य' को ₹41,621.29 करोड़ अधिक बताया गया एवं तदनुसार 'अमूर्त संपत्ति / वित्तीय संपत्ति (विकास के अंतर्गत)' को ₹77,573.66 करोड़ कम बताया गया।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भी इसी तरह की टिप्पणी जारी की गई।
4.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	• व्यापार प्राप्य में सितंबर 2017 से 02 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्य 132.30 करोड़ की राशि सम्मिलित थी, जो 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) के मद में थी। सितंबर 2017 से 2 अगस्त 2020 के मध्य की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर के लिए एसटीसी चार्ज करने के लिए किसी समझौते के अभाव में ₹132.30 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है एवं इसके लिए उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, प्रावधानों का सृजन न करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों (खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते को घटाकर) को अधिक दर्शाया गया तथा उस सीमा तक वर्ष के लिए लाभ को भी अधिक दर्शाया गया। इस मुद्दे पर वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के वार्षिक लेखों में भी टिप्पणी की गई है, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
5.	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	• उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए कम प्रावधान के परिणामस्वरूप प्रावधान एवं प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में ₹103.77 करोड़ की कमी दर्शाई गई।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
6.	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	• विक्रेताओं से ली गई परिसमाप्त क्षति का पूंजीकरण न किए जाने के कारण अचल परिसंपत्तियों की राशि ₹57.32 करोड़ कम दर्शाई गई है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास को भी कम करके आंका गया है।
7.	इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	• कंपनी भारत सरकार द्वारा की ओर से कच्चे तेल की खरीद एवं बिक्री से संबंधित लेन-देन कर रही है। कंपनी ने अपने लेखा नोट में 3014333.38 मीट्रिक टन कच्चे तेल का मूल्य ₹5,323.98 करोड़ बताया। हालाँकि, आईएसपीआरएल द्वारा कच्चे तेल की खरीद/बिक्री एवं इन्वेंट्री का लेखा-जोखा नहीं किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, वित्तीय विवरणों में इसके लेखांकन के लिए आईसीएआई की राय भी नहीं मांगी गई।
8.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	• व्यापार प्राप्य में सितंबर 2017 से 02 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्य ₹62.29 करोड़ की राशि सम्मिलित थी, जो 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) के मद में थी। सितंबर 2017 से 02 अगस्त 2020 के मध्य की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर के लिए एसटीसी चार्ज करने के लिए किसी भी समझौते के अभाव में, ₹62.29 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है एवं उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, प्रावधानों का सृजन न करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों (खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते के बाद) एवं उस सीमा तक

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		वर्ष के मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी।
9.	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए लागत साझाकरण अंशदान के भुगतान में विलंब के कारण मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देय ब्याज सम्मिलित नहीं है। देय ब्याज का लेखा-जोखा न रखने के परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' को कम दर्शाया गया है तथा 'प्रगतिशील पूंजीगत कार्य' को कम से कम ₹17.17 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। • कंपनी को अपने कब्जे में आठ भूखंडों के लिए ₹35.87 करोड़ के संपत्ति कर की वसूली के लिए नगर निगम प्राधिकारियों से डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ। हालांकि कंपनी ने अगस्त 2016 से बार-बार नगर निगम अधिकारियों से संपत्ति कर के भुगतान से छूट मांगी है, जिसमें कहा गया है कि यह परियोजना एक सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचा है एवं लाभदायक उद्यम नहीं है, लेकिन संपत्ति कर के भुगतान से छूट के लिए कंपनी के अनुरोध को नगर निगम अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। यह देखते हुए कि आज तक नगरपालिका प्राधिकारियों से नगरपालिका कर के भुगतान से कोई छूट प्राप्त नहीं हुई है, कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों में ₹35.87 करोड़ की राशि का प्रावधान करना चाहिए था। इसके

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		परिणामस्वरूप चालू देयता एवं प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में ₹35.87 करोड़ की कमी दर्शाई गई है।
10.	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड	• संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (फ्रीहोल्ड भूमि) में ₹27,093.01 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं थी, जो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य (₹27,166.10 करोड़) एवं कंपनी द्वारा बुक की गई भूमि के मूल्य (₹73.09 करोड़) के मध्य का अंतर है। भूमि के बाजार मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों एवं अन्य इक्विटी को ₹27,093.01 करोड़ कम दर्शाया गया है।
11.	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	• अन्य चालू देनदारियों में भारत सरकार द्वारा की ओर से कंपनी द्वारा 31 मार्च 2022 तक किए गए कार्य के संबंध में ₹208.68 करोड़ की देनदारी सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं से संबंधित अन्य देयताओं को कम दर्शाया गया है तथा भारत सरकार द्वारा की ओर से निष्पादित चल रही निर्माण परियोजनाओं को ₹208.68 करोड़ कम दर्शाया गया है।
12.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	• व्यापार प्राप्तियों में सितंबर 2017 से 02 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्य ₹221.79 करोड़ की राशि सम्मिलित थी, जो 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) के मद में थी। सितंबर 2017 से 02 अगस्त 2020 के मध्य की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर के लिए एसटीसी चार्ज करने के

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		लिए किसी भी समझौते के अभाव में ₹221.79 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है एवं उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, प्रावधानों का सृजन न करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों (खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते के बाद) एवं उस सीमा तक वर्ष के मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भी उसी सीमा तक अपूर्ण है। इस मुद्दे पर वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के वार्षिक लेखों में भी टिप्पणी की गई है, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
13.	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (यह टिप्पणी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर	• एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड का गठन एमएसएमई क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड[44] के नाम से एमएसएमई फंड स्थापित करने के भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में किया गया था। एसआरआई फंड के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि (i) मातृ निधि (एसआरआई फंड) को एनएसआईसी की 100 *प्रतिशत* इक्विटी वाली विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) द्वारा संचालित किया जाएगा, (ii) एसपीवी मदर फंड को श्रेणी I या II वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत करने के लिए सेबी पर लागू होगा, (iii) एसपीवी को 1 *प्रतिशत* का प्रबंधन शुल्क

[44] *सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा विकास पूंजी प्राप्त करने में सामना की जा रही गंभीर कमी को दूर करने के लिए निधियों का निधि (एफओएफ) बनाया गया है। इस निधि का मुख्य निवेशक भारत सरकार है।*

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
	भी जारी की गई थी)	देने की अनुमति दी जा सकती है जो वास्तव में मदर फंड के निपटान में रखी गई राशि के संबंध में देय होगा। इस प्रकार, एसपीवी (एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड) को एसआरआई फंड को सेबी के साथ वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत करना था और इसका प्रबंधन करना था, जिसके लिए उसे प्रबंधन शुल्क प्राप्त करना था। तथापि, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ने एसआरआई निधि को पंजीकृत करने के बजाय स्वयं को सेबी के साथ श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकृत करा लिया। एसआरआई फंड इस प्रकार पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड की एक योजना है। चूंकि एसआरआई फंड कंपनी की एक योजना है और उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर यह एक अलग इकाई नहीं है, इसलिए एसआरआई फंड से संबंधित सभी लेन-देन को कंपनी के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया जाना आवश्यक था। हालांकि, कंपनी ने कंपनी और एसआरआई फंड को अलग-अलग इकाई मानते हुए अपने वित्तीय विवरणों में एसआरआई फंड से संबंधित लेन-देन को सम्मिलित नहीं किया।
14.	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (सीएफएस और एसएफएस)	• अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में रोजमल और जेटसर सौर परियोजनाओं के संबंध में भूमि के हस्तांतरण के संबंध में एनटीपीसी लिमिटेड के पास कंपनी द्वारा जमा किए गए ₹11.61 करोड़ सम्मिलित थे, जिन्हें डिवीजन II - इंड एएस अनुसूची III, कंपनी अधिनियम 2013 पर मार्गदर्शन नोट के पैरा 8.1.12 के अनुसार अस्तित्वहीन परिसंपत्तियों

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और अन्य अ-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजी अग्रिम को ₹11.61 करोड़ कम दर्शाया गया है।
15.	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	• अन्य वित्तीय देनदारियों में ₹20.39 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं, जो कि कंपनी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी राहत बांड के बांडधारकों को भुगतान की जाने वाली राशि से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज है, जो बांडधारकों द्वारा दावा न किए जाने के कारण शेष रह गया। कंपनी ने पिछले वर्षों में ₹20.39 करोड़ का ब्याज आय के रूप में दर्ज किया है। चूंकि सावधि जमा की राशि कंपनी के स्वामित्व में नहीं है, इसलिए उस पर अर्जित ब्याज कंपनी की आय नहीं बल्कि देयता है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय देयताओं' को ₹20.39 करोड़ कम दर्शाया गया है, जबकि चालू वर्ष के लिए 'अन्य आय' और 'लाभ' को ₹1.18 करोड़ अधिक दर्शाया गया है और 'रिजर्व और अधिशेष' को ₹19.21 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

ख.iii. नकदी प्रवाह के विवरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड - 2021-22	• नकदी और नकदी समतुल्य में ₹43.70 करोड़ की राशि सम्मिलित थी (नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक बैलेंस) हालांकि संबंधित सावधि जमा की परिपक्वता तुलनपत्र की तारीख से तीन महीने से अधिक थी। इसके अलावा, इस राशि को अन्य चालू एवं अ-चालू संपत्ति में परिवर्तनों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी को कम करके आंका गया और नकदी और नकद समतुल्य को ₹43.70 करोड़ से अधिक बताया गया।
2.	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (2021-22)	• निवेश गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले शुद्ध नकदी प्रवाह में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नकदी बहिर्प्रवाह के रूप में ₹703.08 करोड़ सम्मिलित थे। तथापि, नकद के वास्तविक भुगतान के बिना बही अंतरण के आधार पर तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) से ₹674 करोड़ की परिसम्पत्तियां अंतरित कर दी गई थीं। इस प्रकार, संपत्ति का वह हिस्सा जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया था, उसे निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार, परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के अंतर्गत ₹674 करोड़ का तदनुरूपी प्रभाव दर्शाया गया था जिस पर भी विचार नहीं किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह और परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह को

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		₹674 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है और इसके परिणामस्वरूप 'नकदी प्रवाह विवरण' पर इंड एएस-7 का अनुपालन नहीं हुआ है।
3.	भारत संचार निगम लिमिटेड	• कंपनी ने कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की गणना के लिए अ-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन को निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के अंतर्गत दिखाने के बजाय सम्मिलित किया है। यह चित्रण इंड एएस-7 के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार, नकदी प्रवाह विवरण उस सीमा तक अपर्याप्त था। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष भी टिप्पणी की गई थी।

ख. iv. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	• इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ₹1,323.29 करोड़ की राशि वसूली योग्य के रूप में दिखाई गई है। हालांकि, कर अधिकारियों से इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी प्राप्त करने में कंपनी की असमर्थता और साथ ही, आउटपुट टैक्स के लिए इसे समायोजित करने में असमर्थता का खुलासा न तो कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में ही किया गया एवं न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		• कपूरिया ब्लॉक से कोयले के विकास और निष्कर्षण का संविदा कंपनी द्वारा रद्द कर दिया गया (जनवरी 2021) और इस मुद्दे को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय ने (जनवरी 2021) ₹53.98 करोड़ की चार बैंक गारंटियों को भुनाने और भुनाई गई राशि को न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के खाते में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कंपनी ने वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित अपूर्ण खुलासे किए हैं: (i) यद्यपि केवल ₹34.79 करोड़ की दो बैंक गारंटियां भुनाई गई हैं, कंपनी ने गलत खुलासा किया है कि ₹41.20 करोड़ की तीन बैंक गारंटियां भुनाई गई हैं। (ii) बैंक गारंटी (बीजी) के लिए ₹37.76 करोड़ का अग्रिम गलत तरीके से ₹38.23 करोड़ के रूप में बताया गया है। (iii) यद्यपि, कानूनी मामला वर्तमान में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन यह गलत उल्लेख किया गया कि मामला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में विचाराधीन है। (iv) यह बताया गया कि उपरोक्त संविदात्मक कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की लागत ₹6.50 करोड़ न्यायालय के निर्णय के बाद निष्पादन बैंक गारंटी (बीजी) के साथ समायोजित की जाएगी। हालाँकि, तथ्य यह है कि कंपनी के पास कोई निष्पादन बैंक गारंटी

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		(बीजी) उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त के अलावा, आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/ग्राहकों से बैंक गारंटी के रूप में प्राप्त ₹716.47 करोड़ की प्रतिभूतियों को नोट के अंतर्गत गलत तरीके से ₹489.90 करोड़ के रूप में बताया गया था। इस प्रकार, नोट 38 के अंतर्गत उपरोक्त खुलासे उस सीमा तक अपर्याप्त थे।
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	• मेसर्स विहान नेटवर्क्स लिमिटेड ने अगस्त 2020 में कंपनी को ₹600 करोड़ की राशि के लिए कानूनी नोटिस भेजा, क्योंकि कंपनी ने अग्रिम खरीद आदेश वापस ले लिया था। मामला मध्यस्थता में है। कंपनी द्वारा इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया।
3.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	• इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ₹1,455.57 करोड़ की राशि वसूली योग्य दर्शाई गई है। हालांकि, कंपनी द्वारा कर अधिकारियों से इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी प्राप्त करने में असमर्थता और साथ ही, आउटपुट टैक्स के लिए इसे समायोजित करने में असमर्थता का खुलासा न तो कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में की किया गया एवं न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया। • ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट (ओबीआर) पर कंपनी द्वारा अपनाई गई नीति इंड एएस 16 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा, कंपनी की परियोजनाओं ने अग्रिम स्ट्रिपिंग की गणना करते

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		समय अलग-अलग तरीके अपनाए, जो कि भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (सीएएस-23) द्वारा 2017 में जारी लागत इंड एएस-23 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, ओबीआर मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का स्पष्टीकरण सीएएस-23 और इंड एएस-16 के प्रावधानों में विचलन था और लेखाओं में इसका खुलासा नहीं किया गया, जो इंड एएस-01 अनुपालन से इतर था।
4.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	• इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ₹408.22 करोड़ की राशि वसूली योग्य दर्शाई गई है। हालांकि, कंपनी द्वारा कर अधिकारियों से इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी प्राप्त करने में असमर्थता और साथ ही, आउटपुट टैक्स के लिए इसे समायोजित करने में असमर्थता का खुलासा न तो कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में की किया गया एवं न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया।
5.	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	• झारखंड सरकार द्वारा कंपनी को 61.44 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने के लिए ₹216.55 करोड़ की मांग की गई है (जनवरी 2022)। कंपनी के प्रबंधन ने तर्क दिया (जुलाई 2022) कि की गई मांग कृषि भूमि के स्थान पर वाणिज्यिक भूमि की उच्च दर पर आधारित थी। यद्यपि, इस मामले पर राज्य सरकार और कोयला मंत्रालय के विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई, लेकिन

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		मार्च 2023 तक यह मुद्दा अनसुलझा रहा। भूमि के मूल्य निर्धारण से संबंधित मामले के समाधान पर, भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए भुगतान झारखंड सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। हालाँकि, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में इस मुद्दे का खुलासा नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणों में इस मुद्दे का खुलासा न करना इंड एएस-01 का उल्लंघन था।
6.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	• इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ₹1,499.74 करोड़ की राशि वसूली योग्य दर्शाई गई है। हालांकि, कंपनी द्वारा कर अधिकारियों से इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी प्राप्त करने में असमर्थता और साथ ही, आउटपुट टैक्स के लिए इसे समायोजित करने में असमर्थता का खुलासा न तो कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में किया गया एवं न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया।
7.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	• इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ₹2,946.54 करोड़ की राशि वसूली योग्य दर्शाई गई है। हालांकि, कंपनी द्वारा कर अधिकारियों से इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी प्राप्त करने में असमर्थता और साथ ही, आउटपुट टैक्स के लिए इसे समायोजित करने में असमर्थता का खुलासा न तो कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में की किया गया एवं न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
8.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड	• कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2023 के अपने आदेश के अंतर्गत अनुमोदित डिमर्जर योजना के अंतर्गत, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को "अ-प्रमुख परिसंपत्तियों के धारण और रखरखाव के लिए एससीआई अधिशेष नकद खाते" में न्यूनतम अधिशेष नकदी के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड (एससीआईएलएएल) को ₹1,000 करोड़ हस्तांतरित करना था। एससीआईएलएएल ने अपने लेखाओं में ₹1,000 करोड़ जमा किए हैं और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी बही से इसे हस्तांतरित कर दिया। हालाँकि, 31 मार्च 2023 तक, एससीआईएलएएल. के नाम पर ₹667.07 करोड़ की राशि की एफडी पृष्ठांकित नही की गई। इस तथ्य का खुलासा लेखाओं पर नोट के माध्यम से किया जाना चाहिए था।
9.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	• इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ₹2,481.58 करोड़ की राशि वसूली योग्य दर्शाई गई है। हालांकि, कंपनी द्वारा कर अधिकारियों से इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी प्राप्त करने में असमर्थता और साथ ही, आउटपुट टैक्स के लिए इसे समायोजित करने में असमर्थता का खुलासा न तो कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में की किया गया एवं न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
10.	तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	• तुलन पत्र एवं इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III (डिवीजन-II) के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया है। इसके अलावा, लाभ और हानि के विवरण में, "प्रतिनियुक्ति लागत" को "व्यय" के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III (डिवीजन-II) द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसा कोई शीर्षक निर्धारित नहीं है। इसे "कर्मचारी लाभ व्यय" होना चाहिए।
11.	टीसीआईएल - लखनादौन टोल रोड लिमिटेड	• कंपनी ने होल्डिंग कंपनी टीसीआईएल द्वारा विनिवेश के संबंध में लिए गए निर्णय के बारे में खुलासा नहीं किया। • मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के ₹36.57 करोड़ के दावे को आकस्मिक संपत्ति के रूप में मान्यता देना उचित नहीं है, जिसे निगम द्वारा फरवरी 2023 में अस्वीकार कर दिया गया है।
12.	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	• कंपनी ने निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2022-23 में लाभांश का भुगतान नहीं किया। इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है। • मार्च 2023 में दिए गए खरीद आदेशों/संविदाओं के हेतु अभी तक निष्पादित की जाने वाली संविदा/कार्यों

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		को सम्मिलित न किए जाने के कारण पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताओं को ₹59.33 करोड़ कम दर्शाया गया।

ख.v. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
1.	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक ने बताया कि 31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 2020-22 की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति और ब्याज से संबंधित ₹6.01 करोड़ के बकाया पर विरोध किया। हालांकि, कंपनी ने उक्त देय राशि का विरोध नहीं किया एवं चालू वर्ष के दौरान ₹6.01 करोड़ का प्रावधान किया। साथ ही, ₹6.01 करोड़ के उक्त बकाया में से, कंपनी ने फरवरी 2023 में ₹0.15 करोड़ की राशि का भुगतान किया। चूंकि उपर्युक्त बकाया राशि विवादित नहीं थी, इसलिए ₹5.86 करोड़ की बकाया राशि को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक-क के पैरा संख्या vii (क) के अंतर्गत निर्विवाद देय राशि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।
2.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (2021-22)-एसएफएस	सांविधिक लेखापरीक्षक ने रिपोर्ट दी कि 'हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 कंपनी पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xx) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।' हालाँकि, कंपनी वर्ष 2018-19 में अस्तित्व में आई और वर्ष

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		2019-20 और 2020-21 में शुद्ध लाभ अर्जित किया। तदनुसार, कंपनी को अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 *प्रतिशत* निगम के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक था। इसके अलावा, 25 मार्च 2021 के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पत्र के अनुसार निगम के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट के संबंध में कंपनी का विरोध पत्र लंबित है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू होते हैं, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।
3.	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (2021-22)	सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मूर्त संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया, लेकिन बही लेखाओं में परिणामी प्रभाव नहीं दिया गया। हालाँकि, यह तथ्य कि नागपुर एमआरओ, त्रिवेंद्रम एमआरओ, मुंबई बेस (पश्चिमी क्षेत्र), हैदराबाद बेस (दक्षिणी क्षेत्र) और कोलकाता बेस (पूर्वी क्षेत्र) में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, इसका उल्लेख न तो कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में किया गया है और न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा। अतः सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अपनी राय पैराग्राफ में लेखापरीक्षकों ने 'नकदी प्रवाह' पर अपनी राय व्यक्त नहीं की है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
5.	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	• सांविधिक लेखापरीक्षक ने बताया कि, "नोट संख्या 5 में बताए अनुसार आयकर वापसी का दावा करने के लिए आयकर रिटर्न को संशोधित नहीं किया गया है और इसे संशोधित करने के लिए समय समाप्त हो चुका है।" स्वतंत्र लेखापरीक्षक की उपरोक्त राय सही नहीं है क्योंकि कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल किया था (25 अगस्त 2022)। • सांविधिक लेखापरीक्षक ने बताया कि कंपनी ने लागत रिकॉर्ड बनाए रखा है और वित्तीय वर्ष 2020-21 तक लागत लेखापरीक्षा करवाई है। स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने यह नहीं बताया कि कंपनी का लागत लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2021-22 तक किया गया था। • स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली थी और आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के निहितार्थ, यदि कोई हो, तो क्या होंगे।
6.	पवन हंस लिमिटेड (2021-22)	• सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी के पास कोई अमूर्त परिसंपत्तियां नहीं है और इसलिए सीएआरओ 2020 के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियां से संबंधित उप खंड कंपनी पर लागू नहीं

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		होता है। उपरोक्त नोट त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कंपनी मेसर्स टीसीएस लिमिटेड द्वारा विकसित एकीकृत सूचना प्रणाली पैकेज का उपयोग कर रही है और इसका खुलासा नोट संख्या 4 (अमूर्त परिसंपत्ति) के अंतर्गत भी किया गया है, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है। • लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), दिल्ली में मूल्यांकन वर्ष 1997-98 के लिए ₹29.97 करोड़ की विवादित सांविधिक देनदारियों का खुलासा किया गया। इसने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण कर दिया क्योंकि उक्त मामले का निर्णय अगस्त 2021 में कंपनी के पक्ष में किया गया एवं 31 मार्च 2022 तक आईटीएटी दिल्ली के पास लंबित नहीं है। • भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन में, सांविधिक लेखापरीक्षक ने बताया है कि कंपनी के सभी लेखांकन लेनदेन अलग-अलग आईटी प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रवार संसाधित किए जाते हैं। उपर्युक्त प्रकटीकरण में कमी है क्योंकि कंपनी के पास लेखांकन के लिए केंद्रीकृत एकीकृत प्रणाली है।
7.	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक अपनी दिनांक 12 मई 2023 की रिपोर्ट में अचल संपत्तियों और इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के संचालन की नियमितता और सत्यापन रिपोर्ट में पाई गई विसंगतियां, यदि कोई हो, तथा प्रबंधन द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		पर रिपोर्ट करने में विफल रहा। इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षक ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि क्या सांविधिक लेखापरीक्षक ने कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त सचेतक शिकायतें, यदि कोई हो, पर विचार किया है और क्या लेखापरीक्षा के अंतर्गत अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक-ए के अंतर्गत रिपोर्टिंग करते समय विचार किया गया था, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 द्वारा आवश्यक है।
8.	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड (2021-22)	सांविधिक लेखापरीक्षक ने कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के अंतर्गत निर्धारित मामलों पर अपनी राय नहीं दी है। इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षक ने कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुसार अपनी रिपोर्ट देने के बजाय कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 में निर्धारित मामलों पर अपनी रिपोर्ट दी है, जिससे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है।
9.	टीसीआईएल-लखनादौन टोल रोड लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी की चालू स्थिति से संबंधित भौतिक अनिश्चितता की रिपोर्ट करने में विफल रहा, क्योंकि कंपनी की निवल संपत्ति समाप्त हो गई है और वह अपनी होल्डिंग कंपनी से ऋण प्राप्त किए बिना देनदारियों का भुगतान करने में असमर्थ है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
10.	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	• सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 की आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया है। उन्होंने बताया कि परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक तीन वर्षों के अंतराल में एक बार किया जाता है जबकि यह वार्षिक रूप से किया जाता है। • विक्रेताओं को दिए गए अग्रिम को समायोजित करने तथा कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में लेखा संबंधी कमियों को भी उजागर नहीं किया गया है। • सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के लेखांकन में आईटी प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में विशेष रूप से आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेनदेन के लेखांकन के संबंध में जारी उप-निर्देशों (सं. 1) पर उपयुक्त रूप से रिपोर्ट देने में विफल रहा।

ग. सूचीबद्ध सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ

ग.i. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
1.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	ड्रेजर VIII और XI पर किए गए ड्राई डॉक व्यय का पूंजीकरण कंपनी की लेखांकन नीति और इस संबंध में प्राप्त आईसीएआई विशेषज्ञ की राय का उल्लंघन था। चूंकि ये परिसंपत्तियां अपनी उपयोगी अवधि से अधिक हो गई हैं, इसलिए उन पर किए गए ड्राई डॉक मरम्मत व्यय को अन्य खर्चों के अंतर्गत मरम्मत एवं रखरखाव (पोत) में प्रभारित किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (शुद्ध) को ₹18.95 करोड़ अधिक दर्शाया गया है तथा अन्य व्यय के अंतर्गत मरम्मत और रखरखाव (पोत) खाते को ₹27.42 करोड़ कम दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, मूल्यह्रास और कर-पूर्व लाभ क्रमशः ₹8.46 करोड़ और ₹27.42 करोड़ अधिक बताए गए। वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसी तरह की टिप्पणी के बावजूद, कंपनी ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

घ. असूचीबद्ध सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ

घ.i. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
1.	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	अप्रैल 2022 के आरबीआई के निर्देशों के अनुसार आरबीआई को देय ₹1,000 मूल्यवर्ग के सीडब्ल्यूबीएन पेपर के इन्वेंट्री मूल्य पर अन्य व्यय को ₹22.26 करोड़ कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया।
2.	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अगस्त 2023 में सिंगापुर में विज्ञापन एवं प्रचार में मिलियन डॉलर राउंड टेबल (एमडीआरटी) द्वारा आयोजित किए जाने वाले वैश्विक सम्मेलन के लिए ₹17 करोड़ के बिक्री संवर्धन व्यय का प्रावधान सम्मिलित था, जो मई 2023 में देय था। चूंकि यह बिक्री संवर्धन से संबंधित था, इसलिए इससे होने वाले लाभ 2022-23 में नहीं मिलेंगे, बल्कि केवल कार्यक्रम के दौरान या उसके बाद ही मिलेंगे। इसलिए, 2022-23 में व्यय और प्रावधान की बुकिंग की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि प्रबंधन ने बाद में तर्क दिया कि यह 2022-23 में प्राप्त व्यवसाय को सम्मानित करने के लिए था, यह ध्यान देने योग्य है कि राशि को विज्ञापन और प्रचार के रूप में वर्गीकृत किया गया था, न कि कमीशन के अंतर्गत मध्यस्थों को पुरस्कार के रूप में, और न ही पुरस्कारों पर नियामक प्रकटीकरण के अंतर्गत आईआरडीएआई को इसकी सूचना दी गई थी। इसलिए, विज्ञापन एवं प्रचार तथा चालू देयताओं को ₹17 करोड़ अधिक दर्शाया गया (लाभ को इतनी ही राशि कम दर्शाया गया है)।

घ.ii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
1.	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड (2021-22)	• प्रगतिरत पूंजीगत कार्य - अमूर्त परिसंपत्तियों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के संबंध में प्रगतिरत पूंजीगत कार्य पर है। कंपनी को उपयोगकर्ताओं से टोल शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं है तथा टोल लगाने का अधिकार एनएचएआई के पास है तथा कंपनी को एनएचएआई से केवल आवधिक वार्षिकी भुगतान ही प्राप्त होगा। इस प्रकार, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार ₹22,874 करोड़ के व्यय को वित्तीय परिसंपत्तियों के बजाय प्रगतिरत पूंजीगत कार्य-अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करना गलत था। इसके परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य-अमूर्त परिसंपत्तियों को ₹22,874 करोड़ से अधिक और वित्तीय परिसंपत्तियों को ₹22,874 करोड़ से कम दर्शाया गया है। • वित्तीय परिसंपत्ति होने के नाते, 31 मार्च 2022 तक ₹932.49 करोड़ की वित्तीय लागत को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में जोड़ने के बजाय व्यय के रूप में माना जाना चाहिए था। • नकदी एवं नकदी समतुल्य में ₹14.44 करोड़ का बैंक बैलेंस सम्मिलित है। हालांकि, 31 मार्च 2022 को लेखापरीक्षा के लिए प्रदान किए गए बैंक विवरण के अनुसार बैंक में जमा राशि शून्य थी, क्योंकि बैंक ने 31 मार्च 2022 को लोन पर ब्याज की राशि काट ली

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		थी। साथ ही, वही राशि 'अन्य वित्तीय देनदारियों' में 'उधारों पर अर्जित ब्याज' के रूप में परिलक्षित होती है। इसके परिणामस्वरूप नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य वित्तीय देयताओं को ₹14.44 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया है।
2.	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	एमवीटीआर लैब के प्राप्ति योग्य मूल्य का गलत वर्गीकरण, जिसे कंपनी द्वारा सितंबर 2022 में अव्यवहार्य घोषित किया गया था, के परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को अधिक दर्शाया गया एवं अन्य अ-चालू परिसंपत्तियों को ₹47.50 करोड़ प्रत्येक से कम दर्शाया गया।
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड	फास्ट टैग न लगे वाहनों से संग्रहीत शास्ति राशि को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा न करने के परिणामस्वरूप चालू वर्ष की आय और पूर्व अवधि की आय में क्रमशः ₹6.91 करोड़ तथा ₹7.61 करोड़ की अधिक वृद्धि दर्शाई गई। कंपनी ने परिचालन से आय के रूप में ₹14.52 करोड़ दर्ज किए और भारत के समेकित निधि के बजाय एनएचएआई को गलत तरीके से ₹1.41 करोड़ का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों (प्राप्तियों) और चालू देनदारियों (भारत के समेकित निधि को देय) को क्रमशः ₹1.41 करोड़ और ₹15.93 करोड़ कम दर्शाया गया।
4.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड	अन्य वित्तीय देनदारियों में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से बाहर निकलने के लिए अवसंरचना, शुल्क एवं प्रभार के मद में कंपनी द्वारा वहन की जाने वाली ₹1,035.33 करोड़ की राशि

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		सम्मिलित नहीं थी, जो विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा की गई मांग (दिसंबर 2021) तथा ओपीएएल द्वारा किए गए अनुमान (फरवरी 2023) के आधार पर है। इस प्रावधान की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप प्रावधानों एवं हानि को कम एवं आकस्मिक देयता को ₹1,035.33 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।

घ.iii. नकदी प्रवाह के विवरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
1.	कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	सावधि जमा (मूल परिपक्वता 12 महीने से अधिक) में ₹21.99 करोड़ की कमी का खुलासा निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के बजाय परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के अंतर्गत किया गया। इसके परिणामस्वरूप परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को ₹21.99 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया है तथा निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को भी उसी सीमा तक कम दर्शाया गया।
2.	मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (2021-22)	नकदी प्रवाह विवरण से पता चलता है कि वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी बहिर्प्रवाह में ब्याज के रूप में ₹111.87 करोड़ का भुगतान किया गया। हालाँकि, कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान रुपया सावधि ऋण पर ब्याज के रूप में केवल ₹68.83 करोड़ का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह में भुगतान किए गए ब्याज को

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		अधिक दर्शाया गया है तथा परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी को ₹43.04 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया है।
3.	विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	31 मार्च 2023 तक तुलनपत्र में नकदी और नकदी समतुल्यों का शेष ₹0.51 करोड़ दिखाया गया था जबकि नकदी प्रवाह विवरण में इसे ₹26.21 करोड़ दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बैंकों में सावधि जमा में निवेश की गई ₹25.70 करोड़ की राशि को वर्ष 2022-23 के नकदी प्रवाह विवरण में 'निवेश गतिविधियों से नकदी बहिर्प्रवाह' के रूप में नहीं दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह विवरण में निवेश गतिविधियों से नकदी बहिर्प्रवाह को कम दर्शाया गया तथा वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य को ₹25.70 करोड़ अधिक दर्शाया गया। इसके अलावा, सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज को भी नकदी प्रवाह विवरण में निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह के रूप में नहीं दर्शाया गया। कंपनी द्वारा तैयार किया गया नकदी प्रवाह विवरण उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

घ.iv. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
1.	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड (2021-22)	• वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाला नोट 10 स्वीकृत सावधि ऋण का विवरण दर्शाता है। हालाँकि, वास्तविक स्वीकृत सावधि ऋण एवं नोट संख्या 10 के अंतर्गत दिखाए गए स्वीकृत सावधि ऋण में ₹3,300 करोड़ का अंतर था। इस प्रकार, उक्त नोट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण था। • नोट संख्या 27बी ‘पूंजी प्रतिबद्धता’ में कहा गया है कि ‘कंपनी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए एनएचएआई को कुल ₹53,849 करोड़ की धनराशि प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और आज तक, कंपनी ने ₹21,950.80 करोड़ की राशि खर्च की है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शेष अवधि के लिए कुल लंबित प्रतिबद्धताएं ₹31,898.20 करोड़ हैं।’ हालांकि, नोट संख्या 3 के अनुसार, कंपनी ने कहा है कि उसने ₹22,874 करोड़ खर्च किए हैं। इस प्रकार, लंबित पूंजी प्रतिबद्धता ₹30,975 करोड़ (₹53,849 करोड़ - ₹22,874 करोड़) है। इसलिए, लंबित पूंजी प्रतिबद्धता में ₹923.20 करोड़ का अंतर है। इस प्रकार, नोट 27बी उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण था।
2.	नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड	• वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले 'इक्विटी में परिवर्तन का विवरण' कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में

		तैयार नहीं किया गया है, जैसा कि 24 मार्च 2021 की एमसीए अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है।
3.	विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	• कंपनी ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ जारी होने के बावजूद वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में सरकारी अनुदानों पर अपनी लेखांकन नीति नहीं बताई है। • कंपनी द्वारा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया था।

घ.v. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
1.	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड **(2021-22)**	सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अंतरिम लाभांश घोषित नहीं किया है। हालाँकि, कंपनी के निदेशक मंडल ने 01 अक्टूबर 2021 को हुई अपनी बैठक में अंतरिम लाभांश (₹28.90 प्रति शेयर) को मंजूरी दे दी थी। 09 अगस्त 2021 को संचलन द्वारा बोर्ड संकल्प के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, 09 अगस्त 2021 को अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया। इस प्रकार, सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उजागर उपरोक्त तथ्य उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण था।
2.	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	• अभ्युक्ति संख्या 1 को, बिना किसी औचित्य के कोयले के आयात के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप ₹748.78 करोड़ की हुई धोखाधड़ी को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि कंपनी ने 2022-23

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		के दौरान कुल कोयला खपत (53.33 लाख मीट्रिक टन) के मुकाबले घरेलू स्रोतों से उचित मात्रा (48.10 लाख मीट्रिक टन) में कोयले की खरीद की थी; एवं विद्युत मंत्रालय के निर्देश पर कोयले का आयात किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर निविदा जारी करने के बाद; और उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद एल 1 बोलीदाता को संविदा प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सकल कैलोरिफिक वैल्यू सहित उनकी गुणवत्ता में अंतर पर विचार किए बिना, आयातित कोयले की दरों की घरेलू कोयले के साथ मात्र तुलना करने के परिणामस्वरूप अवलोकन में उल्लिखित राशि की गलत गणना हुई। • विलंबित भुगतान अधिभार के कारण ₹82.40 करोड़ की छूट के संबंध में अभ्युक्ति संख्या 2 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि बकाया राशि की परिसमापन योजना को कंपनी के अध्यक्ष द्वारा मार्च 2018 में विधिवत अनुमोदित किया गया था, और इस प्रकार, इसका लेखा-जोखा भी 2022-23 के लिए प्रासंगिक नहीं था। • हरियाणा के झज्जर में तीन फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन संयंत्रों के लिए उपकरणों की आपूर्ति से संबंधित संविदा पर 2 *प्रतिशत* की दर से स्रोत पर कर की कटौती न करने के संबंध में अभ्युक्ति संख्या 3 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि आयकर अधिनियम 1961 की

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		धारा 194क्यू के अंतर्गत टीडीएस की लागू दर 0.1 *प्रतिशत* थी। • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के अंतर्गत अनिवासी पक्ष को किए गए भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती न करने के संबंध में अभ्युक्ति संख्या 4 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि जिस कंपनी को भुगतान किया गया था, वह अनिवासी नहीं थी। • फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन की संविदा, अधिक कीमत पर दिए जाने के संबंध में अभ्युक्ति संख्या 5 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि यह कार्य कंपनी द्वारा मेसर्स जीई पावर इंडिया लिमिटेड को मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जोखिम और लागत पर दिया गया था और कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 55 में संपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया गया है। • सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 6 को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद फ्लाई ऐश रिजर्व से संबंधित फ्लाई ऐश की बिक्री की राशि और एफडीआर पर ब्याज को राजस्व से फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि में गलत तरीके से स्थानांतरित करने को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि उक्त अधिसूचना में विशेष रूप से उक्त निधि को बनाए रखने को बंद करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 3 नवंबर 2009

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		की पूर्व अधिसूचना के अनुसार बनाए रखा जाना आवश्यक था। • सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 7 को, ईंधन की लागत की गणना के लिए कोयले की खपत की मात्रा से फ्लाई ऐश की बिक्री की राशि को कम न करने के कारण उच्च ऊर्जा प्रभार दर का दावा करने को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि यह सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 16 (ऊर्जा प्रभार) के अनुपालन में है। • कंपनी के लाभ और हानि विवरण के बजाय फ्लाई ऐश रिजर्व से आयकर की कटौती की त्रुटिपूर्णता के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 8 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि कंपनी निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए फ्लाई ऐश की बिक्री से उत्पन्न राजस्व से रिजर्व का निर्माण कर रही है, और तदनुसार, जब फ्लाई ऐश की बिक्री से प्राप्त आय कंपनी के राजस्व का हिस्सा नहीं रही, तो फ्लाई ऐश की बिक्री पर आयकर सहित संबंधित व्यय को कंपनी के लाभ और हानि विवरण में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। • फ्लाई ऐश उत्पादन और उसके रिसाव के रिकार्ड का रखरखाव न करने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 9 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि उत्पादित और उपयोग की गई राख की मात्रा का विवरण कोयले में राख की मात्रा के अनुमानित *प्रतिशत* के आधार पर दर्ज किया जा रहा था और कंपनी द्वारा

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		सांविधिक प्राधिकरणों अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो निगरानी प्राधिकरण हैं, को सूचित किया जा रहा था। • नोट संख्या 11 में बैंकों में सावधि जमा में फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि को अ-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के बजाय चालू परिसंपत्तियों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 10 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि संबंधित सावधि जमा की मूल परिपक्वता अवधि 12 महीने तक थी। • कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए किए गए ₹23.68 करोड़ के व्यय की वास्तविकता के सत्यापन के लिए उचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 11 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि कंपनी ने उपयोगिता प्रमाण पत्रों के साथ ₹23.68 करोड़ के व्यय का पूरा विवरण प्रदान किया है। • 31 मार्च 2020 तक निर्धारित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व देयता की अप्रयुक्त राशि को निगम के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंड में स्थानांतरित न करने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 12 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि ऐसी आवश्यकता को कंपनी अधिनियम, 2013 की

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		धारा 135 (5) और 135 (6) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू किया गया था। • कंपनी द्वारा किसी चालू निगम के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) परियोजना के बिना कर्मचारियों से संबंधित खर्चों की बुकिंग के कारण निगम के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय को ₹2.43 करोड़ तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 13 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से और कार्यान्वयन एजेंसियों को योगदान देकर विभिन्न निगम के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियां की थीं, और इसलिए, कंपनी के अधिकारियों की एक समर्पित टीम तैनात की गई थी, जो निगम के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत उक्त खर्चों की बुकिंग को उचित ठहराती है। • कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ निर्धारित फॉर्म एमएसएमई-I में अर्ध-वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 14 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि उक्त रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल केवल तभी दाखिल करने की अनुमति देता है जब कुछ राशि बकाया हो, जो कि उजागर किए गए मामलों में शून्य थी। • कंपनी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक को उपलब्ध कराए गए अभिलेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		(एमएसएमईडी अधिनियम) की धारा 16 के अनुसार सूक्ष्म या लघु उद्यम आपूर्तिकर्ताओं को देय ब्याज की राशि का प्रावधान न करने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 15 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि कंपनी एमएसएमई विक्रेताओं को संबंधित संविदाओं की शर्तों के अनुसार देय होने पर भुगतान कर रही थी और कंपनी को किसी भी एमएसएमई विक्रेता से ब्याज के भुगतान की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी, और तदनुसार, एमएसएमई भुगतानों पर कोई ब्याज की परिकल्पना नहीं की गई थी। • सांविधिक मानदंडों के अंतर्गत अनुमत राशि से अधिक राशि उधार लेने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 16 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि कंपनी द्वारा एसबीआई से ली गई वास्तविक ऋण राशि एसबीआई के मंजूरी आदेश के अनुरूप है और 31 मार्च 2023 तक कुल पूंजीगत व्यय के 70 *प्रतिशत* की सीमा के भीतर है। • कंपनी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक को उपलब्ध कराए गए अभिलेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि भूमि मुआवजे में वृद्धि से संबंधित अभिलेख उपलब्ध न कराने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 17 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि न्यायालयों में लंबित बढ़े हुए भूमि मुआवजे के मामलों के लिए देयता पर ब्याज के अद्यतन के कारण ही फ्रीहोल्ड भूमि में केवल ₹8.14 करोड़ की वृद्धि हुई।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		• भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में संयंत्र एवं मशीनरी के मद/घटकवार विवरण को सम्मिलित न करने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 18 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट स्वतंत्र सनदी लेखाकार की एक फर्म द्वारा तैयार की गई थी, जिसने संयंत्र एवं मशीनरी का 100 *प्रतिशत* सत्यापन कर लिया था; इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एसएपी-ईआरपी में अपना स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर बनाए रखा एवं उसे सांविधिक लेखापरीक्षक को उपलब्ध कराया गया। • सीमेंट, स्टील आदि के सूचीपत्रों में गलत प्रकटीकरण के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 21 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि स्टील एवं सीमेंट का स्टॉक स्टोर व स्पेयर्स की प्रकृति एक समान है, और इनका उपयोग विभिन्न संयंत्र, सिविल संरचनाओं और भवनों आदि की मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाता है, और तदनुसार, इन्हें भारतीय लेखांकन मानक 2 के प्रावधानों के अनुरूप सूचीपत्रों में प्रकट किया गया है। • अपने संयंत्रों में एबीसी मदों के लिए अलग से विशिष्ट और पृथक स्थान निर्धारित न करने, तथा निविदा प्रक्रिया में प्रक्रियागत चूक के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 22 और 28 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि ये अभ्युक्तियां इन्वेंट्री

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		प्रबंधन/आंतरिक नियंत्रण से संबंधित हैं तथा इनका वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है। • "न्यूनतम लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य" के लेखांकन सिद्धांत के बजाय लागत पर स्टोर एवं स्पेयर्स इन्वेंट्री के मूल्यांकन के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 23 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि कंपनी विनियामक वातावरण में परिचालन कर रही है और सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, ईंधन और अन्य इन्वेंट्री मदों की लागत मौजूदा टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूल की जाती है, और तदनुसार, इन्वेंट्री का वसूली योग्य मूल्य लागत से कम नहीं है; और उक्त तथ्य को वित्तीय विवरणों के नोट 8(डी) में भी बताया गया है। • फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन संयंत्रों के संबंध में हित के गलत पूंजीकरण के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 24 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन संयंत्रों का कार्य प्रगति पर था और न तो इसे निलंबित किया गया था और न ही इसके इच्छित उपयोग के लिए अर्हक परिसंपत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक गतिविधियां 2022-23 के दौरान पूरी हुई थीं, और इसलिए, एफजीडी संयंत्रों में ब्याज का पूंजीकरण भारतीय लेखांकन मानक 23 के प्रावधानों के अनुसार है। • संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की प्रत्येक मद के प्रत्येक भाग के लिए अलग से मूल्यह्रास को मान्यता न

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		देने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 26, जिसकी लागत पीपीई की मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार मूल्यह्रास का गलत प्रभार, क्योंकि यह मूल रूप से उक्त परिसंपत्तियों में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों पर निर्भर है, मान्य नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा सभी महत्वपूर्ण भागों/घटकों को भारतीय लेखांकन मानक 16 के प्रावधानों के अनुसार अलग लाइन आइटम के रूप में पूंजीकृत किया गया; तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में कहा गया है कि संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित नियामक प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किसी विशिष्ट परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन या अवशिष्ट मूल्य, इस अनुसूची की आवश्यकताओं पर ध्यान दिए बिना ऐसी परिसंपत्ति के लिए प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास की गणना में लागू किया जाएगा। • स्पेयर पार्ट्स की खरीद की तारीख, उपयोग की तारीख, मूल लागत, लिखित मूल्य आदि जैसे विवरण प्रदान न करने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 27, जो पहले की अवधि में पूंजीकृत थे, जो पहले की अवधि में पूंजीकृत थे, उन्हें रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष में स्पेयर पार्ट्स के पूंजीकरण के आधार पर प्रतिस्थापित किया गया था, और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त पूंजीकरण को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि कंपनी ने एसएपी-

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियाँ
		ईआरपी में अचल परिसंपत्तियों का रजिस्टर बनाए रखा एवं इसे सांविधिक लेखापरीक्षक को प्रदान किया गया; वर्ष के दौरान पूंजीगत स्पेयर सहित संयंत्र और मशीनरी में शुद्ध वृद्धि ₹40.22 करोड़ थी। • विलंबित भुगतान अधिभार के लिए आकस्मिक परिसंपत्तियों पर आयकर का प्रावधान न करने और उसके परिणामस्वरूप कम दर्शाए जाने के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की अभ्युक्ति संख्या 29 को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 11 में यह प्रावधान है कि ऊर्जा की बिक्री के लिए ब्याज/ विलंबित भुगतान पर अधिभार/अतिदेय व्यापार प्राप्य को तब मान्यता दी जाती है जब मापनीयता या संग्रहणीयता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है, एवं तदनुसार, वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्ति के रूप में प्रकट की गई एलपीएससी राशि को कर के लिए प्रावधान की गणना करते समय विचार करने की आवश्यकता नहीं थी।
3.	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड (2021-22)	सांविधिक लेखापरीक्षक ने 22 सितंबर 2022 की अपनी संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में कहा कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि तक लेखापरीक्षक के शुल्क पर काटे गए टीडीएस को सरकार के पास जमा करने में विफल रही। हालाँकि, उपरोक्त टिप्पणी गलत थी क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंत में कोई लंबित टीडीएस देयता नहीं थी, जिससे संशोधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी।

2.5.2 वैधानिक निगम जहां भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं

जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, उन वैधानिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे विस्तार से दी गई हैं:

<u>भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ)</u>

- पूर्व अवधि के व्यय और मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय को क्रमशः ₹9.69 करोड़ और ₹2.33 करोड़ कम दर्शाया गया तथा लाभ को निम्नलिखित कारणों से ₹12.02 करोड़ अधिक दर्शाया गया:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	मूल्यह्रास पर प्रभाव
(i)	मई 2021 में पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूंजीकरण वर्ष (2020-21) में नहीं लगाया गया तथा 2021-22 में आधी दर पर लगाया गया।	4.26
(ii)	छात्रावास आवास पर मूल्यह्रास 5 *प्रतिशत* के स्थान पर 8 *प्रतिशत* की उच्च दर से लगाया गया।	(-) 0.26
(iii)	अस्थायी परिसंपत्तियों का 100 *प्रतिशत* मूल्यह्रास नहीं किया गया।	1.17
(iv)	पूंजीकरण के वर्ष में मूल्यह्रास नहीं लगाया गया तथा कम दर पर लगाया गया।	5.83
(v)	परिसंपत्तियों के गलत वर्गीकरण के कारण कम दर पर मूल्यह्रास लगाया गया।	1.02
कुल		**12.02**

- कालीकट हवाई अड्डे पर नए अंतर्राष्ट्रीय आगमन ब्लॉक के निर्माण और संबंधित कार्यों के संबंध में मेसर्स यूआरसी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड द्वारा किए गए दावों को स्वीकार न करने के कारण ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावों की संख्या ₹23.21 करोड़ कम बताई गई।

<u>भारतीय खाद्य निगम (वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ)</u>

- अन्य विविध देनदारियों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को देय लेखापरीक्षा शुल्क के संबंध में ₹54.40 करोड़ (18 *प्रतिशत* पर जीएसटी को छोड़कर) की राशि सम्मिलित नहीं है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक के लिए खाद्य निगम अधिनियम (मई 2000 में संशोधित) की धारा 34 (2) के अनुसार देय है। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं को ₹54.40 करोड़ कम दर्शाया गया है, तथा परिणामस्वरूप अन्य व्यय (लेखापरीक्षा शुल्क) को भी उसी सीमा तक कम दर्शाया गया है।

- व्यापार देयताओं में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य विभाग (डीसीएससीए), पंजाब को देय ₹14.31 करोड़ सम्मिलित नहीं थे, जो रबी विपणन मौसम 2007-08 से 2013-14 के लिए संरक्षण एवं अनुरक्षण प्रभार के लिए राज्य खरीद एजेंसियों के दावों के कारण थे। डीसीएससीए, पंजाब ने ₹750.14 करोड़ की राशि का दावा किया, जिसमें से निगम ने ₹501.81 करोड़ की देनदारी स्वीकार की, लेकिन भारत सरकार के निर्देश के आधार पर ₹487.50 करोड़ जारी किए। पिछले वर्ष के दौरान बताए जाने के बावजूद पूरी राशि का हिसाब नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यापार देय राशि के साथ-साथ व्यय को भी ₹14.31 करोड़ कम दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडी को भी इतनी ही राशि कम दर्शाया गया।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2007-08 से लंबित (₹2,454.03 करोड़) और एमएमटीसी से 1991 से लंबित (₹61.75 करोड़) प्राप्तियों को सम्मिलित करने के कारण व्यापार प्राप्य राशि ₹2,515.78 करोड़ अधिक दर्शाई गई। चूंकि यह राशि काफी समय से लंबित थी, इसलिए इसे महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 16 (ए) के अनुसार बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य को ₹2,515.78 करोड़ से अधिक एवं व्यय को ₹2,515.78 करोड़ से कम दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 'अन्य व्यय' को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है। पिछले दो वर्षों के लेखाओं में इस बात को बताए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में दृढ़ीकृत बिस्कुट की आपूर्ति के लिए डब्ल्यूएफपी को गेहूं की आपूर्ति के लिए विदेश मंत्रालय से 17 मार्च 2023 को ₹47.99 करोड़ के लंबे समय से लंबित बकाये हेतु प्राप्त ₹44.23 करोड़ के अ-समायोजन के कारण व्यापार प्राप्य अधिक बताई गईं। इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य (एमईए) को ₹44.23 करोड़ तक अधिक बताया गया है तथा देयताओं (बिक्री के लिए ग्राहकों से जमा) को भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।

- प्रकटित लेखांकन नीति के अनुसार, निगम मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों (मई 2001) के आधार पर नकदी आधारित ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण का लेखांकन कर रहा है। नोट 16(3) में बताए अनुसार कुल देयता ₹2,632.23 करोड़ (ग्रेच्युटी के लिए ₹1,955.68 करोड़ और अवकाश नकदीकरण के लिए ₹676.65 करोड़) थी।

  लेखांकन नीति, लेखांकन मानक-15 के पैरा-61 के अनुरूप नहीं है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि किसी उद्यम को लाभ और हानि के विवरण में सेवानिवृत्ति लाभ लागत को मान्यता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखांकन नीति के चयन के लिए लेखांकन मानक-1 में दिए गए तीन प्रमुख विचारों - विवेक, स्वरूप पर सार और भौतिकता में से, निगम द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति भौतिकता की दृष्टि से सही नहीं है।

  इसके अलावा, लेखांकन मानक-1 के पैरा 23 के अनुसार, 'लेखांकन नीतियों या उनमें परिवर्तनों का खुलासा, लेखाओं में मद के गलत या अनुचित तरीके का समाधान नहीं कर सकता।' गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप व्यय और देनदारियों दोनों में ₹2,632.33 करोड़ की कमी आई है। पिछले वर्षों के लेखाओं में इस बात को बताए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- अन्य प्राप्तियों में दालों के मूल्य समर्थन योजना संचालन पर ₹27.48 करोड़ का ब्याज सम्मिलित है, मंत्रालय की मंजूरी के बिना, जिसकी लेखा आय के रूप में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप आय में ₹27.48 करोड़ की अधिक दर्शाया गया, परिणामत: प्राप्तियों में भी उतनी ही राशि को अधिक दर्शाया गया। पिछले वर्ष के लेखाओं में इस बात को बताए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- निगम ने न तो उप-उत्पादों के मूल्य को बिक्री एवं खरीद के रूप में लिया और न ही लेखाओं में इससे संबंधित कोई खुलासा किया है। उप-उत्पादों के मूल्यांकन से संबंधित मामला मंत्रालय के विचाराधीन बताया गया है, लेकिन पिछले वर्ष के लेखों में इस मुद्दे को बताए जाने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई।
- निगम ने राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए विकास उपकर के संबंध में कर विभाग के समक्ष विरोध स्वरूप ₹32.32 करोड़ जमा करा दिए हैं अनंतिम लागत पत्रक में इसका प्रावधान न होने के बावजूद भी निदेशकों की रिपोर्ट में आकस्मिक परिसंपत्तियों के रूप में इसका खुलासा नहीं किया गया, जबकि लेखांकन मानक-29 के पैरा 31 एवं 33 में ऐसा अपेक्षित है।
- आरक्षित एवं अधिशेष (नोट 2) में 1964-65 से लंबित ₹20.92 करोड़ का ऋणात्मक शेष दर्शाया गया है, जिसे लेखाओं में आगे ले जाया गया। लेकिन समायोजन/बट्टे खाते में डालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि मामला मंत्रालय में विचाराधीन है।
- ₹580.64 करोड़ के मिलिंग शुल्क को खरीद में सम्मिलित किया गया है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप में अलग लाइन मद निर्धारित किया गया है (दिसंबर 2016)।

<u>भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ)</u>

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) कलादान परियोजना के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में कार्य कर रहा है। प्राप्त पीडीसी शुल्क और उससे होने वाले व्यय आईडब्ल्यूएआई से संबंधित थे और इसलिए उन्हें आईडब्ल्यूएआई के लेखाओं में सम्मिलित किया जाना आवश्यक था। हालाँकि, वित्तीय विवरणों के नोट्स की अनुसूची 12 के नोट संख्या 12 के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक, आईडब्ल्यूएआई को विदेश मंत्रालय से ₹33.87 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें ₹29.05 करोड़ का पीडीसी शुल्क, ₹2.11 करोड़ का सेवा कर, ₹1.72 करोड़ का जीएसटी और ₹0.99 करोड़ के जलीय सर्वेक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति सम्मिलित है। 31 मार्च 2021 तक परियोजना में बैंक ब्याज सहित ₹2.83 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियां भी उत्पन्न हुई। उपरोक्त में से ₹32.02 करोड़ का व्यय किया गया। उपरोक्त नोट के तथ्य और आंकड़े लेखापरीक्षा द्वारा सुरक्षित नहीं किए

जा सकते क्योंकि आईडब्ल्यूएआई ने वर्ष 2021-22 के लिए कलादान परियोजना की अलग-अलग लेखा बही तैयार की थीं तथा वर्ष 2021-22 के लिए आईडब्ल्यूएआई के वित्तीय विवरणों में उपरोक्त परियोजना के लेनदेन का कोई प्रभाव सम्मिलित नहीं किया गया था।

यह मुद्दा पिछले वर्षों में भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था, लेकिन आईडब्ल्यूएआई द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

<u>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ)</u>

- अनुरक्षण अनुदान और राजमार्गों के रखरखाव पर किए गए व्यय को लाभ और हानि खाते के बजाय पूंजीगत खाते में समायोजित करने के कारण, वर्ष के लिए हानि के साथ-साथ शेयरधारक पूंजीगत-निधि को ₹1,698.45 करोड़ कम दर्शाया गया। यह मुद्दा पहले भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था; हालांकि एनएचएआई द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

- शेयरधारक की पूंजीगत-निधि में 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना परियोजना (पी) लिमिटेड से एनएचएआई द्वारा प्राप्त आईएनवीआईटी परियोजनाओं से प्राप्त ₹7,350.40 करोड़ सम्मिलित थे। एनएचएआई की लेखांकन नीति संख्या 11 के अनुसार, 'टोल राजस्व, साझा राजस्व, ऋणात्मक अनुदान, टोल प्रचालन और हस्तांतरण (टीओटी)/आईएनवीआईटी आय और उस पर अर्जित ब्याज की राशि वास्तविक आधार पर भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा की जाती है।' हालाँकि, अपनी लेखांकन नीति के विपरीत, एनएचएआई ने आईएनवीआईटी से प्राप्त आय को सीएफआई को भेजे बिना ही पूंजी में जोड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप पूंजी को ₹7,350.40 करोड़ अधिक तथा भारत सरकार को देय चालू देयताओं को ₹7,350.40 करोड़ कम दर्शाया गया।

- शेयरधारकों की पूंजीगत-निधि में ₹127.10 करोड़ की हानि सम्मिलित थी, जो एनएचएआई को मुरादाबाद टोल रोड कंपनी लिमिटेड (एनएचएआई की एक सहायक कंपनी) के समापन पर हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप एनएचएआई अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत पूंजी में कमी आई थी। निवेशों के लिए लेखांकन पर एएस-13 के पैरा 34 के अनुसार, 'किसी निवेश के निपटान पर, अग्रणीत राशि और शुद्ध

निपटान आय के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित या जमा किया जाना चाहिए।'

हालांकि, एनएचएआई ने लाभ और हानि खाते के माध्यम से निवेश के निपटान पर नुकसान को दर्शाते हुए, लाभ और हानि खाते पर कोई प्रभाव डाले बिना, धारा 17 के अंतर्गत नुकसान की राशि को सीधे पूंजी में स्थानांतरित कर दिया, जो लेखांकन मानक-13 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप इस अवधि के लिए पूंजी तथा हानि को ₹127.10 करोड़ कम दर्शाया गया।

- शेयरधारक पूंजीगत-निधि में ₹55.05 करोड़ सम्मिलित नहीं थे, जो कि एनएचएआई द्वारा भारत सरकार से प्राप्त टोल राजस्व के पुनर्भुगतान से काटी गई राशि थी, जो इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह और टोल प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल संग्रह के लिए पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण की लागत के कारण थी। चूंकि यह व्यय पूंजीगत प्रकृति का है, इसलिए इसे लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की ओर से रखी गई पूंजी और परिसंपत्तियों को ₹55.05 करोड़ कम दर्शाया गया है।
- 31 मार्च 2022 तक एनएचएआई द्वारा विभिन्न ऋणों के लिए ₹3,48,907.24 करोड़ की राशि देय थी। हालांकि, अपने स्वयं के नियमों के विपरीत, एनएचएआई ने तीस वर्षों के भीतर अपने दीर्घकालिक उधारों को समाप्त करने के लिए एक आरक्षित निधि नहीं बनाई, जबकि पिछले वर्षों में एनएचएआई के लेखाओं पर इसी प्रकार की टिप्पणी की गई थी।
- पूंजी रिजर्व के रूप में ₹7,671.80 करोड़ की राशि को 'भारत सरकार की ओर से रखी गई संपत्तियों' के विरुद्ध स्थानांतरित और समायोजित/घटाया गया। इसके परिणामस्वरूप 'रिजर्व और अधिशेष' और 'भारत सरकार की ओर से रखी गई संपत्तियों' को ₹7,671.80 करोड़ कम दर्शाया गया है। यह मुद्दा पिछले वर्षों में भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
- एनएचएआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹2,109.25 करोड़ की अप्रयुक्त पूंजी पर ब्याज अर्जित किया। तथापि, एनएचएआई को जारी सहायता अनुदान या

अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) पर अर्जित ब्याज भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा नहीं किया गया था, जो जीएफआर 2017 का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयता (भारत सरकार की समेकित निधि को देय) को कम दर्शाया गया तथा वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज की सीमा तक भारत सरकार की ओर से रखी गई परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया। इसके अलावा, 2017-18 से 2020-21 तक प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का मिलान नहीं किया गया है और उसे सीएफआई में जमा नहीं किया गया है। यह मुद्दा पिछले वर्षों में भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था, तथापि प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- भारत सरकार की ओर से रखी गई परिसंपत्तियों को सात विशेष उद्देश्य वाहन कंपनियों और एक सहयोगी को वितरित ऋण राशि पर वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज के ₹137.62 करोड़ की कटौती के बाद दिखाया गया है। यह ब्याज आय की प्रकृति का है और इसे लाभ-हानि खाते में एनएचएआई की आय के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों और वर्ष के लिए आय को ₹137.62 करोड़ कम दर्शाया गया है।

- भारत सरकार की ओर से रखी गई परिसंपत्तियों में वर्ष 2021-22 के दौरान संचालन और रखरखाव परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र अभियंता को भुगतान किए गए परामर्श शुल्क के रूप में ₹30.40 करोड़ सम्मिलित हैं। चूंकि यह व्यय राजस्व प्रकृति का है, इसलिए इसे राजमार्गों के रखरखाव पर व्यय - पर्यवेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया है तथा राजमार्गों के रखरखाव पर व्यय को ₹30.40 करोड़ कम दर्शाया गया है।

- चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों में ₹11,176.68 करोड़ सम्मिलित हैं, जो विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, एनएचएआई द्वारा विभिन्न राज्य सरकार की एजेंसियों को किए गए भुगतान के कारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से वसूल की जाने वाली राशि है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से इन वसूली योग्य राशियों को पूरा करने से इनकार कर दिया (जून 2018) तथा स्पष्ट किया

कि ऐसी वसूली योग्य राशियों के लिए एनएचएआई को कोई अलग से धनराशि जारी नहीं की जाएगी तथा इसकी पूर्ति एनएचएआई को अपने समग्र संसाधनों से करनी होगी। फिर भी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से कोई आश्वासन प्राप्त नहीं होने के बावजूद ये वसूली योग्य राशि एनएचएआई की बही में दिखाई दे रही है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिम को ₹11,176.68 करोड़ अधिक दर्शाया गया है तथा संचित घाटे को भी इतनी ही राशि कम दर्शाया गया है। यह मुद्दा लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी उठाया गया था। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

- चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में एनएचएआई द्वारा अपनी दो सहायक कंपनियों को ऋण के रूप में वितरित ₹277.83 करोड़ की राशि सम्मिलित है। 2018-19 के दौरान इन सहायक कंपनियों को बंद करने के लिए एनएचएआई बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी और एनएचएआई द्वारा इन दोनों सहायक कंपनियों में पूरे निवेश के मूल्य में कमी के लिए पहले से किए जा रहे प्रावधान को देखते हुए, एनएचएआई की बही में ₹277.83 करोड़ के ऋण का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिम को अधिक दर्शाया गया तथा हानि को ₹277.83 करोड़ कम दर्शाया गया। यह मुद्दा लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी उठाया गया था। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

- चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निष्पादन के लिए डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड से प्राप्त अग्रिम राशि ₹1,786.20 करोड़ सम्मिलित है। चूंकि यह राशि अग्रिम रूप से प्राप्त हुई है तथा इसके विरुद्ध कार्य अभी निष्पादित होना है, इसलिए इसे चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम के अंतर्गत डीएमई से वसूली योग्य के बजाय चालू देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, चालू देयताएं ₹1,786.20 करोड़ कम दर्शाई गई हैं तथा चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम, समान राशि से अधिक दर्शाई गई।

- चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में ₹501.83 करोड की राशि सम्मिलित नहीं थी, जो 31 मार्च 2022 तक विभिन्न रियायतग्राहियों/संविदाकारों से वसूली योग्य थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	राशि *(₹ करोड़ में)*
1	स्वतंत्र अभियंता का परामर्श शुल्क रियायतग्राहियों से वसूल किया जाएगा	22.60
2	प्रीमियम भुगतान के कारण मेसर्स लुधियाना तलवंडी टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड से वसूली योग्य	2.14
3	मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड, दातार सिक्योरिटी सर्विस ग्रुप और रंचोर इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टोल का कम भुगतान।	14.59
4	विभिन्न संविदात्मक दायित्वों के कारण रियायतग्राही से वसूली योग्य क्षतिपूर्ति मेसर्स एचसीसी से वसूली योग्य	423.80
5	संविदकरों को प्रदान की गई सुविधा, अग्रिम मोबिलाइजेशन/ वन टाइम फंड इन्फ्यूजन स्कीम के कारण ब्याज की बुकिंग न करना	36.09
6	फास्टैग पर संविदकरों/ रियायतग्राहियों द्वारा वसूले गए दोहरे जुर्माने का भुगतान न करना।	2.01
	कुल	**501.83**

इस प्रकार, 'वसूली योग्य दावों' में ₹501.83 करोड़ की राशि को सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप 'वसूली योग्य दावों' के साथ-साथ 'भारत सरकार की ओर से रखी गई परिसंपत्तियों' को ₹22.6 करोड़ और चालू देनदारियों (भारत सरकार को देय) को ₹479.23 करोड़ कम दर्शाया गया।

- विदेश मंत्रालय से प्राप्त ₹528.95 करोड़ की राशि में से कलेवा यार्गी सड़क परियोजना पर खर्च की गई राशि ₹437.87 करोड़ का समायोजन न किए जाने के

परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों को ₹437.87 करोड़ से अधिक दर्शाया गया तथा चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को ₹437.87 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। यह मुद्दा पिछले वर्ष भी उठाया गया था। हालांकि, प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

- इसके अलावा, उपरोक्त समझौते की शर्तों के अनुसार, एनएचएआई को अनुमानित लागत या निविदा लागत का छः *प्रतिशत*, जो भी कम हो, पारिश्रमिक प्राप्त करना था। एनएचएआई ने मार्च 2022 तक परियोजना के लिए ₹437.87 करोड़ का परियोजना व्यय किया है। इस प्रकार, एनएचएआई को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) शुल्क के रूप में देय कुल पारिश्रमिक मार्च 2022 तक ₹41.05 करोड़ था। इसके लिए मंत्रालय ने मार्च 2022 तक ₹22.25 करोड़ जारी किए तथा मंत्रालय से ₹18.80 करोड़ वसूल किए जाने हैं। इसके परिणामस्वरूप आय में ₹41.05 करोड़ की कमी, चालू देनदारियों में ₹22.25 करोड़ की अधिकता तथा चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों में ₹18.80 करोड़ की कमी दर्शाई गई है।

  यह मुद्दा पिछले वर्ष भी उठाया गया था, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

- चालू देनदारियों और प्रावधानों में ₹336.06 करोड़ सम्मिलित नहीं थे, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित शुल्क के 4 *प्रतिशत* के कारण देयता न होने के कारण जनवरी-मार्च 2022 के माह में मेसर्स इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को देय था। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों के साथ-साथ टोल संग्रह गतिविधियों पर व्यय को ₹336.06 करोड़ कम दर्शाया गया।

- निम्नलिखित लेखा शीर्षों में देनदारियों के अ/कम प्रावधान के कारण ₹4,982.43 करोड़ की कमी दर्शाई गई:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1	मध्यस्थता निर्णय के अनुसार 3डी अधिसूचना के मुद्दा होने के बावजूद भूमि अधिग्रहण के लिए देय मुआवजा/सीएएलए द्वारा निर्णय/ भूमि खोने वालों को देय मुआवजा/	3,455.64
2	निर्माण कार्य के संबंध में संविदकरों/रियायतग्राहियों को देय राशि	313.47
3	संविदाकार/रियायतग्राही/ उपयोगिता विभाग को उपयोगिता स्थानांतरण/पेड़ काटने के लिए देय राशि	34.27
4	डीपीआर तैयारियों के संबंध में सलाहकारों को देय राशि	0.58
5	पर्यवेक्षण/अन्य परामर्श के लिए देय राशि	45.40
6	रियायतग्राही/संविदाकारों द्वारा विलंबित भुगतान पर टोल/ब्याज के कम प्रेषण के संबंध में भारत सरकार को देय राशि	44.35
7	भारत सरकार को देय जुर्माने के संबंध में भारत सरकार को देय राशि	31.99
8	किए गए रखरखाव कार्य के लिए संविदाकारों को देय राशि	61.55
9	पूंजी आरक्षित राशि	70.03
10	सीडब्ल्यूआईपी जीएसटी-कानून में परिवर्तन के कारण देय राशि	6.92
11	टोल संग्रहण गतिविधियों पर व्यय	6.33
12	हाईवे नेस्ट मिनी पर व्यय	1.79
13	मोबिलाइजेशन अग्रिम और अन्य जमाराशियों पर ब्याज के लिए भारत सरकार को देय राशि	33.04
14	बोनस/वार्षिकी भुगतान के कारण संविदाकार/रियायतग्राही को देय राशि	866.86
15	सीडब्ल्यूआईपी बिल्डिंग	0.81
16	हरित पट्टी राजमार्ग विकास पर व्यय कम दर्शाना	2.10
17	सीएएलए को देय 1% प्रशासनिक शुल्क का अ- प्रावधान न होना	0.18
18	सड़क सुरक्षा के लिए व्यय का प्रावधान न होना	7.12
	कुल	**4,982.43**

इसके परिणामस्वरूप 'भारत सरकार की ओर से रखी गई परिसंपत्तियों' में ₹4757.17 करोड़, वसूली योग्य दावों में ₹146.37 करोड़, टोल संग्रहण गतिविधियों पर व्यय में ₹78.89 करोड़ की कमी दर्शाई गई।

- देनदारियों के अधिक प्रावधान के कारण निम्नलिखित लेखा शीर्ष में ₹47.78 करोड़ की वृद्धि दर्शाई गई।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1	सिविल कार्य	41.13
2	अर्द्ध-वार्षिकी	6.65
	कुल	**47.78**

इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों (पूर्ण/चल रही) को ₹47.78 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

- चालू देयताओं एवं प्रावधानों में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे कंपनी लिमिटेड, नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (पूर्व में कोचीन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड) के संबंध में ₹370.75 करोड़ के निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। खातों के अनुमोदित प्रारूप के विपरीत, 'चालू देयताएं एवं प्रावधान' शीर्षक के अंतर्गत प्रावधान को अलग से दर्शाने के बजाय, उसे 2016-17 के दौरान निवेश के विरुद्ध समायोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के विपरीत, उस वर्ष लाभ एवं हानि खाते से प्रावधान बनाने के बजाय, उसे पूंजीगत खाते से बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप निवेश को कम दर्शाया गया, चालू देनदारियों और प्रावधान को कम दर्शाया गया, घाटे को कम दर्शाया गया एवं पूंजीगत खाते को ₹370.75 करोड़ कम दर्शाया गया। यह मुद्दा पिछले वर्ष भी उठाया गया था। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

- अन्य आय में चालू वर्ष के लिए एजेंसी प्रभार के रूप में ₹1,313.37 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं थी, जिसका लेखा बहियों में हिसाब नहीं था। लेखा बहियों में एजेंसी प्रभारों का लेखा न रखने के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में आय को कम दर्शाया गया, हानि को अधिक दर्शाया गया तथा चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को

₹1,313.37 करोड़ कम दर्शाया गया। यह मुद्दा पिछले वर्ष भी उठाया गया था, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

- पूर्व अवधि की मदों में ₹4,379.73 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं थी, जो एजेंसी शुल्क थी, जिसके लिए एनएचएआई द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर चालान नहीं बनाए गए थे और 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए लेखा बहियों में इसका हिसाब नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि की आय को कम करके दिखाया गया, संचित घाटे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया तथा चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को ₹4,379.73 करोड़ कम करके दिखाया गया। यह मुद्दा पिछले वर्ष भी उठाया गया था। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- नेशनल हाईवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड के शेयरों की एनएचआईटी की इकाइयों के साथ ₹101.52 करोड़ की अदला-बदली, बिना किसी नकदी प्रवाह/बहिर्प्रवाह के, नकदी प्रवाह विवरण में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए थी।
- विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित संविदाकार/रियायतग्राहियों द्वारा किए गए दावों के कारण आकस्मिक देयता को ₹12,912 करोड़ कम करके दिखाया गया है। इस प्रकार, आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण से संबंधित नोट संख्या 27 उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण था।
- वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स में लेखांकन मानक-29 के पैरा 66 की आवश्यकता के अनुरूप करों, ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन और अन्य के लिए किए गए प्रावधानों के संबंध में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया।
- उधार-सावधि ऋण से संबंधित नोट 9(एफ) में कहा गया है कि एनएचएआई ने वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों से ₹54,000 करोड़ का सावधि ऋण लिया है और वर्ष के दौरान ₹18,571.43 करोड़ के सावधि ऋण चुकाए गए हैं। हालाँकि, बहीखाते के अनुसार, वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा जुटाए गए कुल सावधि ऋण ₹59,000 करोड़ थे और वर्ष के दौरान चुकाए गए सावधि ऋण की कुल राशि ₹23,571.43 करोड़ थी। इसलिए, उपरोक्त नोट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण था।

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एनएचएआई को अप्रत्याशित परिस्थितियों (कोविड के कारण) के कारण ₹232.36 करोड़ का अनुमानित हानि हुई। हालांकि, लेखाओं में इस बारे में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया।

2.6 लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित, केंद्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 5, 7 एवं 9 से 29 निर्धारित किए हैं। इनके अलावा, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के माध्यम से 40 भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अधिसूचित किया है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा रहा है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने रिपोर्ट दी कि ***अनुलग्नक XIV*** में वर्णित 19 सीपीएसई ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान, सीएजी ने यह भी पाया कि कुछ सीपीएसई ने लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया था, जिसकी रिपोर्ट उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा नहीं दी गई थी, जैसा कि तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: लेखांकन मानकों/ इंड एएस का अनुपालन न करना

लेखांकन मानक/ इंड एएस		सीपीएसई का नाम	विचलन
एएस - 3	नकदी प्रवाह विवरण	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	परिचालन गतिविधि से नकदी प्रवाह के अंतर्गत ब्याज आय और लाभांश आय का प्रकटीकरण न करना
		एपीआईटीसीओ लिमिटेड	एएस 3 के पैरा 42 का अनुपालन न होना

लेखांकन मानक/ इंड एएस		सीपीएसई का नाम	विचलन
एएस-15	कर्मचारी लाभ	एपीआईटीसीओ लिमिटेड	कर्मचारी लाभों का अपर्याप्त प्रकटीकरण
एएस - 29	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	पुराने प्रावधानों की समीक्षा न करना
इंड एएस-1	वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (2021-22)	कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण किए हैं, जिनका ग्राहक से अग्रिम (₹12.55 करोड़) और सुरक्षा जमा (₹0.09 करोड़) के संबंध में भौतिक प्रभाव है। हालांकि, इंड एएस-1 के पैरा 40ए और 40बी के अनुसार तीन तुलन पत्र तैयार करने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया।
इंड एएस-7	नकदी प्रवाह विवरण	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (2021-22)	कंपनी ने नकदी प्रवाह विवरण में दी गई राशि का तुलन पत्र में दर्ज समतुल्य मदों के साथ मिलान नहीं दिखाया। इसलिए, नकदी प्रवाह विवरण उस सीमा तक अपूर्ण था।

लेखांकन मानक/ इंड एएस		सीपीएसई का नाम	विचलन
		कॉनकॉर एयर लिमिटेड	कंपनी ने नकदी प्रवाह विवरण, इंड एएस-7 का उल्लंघन करते हुए, 'निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह' के बजाय 'परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह' में तीन महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियों में कमी' को सम्मिलित किया, जिसकी राशि ₹1.45 करोड़ थी।
		मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	तथापि, 'नकदी और नकदी समकक्ष' में ₹2.01 करोड़ की सावधि जमा शामिल है, जिसकी परिपक्वता उसके अधिग्रहण की तारीख से 3 महीने से अधिक थी, जो कि इंड एएस-7 के पैरा 7 के अनुसार नहीं है।
		रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	नकदी और नकदी समकक्षों में ₹30.38 करोड़ के निवेश शामिल हैं जिनकी परिपक्वता उनके अधिग्रहण की तारीख से 3 महीने से अधिक है, जो कि इंड एएस-7 के पैरा 7 के अनुसार नहीं है।
इंड एएस - 12	आयकर	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	चालू वर्ष के लिए देय कर की गणना के लिए अनवशोषित हानि पर विचार किया गया था, अतः आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना करते समय इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि 31 मार्च

लेखांकन मानक/ इंड एएस		सीपीएसई का नाम	विचलन
			2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोई अनवशोषित अग्रेषित हानि नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया है तथा आस्थगित कर व्यय को ₹16.37 करोड़ कम दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, कर के बाद लाभ को भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।
इंड एएस - 16	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	तकनीकी मूल्यांकन द्वारा समर्थित न होने वाली परिसंपत्ति का भिन्न आर्थिक जीवन।
इंड एएस - 20	सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	कंपनी ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्राप्त उधार को सरकारी अनुदान नहीं माना। यह इंड एएस-20 का अनुपालन नहीं था।
इंड एएस - 36	परिसंपत्तियों की क्षति	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	सूचना के बाह्य स्रोत की उपस्थिति में भी परिसंपत्तियों के अग्रणीत मूल्य में हानि का आकलन न किया जाना।
		उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	चूंकि समर्पित कोयला ब्लॉक के अन्वेषण की लागत से कोई राशि वसूलने योग्य नहीं थी, इसलिए इसे पूंजीगत कार्य-प्रगति

लेखांकन मानक/ इंड एएस		सीपीएसई का नाम	विचलन
			के अंतर्गत शामिल करने के बजाय लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाना चाहिए था।
इंड एएस - 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	दायित्व के लिए जवाबदेही नहीं बनाई गई
		पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश (मार्च 2023) के अनुपालन में, कंपनी ने विभिन्न डिस्कॉम (दीर्घकालिक ट्रांसमिशन ग्राहकों) को ट्रांसमिशन आपूर्ति समझौते के प्रावधान के अनुसार ट्रांसमिशन सिस्टम के विलंबित कमीशनिंग के लिए ₹234.55 करोड़ के परिसमाप्त हर्जाने के भुगतान के संबंध में 07 मई 2022 के सीईआरसी आदेश को अलग रखने के बारे में आगे की सुनवाई के लिए परिसमाप्त हर्जाने के रूप में ₹110.04 करोड़ की राशि का भुगतान (मार्च 2023) किया। हालांकि कंपनी ने नोट 49 में खुलासा किया कि प्रावधान में से ₹110.04 करोड़ का भुगतान किया गया है, लेकिन उक्त नोट 49 के विपरीत इंड एएस - 37 के पैरा 14 का अनुपालन न करते हुए, न केवल पहले से भुगतान की गई उपरोक्त राशि के लिए प्रावधान बनाए रखा, बल्कि

लेखांकन मानक/ इंड एएस		सीपीएसई का नाम	विचलन
			'अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों' के अंतर्गत उक्त राशि के साथ एक चालू परिसंपत्ति भी बनाई। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों' और 'प्रावधानों' में ₹110.04 करोड़ प्रत्येक को अधिक दर्शाया गया।
इंड एएस - 38	अमूर्त संपत्ति	भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड	इंड एएस - 38 के पैरा 66 के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज और डी एंड जी प्रभार सीधे तौर पर परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए, इसे इंड एएस - 38 के पैरा 68 के अनुसार 'व्यय' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी और इसे 'अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों' के अंतर्गत दिखाए जाने के बजाय लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाना चाहिए था।
इंड एएस - 109	वित्तीय दस्तावेज	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्राप्त ₹5,381 करोड़ की उधारी को इंड एएस-109 के अनुसार उचित मूल्य पर मान्यता देने एवं मापे जाने की आवश्यकता है।

लेखांकन मानक/ इंड एएस		सीपीएसई का नाम	विचलन
इंड एएस - 115	ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व	झाबुआ पावर लिमिटेड	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने कंपनी से अतिरिक्त बिजली खरीदी। परिचालन से प्राप्त राजस्व में केएसईबी को ₹681.99 करोड़ की बिजली की बिक्री शामिल है। इसका हिसाब कंपनी द्वारा बोली के माध्यम से निर्धारित टैरिफ दरों के आधार पर लगाया गया। इस टैरिफ को केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और राज्य के लिए अतिरिक्त आवश्यक बिजली की खरीद के लिए ₹4.00 प्रति यूनिट की टैरिफ की अनुमति दी गई थी। इंड एएस - 115 के अनुपालन में, राजस्व को केवल अनुमोदित अनुबंध पर ही दर्ज किया जाना है। इंड एएस - 115 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप उच्च राजस्व की मान्यता प्राप्त हुई है।

2.7 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा का एक उद्देश्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षक और निगमित इकाई के प्रशासन की जिम्मेदारी वाले व्यक्तियों के बीच संचार स्थापित करना है।

सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में दर्ज किया गया था। इन

टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय प्रतिवेदनों या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सीएजी द्वारा देखी गई अनियमितताओं या विसंगतियों को भी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित किया गया। ये विसंगतियां आम तौर पर निम्नलिखित से संबंधित हैं

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का अनुप्रयोग और व्याख्या,
- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है और
- कुछ जानकारी का अपर्याप्त या अप्रकटीकरण, जिसके संबंध में संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष 2022-2023 के लिए जारी प्रबंधन पत्रों के आधार पर, सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों को ***अनुलग्नक-XV*** में रेखांकित किया गया है।

वर्ष के दौरान, सीएजी ने 266 सीपीएसई को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए ***(अनुलग्नक-XVI)***।

अध्याय III

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

अध्याय 3

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

3.1 परिचय

कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रथाओं का अनुप्रयोग है, जो कानूनों का सही अर्थ और भावना में पालन करने, प्रभावी प्रबंधन और संपत्ति के वितरण के लिए नैतिक मानकों का पालन करने और सभी हितधारकों के सतत विकास के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने पर आधारित है।

कई केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) और वैधानिक निगम सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिनके शेयर और/या बांड/डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं। सीपीएसई को अधिक स्वायत्तता देने की सरकार की नीति के संदर्भ में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ गया है। महारत्न योजना के अंतर्गत, सीपीएसई से अपनी गतिविधियों का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गज बनने की अपेक्षा की जाती है, जिसके लिए प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनिवार्य हो गया है।

3.1.1 कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नियंत्रित करने वाले प्रावधान

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पहल के लिए भारत में कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रमुख नियामक संस्थाएं हैं। सेबी भारत में सूचीबद्ध कंपनियों/वैधानिक निगमों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निगरानी और नियमन करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित नियामक प्रावधान मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम 2013, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015, सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी मार्गदर्शन से कवर होते हैं, जिनका नीचे वर्णन किया गया है:

3.1.1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

29 अगस्त, 2013 को लागू हुआ, कंपनी अधिनियम, 2013 से कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों के प्रबंधन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यताएँ, बोर्ड की बैठकों और उसकी शक्तियों पर कंपनी नियम 2014 भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया है। कंपनी

अधिनियम, 2013 और कंपनियों के नियम मिलकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। आवश्यकताओं में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित का प्रावधान हैं:

- स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं, उनके कर्तव्य और पेशेवर आचरण के लिए दिशा-निर्देश {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और (8) तथा अनुसूची IV को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यताएँ) नियम, 2014 की धारा 5 के साथ पढ़ें}।
- सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {धारा 149(1)}।
- कुछ समितियों की अनिवार्य स्थापना जैसे कि लेखापरीक्षा समिति {धारा 177(1)}, नामांकन और पारिश्रमिक समिति {धारा 178 (1)} और हितधारक संबंध समिति {धारा 178 (5)}
- निदेशक मंडल की न्यूनतम चार बैठकें हर वर्ष आयोजित करना जिसमे कि दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो {धारा 173(1)}।

3.1.1.2 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015

सेबी ने 02 सितंबर 2015 को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया, जो 01 दिसम्बर 2015 से प्रभावी हुआ। मार्च 2023 तक, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2023 [अंतिम बार 07 फरवरी, 2023 को संशोधित] अधिसूचित किया गया, जिसको इस रिपोर्ट में ध्यान में रखा गया है।

विनियम 16 से 27 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत शेयरों और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों[45] के लिए और अन्य प्रासंगिक एवं संशोधित प्रावधानों में विनियम 50 से 62 में केवल गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार, सेबी के दिशा निर्देश सीपीएसई में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अच्छी प्रथाओं को संस्थागत बनाने में मदद करते हैं।

---

[45] ***गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का अर्थ है ऋण प्रतिभूतियां, गैर-परिवर्तनीय मोचनीय अधिमान्य शेयर, शाश्वत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर, शाश्वत ऋण उपकरण और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिभूतियां। इसके अलावा, 31 मार्च, 2024 तक विनियम 16 से 27 'अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें' के आधार पर हैं और उसके बाद उच्च मूल्य वाले ऋण सूचीबद्ध इकाई के लिए अनिवार्य आधार पर हैं। इस प्रकार, चूंकि उच्च मूल्य वाले ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए विनियम 16 से 27 अनिवार्य नहीं हैं, इसलिए गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए विनियम 16 से 27 के अनुपालन पर विचार नहीं किया गया है।***

3.1.1.3 सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) नियमन, 2021

यह नियम 16 अगस्त 2021 से प्रभावी हुआ और सीपीएसई में गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के लिए निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अच्छी प्रथाओं को स्थापित करने के लिए संस्थान को सक्षम बनाता है।

3.1.1.4 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशा निर्देश

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने नवंबर 1992 में निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों को शामिल करने के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश जारी किए। सीपीएसई के कार्यों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, केंद्र सरकार ने सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश (जून 2007) आरंभ किया। प्रारंभ में, ये दिशा निर्देश स्वैच्छिक थे और एक वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए लागू किए गए थे। इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, डीपीई दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया और मई 2010 में फिर से जारी किया गया, जिसे अनिवार्य बना दिया गया और सभी सीपीएसई पर लागू कर दिया गया। डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निदेशक मंडल की संरचना, लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति जैसी बोर्ड समितियों की संरचना और कार्य, सहायक कंपनियों के विवरण, प्रकटीकरण, रिपोर्ट और कार्यान्वयन के लिए अनुसूचिया जैसे शामिल है। डीपीई ने 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस' को सभी सीपीएसई के समझौता ज्ञापन (एमओयू) में एक निष्पादन मापदंड के रूप में भी शामिल किया।

इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियम और डीपीई दिशानिर्देश के साथ मिलकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान करते है।

3.1.2 सूचीबद्ध सीपीएसई और वैधानिक निगमों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा, जिनके शेयर, बांड और डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं

31 मार्च 2023 तक, 716 सीपीएसई (वैधानिक निगम[46] सहित), जो विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में थे और जिन्हे भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में रखा

---

[46] *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)*

गया था, इनमें से, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के बीच, 71 सीपीएसई[47], जिनके शेयर/बॉड स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे और 36 सीपीएसई/वैधानिक निगम[48] जिनके बॉड/डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे, लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए थे। 71 सूचीबद्ध सीपीएसई, जिनके शेयर/बॉड सूचीबद्ध थे, की सूची ***अनुलग्नक-XVII*** में दी गई है और 36 सीपीएसई/वैधानिक निगमों, जिनके बॉड/डिबेंचर सूचीबद्ध थे, की सूची ***अनुलग्नक-XVIII*** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त में से, 20 सीपीएसई ऐसे हैं जिनके शेयर और बॉड/डिबेंचर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध थे, जैसा कि ***अनुलग्नक-XIX*** में दिया गया है।

जिन सीपीएसई के शेयर/शेयर और बॉड दोनों 31 मार्च, 2023 तक विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे, उन सीपीएसई द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन में देखे गए मुद्दे मूल्यांकन ढांचे अध्याय ए में दर्शाये गए हैं और जिन सीपीएसई/वैधानिक निगमों के बॉड /डिबेंचर 31 मार्च 2023 तक विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे, उनके द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन में देखे गए मुद्दे मूल्यांकन ढांचे अध्याय बी में दर्शाये गए हैं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मसौदा अध्याय सीपीएसई/वैधानिक निगमों के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और सार्वजनिक उद्यम विभाग को क्रमशः 29 अक्टूबर, 2024 और 21 मार्च, 2025 को जारी किया गया था। 24 फरवरी**,** 2025 तक 40 सीपीएसई/वैधानिक निगमों के 16 मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त हुए हैं और इस अध्याय में उन पर विचार किया गया है।

---

[47] ***31 मार्च 2023 तक, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से एक सीपीएसई यानी भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल) का ऑडिट नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन ने सीपीएसई /प्रशासनिक विभाग के साथ निरंतर संपर्क के बावजूद अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।***

[48] ***इसमें चार वैधानिक निगम शामिल हैं, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारतीय खाद्य निगम, जिनके बांड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।***

भाग क

सीपीएसई जिनके शेयर/शेयर और बॉन्ड दोनों 31 मार्च, 2023 तक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे

3.2 निदेशक मंडल

3.2.1 निदेशक मंडल में गैर-कार्यकारी निदेशक

निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) नियम, 2015 के विनियमन 17 (1) (ए) में कहा गया है कि सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का उचित संयोजन होना चाहिए, जिसमें निदेशक मंडल के कम से कम 50 *प्रतिशत* निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से यह पता चला कि 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 68 सीपीएसई में गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या (कुल बोर्ड क्षमता का कम से कम 50 *प्रतिशत*) थी, जबकि तालिका 3.1 में सूचीबद्ध तीन सीपीएसई इस आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे।

तालिका 3.1: सीपीएसई जिनमें गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निदेशक मंडल में कुल निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में कुल कार्यकारी निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में कुल गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में वास्तविक गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	कमी (*प्रतिशत* में)	वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-अनुपालन की अवधि
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	9	5	5	4	1(20)	मार्च
2	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	9	5	5	4	1 (20)	फरवरी से मार्च

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निदेशक मंडल में कुल निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में कुल कार्यकारी निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में कुल गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में वास्तविक गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	कमी (*प्रतिशत* में)	वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-अनुपालन की अवधि
3	एमएमटीसी लिमिटेड	9	5	5	4	1 (20)	अप्रैल से अगस्त तथा अक्टूबर से जनवरी
		7	5	5	2	3 (60)	फरवरी
		8	5	5	3	2 (40)	मार्च

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से तीन (चार *प्रतिशत*) सूचीबद्ध सीपीएसई में, वर्ष 2022-23 के दौरान एक महीने से लेकर 11 महीने तक की अवधि के लिए आवश्यक संख्या में गैर-कार्यकारी निदेशक बोर्ड में नहीं थे। कमी का *प्रतिशत* 20 से 60 *प्रतिशत* के बीच था।

भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (क्रम संख्या 1) से संबंधित अवलोकन के लिए अपने उत्तर (जनवरी 2025) में कहा कि लेखापरीक्षा निष्कर्ष को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है और मंत्रालय गैर-कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए पहले से ही डीपीई के साथ परामर्श कर रहा है।

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

3.2.2.1 प्रबंधन के निर्णय पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति, को शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के साधन के रूप में माना जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति

एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) और डीपीई दिशा निर्देश के पैरा 3.1.4 के अनुसार, जहां बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी निदेशक है, वहां बोर्ड का कम से कम एक तिहाई हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से युक्त होना चाहिए और यदि अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है, तो बोर्ड में कम से कम आधा हिस्सा स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। बशर्ते कि जहां नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध संस्था का प्रमोटर है या बोर्ड स्तर पर या निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे प्रबंधन पद पर आसीन किसी प्रमोटर या व्यक्ति से संबंधित है, सूचीबद्ध संस्था के निदेशक मंडल में कम से कम आधा हिस्सा सदस्य स्वतंत्र निदेशकों से मिलकर बने होंगे। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियमन 16(1)(बी) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ सूचीबद्ध इकाई के नामित निदेशक के अलावा एक गैर-कार्यकारी निदेशक होगा।

निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि 71 में से 46 (65 *प्रतिशत*) सूचीबद्ध सीपीएसई ***(अनुलग्नक XX)*** में वर्ष 2022-23 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में नहीं थे। कमी का *प्रतिशत* 11 से 100 *प्रतिशत* के बीच था। इसके अलावा, कमी की अवधि एक से बारह महीने के बीच थी।

भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (क्रम संख्या 21), एचएमटी लिमिटेड (क्रम संख्या 14) और एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (क्रम संख्या 31) से संबंधित अवलोकनों के लिए अपने उत्तर (जनवरी 2025) में कहा कि लेखापरीक्षा निष्कर्ष को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है और मंत्रालय स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पहले से ही डीपीई के साथ परामर्श कर रहा है।

3.2.2.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (5) (बी) में यह निर्धारित किया गया है कि निदेशक मंडल को स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित आचार संहिता में शामिल करना चाहिए। हालांकि, तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसई के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित आचार संहिता में कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया।

तालिका 3.2: सीपीएसई जहां आचार संहिता में स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	दि स्टेट ट्रैडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
3	आईएफसीआई लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से तीन (चार *प्रतिशत*) सूचीबद्ध सीपीएसई ने अपने निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित आचार संहिता में कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल नहीं किया है।

3.2.3 महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) (ए) में निर्धारित किया गया है कि सूचीबद्ध संस्था के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। सेबी नियमन, 2015 में यह भी कहा गया है कि शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक होनी चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.3 और 3.4 में सूचीबद्ध सीपीएसई के निदेशक मंडल में 2022-23 के दौरान महिला निदेशक और महिला स्वतंत्र निदेशक की कमी थी।

तालिका 3.3: वर्ष 2022-23 के दौरान सूचीबद्ध सीपीएसई जिनके बोर्ड में महिला निदेशक नहीं हैं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन न करने की अवधि
1	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	जून से मार्च
2	रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल और अक्टूबर से मार्च
3	बीईएमएल लिमिटेड	फरवरी से मार्च
4	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
5	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	जुलाई से मार्च
6	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जून से मार्च

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से छह (8 *प्रतिशत*) के निदेशक मण्डल में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.4: शीर्ष 1,000 कंपनियों में सूचीबद्ध सीपीएसई जिनके निदेशक मण्डल में महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन न करने की अवधि
1	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	जून से मार्च
2	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
3	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
4	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
5	एचएमटी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
6	बीईएमएल लिमिटेड	फरवरी से मार्च
7	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नवंबर से मार्च
8	एनएमडीसी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
9	कोल इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
10	एमएमटीसी लिमिटेड	फरवरी से मार्च
11	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	अगस्त से मार्च
12	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
13	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नवंबर से मार्च

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 62 सीपीएसई मे से 13 (21 *प्रतिशत*) में, जो शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में शामिल हैं, उनके बोर्ड मे 2022-23 की पूर्ण/आंशिक अवधि के दौरान कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी।

इस्पात मंत्रालय ने एनएमडीसी लिमिटेड (क्रम संख्या 8) से संबंधित अवलोकन के लिए अपने उत्तर (जनवरी 2025) में कहा कि स्वतंत्र निदेशकों के पद को भरना एक सतत प्रक्रिया है और मंत्रालय डीपीई के परामर्श से अविलम्ब कार्रवाई कर रहा है।

3.2.4 बोर्ड में निदेशकों की न्यूनतम संख्या

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ग) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम छः निदेशक होने चाहिए। बोर्ड के निदेशकों की संरचना की समीक्षा से यह सामने आया कि तालिका 3.5 में सूचीबद्ध सीपीएसई में वर्ष 2022-23 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान उनके बोर्ड में निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

सारणी 3.5: शीर्ष 2,000 संस्थाओं में शामिल सीपीएसई जिनके बोर्ड में छः से कम निदेशक हैं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन न करने की अवधि
1	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन	अप्रैल से मार्च
2	एचएमटी लिमिटेड	फरवरी से मार्च
3	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 68 सीपीएसई मे से तीन (4 *प्रतिशत*), जो शीर्ष 2000 सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल हैं, उनके बोर्ड में छः से कम निदेशक थे।

3.2.5 निदेशक मंडल की बैठकों में कोरम

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (2) (2ए) में कहा गया है कि शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में कोरम की आवश्यकता उसकी कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई या तीन निदेशक, जो भी अधिक हो, जिसमे कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल हो, होना चाहिए। हालांकि, सीपीएसई के संबंध में जो तालिका 3.6 में उल्लिखित हैं, बोर्ड बैठकों में अपर्याप्त कोरम था।

तालिका 3.6: बोर्ड बैठकों में अपर्याप्त कोरम वाली सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं था	कमी (*प्रतिशत*)
1	एचएमटी लिमिटेड	10	2	2 (20)
2	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	4	3	3 (75)
3	आईएफसीआई लिमिटेड	7	7	7 (100)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 2022-23 के दौरान, 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से तीन (चार *प्रतिशत*) में बोर्ड की बैठक के लिए आवश्यक कोरम पूरा नहीं किया गया। कमी का *प्रतिशत* 20 से 100 *प्रतिशत* के बीच था।

3.3 निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें

3.3.1 निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की बैठक जिसमे स्वतंत्र निदेशकों को भाग लेना चाहिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (3) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और बोर्ड समिति की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिसके वे सदस्य है। तालिका 3.7 में उन स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दर्शायी गई है जिन्होंने बोर्ड और समिति की कम से कम 80 *प्रतिशत* बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.7: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड/समिति की बैठकों में कम से कम 80 *प्रतिशत* बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
1.	भारतीय सामान्य बीमा निगम	3
2.	एचएमटी लिमिटेड	1
3.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	2
4.	दि स्टेट ट्रैडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से चार (6 *प्रतिशत*) में स्वतंत्र निदेशकों ने, बोर्ड और समितियों की बैठकों मे कम से कम 80 *प्रतिशत* बैठकों में भाग नहीं लिया, जिनमें वे सदस्य थे।

3.3.2 कंपनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (5) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की सभी सामान्य बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। तालिका 3.8 में उन सूचीबद्ध सीपीएसई का उल्लेख है जिनमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र निदेशकों ने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.8: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों ने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2	भारतीय साधारण बीमा निगम
3	एचएमटी लिमिटेड
4	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
6	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
7	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
8	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9	दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, 71 सीपीएसई में से 10 (14 *प्रतिशत*) में एक या एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं थे।

3.3.3 कंपनी के स्वतंत्र निदेशक की बैठकें

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 25(3) में यह निर्धारित किया गया है कि स्वतंत्र निदेशक गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करेंगे और सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तालिका 3.9 में

उन केंद्रीय सरकारी उद्यमों का उल्लेख किया गया है जहां सभी स्वतंत्र निदेशक बैठकों में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.9: सीपीएसई जहां सभी स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों में उपस्थित नहीं होते थे

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3.	दि स्टेट ट्रैडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4.	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, 71 सीपीएसई में से चार (छह *प्रतिशत*) में सभी स्वतंत्र निदेशक गैर-स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में उपस्थित नहीं थे।

3.3.4 निदेशक मंडल की बैठकें

3.3.4.1 सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की विनियमन 17(7) और अनुसूची II के भाग ए में यह निर्धारित किया गया है कि इकाई के संचालन की समीक्षा के लिए निदेशक मंडल द्वारा आवश्यक जानकारी का विवरण प्रदान किया जाएगा। तालिका 3.10 में दर्शाए गए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में उपर्युक्त विनियमन के अनुसार निदेशक मंडल को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

तालिका 3.10: सीपीएसई जहां विस्तृत जानकारी निदेशक मंडल को प्रदान नहीं की गई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बोर्ड को जानकारी नहीं दी गई
1	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	विदेशी मुद्रा जोखिम का त्रैमासिक विवरण तथा प्रतिकूल विनिमय दर परिवर्तन के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।
2.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	• वार्षिक परिचालन योजनाएँ और बजट तथा कोई भी अद्यतन • पूंजी बजट तथा कोई भी अद्यतन

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बोर्ड को जानकारी नहीं दी गई
		• विदेशी मुद्रा जोखिम का त्रैमासिक विवरण तथा प्रतिकूल विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, 71 सीपीएसई में से दो (तीन *प्रतिशत*) में निदेशक मंडल को विस्तृत जानकारी नहीं दी गई।

3.4 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

सेबी के विनियम (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) 2015 की अनुसूची V के विनियमन 25 (7) और सी (2) (जी) में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी/उद्योग की गतिविधियों, उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी का परिचय देगी। स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर दिखाना था, इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंसवार्षिक रिपोर्ट पर अनुभाग में वेब लिंक का उल्लेख करना था।

तथापि, तालिका 3.11 में उल्लिखित सीपीएसई के संबंध में स्वतंत्र निदेशकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

तालिका 3.11: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
4.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से चार (6 *प्रतिशत*) में स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

3.5 रिक्तियों को भरने में अंतराल

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (4) में यह निर्धारित किया गया है कि यदि किसी पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पद खाली किया जाता है, तो परिणामी रिक्ति को बोर्ड की बैठक में ऐसी रिक्ति की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा भरा

जाएगा। तथापि, नीचे तालिका 3.12 में सूचीबद्ध सीपीएसई में ऐसी रिक्ति की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की रिक्ति को भरा नहीं गया:

तालिका 3.12: सीपीएसई जहां पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की रिक्तियों को बोर्ड द्वारा छः महीने के भीतर नहीं भरा गया है

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	छः माह की अवधि से अधिक समय का विलंब (महीनो में)
1	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11
2	एचएमटी लिमिटेड	18
3	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	06
4	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	05
5	एनएमडीसी लिमिटेड	26
6	ऑयल इंडिया लिमिटेड	08
7	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	05
8	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	24
9	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	13
10	दि स्टेट ट्रैडिंगकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	08
11	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01

जैसा कि उपर्युक्त दी गई तालिका में देखा जा सकता है, 71 सीपीएसई में से 11 (15 *प्रतिशत*) में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रिक्त पदों को रिक्ति की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर नहीं भरा गया।

3.6 विविध

3.6.1 लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के पैरा 8.3 में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी। तथापि, तालिका 3.13 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

तालिका 3.13: सीपीएसई जहां तिमाही प्रगति रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	15 दिनों से अधिक का विलंब की अवधि (दिनों में)	गैर-अनुपालन की अवधि
1	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	347-621	सभी तिमाहियों
2	द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	4-90	पहली और चौथी तिमाही
3	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	4-90	पहली और चौथी तिमाही
4	द स्टेट ट्रैडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	पहली तिमाही
5	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	4	पहली तिमाही

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, 71 सीपीएसई में से 5 (7 *प्रतिशत*) में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई थी।

3.6.2 सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 की अनुसूची V के भाग सी (2) (एच) में निर्धारित किया गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में एक चार्ट या मैट्रिक्स होगा जो निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता को निर्धारित करता है जो निदेशक मंडल द्वारा पहचाने गए मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की सूची को निर्दिष्ट करता है, जैसा कि इसके व्यवसाय (व्यवसायों) और क्षेत्र (ओं) के संदर्भ में आवश्यक है ताकि यह प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और उन निदेशकों के नामों के साथ जिनके पास ऐसे कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता है जो वास्तव में बोर्ड के साथ उपलब्ध हों। तथापि, सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया जैसा कि नीचे तालिका 3.14 में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.14: सीपीएसई जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट प्रमुख कौशल/ विशेषज्ञता / दक्षताओं की सूची निर्दिष्ट करने वाला चार्ट/मैट्रिक्स शामिल नहीं किया गया है

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
2	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन
3	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
5	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
6	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
7	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
8	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
10	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
11	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
12	एसजेवीएन लिमिटेड
13	गेल (इंडिया) लिमिटेड

जैसा कि ऊपर तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से 13 (18 *प्रतिशत*) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में ऐसा चार्ट/मैट्रिक्स नहीं दिया गया जिसमें निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता को अपेक्षानुसार निर्धारित किया गया हो।

3.7 लेखापरीक्षा समिति

3.7.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 18 में निम्नलिखित निर्धारित हैं:

3.7.1.1 प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई एक योग्य और स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगी। तथापि, तालिका 3.15 में दिए गए विवरण के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 71 सीपीएसई में से दो (तीन *प्रतिशत*) में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

तालिका 3.15: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
2	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

3.7.1.2 लेखापरीक्षा समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि, सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया था जैसा कि नीचे तालिका 3.16 में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.16: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति के कम से कम दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (*प्रतिशत* में)
1	एचएमटी लिमिटेड	3	2	0	2 (100)
2	एमएमटीसी लिमिटेड	3	2	1	1 (50)
3	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	3	2	0	2 (100)
4	आईएफ़सीआई लिमिटेड	4	3	0	3 (100)

जैसा कि उपर्युक्त दी गई तालिका में देख सकते है, 71 सीपीएसई में से चार (छह *प्रतिशत*) में लेखापरीक्षा कमेटी के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। कमी 50 से 100 *प्रतिशत* के बीच थी।

3.7.2 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की कोरम

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18 (2) (बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.4 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों (यानी, दो सदस्य या एक तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो, कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ) में

कोरम को निर्धारित की गई है। तालिका 3.17 में दर्शाए गए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में कोरम अपर्याप्त था।

तालिका 3.17: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए अपर्याप्त कोरम वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	अपर्याप्त कोरम वाली बैठकों की संख्या (*प्रतिशत* में)
1	एचएमटी लिमिटेड	8	2 (25)
2	एमएमटीसी लिमिटेड	7	1 (14)
3	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	4	3 (75)
4	आईएफ़सीआई लिमिटेड	6	6 (100)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से चार (छह *प्रतिशत*) में, लेखापरीक्षा समिति की बैठकों मे आवश्यक कोरम अपर्याप्त था और कमी 14 से 100 *प्रतिशत* के बीच थी।

3.8 वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष की उपस्थिति

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18 (1) (डी) में कहा गया है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा और वह शेयरधारकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में उपस्थित होगा। तथापि, तालिका 3.18 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

तालिका 3.18: सीपीएसईएस जहां लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने एजीएम में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से दो (तीन *प्रतिशत*) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं हुए।

3.9 सतर्कता तंत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18(3) और विनियमों की अनुसूची-II के भाग सी (ए)(18) में यह निर्धारित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करना शामिल होगा। तथापि, तालिका 3.19 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने सूचना प्रदाता तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा नहीं की:

तालिका 3.19: सीपीएसई जहां व्हिसल ब्लोअर तंत्र की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा नहीं किया गया है

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	रेल विकास निगम लिमिटेड
2	एनएमडीसी लिमिटेड
3	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, 71 सीपीएसई में से तीन (चार *प्रतिशत*) में व्हिसल ब्लोअर तंत्र की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा नहीं की गई।

3.10 संबंधित पार्टी लेनदेन

3.10.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 23(1) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने के लिए निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित स्पष्ट सीमा सहित नीति तैयार करेगी और ऐसी नीति की निदेशक मंडल द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जाएगी और तदनुसार अद्यतन किया जाएगा। हालाँकि, तालिका 3.20 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

तालिका 3.20: सीपीएसईएस जिसने संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने पर नीति तैयार / समीक्षा / अद्यतन नहीं किया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	अनुपालन न करना
1	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीपीएसई के बोर्ड द्वारा नीति की समीक्षा नहीं की गई।
2	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	सीपीएसई द्वारा नीति तैयार नहीं की गई है।
3	द रसायन एवं उर्वरक त्रावणकोर लिमिटेड	निर्धारित समयावधि के भीतर केन्द्रीय सरकारी उद्यम के बोर्ड द्वारा नीति अद्यतन नहीं की गई।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से तीन (चार *प्रतिशत*) ने संबंधित पक्षकार लेनदेनों की भौतिकता तथा संबंधित पक्षकार लेन-देनों के संबंध में नीति प्रतिपादित/समीक्षा/अद्यतन नहीं की।

3.10.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 23(9) में यह निर्धारित किया गया है कि सूचीबद्ध इकाई बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगी और उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी और सूचीबद्ध इकाई अपने एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर हर छः महीने में ऐसे प्रकटीकरण करेगी। तथापि, तालिका 3.21 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया था.

तालिका 3.21: सीपीएसई जिन्होंने अपने एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण प्रस्तुत नहीं किया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	देरी की अवधि (दिनों में)
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	8
2	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	2

जैसा कि उपर्युक्त दी गई तालिका में देखा जा सकता है, 71 सीपीएसई में से दो (तीन *प्रतिशत*) में 15 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.11 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

3.11.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1), कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 19 (1) और (2) में कहा गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी का निदेशक मंडल एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जिसमें कम से कम तीन निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए और कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि, तालिका 3.22 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की गई:

तालिका 3.22: सीपीएसई जहां नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं हुआ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन न करने की अवधि
1	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
2	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	नवंबर से मार्च

71 सीपीएसई में से दो (तीन *प्रतिशत*) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, तालिका 3.23 में दर्शाए गये सीपीएसई ने यद्यपि नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था, किंतु उन्होंने कम से कम तीन गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा उनमें से आधे स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया।

तालिका 3.23: नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अनुचित संरचना वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन न करने की अवधि
1	एचएमटी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
2	एमएमटीसी लिमिटेड	फरवरी से मार्च
3	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
4	आईएफ़सीआई लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

71 सीपीएसई में से चार (छः *प्रतिशत*) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना उपयुक्त नहीं थी।

3.11.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 19(2) और सीपीएसई, में कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए डीपीई दिशानिर्देशों 2010 के पैरा 5.1 में यह निर्धारित किया गया है कि नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, तालिका 3.24 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.24: सीपीएसई जहां नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन न करनेकी अवधि
1	एचएमटी लिमिटेड	फरवरी से मार्च
2	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	जुलाई से मार्च
3	आईएफ़सीआई लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

71 सीपीएसई में से तीन (चार *प्रतिशत*) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

3.11.3 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की विनियमन 19(4) और अनुसूची II के भाग डी में यह निर्धारित किया गया है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति निदेशक मंडल को निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की अनुशंसा करेगी। तथापि, तालिका 3.25 में सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

तालिका 3.25: सीपीएसई जहां निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की अनुशंसा निदेशक मंडल को नहीं की गई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	दि फ़र्टिलाइज़र एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से दो (तीन *प्रतिशत*) में निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की अनुशंसा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशक मंडल को नहीं की गई।

3.11.4 सेबी के विनियम (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II भाग डी, ए (3) में यह निर्धारित किया गया है कि निदेशक मंडल की विविधता सुनिश्चित करने के लिए नीति नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा तैयार की जाएगी। तथापि, तालिका 3.26 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में निदेशक मण्डल की विविधता सुनिश्चित करने के लिए नीति नहीं बनाई थी।

तालिका 3.26: सीपीएसई जहां निदेशक मंडल की विविधता सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार नहीं की गई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
2	द रसायन एवं उर्वरक त्रावणकोर लिमिटेड
3	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से चार (छः *प्रतिशत*) में, निदेशक मंडल की विविधता सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार नहीं की गई थी।

3.12 हितधारक संबंध समिति

3.12.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 20 (1) में कहा गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एक हितधारक संबंध समिति का गठन करेगी। तथापि, तालिका 3.27 में दिए गए विवरण के अनुसार सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

तालिका 3.27: सीपीएसई जहां हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया है

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन न करने की अवधि
1	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
2	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से दो (तीन *प्रतिशत*) में हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया।

3.12.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनयमन 20(2ए) में यह निर्धारित किया गया है कि हितधारक संबंध समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.28 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 3.28: सीपीएसई जहां हितधारक संबंध समिति की संरचना विनियमन के अनुसार नहीं है

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन न करने की अवधि
1	एचएमटी लिमिटेड	फरवरी से मार्च
2	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	जुलाई से मार्च
3	आईएफ़सीआई लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से तीन (चार *प्रतिशत*) में हितधारक संबंध समिति की संरचना विनियमन के अनुसार नहीं थी।

3.13 सहायक कंपनियाँ

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24(1) में कहा गया है कि सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होगा। तथापि, सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.29 में दर्शाया गया हैं:

तालिका 3.29: सीपीएसई जहां सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के बोर्ड में नहीं थे

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन न करनेकी अवधि
1	एचएमटी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
3	कोल इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
4	ऑयल इंडिया लिमिटेड	जुलाई से मार्च
5	आईएफ़सीआई लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 16 सीपीएसई में से पाँच (31 *प्रतिशत*) में, जिनकी गैर-सूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी है, सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक, असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के बोर्ड में नहीं थे।

3.14 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएंऔर प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 21 (3 ए), (3 बी) और (3 सी) में निर्धारित किया गया है कि जोखिम प्रबंधन समिति को एक वर्ष में कम से कम दो बार मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें इस तरह से आयोजित की जाएंगी कि निरंतर आधार पर किसी भी दो लगातार बैठकों के बीच एक सौ अस्सी दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होगा। तथापि, तालिका 3.30 में उल्लिखित सीपीएसई के संबंध में दोनों बैठकों के बीच 180 दिनों से अधिक का अन्तराल था।

तालिका 3.30: जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकों के बीच 180 दिनों से अधिक के अंतराल वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकों का अंतराल 180 दिनों से अधिक (दिनों में)
1	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	167
2	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	25
3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15
4	एमएमटीसी लिमिटेड	8
5	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	99

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से पाँच (7 *प्रतिशत*) में जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकों के बीच अंतर 180 दिनों से अधिक था।

3.15 अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V (सी) (10) (के) में कहा गया है कि सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क का विवरण वैधानिक

लेखापरीक्षक को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दर्शाने की आवश्यकता है। हालाँकि, सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.31 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।:

तालिका 3.31: सीपीएसई जहां सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दर्शाया नहीं किया गया है

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
2	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड
3	एमएमटीसी लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से तीन (चार *प्रतिशत*) में, सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान किए गए शुल्क से संबंधित विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दर्शाया नहीं गए।

3.16 निष्कर्ष

अध्याय में शामिल 71 सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में, लेखापरीक्षा विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि केवल छः सीपीएसई (सात *प्रतिशत)* अर्थात एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और इंड बैंक मर्चेंट हाउसिंग ने डीपीई/सेबी दिशानिर्देशों/ विनियमों और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन किया। 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से गैर-अनुपालन करने के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

i. तीन सीपीएसई (चार *प्रतिशत*) में गैर-कार्यकारी निदेशक बोर्ड क्षमता के 50 *प्रतिशत* से कम थी और कमी 20 से 60 *प्रतिशत* के बीच थी;

ii. 46 सीपीएसई (65 *प्रतिशत*) में 2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या बोर्ड में नहीं थी। कमी का *प्रतिशत* 11 से 100 *प्रतिशत* के बीच था;

iii. तीन सीपीएसई (चार *प्रतिशत*) में स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित आचार संहिता में शामिल नहीं किया गया;

iv. छः सीपीएसई (आठ *प्रतिशत*) के बोर्ड में महिला निदेशक नहीं हैं। इसके अलावा, शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में शामिल 62 सीपीएसई में से 13 सीपीएसई (21 *प्रतिशत*) के बोर्ड में 2022-23 के दौरान कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थीं;

v. शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में शामिल 68 सीपीएसई में से तीन (चार *प्रतिशत*) में कम से कम छः निदेशकों के मानदंड पूरे नहीं किए गए;

vi. तीन सीपीएसई (चार *प्रतिशत*) की बोर्ड बैठक में कम गणपूर्ति थी;

vii. चार सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) में स्वतंत्र निदेशक बोर्ड और समितियों की कम से कम 80 *प्रतिशत* बैठकों में शामिल नहीं हुए, जिनमें वे सदस्य थे; 10 सीपीएसई (14 *प्रतिशत*) में एक या अधिक स्वतंत्र निदेशक आम बैठक में उपस्थित नहीं थे; इसके अलावा, चार सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) में सभी स्वतंत्र निदेशक गैर-स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में उपस्थित नहीं थे;

viii. दो सीपीएसई (तीन *प्रतिशत*) में विस्तृत जानकारी निदेशक मंडल को उपलब्ध नहीं कराई गई;

ix. चार (छः *प्रतिशत*) में स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया;

x. 11 (15 *प्रतिशत*) में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कामकों के रिक्त पदों को एसी रिक्त की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर नहीं भरा गया;

xi. 5 सीपीएसई (7 *प्रतिशत*) में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की गई;

xii. 13 सीपीएसई (18 *प्रतिशत*) जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में ऐसा चार्ट या मैट्रिक्स नहीं था, जिसमेंकि अपेक्षानुसार निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का विवरण दिया गया हो;

xiii. दो सीपीएसई (तीन *प्रतिशत*) में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया; चार सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) में लेखापरीक्षा समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; चार सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) में लेखापरीक्षा समिति की बैठक का गणपूर्ति कम थी;

xiv. दो सीपीएसई (तीन *प्रतिशत*) में लेखापरीक्षा समिति के चेयरपर्सन ने एजीएम में हिस्सा नहीं लिया; लेखापरीक्षा समिति द्वारा तीन सीपीएसई (चार *प्रतिशत*) में सूचना प्रदाता तंत्र की समीक्षा नहीं की गई;

xv. तीन सीपीएसई (चार *प्रतिशत*) में संबंधित पार्टी लेनदेन की (महत्वता) पर नीति तैयार/समीक्षा/अद्यतन नहीं की गई; दो सीपीएसई (तीन *प्रतिशत*) के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रकटीकरण नहीं भेजे गए;

xvi. दो सीपीएसई (तीन *प्रतिशत*) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया; चार सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन उपयुक्त नहीं था; तीन सीपीएसई (चार *प्रतिशत*) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; दो सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की अनुशंसा निदेशक मंडल को नहीं की गई;

xvii. चार सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) में निदेशक मंडल की विविधता सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार नहीं की गई;

xviii. दो सीपीएसई (तीन *प्रतिशत*) में हितधारक सम्बन्ध समिति का गठन नहीं किया गया था; तीन सीपीएसई (चार *प्रतिशत*) में हितधारक संबंध समिति विनियमन के अनुसार नहीं थी;

xix. 16 सीपीएसई, जिनकी असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी हैं, में से पाँच सीपीएसई (31 *प्रतिशत*) में स्वतंत्र निदेशक असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं थे।

xx. पाँच सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) में जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकों के बीच 180 दिनों से अधिक का अंतर था;

xxi. तीन सीपीएसई (चार *प्रतिशत*) में वैधानिक लेखापरीक्षक को भुगतान किए गए शुल्क से संबंधित विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दर्शाया नहीं था।

भाग ख

सीपीएसई/वैधानिक निगम जिनके बॉन्ड/डिबेंचर 31 मार्च, 2023 तक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे

3.17 परिचय

31 मार्च, 2023 तक, भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 36 सीपीएसई[49] और वैधानिक निगम है, जिनके बॉन्ड/डिबेंचर भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। सीपीएसई/वैधानिक निगमों जिनके बॉन्ड/डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नियंत्रित करने वाले प्रावधान मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देश, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्ध) विनियम, 2021 के अंतर्गत आते हैं।

जिनके बॉन्ड/डिबेंचर भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे उन सीपीएसई और वैधानिक निगमों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा से निम्नलिखित अनुपालन न करने का पता चला।

3.18 वित्तीय परिणाम

3.18.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52(1) में यह निर्धारित किया गया है कि सूचीबद्ध इकाई, तिमाही आधार पर, तिमाही के अंत से पैंतालीस दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को अलेखापरीक्षित या लेखापरीक्षित तिमाही और वर्ष दर वर्ष एकल वित्तीय परिणाम को तैयार और प्रस्तुत करेगी। तथापि, तालिका 3.32 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

---

[49] ***इसमें चार वैधानिक निगम शामिल हैं, अर्थात् एनएचएआई, आईडब्ल्यूएआई, एनसीडीसी और एफसीआई, जिनके बांड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। निदेशक मंडल, समितियों आदि से संबंधित मुद्दों पर वैधानिक निगमों के लिए विचार नहीं किया जाता है।***

तालिका 3.32: सूचीबद्ध संस्थाएं जो निर्धारित अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही आधार पर अलेखापरीक्षित या लेखापरीक्षित तिमाही और वर्ष दर वर्ष एकल वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं करती हैं

क्र. सं.	सीपीएसई/वैधानिक निगम का नाम
1	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
3	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड

3.18.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 52 (2) (डी) में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय वर्ष के समाप्ति से 60 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बशर्ते कि जारीकर्ता, जिनकी लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया जा रहा है, वार्षिक लेखापरीक्षा वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण के लिए निम्नलिखित दो चरणीय प्रक्रिया अपनाएंगे:

(i) प्रथम स्तर की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी, जो सूचीबद्ध इकाई के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसे वित्तीय परिणाम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, वित्तीय परिणाम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाएंगे।

सारणी 3.33 में सूचीबद्ध सीपीएसई/वैधानिक निगमों ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से निर्धारित अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए।

तालिका 3.33: सूचीबद्ध सीपीएसई/ वैधानिक निगमों ने निर्धारित अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए

क्र. सं.	सीपीएसई/वैधानिक निगम का नाम
1	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
2	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड

3.19 स्टॉक एक्सचेंज को सूचनाएं/अन्य प्रस्तुतियाँ

3.19.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 के विनियमन 57 (4) में प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई तिमाही की शुरुआत से पहले पांच कार्य दिवसों के भीतर सभी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का विवरण प्रदान करेगी, जिनके लिए तिमाही के दौरान ब्याज/लाभांश/मूलदायित्व देय होंगे।

36 सीपीएसई/वैधानिक निगमों में से एक वैधानिक निगम (भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) ने तिमाही शुरुआत होने से पहले पांच कार्य दिवसों के भीतर सभी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का विवरण प्रदान नहीं दिया।

3.19.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021 के विनियमन 60 (1) (2) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉर्ड तिथि से कम से कम सात कार्य दिवस (सूचना की तिथि और रिकॉर्ड तिथि को छोड़कर) पहले या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रिकॉर्ड तिथि के उद्देश्य को निर्दिष्ट करने के लिए जितने दिन सहमत हो या आवश्यकता हो, उतने दिन पहले सूचना देनी होगी। हालाँकि, तालिका 3.34 में सूचीबद्ध दो सीपीएसई/वैधानिक निगमों के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया।

तालिका 3.34: सूचीबद्ध संस्थाएं जहां संस्था ने स्टॉक एक्सचेंज को सात कार्य दिवसों से कम नोटिस दिया है

क्र. सं.	सीपीएसई/वैधानिक निगम का नाम
1	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड
2	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

3.20 गैर-परिवर्तनीय (ऋण) प्रतिभूतियों और असंपरिवर्तनीय वरीयता शेयरों के धारकों को दस्तावेज और जानकारी

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 58 (1) (ए), (बी) और (सी) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध संस्था को निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने होंगे: (क) गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के सभी धारकों को पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी जिन्होंने सूचीबद्ध संस्था या किसी डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत किया है, (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 और उसके तहत बनाए गए

नियमों में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज़ों की मुख्य विशेषताओं वाले विवरण की भौतिक प्रति उन गैर-परिवर्तनीय (प्रतिभूतियों) धारकों को जिन्होंने ऐसा पंजीकरण नहीं कराया है, (ग) गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के उन धारकों को पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति जो इसके लिए अनुरोध करते हैं। हालाँकि, एक वैधानिक निगम (भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) ने उपरोक्त विनियम का अनुपालन नहीं किया हैं।

3.21 निदेशक मंडल

3.21.1 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को, जो प्रबंधन के निर्णय पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रख सकें, व्यापक रूप से शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के रूप में माना जाता है। डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 में यह प्रावधान है कि जहां बोर्ड का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक है, वहां बोर्ड का कम से कम एक तिहाई हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से बना होना चाहिए और यदि वह कार्यकारी निदेशक है, तो बोर्ड का कम से कम आधा हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से बना होना चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.35 में सूचीबद्ध सीपीएसई में उनके बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.35: सूचीबद्ध बॉन्डों वाले सीपीएसई जिनके पास वर्ष 2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं है

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का दर्जा	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (*प्रतिशत में*)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
1	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड	4	गैर-कार्यकारी	2	0	2 (100)	अप्रैल से दिसम्बर
		5		2	1	1 (50)	जनवरी से मार्च

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का दर्जा	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
2	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	6 4	गैर-कार्यकारी	3 2	0 0	3 (100) 2 (100)	अप्रैल से जुलाई जून, अगस्त से मार्च
3	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	5 4	गैर-कार्यकारी	2 2	0 0	2(100) 2(100)	अप्रैल से फरवरी मार्च
4	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10 11 12 12 12	कार्यकारी	10 11 12 12 12	4 4 4 3 1	6 (60) 7(63) 8 (67) 9(75) 11 (91)	अप्रैल से जुलाई अगस्त से सितंबर अक्तूबर नवंबर से दिसम्बर जनवरी से मार्च
5	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	0	7 (100)	अप्रैल से मार्च

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का दर्जा	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (*प्रतिशत में*)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
6	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3 5 4	कार्यकारी	3 5 4	2 2 2	1 (33) 3 (60) 2 (50)	अप्रैल से अक्तूबर नवंबर से दिसम्बर जनवरी से मार्च

सूचीबद्ध बॉन्ड वाले 32 सीपीएसई में से छः (19 *प्रतिशत*) में आवश्यक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में नहीं थे। कमी का *प्रतिशत* 33 से 100 *प्रतिशत* के बीच था।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्र. सं. 4) के संबंध में उत्तर दिया (दिसंबर, 2024) कि एनपीसीआईएल सेबी विनियमन (एलओडीआर) के अनुसार उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्था है।

सेबी विनियम की धारा 15 (1) (ए) के अनुसार, विनियमन 16 से 27 एनपीसीआईएल पर 31 मार्च 2025 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' के आधार पर लागू हैं। हालांकि, कंपनी पर लागू डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड (क्र. सं. 3) के संबंध में कोयला मंत्रालय ने जवाब दिया (दिसंबर 2024) कि छंटनी किए गए उम्मीदवारों की सूची कोयला मंत्री के अनुमोदन से डीपीई को भेज दी गई है, हालांकि, डीपीई की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

3.21.2 महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध सीपीएसई के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.36 में सूचीबद्ध सीपीएसई के निदेशक मंडल में महिला निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.36: सूचीबद्ध बॉन्डों वाले सीपीएसई जिनके बोर्ड में महिला निदेशक नहीं थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-अनुपालन की अवधि
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	जुलाई से मार्च
2	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
3	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
4	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	अक्तूबर से मार्च

32 सूचीबद्ध सीपीएसई में से चार (13 *प्रतिशत*) में बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (क्र. सं. 1) के संबंध में विद्युत मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि ईईएसएल ने 23 सितंबर 2024 से अपने बोर्ड में एक महिला निदेशक नियुक्त की है।

3.21.3 निदेशक मंडल और समिति की बैठक

कंपनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (5) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशक कंपनी की सभी सामान्य बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे। तालिका 3.37 में दो सूचीबद्ध सीपीएसई को दर्शाया गया है जिनके एक या अधिक स्वतंत्र निदेशकों ने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.37: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशक सामान्य बैठकों में शामिल नहीं हुये

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

3.22 विविध

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के भाग सी (2) (एच) में प्रावधान है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता को दर्शाने वाला एक चार्ट या मैट्रिक्स शामिल होगा, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा उसके व्यवसाय और क्षेत्र के संदर्भ में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए अपेक्षित मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की सूची निर्दिष्ट की जाएगी और जो वास्तव में

बोर्ड के पास उपलब्ध हैं, साथ ही ऐसे निदेशकों के नाम भी होंगे जिनके पास ऐसे कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता हैं। हालाँकि, तालिका 3.38 में दो सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

तालिका 3.38: सीपीएसई जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जिसमें निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता को निर्धारित करने वाला चार्ट या मैट्रिक्स नहीं शामिल किया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

3.23 लेखापरीक्षा समिति

3.23.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना:

3.23.1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में प्रावधान है कि एक लेखापरीक्षा समिति होगी। तथापि, एक सीपीएसई (डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड) ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा समिति में कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालाँकि, निम्नलिखित चार सीपीएसई के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.39 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 3.39: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (*प्रतिशत में*)
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	3	2	0	2 (100)
2	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	4	3	0	3 (100)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (*प्रतिशत* में)
3	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	3	2	0	2 (100)
4	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	4	3	0	3 (100)

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (क्र. सं. 1) के संबंध में विद्युत मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि ईईएसएल 20 सितंबर 2023 से स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट/ असूचीबद्ध हो गई है और इसलिए सेबी (एलओडीआर) कंपनी पर लागू नहीं होता।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन के लिए विशिष्ट नहीं है। तथापि, कंपनी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ न्यूनतम तीन निदेशक शामिल होंगे, इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

3.23.1.2 डीपीई दिशानिर्देश 2010 के पैरा 4.1.2 में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। हालांकि, तालिका 3.40 में दर्शाए गए चार सीपीएसई के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

तालिका 3.40: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
2	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
3	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड
4	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

3.23.2 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का कोरम

डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 4.4 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम की आवश्यकता निर्धारित की गई है (अर्थात्, दो सदस्य या लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों का

एक तिहाई, जो भी अधिक हो, कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ)। तालिका 3.41 में दर्शाए गए पाँच सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त कोरम था।

तालिका 3.41: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए अपर्याप्त कोरम वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	अपर्याप्त कोरम वाली बैठकों की संख्या	टिप्पणियाँ
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	15	15	बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इसलिए, कोरम पूरा नहीं था
2	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7	2	इन दो लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों में केवल एक स्वतंत्र निदेशक उपस्थित था। इसलिए, कोरम पूरा नहीं था।
3	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	4	4	बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इसलिए, कोरम पूरा नहीं था
4	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	10	10	बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इसलिए, कोरम पूरा नहीं था
5	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7	2	इन दो लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों में केवल एक स्वतंत्र निदेशक उपस्थित था। इसलिए, कोरम पूरा नहीं था।

3.24 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी का निदेशक मंडल तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशकों से मिलकर नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालाँकि, एक सीपीएसई (डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड) के संबंध में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का

गठन नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, हालांकि चार सीपीएसई के संबंध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, लेकिन तालिका 3.42 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में तीन गैर-कार्यकारी निदेशकों और उनमें से आधे स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता पूरी नहीं की गई।

तालिका 3.42: सीपीएसई जहां नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना उपयुक्त नहीं थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
2	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
3	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड
4	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, सीपीएसई के संबंध में कार्पोरेट गवर्नेंस के लिए डीपीई के दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 में यह प्रावधान है कि नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

तालिका 3.43: सीपीएसई जहां नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड
2.	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
3.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

सूचीबद्ध बॉन्ड वाले 32 सीपीएसई में से तीन (नौ *प्रतिशत*) में अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

3.25 अनुपालन प्रमाणपत्र

3.25.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V (सी) (10) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

क्र.सं.	सेबी विनियम संख्या	विवरण	अनुपालन न करने वाली सीपीएसई का नाम
1	अनुसूची V (सी) (10) (आई)	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किसी कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र का खुलासा किया जाना चाहिए कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/निगमित मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2	अनुसूची V (सी) (10) (के)	सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा वैधानिक लेखापरीक्षक को समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल फीस का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दर्शाया जाना आवश्यक है।	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3	अनुसूची V (सी) (10) (एल)	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या, वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या का खुलासा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया जाना आवश्यक है।	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

एक सीपीएसई (ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) में उपर्युक्त विनियमों का अनुपालन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में नहीं किया गया।

3.25.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V (ई) में प्रावधान है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों या अभ्यासरत कंपनी सचिवों से अनुपालन प्रमाण पत्र निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

हालाँकि, एक सीपीएसई (एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड) के संबंध में, उपरोक्त विनियमन का अनुपालन नहीं किया गया।

3.26 निष्कर्ष

अध्याय में शामिल 36 सूचीबद्ध सीपीएसई/वैधानिक निगमों (बांड द्वारा सूचीबद्ध) के संबंध में, यह देखा गया कि छः सीपीएसई/वैधानिक निगमों (17 *प्रतिशत*) अर्थात एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, इरेडा, एनएचएआई और भारत संचार निगम लिमिटेड ने डीपीई दिशा निर्देशों, सेबी विनियमों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन किया, जिनका लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया।

भाग ख के संबंध में प्रमुख अनुपालन न करने के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

i. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 36 सीपीएसई/वैधानिक निगमों में से तीन उद्यमों (आठ *प्रतिशत*) ने बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में तिमाही आधार पर अलेखापरीक्षित अथवा लेखापरीक्षित तिमाही तथा वार्षिक एकल वित्तीय परिणाम निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत नहीं किए।

ii. 36 सीपीएसई/वैधानिक निगमों में से एक सीपीएसई तथा एक वैधानिक निगम ने निर्धारित अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को वार्षिक लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए।

iii. 36 सीपीएसई/वैधानिक निगमों में से एक वैधानिक निगम (तीन *प्रतिशत*) ने तिमाही शुरू होने से पांच कार्य दिवस पहले स्टॉक एक्सचेंज को सभी असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का विवरण नहीं दिया;

iv. 36 सीपीएसई/वैधानिक निगमों में से दो सीपीएसई/वैधानिक निगम (छ: *प्रतिशत*) ने मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एस) को रिकॉर्ड तारीख से सात दिन का अग्रिम नोटिस नहीं भेजा;

v. 36 सीपीएसई/वैधानिक निगमों में से एक वैधानिक निगम (तीन *प्रतिशत*) ने असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों को पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट/हार्डकॉपी नहीं भेजी;

vi. 32 सीपीएसई में से छः सीपीएसई (19 *प्रतिशत*) में बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; कमी का *प्रतिशत* 33 से 100 *प्रतिशत* के बीच था;

vii. 32 सीपीएसई में से चार सीपीएसई (13 *प्रतिशत*) के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है;

viii. 32 सीपीएसई में से दो सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) के स्वतंत्र निदेशकों ने दो सीपीएसई की सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया;

ix. 32 सीपीएसई में से, निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता को दर्शाने वाला चार्ट या मैट्रिक्स, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा पहचाने गए मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की सूची निर्दिष्ट की गई हो, जो इसके व्यवसाय और क्षेत्र के संदर्भ में इसके प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक हों और जो वास्तव में बोर्ड के पास उपलब्ध हों, साथ ही ऐसे निदेशकों के नाम जिनके पास ऐसे कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता हों, का खुलासा दो सीपीएसई (छः *प्रतिशत*) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में नहीं किया गया था।

x. 32 सीपीएसई में से एक सीपीएसई (तीन *प्रतिशत*) में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया; चार सीपीएसई (13 *प्रतिशत*) में लेखापरीक्षा समिति की संरचना अनुपयुक्त थी; चार सीपीएसई (13 *प्रतिशत*) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; पांच सीपीएसई (16 *प्रतिशत*) में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की गणपूर्ति अधूरी थी;

xi. 32 सीपीएसई में से एक सीपीएसई (तीन *प्रतिशत*) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया; चार सीपीएसई (13 *प्रतिशत*) में संरचना अपर्याप्त थी; तीन सीपीएसई (नौ *प्रतिशत*) में अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे;

xii. 36 सीपीएसई/वैधानिक निगमों में से एक सीपीएसई (तीन *प्रतिशत*) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में कुछ विनियमों का अनुपालन नहीं किया गया था।

अनुशंसा:

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग डीपीई दिशानिर्देशों, सेबी विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि सूचीबद्ध सीपीएसई/वैधानिक निगमों में कॉर्पोरेट प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल/प्रबंधन को भी कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उनके कामकाज में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

यह अध्याय मार्च 2025 में टिप्पणियों के लिए डीपीई को भी जारी किया गया और प्रतिक्रिया प्रतीक्षारत है।

अध्याय IV

विनिवेश प्रक्रिया

अध्याय IV

विनिवेश प्रक्रिया

4.1 भारत सरकार (जीओई) की विनिवेश नीति

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इसके कार्य के प्रमुख क्षेत्र निजीकरण और अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री सहित रणनीतिक विनिवेश से संबंधित हैं।

भारत सरकार की वर्तमान विनिवेश नीति में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री और सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से विनिवेश शामिल हैं। व्यावसायिक उद्यमों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को फिर से परिभाषित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति 4 फरवरी 2021 को अधिसूचित की गई। नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पीएसई में सरकार की उपस्थिति को कम करना है और रणनीतिक विनिवेश पर समग्र मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- नई पीएसई नीति राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के मानदंडों के आधार पर चार[50] रणनीतिक क्षेत्रों को चित्रित करती है। रणनीतिक क्षेत्रों में, होल्डिंग कंपनी स्तर पर मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति को सरकारी नियंत्रण में रखा जाएगा। शेष को निजीकरण या किसी अन्य पीएसई के साथ विलय या सहायक बनाने या बंद करने पर विचार किया जाएगा।
- जहां संभव हो, गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण पर विचार किया जाएगा, अन्यथा ऐसे उद्यमों को बंद करने पर विचार किया जाएगा।

[50] *(क) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, (ख) परिवहन और दूरसंचार, (ग) विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, और (घ) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं।*

यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के कुछ वर्गों जैसे अलाभकारी कंपनियों, या असुरक्षित समूहों को सहायता प्रदान करने वाले सीपीएसई, या विकासात्मक/प्रचारात्मक भूमिकाएं निभाने वाले आदि पर लागू नहीं होती है।

भारत सरकार ने निर्णय लिया (19 अप्रैल 2022) कि सरकार द्वारा नियंत्रित पीएसई (केंद्रीय/राज्य/संयुक्त)/राज्य सरकारें/सहकारी समितियां (अर्थात जहां 51 *प्रतिशत* या अधिक स्वामित्व केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र और/या राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से रखा जाता है) को बोलीदाताओं के रूप में अन्य पीएसयू के रणनीतिक विनिवेश/निजीकरण में भाग लेने की अनुमति नहीं है, जब तक कि सार्वजनिक हित में केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न किया जाए।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए (13 दिसंबर 2021), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, व्यय विभाग और दीपम के परामर्श से गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में बंद करने या निजीकरण के लिए सीपीएसई की पहचान करने का प्रावधान है।

भारत सरकार ने (1 जून 2022) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल को विनिवेश (रणनीतिक विनिवेश और अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री दोनों) या उनकी किसी भी सहायक कंपनी या इकाई को बंद करने या संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए लेनदेन की अनुशंसा करने और उसे शुरू करने का अधिकार दिया है। यह भी स्वीकृति दी गई कि सीपीएसई के बोर्ड और प्रशासनिक मंत्रालय के प्रस्ताव के आधार पर, दीपम वैकल्पिक तंत्र[51] की 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्राप्त करेगा। इसके बाद, सीपीएसई का बोर्ड दीपम या डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर सहायक कंपनियों/इकाइयों/संयुक्त उद्यमों के विनिवेश या बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

दीपम ने होल्डिंग/मूल पीएसई द्वारा रणनीतिक विनिवेश/सहायक कंपनियों/इकाइयों की अल्पमत हिस्सेदारी बिक्री/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

---

[51] ***वैकल्पिक तंत्र में वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री शामिल होते हैं।***

जारी किए (14 सितंबर 2022), जबकि डीपीई ने होल्डिंग/मूल पीएसई द्वारा सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए (31 अक्टूबर 2022)।

4.2 विनिवेश के तरीके

सरकार विनिवेश के विभिन्न तरीके अपनाती है जो निम्नानुसार हैं -

(i) रणनीतिक विनिवेश: इसका तात्पर्य किसी सीपीएसई में सरकार की पूरी या पर्याप्त हिस्सेदारी की बिक्री के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण है। निजीकरण के मामले में, जो रणनीतिक विनिवेश का एक उप-समूह है, सीपीएसई में सरकारी इक्विटी और इसका प्रबंधन नियंत्रण एक निजी रणनीतिक खरीदार (खरीदारों) को हस्तांतरित कर दिया जाता है और रणनीतिक विनिवेश के अन्य मामलों में, सरकारी इक्विटी को नियंत्रण के साथ दूसरे सीपीएसई को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

(ii) अल्पमत हिस्सेदारी की बिक्री: कुछ सीपीएसई में, अल्पमत हिस्सेदारी की बिक्री भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित विभिन्न तरीकों से प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना की जाती है, ताकि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), आगे की सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ), बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस), शेयरों की पुनर्खरीद, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) आदि के माध्यम से मूल्य को अनलॉक किया जा सके, सार्वजनिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया जा सके, सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा किया जा सके और उच्च स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- **प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ):** जब कोई असूचीबद्ध कंपनी शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का नया निर्गम लाती है या अपने मौजूदा शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए या दोनों को पहली बार जनता के समक्ष पेश करती है, तो उसे आईपीओ कहा जाता है।

- **आगे की सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ):** जब पहले से सूचीबद्ध कंपनी जनता के लिए शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का नया निर्गम लाती है या जनता के लिए बिक्री की पेशकश करती है, तो उसे एफपीओ कहा जाता है।

- **बिक्री का प्रस्ताव (ओएफएस):** यह सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयरों की बिक्री का एक सरल तरीका है। इस तरीके को बड़े पैमाने पर

सूचीबद्ध कंपनियों, सरकारी और निजी दोनों द्वारा अपनाया गया, ताकि न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के सेबी मानदंडों का पालन किया जा सके। सरकार ने अक्सर सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया है।

- **शेयरों की पुनर्खरीद:** यह किसी कंपनी द्वारा अपने मौजूदा शेयरधारकों से शेयरों की पुनर्खरीद है जो खुले बाजार में उसके शेयरों की संख्या को कम कर देती है।
- **एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ़):** इस तरीके के तहत, सीपीएसई शेयरों की टोकरी का उपयोग सरकार द्वारा विनिवेश के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में किया जाता है। हालाँकि, मौजूदा ईटीएफ़ विंडो के माध्यम से विनिवेश की सीमित गुंजाइश के कारण, सरकार ने अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री के लिए एक साधन के रूप में इक्विटी ईटीएफ़ का उपयोग रोकने का फैसला किया है।

4.3 विनिवेश की प्रक्रिया

4.3.1 सीपीएसई का रणनीतिक विनिवेश:

(i) रणनीतिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई:

- नीति आयोग सीपीएसई को सरकारी नियंत्रण में रखने या निजीकरण या किसी अन्य पीएसई के साथ विलय या सहायक बनाने या बंद करने के लिए विचार करने की अनुशंसा करता है।
- नीति आयोग की अनुशंसाएँ विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप (सीजीडी)[52] के समक्ष रखी जाती हैं।
- सीजीडी की अनुशंसाएँ वैकल्पिक तंत्र (एएम) के समक्ष रखी जाती हैं।
- एएम सीपीएसई को सरकारी नियंत्रण में रखने या निजीकरण या किसी अन्य पीएसई के साथ विलय या सहायक बनाने या बंद करने के लिए विचार करने की स्वीकृति देता है।

[52] *विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें सचिव (आर्थिक मामलों का विभाग), सचिव (राजस्व), सचिव (व्यय), सचिव (दीपम), सचिव (निगमित मामले), सचिव (कानूनी मामले) और प्रशासनिक विभाग के सचिव शामिल होते हैं।*

- दीपम सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करता है।
- दीपम अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की स्वीकृति के साथ निविदा के माध्यम से लेनदेन सलाहकार/कानूनी सलाहकार/संपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति करता है।
- इसके अलावा, दो-चरणीय बोली प्रक्रिया (ईओआई/आरएफपी) का पालन किया जाता है। प्रत्येक चरण में, प्रक्रिया स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार बहु-स्तरीय निर्णय लेने की प्रणाली से गुजरती है।

(ii) गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के तहत आने वाले सीपीएसई:

- डीपीई संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, व्यय विभाग और दीपम के परामर्श से बंद करने या निजीकरण के लिए सीपीएसई की पहचान करेगा।
- डीपीई बंद करने और/या विनिवेश के लिए पहचाने गए सीपीएसई के संबंध में सीसीईए की सैद्धांतिक स्वीकृति लेगा।
- डीपीई सीपीएसई के निजीकरण/विनिवेश के लिए सीसीईए की सैद्धांतिक स्वीकृति दीपम को सूचित करता है। हालांकि, बंद होने की स्थिति में, प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है।
- दीपम मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

4.3.2 अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री के मामले में विनिवेश प्रक्रिया:

(i) आईपीओ/एफ़पीओ के माध्यम से अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री:

- संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक सहमति।
- सीसीईए आईपीओ/एफपीओ के माध्यम से सीपीएसई में अल्पमत हिस्सेदारी के विनिवेश को स्वीकृति देता है।
- विनिवेश प्रक्रिया का मार्गदर्शन और देखरेख करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति[53] (एचएलसी) का गठन।

---

[53] *उच्च स्तरीय समिति में दीपम के सचिव, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार शामिल होंगे।*

- प्रस्तावित लेनदेन के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह[54] द्वारा सलाहकारों (मर्चेंट बैंकर्स/बुक रनिंग लीड मैनेजर और कानूनी सलाहकार) की नियुक्ति।
- ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेबी के पास दाखिल किया जाता है।
- एचएलसी बुक रनिंग लीड मैनेजर की सलाह पर विचार करने के बाद वैकल्पिक तंत्र (एएम) को मूल्य बैंड/फ्लोर मूल्य की सिफारिश करता है।
- दीपम, प्रशासनिक मंत्रालय और सीपीएसई के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू नॉन-डील रोड शो करता है।
- रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेबी के पास दाखिल किया जाता है।
- एएम मूल्य बैंड/फ्लोर मूल्य, विनिवेश की विधि और खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए मूल्य छूट पर निर्णय लेता है।

(ii) ओएफएस के माध्यम से अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री:

- दीपम इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए दीपम, प्रशासनिक मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधित्व के साथ अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन करता है। आईएमजी इस प्रक्रिया में सहायता के लिए मर्चेंट बैंकर-सह-सेलिंग ब्रोकर (एमबीएसबी) और कानूनी सलाहकार (एलए) नियुक्त करता है।
- मर्चेंट बैंकर शेयरों की समय-सीमा, संख्या और पेश किए जाने वाले डिस्काउंट की सिफारिश करते हैं। एमबीएसबी, संबंधित सीपीएसई, प्रशासनिक मंत्रालय और दीपम के साथ मिलकर नॉन-डील रोड शो करता है।
- कानूनी सलाहकार मौजूदा वैधानिक अधिदेशों के अनुरूप कानूनी दस्तावेज तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं।

---

[54] ***अंतर-मंत्रालयी समूह की अध्यक्षता दीपम के सचिव और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव करते हैं तथा इसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नौ सचिव या उनके प्रतिनिधि (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) शामिल होते हैं।***

- दीपम एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) बनाता है जिसमें दीपम और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं।
- एचएलसी एमबीएसबी की सिफारिशों पर विचार करता है और सीपीएसई में भारत सरकार की शेयरधारिता में से चुकता इक्विटी के आगे विनिवेश के लिए विनिवेश की मात्रा, तरीके और सीमा, आरक्षण का प्रतिशत, खुदरा निवेशकों को छूट और न्यूनतम मूल्य तय करने आदि पर एएम को सिफारिशें करता है।
- एएम एचएलसी की सिफारिश पर विचार करता है और अपनी मंजूरी देता है।

4.3.3 सीपीएसई द्वारा सरकारी शेयरधारिता की पुनर्खरीद:

- सीपीएसई के नेट वर्थ व नकद शेष के आधार पर इसका निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम में निहित प्रावधानों और दीपम द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद पर विचार करता है, जब तक कि अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) अर्थात सीपीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी समिति (सीएमसीडीसी) द्वारा छूट न दी जाए।
- एचएलसी एएम को सीपीएसई के पुनर्खरीद प्रस्ताव में सरकार की भागीदारी के बारे में अनुशंसा करती है।
- एएम पुनर्खरीद में सरकार की भागीदारी और पुनर्खरीद में सरकार की इक्विटी की पेशकश को स्वीकृति देता है।

4.4 पिछले पांच वर्षों के लिए सीपीएसई के विनिवेश के लक्ष्य और उपलब्धि

किसी वित्तीय वर्ष में विनिवेश के माध्यम से प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा तय किए जाते हैं। ये अनुमान दीपम द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित होते हैं। वर्ष के दौरान की गई प्रगति और संभावित लेन-देन के आधार पर, दीपम डीईए को संशोधित अनुमान बताता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक पिछले पांच वर्षों के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से की गई वास्तविक प्राप्ति इस प्रकार है:

चार्ट 4.1: लक्षित विनिवेश की तुलना में वास्तविक प्राप्ति

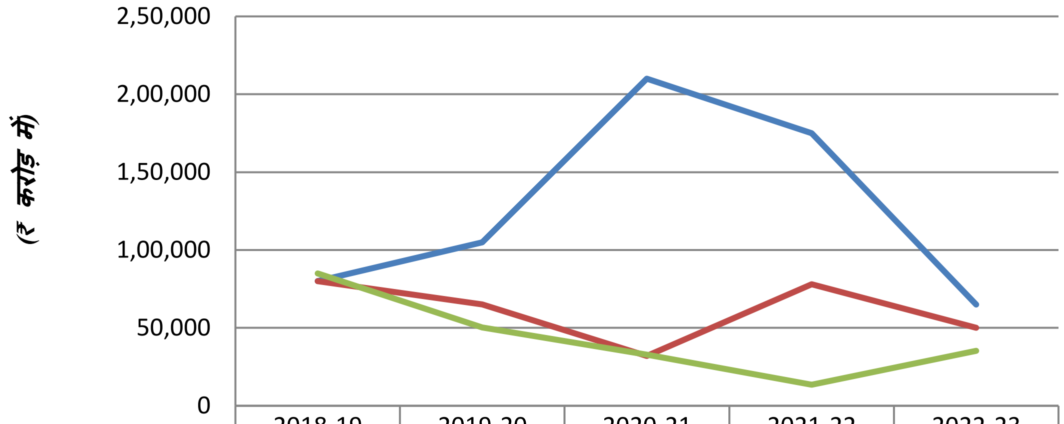

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बजट अनुमान	80,000	1,05,000	2,10,000	1,75,000	65,000
संशोधित अनुमान	80,000	65,000	32,000	78,000	50,000
वास्तविक प्राप्ति	84,972	50,300	32,885	13,534	35,294

उपरोक्त चार्ट 4.1 से निम्नलिखित देखा जा सकता है:

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिवेश आय का बजट अनुमान ₹65,000 करोड़ निर्धारित किया गया। संशोधित अनुमान चरण में इसे घटाकर ₹50,000 करोड़ कर दिया गया, जो 23.08 *प्रतिशत* की कमी दर्शाता है। इसके अलावा, संशोधित लक्ष्य भी हासिल नहीं किए गए क्योंकि वास्तविक प्राप्ति ₹50,000 के संशोधित अनुमान के मुकाबले ₹35,294 करोड़ (29.41 *प्रतिशत* कम) थी।

- पिछले पांच वर्षों के दौरान, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक कुल विनिवेश आय में गिरावट देखी गई। हालांकि, वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान विनिवेश प्राप्तियों में वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम से प्राप्तियों के कारण थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दीपम द्वारा अनुमानित और डीईए द्वारा अंतिम रूप दिए गए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान का तरीके-वार विभाजन लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान लक्ष्य वास्तविक थे और वैध जानकारी पर आधारित थे।

दीपम ने जवाब दिया (जून 2024) कि बजट अनुमान/संशोधित अनुमान केवल अनुमान थे जो मौजूदा बाजार स्थितियों और लेनदेन की व्यवहार्यता के आधार पर तय किए गए थे।

विनिवेश प्रक्रिया का निष्पादन/समापन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे बाजार की स्थिति, घरेलू और वैश्विक बाजार का दृष्टिकोण, भू-राजनीतिक कारक, निवेशकों के हित और प्रशासनिक व्यवहार्यता। वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित बजट अनुमान और अनुमानित संशोधित अनुमान के तरीके-वार विभाजन के संबंध में, दीपम ने कहा कि सीपीएसई-वार अपेक्षित विनिवेश प्राप्तियां दीपम के लिए आंतरिक थीं और केवल समेकित अनुमान डीईए के साथ साझा किए थे। दीपम ने आगे जवाब दिया (अप्रैल 2025) कि बहुत अधिक विनिवेश लक्ष्य निर्धारित करने से नए निर्गमों की अपेक्षित अधिक आपूर्ति के कारण पीएसयू शेयरों में मूल्य कम होती है। लेन-देन की बाजार पर निर्भर प्रकृति को देखते हुए और साथ ही सीपीएसई शेयरों की मूल्य कम से बचने के लिए भी विनिवेश के लिए यथार्थवादी लक्ष्य तय करने की आवश्यकता थी। इसलिए, वित्त वर्ष 2022-23 और उसके बाद लक्ष्यों को और अधिक व्यावहारिक स्तरों पर घटा दिया गया था। इसके अलावा, सरकार अब विनिवेश के लिए लक्ष्य-उन्मुख दृष्टिकोण से दूर हो गई है।

4.5 2022-23 के दौरान विनिवेश से प्रणाली-वार प्राप्ति

भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न साधनों/मार्गों के माध्यम से दस मामलों में अपने शेयरों का विनिवेश किया, जिसका विवरण नीचे तालिका 4.1 में दिया गया है:

तालिका 4.1: 2022-23 के दौरान प्रणाली-वार विनिवेश प्राप्तियां

	विनिवेश का तरीका	लेन-देन की गणना	प्राप्तियां (₹ करोड़)
1	रणनीतिक विनिवेश[55]	1	0
2	बिक्री के लिए प्रस्ताव	5	9,155.10
3	शेयरों की पुनर्खरीद	1	497.27
4	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया[56] के निर्दिष्ट उपक्रम से विप्रेषण	1	5,124.79

---

[55] *नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) का रणनीतिक विनिवेश 2022-23 के दौरान किया गया। हालाँकि, चूंकि एनआईएनएल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें सरकार की कोई इक्विटी शेयरधारिता नहीं है, इसलिए विनिवेश की आय सरकारी खाते में प्राप्त नहीं हुई।*

[56] *इसमें एसयूयूटीआई की एक्सिस बैंक स्ट्रेटेजिक होल्डिंग के विनिवेश से प्राप्त 3,849.79 करोड़ रुपये की आय शामिल है।*

	विनिवेश का तरीका	लेन-देन की गणना	प्राप्तियां (₹ करोड़)
5	शत्रु शेयरों की बिक्री	1	0.24
6	प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश	1	20,516.12
कुल		**10**	**35,293.52**

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, दीपम ने वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न तरीकों से विनिवेश से ₹35,293.52 करोड़ प्राप्त किए, जिनकी चर्चा बाद के पैराग्राफ में की गई है।

4.6 अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री - प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश और बिक्री के लिए प्रस्ताव

4.6.1 प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से विनिवेश से प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, दीपम ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसीआई) में 3.5 *प्रतिशत* हिस्सेदारी बेचकर एक आईपीओ लेनदेन पूरा किया, जिससे भारत सरकार को ₹20,516.12 करोड़ प्राप्त हुए।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने (8 जुलाई 2021) सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री द्वारा आईपीओ के माध्यम से एलआईसीआई के शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने और मार्च 2022 तक पूरा होने की समय-सीमा के साथ एलआईसीआई के लिए नई इक्विटी शेयर पूंजी जुटाने को स्वीकृति दी और उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की अनुशंसाओं के आधार पर आईपीओ से संबंधित आकार, संरचना, मूल्य बैंड और अन्य मामलों को स्वीकृति देने के लिए वैकल्पिक तंत्र को अधिकृत किया।

सीसीईए की स्वीकृति के बाद आईपीओ की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मध्यस्थों[57] की नियुक्ति की गई। एचएलसी (3 फरवरी 2022) की अनुशंसा पर, वैकल्पिक तंत्र ने पाँच[58] *प्रतिशत* की भारत सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश को स्वीकृति दे दी। तदनुसार, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) 13 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास दाखिल किया गया।

---

[57] *दस पुस्तक रनिंग लीड मैनेजर, एक अंक रजिस्ट्रार; तीन प्रायोजक बैंक, तथा एक विज्ञापन एजेंसी।*

[58] *एलआईसीआई में सरकार की 100% शेयरधारिता में से*

यूक्रेनी संकट के कारण उच्च अस्थिरता और निवेशकों की रुचि में कमी को देखते हुए, वैकल्पिक तंत्र ने एलआईसीआई में भारत सरकार की 3.5 *प्रतिशत* हिस्सेदारी (यानी ₹10 प्रत्येक के 22,13,74,920 इक्विटी शेयर) को बेचने को स्वीकृति दे दी, साथ ही अधिक मांग होने पर 5 *प्रतिशत* हिस्सेदारी (ग्रीन-शू विकल्प)[59] पर जाने का विकल्प भी दिया। 23 अप्रैल 2022 को सेबी के पास एक अद्यतन डीआरएचपी दाखिल किया गया और 26 अप्रैल 2022 को आरएचपी दाखिल किया गया। स्टॉक एक्सचेंजों पर एलआईसीआई के शेयरों की लिस्टिंग 17 मई 2022 को हुई। सरकार को एलआईसीआई के आईपीओ के माध्यम से ₹20,516.12 करोड़ की विनिवेश आय प्राप्त हुई। आईपीओ के बाद, एलआईसीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी घटकर 96.5 *प्रतिशत* रह गई।

4.6.2 बिक्री के लिए प्रस्ताव

4.6.2.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, दीपम ने कुल ₹9,155.10 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियों के साथ बिक्री के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित (ओएफ़एस) लेनदेन पूरा किया:

तालिका 4.2: 2022-23 के दौरान ओएफएस के माध्यम से विनिवेश से प्राप्ति

क्रं. सं.	सीपीएसई का नाम	भारत सरकार की विनिवेश हिस्सेदारी का%	विनिवेश के बाद भारत सरकार की शेयरधारिता	प्राप्तियां (₹ करोड़)
1	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड[60]	3.5	71.65	2,901.09
2	पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड	19.55	0	471.50
3	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड[61]	1.52	58.89	3,058.78
4	इंडियन रेल्वे केटरिंग एंड टूरिस्म कार्पोरेशन लिमिटेड	5	62.40	2,723.73
कुल				**9,155.10**

---

[59] *सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 ग्रीन शू विकल्प को पोस्ट-लिस्टिंग मूल्य स्थिरीकरण तंत्र के रूप में सार्वजनिक निर्गम में पेश किए गए इक्विटी शेयरों से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित करने के विकल्प के रूप में परिभाषित करता है।*

[60] *वित्त वर्ष 2023-24 में प्राप्त ₹9.30 करोड़ (भारत सरकार की शेयरधारिता का 0.01 प्रतिशत) की राशि के कर्मचारी ओएफ़एस लेनदेन को छोड़कर।*

[61] *इसमें ओएफ़एस और कर्मचारी ओएफ़एस दोनों लेनदेन शामिल हैं।*

ओएफएस लेनदेन पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की अनुशंसाओं पर, वैकल्पिक तंत्र ने (22 मार्च 2023) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की चुकता इक्विटी के 1.75 *प्रतिशत* के विनिवेश को बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से स्वीकृति दे दी, जिसमें अधिक अभिदान की स्थिति में चुकता इक्विटी के 1.75 *प्रतिशत* तक अतिरिक्त शेयर बेचने का विकल्प भी शामिल है।

एचएएल का ओएफएस 23 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया और एचएएल की कुल चुकता इक्विटी का 3.50 *प्रतिशत* बेचा गया, जिसके परिणामस्वरूप 2,901.09 करोड़[62] रुपये की प्राप्ति हुई। ओएफएस पूरा होने के बाद एचएएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी घटकर 71.65 *प्रतिशत* रह गई।

(ii) पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड

पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड (पीपीएल) का निजीकरण वर्ष 2002 में सरकार की 100 *प्रतिशत* हिस्सेदारी में से 74 *प्रतिशत* चुकता इक्विटी पूंजी का विनिवेश करके किया गया, साथ ही प्रबंधन नियंत्रण को जुआरी मैरोक फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेडएमपीपीएल) को हस्तांतरित किया गया। पीपीएल ने वर्ष 2002 में राइट्स इश्यू जारी किया, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। परिणामस्वरूप, सरकारी हिस्सेदारी 26 *प्रतिशत* से घटकर 19.55 *प्रतिशत* रह गई।

पीपीएल ने (नवंबर 2020) आईपीओ के माध्यम से अपनी पोस्ट-आईपीओ चुकता इक्विटी पूंजी के 25 *प्रतिशत* की सीमा तक नई इक्विटी जारी करने का प्रस्ताव रखा। सीसीईए ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी (28 अप्रैल 2021) और पीपीएल के आईपीओ के समय 19.55 *प्रतिशत* की अपनी पूरी शेष हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया।

---

[62] ***वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-खुदरा और खुदरा ओएफ़एस के लिए ₹29,01,09,11,631 की राशि प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में कर्मचारी ओएफ़एस के लिए ₹9,30,26,304 की राशि प्राप्त हुई।***

पीपीएल को 27 मई 2022 को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया और भारत सरकार को इसकी शेष शेयरधारिता को जनता को बेचने से ₹471.50 करोड़ की विनिवेश प्राप्ति मिली।

(iii) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

दीपम ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ओएफएस तरीके के माध्यम से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) में भारत सरकार की 1.50 *प्रतिशत* हिस्सेदारी का विनिवेश किया, जिससे विनिवेश प्राप्तियां ₹3,026.23 करोड़ रहीं। इसके अलावा, कर्मचारी ओएफएस तरीके के माध्यम से भारत सरकार के 0.02 *प्रतिशत* शेयरों का भी विनिवेश किया गया, जिससे प्राप्तियां ₹32.55 करोड़ रहीं। परिणामस्वरूप, ओएनजीसी में भारत सरकार की हिस्सेदारी घटकर 58.89 *प्रतिशत* रह गई।

लेखापरीक्षा ने ओएनजीसी में विनिवेश के संबंध में रिकॉर्ड मांगे। हालांकि, दीपम ने कहा (6 फरवरी 2024) कि लेन-देन पूरा नहीं हुआ है और इसलिए लेन-देन की कीमत संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए फ़ाइल को वर्तमान में साझा नहीं कर सकते। दीपम ने आगे कहा (7 मार्च 2024) कि सभी प्रभागों द्वारा दीपम में अपनाए गए सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार, चल रहे ओएफ़एस लेन-देन से संबंधित मामलों को संभालने में जहां जानकारी मूल्य संवेदनशील है, रिकॉर्ड/फ़ाइलें लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं की जाती हैं।

(iv) इंडियन रेल्वे केटरिंग एंड टूरिस्म कार्पोरेशन लिमिटेड

दीपम ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ओएफ़एस तरीके के माध्यम से इंडियन रेल्वे केटरिंग एंड टूरिस्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) में भारत सरकार की 5 *प्रतिशत* हिस्सेदारी का विनिवेश किया और ₹2,723.73 करोड़ प्राप्त किए। परिणामस्वरूप, आईआरसीटीसी में भारत सरकार की हिस्सेदारी घटकर 62.40 *प्रतिशत* रह गई।

लेखापरीक्षा ने आईआरसीटीसी में विनिवेश से संबंधित रिकॉर्ड मांगे। हालांकि, दीपम ने कहा (5 फरवरी 2024) कि लेन-देन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए फ़ाइल को वर्तमान में साझा नहीं किया जा सकता है। दीपम ने आगे कहा (मार्च 2024 और अप्रैल 2025) कि सभी प्रभागों द्वारा दीपम में अपनाए गए सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार, चल रहे ओएफ़एस लेन-देन से संबंधित मामलों को संभालने में जहां जानकारी मूल्य संवेदनशील होती है, रिकॉर्ड/फ़ाइलें लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं की जाती हैं।

4.6.2.2 पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान नियोजित बिक्री के लिए प्रस्ताव के लेनदेन

पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान, दीपम ने ओएफएस तरीके के माध्यम से 13 सीपीएसई में विनिवेश का अनुमान लगाया था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। दीपम द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम स्थिति के साथ इन सीपीएसई के बारे में विवरण ***(अनुलग्नक-XXI)*** में दिया गया है।

4.6.3 शेयरों की पुनर्खरीद

सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों (मई 2016) के अनुसार, सीपीएसई के पास अधिशेष नकदी और बैंक बैलेंस को पुनर्खरीद के माध्यम से पूंजी पुनर्गठन के लिए विचार किया जाएगा। इसके अलावा, कम से कम ₹2,000 करोड़ का नेटवर्थ और ₹1,000 करोड़ से अधिक नकदी और बैंक बैलेंस रखने वाले प्रत्येक सीपीएसई को अपने शेयरों को पुनर्खरीद करने का विकल्प लेना होगा। ये दिशानिर्देश उन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित की गई हैं या जिनमें संचित घाटा है। यदि कोई सीपीएसई इन दिशानिर्देशों का पालन करने में सक्षम नहीं है, तो उसे अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से दीपम से विशिष्ट छूट प्राप्त करनी होगी। इस प्रयोजन के लिए, सीपीएसई के छूट प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए दीपम द्वारा सीपीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (सीएमसीडीसी) का गठन (सितंबर 2020) किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, गेल (इंडिया) लिमिटेड में शेयरों की पुनर्खरीद का एक लेन-देन हुआ। गेल के निदेशक मंडल (बीओडी) ने अपनी 439वीं बोर्ड बैठक में ₹10 अंकित मूल्य वाले 5,69,85,463 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों को ₹190 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर पुनर्खरीद करने को स्वीकृति दी (31 मार्च 2022)। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने आगे की कार्रवाई के लिए बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति दीपम को भेज दी (31 मार्च 2022)।

उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा (31 मार्च 2022) पर, वैकल्पिक तंत्र ने गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों की पुनर्खरीद की पेशकश में भारत सरकार (जीओआई) की भागीदारी को स्वीकृति दे दी (31 मार्च 2022), इस शर्त के अधीन कि पुनर्खरीद के बाद भारत सरकार की शेयरधारिता कंपनी की पुनर्खरीद के बाद इक्विटी शेयर पूंजी के 51 *प्रतिशत* से कम

नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने पुनर्खरीद में गेल के 2,62,03,384 इक्विटी शेयर पेश किए और ₹497.27 करोड़ की शुद्ध आय प्राप्त की।

4.6.4 रणनीतिक विनिवेश

रणनीतिक विनिवेश का मतलब है पहचाने गए सीपीएसई में सरकार की पूरी या पर्याप्त हिस्सेदारी की बिक्री और साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण। सीसीईए ने 31 मार्च 2023 तक 36 सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंज़ूरी दे दी है। रणनीतिक विनिवेश लेनदेन की स्थिति जिसके लिए सीसीईए ने मार्च 2023 तक 'सैद्धांतिक' मंज़ूरी दी है, नीचे तालिका 4.3 में दी गई है। प्रत्येक चरण के तहत कंपनियों की स्थिति ***अनुलग्नक-XXII*** में दी गई है।

तालिका 4.3: रणनीतिक विनिवेश लेनदेन की स्थिति

चरण	संख्या
दीपम द्वारा संसाधित किए जा रहे चालू लेनदेन	14
संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संसाधित किए जा रहे लेनदेन	3
मुकदमेबाजी के कारण रोका गया लेनदेन	1
सीपीएसई को बंद करने की अनुशंसा/अनुमोदन किए जाने के कारण लेनदेन रोका गया; या कोई अन्य कारण	5
लेनदेन संभव नहीं है	2
लेनदेन पूरा हो चुका है	10
एनसीएलटी में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत सीपीएसई	1
31 मार्च 2023 तक कुल रणनीतिक विनिवेश पर विचार किया गया	36

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, वाणिज्य विभाग के अनुरोध पर दीपम ने रणनीतिक विनिवेश तरीके के माध्यम से नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का विनिवेश किया, जिसकी चर्चा अगले पैराग्राफ में की गई है।

4.6.4.1 नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल), 1982 में निगमित, चार सीपीएसई[63] और ओडिशा सरकार[64] के दो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी, जिनकी कुल शेयरधारिता 93.71 *प्रतिशत* थी। शेष 6.29 *प्रतिशत* शेयरधारिता बैंक/वित्तीय संस्थानों और अन्य छोटे शेयरधारकों के पास थी। भारत सरकार (जीओआई) के पास एनआईएनएल में कोई इक्विटी नहीं थी।

एनआईएनएल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एनआईएनएल का मूल्यांकन करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया गया (20 जून 2018)। एचपीसी ने अन्य बातों के साथ-साथ एनआईएनएल में एमएमटीसी की इक्विटी के विनिवेश की अनुशंसा की (26 दिसंबर 2018) और तदनुसार, वाणिज्य विभाग ने दीपम से अनुरोध किया (14 जनवरी 2019) कि वह एनआईएनएल में एमएमटीसी की इक्विटी के विनिवेश के बारे में विभाग/एमएमटीसी को सलाह दे। नीति आयोग ने एचपीसी द्वारा की गई अनुशंसाओं को अपना समर्थन दिया (दिसंबर 2019)।

विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह (सीजीडी) ने एनएमडीसी, मेकॉन और बीएचईएल की इक्विटी होल्डिंग्स के साथ-साथ एनआईएनएल में एमएमटीसी की इक्विटी होल्डिंग के रणनीतिक विनिवेश के लिए दीपम के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी (03 जून 2019) बशर्ते कि वाणिज्य विभाग द्वारा ओडिशा सरकार की सहमति प्राप्त की जाए। ओडिशा सरकार ने एनआईएनएल में सीपीएसई की हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के साथ-साथ दो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश पर सहमति व्यक्त की (अगस्त 2019)। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एनआईएनएल में सीपीएसई/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी शेयरधारिता के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' स्वीकृति दे दी (8 जनवरी 2020)। अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी)[65] ने लेन-देन सलाहकार, कानूनी सलाहकारों और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता

---

[63] ***एमएमटीसी लिमिटेड (49.78 प्रतिशत), एनएमडीसी लिमिटेड (10.10 प्रतिशत), मेकॉन लिमिटेड (0.68 प्रतिशत) और बीएचईएल (0.68 प्रतिशत)***

[64] ***ओडिशा औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम (12.00 प्रतिशत) और ओडिशा खनन निगम लिमिटेड (20.47 प्रतिशत)***

[65] ***20 सितंबर 2019 को गठित***

की नियुक्ति की अनुशंसा की (17 फरवरी 2020)। 25 जनवरी 2021 को प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में उद्यम मूल्य (ईवी)[66] के आधार पर बोली लगाने का प्रावधान किया गया।

ईओआई पर बोलीदाताओं की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखने के बाद आईएमजी द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर, सीजीडी ने एनआईएनएल के रणनीतिक विनिवेश के लिए शेयर खरीद समझौते के मसौदे को स्वीकृति दे दी (28 जून 2021) और दीपम से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रक्रिया को दिशानिर्देशों के अनुसार आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा, 03 नवंबर 2021 को सीजीडी को सूचित किया गया कि शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं ने शेयर खरीद समझौते के मसौदे में और बदलाव का सुझाव दिया है। सीजीडी ने शेयर खरीद समझौते के मसौदे में किए जाने वाले बदलावों को स्वीकृति देने पर विचार करने के लिए वैकल्पिक तंत्र को अनुशंसा करने और संभावित बोलीदाताओं को लेनदेन सलाहकार के माध्यम से अंतिम शेयर खरीद समझौता जारी करने के लिए दीपम को अधिकृत करने का फैसला किया। सीजीडी की अनुशंसाओं को वैकल्पिक तंत्र द्वारा अनुमोदित किया गया (8 नवंबर 2021)।

एनआईएनएल के रणनीतिक विनिवेश के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) 03 दिसंबर 2021 को जारी किया गया, जिसके जवाब में तीन योग्य इच्छुक बोलीदाताओं (क्यूआईबी) ने वित्तीय बोलियां प्रस्तुत कीं।

लेन-देन सलाहकार की अंतिम व्यावसायिक मूल्यांकन रिपोर्ट और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता की परिसंपत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, आईएमजी ने (12 जनवरी 2022) ₹5,616.97 करोड़ के आरक्षित मूल्य की अनुशंसा की, जिसे सीजीडी द्वारा अनुमोदित किया गया (24 जनवरी 2022)।

आरक्षित मूल्य को अंतिम रूप देने के बाद, आईएमजी की 16वीं बैठक में तीन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली गईं (25 जनवरी 2022), जिसमें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसएलपीएल) जिसने ₹12,100 करोड़ की बोली लगाई, वह सबसे ऊंची (एच1) बोलीदाता पाई गई। सीजीडी की अनुशंसा पर (27 जनवरी 2022), वैकल्पिक तंत्र ने

---

[66] ***उद्यम मूल्य का अर्थ है एनआईएनएल के ऋण और इक्विटी का संयुक्त मूल्य, जैसा कि इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा उनकी वित्तीय बोलियों में मूल्यांकन किया गया है।***

टीएसएलपीएल द्वारा उद्धृत ₹12,100 करोड़ की मूल्य बोली और प्रस्तावित लेनदेन के अन्य नियमों और शर्तों को स्वीकृति दे दी। तदनुसार, विक्रेताओं (4 सीपीएसई और 2 राज्य पीएसयू), एनआईएनएल, भारत सरकार, ओडिशा सरकार, टीएसएलपीएल और टाटा स्टील लिमिटेड के बीच शेयर खरीद समझौता (10 मार्च 2022) निष्पादित किया गया। सीसीईए की स्वीकृति के दो साल से अधिक समय बाद 4 जुलाई 2022 को रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हुई।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए आरएफपी के अनुसार, नियुक्ति पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध बैंक गारंटी के माध्यम से निष्पादन गारंटी और इस आशय का प्रमाण पत्र कि यदि लेनदेन एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं होता है तो निष्पादन गारंटी एक वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी, मध्यस्थों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह पाया गया कि लेन-देन सलाहकार ने एक वर्ष (यानी 6 मार्च 2021 तक) के लिए वैध ₹50 लाख की बैंक गारंटी प्रदान की, लेकिन वैधता अवधि समाप्त होने के बाद इसे नवीनीकृत नहीं किया गया, भले ही विनिवेश लेनदेन 4 जुलाई 2022 को पूरा हुआ। इसके अलावा, कानूनी सलाहकार ने 24 जनवरी 2022 को दो महीने की वैधता अवधि यानी 16 मार्च 2022 तक के लिए ₹10 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी जमा की, जो काम के लिए जनादेश मिलने यानी 24 अगस्त 2021 के पांच महीने बाद थी। इसके अलावा, संपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान की गई निष्पादन गारंटी रिकॉर्ड में नहीं पाई गई।

दीपम ने जवाब दिया (अगस्त 2024) कि यह उनकी ओर से एक त्रुटि थी और भविष्य में उचित सावधानी बरती जाएगी। आगे बताया गया (अप्रैल 2025) कि वर्ष 2020-2022 से कोविड-19 महामारी के प्रकोप और कोविड-19 से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों के कारण, अधिकांश कार्य काफी हद तक बाधित/प्रभावित हुए। यह ध्यान देने योग्य है कि लेन-देन संतोषजनक ढंग से पूरा हो गया है।

4.6.5 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम से धन प्रेषण

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1963 के तहत किया गया था और इसे 18 दिसंबर 2002 को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (निरसन अधिनियम, 2002) के माध्यम से

निरस्त कर दिया गया और दो नई संस्थाओं में पुनर्गठित किया गया, जिनका नाम यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड[67] और स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) है। दोनों संस्थाओं को यूटीआई (निरसन) अधिनियम, 2002 के तहत संसद द्वारा आवंटित विभिन्न योजनाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

4.6.5.1 एसयूयूटीआई द्वारा प्रेषित लाभांश आय

एसयूयूटीआई ने विभिन्न स्रोतों से आय अर्जित की, जिसमें उनके द्वारा रखे गए शेयरों और जमाराशियों की रणनीतिक होल्डिंग्स से प्राप्त लाभांश और ब्याज शामिल था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम ने दीपम को ₹1,275 करोड़ की लाभांश आय प्रेषित की (मार्च 2023) जिसे विनिवेश प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल किया गया। चूंकि यह आय सरकारी शेयरधारिता से प्राप्त धन का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे विनिवेश प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस राशि को सरकारी खाते में शीर्ष 4000.01.800 - अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किया गया।

दीपम ने जवाब दिया (जून 2024) कि 2 जनवरी 2024 को पीएओ के अधिकारी के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें बताया गया था कि यूटीआई के अधिग्रहण के समय भारत सरकार की इक्विटी को पुस्तकों में कैसे दर्ज किया गया, इसके आधार पर इस मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है। पीएओ इस मुद्दे पर तभी जवाब देगा जब उनकी ओर से यह मामला अंतिम रूप ले लेगा। इसके अलावा, दीपम ने बताया (अप्रैल 2025) कि हालांकि उक्त धन-प्रेषण को सही शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किया गया था, लेकिन दीपम की वेबसाइट पर उक्त धन-प्रेषण से संबंधित डेटा/सूचना में कुछ विसंगति थी। सूचना/डेटा में आवश्यक सुधार के लिए इसे दीपम के आईटी सेल के समक्ष उठाया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि धन प्रेषण की प्रकृति के अनुसार और दीपम द्वारा शीर्ष 4000.01.800 के अंतर्गत ₹1,275 करोड़ की राशि के संबंध में किए गए लेखांकन के अनुसार, इसे विनिवेश प्राप्तियां नहीं मानना चाहिए।

---

[67] ***सेबी द्वारा पंजीकृत यूटीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करती है।***

4.6.5.2 एसयूयूटीआई द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड में सरकार की शेयरधारिता का ओएफएस लेनदेन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एसयूयूटीआई ने बिक्री के प्रस्ताव (ओएफ़एस) के ज़रिए एक्सिस बैंक लिमिटेड के 4,65,34,903 इक्विटी शेयर बेचे, जिससे कुल ₹3,890.11 करोड़ की प्राप्ति हुई। इन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दीपम को हस्तांतरित किया गया:

क्रं. सं.	शेयरों की बिक्री की तारीख	बेचे गए शेयरों की संख्या	बिक्री से प्राप्तियां (₹)	पीएओ, दीपम को प्राप्तियों के हस्तांतरण की तिथि
1	11.11.2022 और 12.11.2022	4,59,34,238	38,38,99,03,934	16.11.2022
2	23.03.2023 और 24.03.2023	1,26,191	10,79,46,864	29.03.2023
3	31.03.2023	4,74,474	40,32,53,059	03.04.2023
कुल		**4,65,34,903**	**38,90,11,03,857**	

उपरोक्त लेन-देन से संबंधित फाइलें और अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। रिकॉर्ड के अभाव में, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2023 तक एक्सिस बैंक लिमिटेड में सरकार की शेयरधारिता की स्थिति के साथ-साथ एसयूयूटीआई द्वारा किए गए लेन-देन और विनिवेश की प्रक्रिया को सत्यापित नहीं कर सका। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i. एसयूयूटीआई द्वारा पीएओ, दीपम को प्रेषित (16 नवंबर 2022 और 29 मार्च 2023) एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से प्राप्त ₹3,849.78 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियां शीर्ष 4000.01.800 - 'सरकारी खाते में अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत दर्ज की गईं। हालांकि, एसयूयूटीआई द्वारा धारित एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों को शीर्ष 4000.03.190 और 4000.04.190 - 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों का विनिवेश' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों की गलत बुकिंग हुई है। इसके अलावा, ₹40.33 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियों का प्रेषण (3 अप्रैल 2023) किस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था, इसकी जानकारी दीपम द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

ii. कैबिनेट सचिवालय ने 14 अप्रैल 2016 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट, 1963 से संबंधित कार्यों के साथ-साथ एसयूयूटीआई से संबंधित विषयों को भी दीपम को आवंटित किया था। इस प्रकार, एसयूयूटीआई के विभिन्न लेन-देन और कार्यों के साथ-साथ एसयूयूटीआई के पास उपलब्ध धन के प्रबंधन की पुष्टि करना दीपम की जिम्मेदारी थी। हालांकि, रिकॉर्ड के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी।

दीपम ने जवाब दिया (जून 2024 और अप्रैल 2025) कि एक्सिस बैंक की शेयरधारिता की बिक्री के लिए, मौजूदा निर्देशों के अनुसार सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई और संबंधित फाइल लेखापरीक्षा के साथ साझा की गई। हालांकि, बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से एक्सिस बैंक के विनिवेश के लिए आगे की कार्रवाई यूटीआई निरसन अधिनियम, 2002 के तहत दी गई प्रक्रिया और शासनादेश के अनुसार एसयूयूटीआई द्वारा की गई और दीपम ने इस संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। इसके अलावा, एसयूयूटीआई द्वारा प्रेषण की बुकिंग के मामले पर पीएओ के साथ आयोजित बैठक (2 जनवरी 2024) में चर्चा की गई जिसमें पीएओ द्वारा सूचित किया गया कि यूटीआई के अधिग्रहण के समय पुस्तकों में भारत सरकार की इक्विटी कैसे दर्ज की गई, इसके आधार पर इस मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है। पीएओ इस मुद्दे के उनकी ओर से अंतिम रूप प्राप्त करने के बाद ही जवाब देगा। इसके अलावा, दीपम ने स्वीकार किया (अप्रैल 2025) कि एसयूयूटीआई (एक्सिस बैंक में) द्वारा धारित हिस्सेदारी की बिक्री से विनिवेश प्राप्तियां शीर्ष 4000.03/04.190 - 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों का विनिवेश' के अंतर्गत दर्शाई जानी थी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि एसयूयूटीआई का समग्र पर्यवेक्षण अप्रैल 2016 में दीपम को आवंटित किया गया। इसके अलावा, दीपम द्वारा उपलब्ध कराई गई फाइल/दस्तावेज में केवल एक्सिस बैंक लिमिटेड में सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश पर एसयूयूटीआई द्वारा प्राप्त राशि का विवरण था, न कि एक्सिस बैंक लिमिटेड के ओएफएस लेनदेन से संबंधित विवरण।

4.7 अन्य मुद्दे

शत्रु शेयरों की बिक्री

कैबिनेट नोट (नवंबर 2018) के अनुसार, भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक (सीईपीआई) के पास 20,323 शेयरधारकों की 996 कंपनियों के 6.50 लाख शेयर थे। 996 कंपनियों में से 588 कंपनियां कार्यरत थीं, 394 कंपनियां निष्क्रिय अवस्था में थीं और शेष 14 कंपनियों का विवरण गृह मंत्रालय द्वारा नियत समय में साझा किया जाना था। इसके अलावा, 588 कार्यरत कंपनियों में से 139 कंपनियां सूचीबद्ध थीं, जिनके शेयरों का बाजार मूल्य लगभग ₹2,291 करोड़ था। कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत समय सीमा के अनुसार, बाजार की स्थितियों के आधार पर शत्रु शेयरों का निपटान सीसीईए की स्वीकृति (8 नवंबर 2018) से एक वर्ष के भीतर किए जाने की संभावना थी।

लेनदेन सलाहकार (टीए) ने उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक (13 मार्च 2023) में बताया कि चार साल की अवधि (फरवरी 2019 से फरवरी 2023) के दौरान कुल 750.89 लाख शेयर बेचे गए (सीईपीआई द्वारा बिक्री के लिए टीए को हस्तांतरित शेयरों का 99.4 *प्रतिशत* हिस्सा) जिससे ₹2,709.15 करोड़ की प्राप्तियां हुईं। शेष 4.30 लाख इक्विटी शेयर, जो टीए को हस्तांतरित कुल शेयरों का 0.6 *प्रतिशत* है, निपटान के लिए छोड़ दिए गए। इन 4.30 लाख शेयरों में से 1.18 लाख शेयर 34 सूचीबद्ध कंपनियों के थे और 3.12 लाख शेयर 90 असूचीबद्ध कंपनियों के थे। इसके अलावा, 161 कंपनियों के 2,40,467 शेयर अभी भी सीईपीआई के पास थे और विभिन्न कारणों से टीए को हस्तांतरित नहीं किए थे।

इसके अलावा, जैसा कि दीपम द्वारा (अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025) सूचित किया गया, 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 तक टीए के पास उपलब्ध शत्रु शेयरों की कुल संख्या क्रमशः 4,34,972 और 4,29,626 थी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 5,346 शत्रु शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि ₹24.72 लाख थी।

उपरोक्त के संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) कैबिनेट नोट (नवंबर 2018) के अनुसार, 650.76 लाख शेयर सीईपीआई के पास थे। हालाँकि, एचएलसी बैठक के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, शेयरों की कुल संख्या 757.59 लाख (टीए द्वारा बेचे गए 750.89 लाख शेयर प्लस टीए के पास बचे

4.30 लाख शेयर प्लस सीईपीआई के पास रखे गए 2.40 लाख शेयर) थी। 106.83 लाख शेयरों के अंतर का समाधान करने की जरूरत है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पिछली लेखापरीक्षा के दौरान दीपम द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/विवरण के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक टीए के पास 15,847 शेयर बिना बिके रह गए। हालाँकि, दीपम द्वारा प्रदान की गई नवीनतम जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2022 तक टीए के पास उपलब्ध शत्रु शेयर 4,34,972 थे। इस प्रकार, 4,19,125 शत्रु शेयरों के अंतर को सुलझाने की आवश्यकता है।

(iii) जैसा कि एचएलसी को सूचित किया गया है, 161 कंपनियों में 2,40,467 शेयर अभी भी सीईपीआई के पास थे और विभिन्न कारणों से टीए को हस्तांतरित नहीं किए थे। हालांकि, उपरोक्त शेयरों को टीए में स्थानांतरित करने में हुई प्रगति के संबंध में विवरण/दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थे।

(iv) वैकल्पिक तंत्र (एएम) ने असूचीबद्ध कंपनियों के शत्रु शेयरों की बिक्री और सूचीबद्ध और असूचीबद्ध शेयरों के शेष शेयरों के निपटान से निपटने की कार्यप्रणाली को स्वीकृति दे दी (सितंबर 2023)। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया कि नकारात्मक बुक वैल्यू वाले शेयरों को प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। लेखापरीक्षा ने शत्रु शेयरों की बिक्री, नकारात्मक बुक वैल्यू वाले शेयरों, सीईपीआई द्वारा टीए को हस्तांतरित नहीं किए गए शेयरों आदि से संबंधित जानकारी/रिकॉर्ड/दस्तावेज मांगे। हालांकि, दीपम ने आवश्यक रिकॉर्ड/सूचना प्रदान नहीं की, जिसके कारण लेखापरीक्षा शत्रु शेयरों की बिक्री की वास्तविक स्थिति की समीक्षा नहीं कर सकी।

दीपम ने जवाब दिया (अप्रैल 2025) कि शेयरों के समाधान का मामला लेनदेन सलाहकार के साथ उठाया जा रहा है। इसके अलावा, मार्च 2022 तक लेनदेन सलाहकार के पास उपलब्ध शत्रु शेयरों की कुल संख्या केवल 4,34,972 थी और इसे रिकॉर्ड में लिया जाना चाहिए। साथ ही, सीईपीआई से अनुरोध किया गया था कि वह उसके पास लंबित शेयरों का विवरण स्पष्ट करे।

अध्याय V

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

अध्याय V

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

5.1 परिचय

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने की सतत प्रतिबद्धता है। यह स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और नैतिकता को शामिल करके बड़े पैमाने पर अपने हितधारकों और सामान्य समुदाय के हितों को मान्यता देता है। सीएसआर की अवधारणा लेन-देन की विचारधारा पर आधारित है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधन आदि के रूप में संसाधन लेती हैं। सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से, कंपनियां समाज को कुछ वापस दे रही हैं।

कानूनी ढांचा: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के माध्यम से भारत में सीएसआर फंडिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी जिसकी शुद्ध संपत्ति ₹500 करोड़ या उससे अधिक है, या जिसका कारोबार ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक है, या जिसका शुद्ध लाभ पिछले वित्तीय वर्ष में ₹5 करोड़ या उससे अधिक है, वह सीएसआर गतिविधियों के लिए पात्र होगी। अधिनियम के तहत ऐसी किसी भी कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार गणना) का कम से कम दो *प्रतिशत* वार्षिक रूप से सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है। कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल की जाने वाली गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है। अधिनियम के तहत सीएसआर के प्रावधानों का अनुपालन अर्थात सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति का निर्माण और सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित राशि का खर्च अप्रैल 2014 से लागू हुआ।

फरवरी 2014 में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 (जनवरी 2021 में संशोधित) जारी किए। सीएसआर नीति नियम 1 अप्रैल 2014 से सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू किए गए। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने भी अगस्त 2016 में सीपीएसई द्वारा सीएसआर के तहत गतिविधियों के चयन और

कार्यान्वयन में पारदर्शिता और यथोचित परिश्रम पर अधिसूचना भी जारी की। दिसंबर 2018 में, डीपीई ने हर साल थीम-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की ओर केंद्रित तरीके से सीएसआर फंड के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए।

5.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कवरेज

लेखापरीक्षा ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 162 सीपीएसई में से 80 सीपीएसई का चयन किया, जिन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 में ₹5 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया (डीपीई की सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार) जैसा कि नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में बताया गया है। समीक्षित 76 सीपीएसई ने ₹3,739.12 करोड़ का सीएसआर व्यय किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लाभ कमाने वाले सभी सीपीएसई का विवरण, जैसा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है, जिसमें विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूना सीपीएसई की सूची भी शामिल है, ***अनुलग्नक XXIII*** और ***XXIV*** में दी गई है।

तालिका 5.1: चयनित और समीक्षित सीपीएसई

सीपीएसई का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की संख्या	समीक्षा के लिए चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का *प्रतिशत*	समीक्षित सीपीएसई की संख्या	समीक्षित सीपीएसई का *प्रतिशत*
500 से अधिक	52	52	100	50	96
100-500	39	20	50	18	90
50-100	11	3	25	3	100
10-50	43	4	10	4	100
5-10	17	1	5	1	100
कुल	**162***	**80***		**76**	

**जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, चार सीपीएसई को आगे की समीक्षा के लिए नहीं चुना गया क्योंकि उन्होंने सीएसआर गतिविधियों पर व्यय नहीं किया।*

- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का पूरा परिचालन भारत के बाहर स्थित है
- 8 अगस्त 2022 को भारत गैस लिमिटेड और 1 जुलाई 2022 को भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड का बीपीसीएल में विलय कर दिया गया और 29 जुलाई 2022 को कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड का एनटीपीसी में विलय कर दिया गया।

5.3 नियोजन

5.3.1 सीएसआर समिति का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 में मानदंडों को पूरा करने वाली प्रत्येक कंपनी को बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करना होगा, जिसमें तीन या अधिक निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। इसके अलावा, सीएसआर नियम 2014 के नियम 5(1) (i) के अनुसार, धारा 135(1) के तहत शामिल एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को अधिनियम की धारा 149(4) के अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है और उसकी सीएसआर समिति ऐसे निदेशक के बिना होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 76 सीपीएसई में से 74 सीपीएसई ने अधिनियम के तहत आवश्यक सीएसआर समिति का गठन किया। एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) और सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) ने सीएसआर समिति का गठन नहीं किया ***(अनुलग्नक XXV)***।

धारा 135(9) के अनुसार, जहां उप-धारा 5 के तहत किसी कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि ₹50 लाख से अधिक नहीं है, सीएसआर समिति के गठन के लिए उप-धारा (1) के तहत आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे मामलों में, इस धारा के तहत प्रदान की गई ऐसी समिति के कार्यों को ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्वहन किया जाएगा। इसलिए, एसएसएल को सीएसआर समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उप-धारा (5) के तहत कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि (₹9.08 लाख) 2022-23 के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार ₹50 लाख से अधिक नहीं थी। एसएसएल ने फंड को हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड को मूल कंपनी होने के नाते हस्तांतरित कर दिया।

अधिनियम की धारा 135(1) ***(अनुलग्नक XXV)*** के अनुसार सभी 74 सीपीएसई की समिति में न्यूनतम तीन निदेशक थे।

74 सीपीएसई में से 44 सूचीबद्ध कंपनियां थीं ***(अनुलग्नक XXV)***। इन 44 सूचीबद्ध सीपीएसई में से, बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (बीएलआईएल) को छोड़कर 43 सीपीएसई में अधिनियम के तहत अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक थे। बीएलआईएल ने अपने उत्तर (मार्च 2024) में कहा कि बीएलआईएल एक सरकारी कंपनी है और निदेशक मंडल की संरचना प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों पर निर्भर करती है और यह कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना तथा कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की।

5.3.2 सीपीएसई द्वारा सीएसआर नीति का निर्माण और अनुमोदन

अधिनियम की धारा 135(3) के अनुसार यह आवश्यक है कि सीएसआर समिति कंपनी के लिए सीएसआर नीति तैयार करे और बोर्ड को इसकी सिफारिश करे, जो धारा 135(4) के अनुसार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के बाद इसे अनुमोदित करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 76 सीपीएसई में से 71 सीपीएसई ने सीएसआर नीति तैयार की थी और संबंधित बोर्ड ने उसे मंजूरी दे दी थी ***(अनुलग्नक XXVI)***। पांच सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

i) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) में बोर्ड ने स्वयं सीएसआर नीति तैयार की और उसे मंजूरी दी।

ii) सांभर साल्ट लिमिटेड (एसएसएल) को सीएसआर समिति बनाने की आवश्यकता नहीं थी (जैसा कि अनुच्छेद 5.3.1 में उल्लेख किया गया है), सीएसआर नीति बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की गई थी।

iii) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) ने सीएसआर नीति तैयार नहीं की थी।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना तथा आगे कोई टिप्पणी नहीं की।

5.3.3 वार्षिक सीएसआर योजना और बजट

संशोधित सीएसआर नियम 2021 के नियम 5(2) के अनुसार, सीएसआर समिति एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी, जिसमें सीएसआर गतिविधियों की सूची, निष्पादन का तरीका और निधियों और कार्यक्रमों के उपयोग के तौर-तरीके शामिल होंगे, जिन्हें अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों में शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया है और सीएसआर समिति की सिफारिश पर वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना में बदलाव किया जा सकता है।

76 सीपीएसई में से 15 सीपीएसई[68] के पास वार्षिक कार्य योजना नहीं थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पांच सीपीएसई के संबंध में निम्नलिखित पाया ***(अनुलग्नक XXVII):***

i) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) ने एक विशेष मामले के रूप में सीएसआर से छूट प्राप्त करने के लिए एमसीए के समक्ष मामला उठाने का प्रस्ताव रखा (पैरा 4.6.1 (iv))। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कंपनी अधिनियम की धारा 135 में ऐसी छूट प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

ii) पावरग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएमजेटीएल) और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) ने अपने सभी सीएसआर फंड को क्रमशः पीएम केयर्स फंड और प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में स्थानांतरित कर दिया, इसलिए उनके पास वार्षिक कार्य योजना नहीं थी।

iii) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना (2022-23) को सीएसआर समिति द्वारा पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ स्थगित कर दिया गया (7 जून 2022)। 2022-23 की अवधि के दौरान ऐसा नहीं

---

[68] ***राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), पावरग्रिड मेदनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएमजेटीएल), एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल), एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कंपनी (ईसीजीसी), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), गेल गैस लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (हडको), एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल), हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)।***

किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परिणामस्वरूप, एसईसीएल ने सीएसआर समिति की सिफारिश या बोर्ड अनुमोदन के बिना योजना को क्रियान्वित किया।

एसईसीएल (मार्च 2024) ने जवाब दिया कि विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ-साथ कोल इंडिया लिमिटेड के अनुरोधों/सिफारिशों के आधार पर समय की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सीएसआर गतिविधियाँ संचालित की गईं। चूँकि प्रत्येक सीएसआर कार्य की आवश्यकताएँ समय-समय पर विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाती थीं, इसलिए व्यय को पूरा करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार नहीं की गई थी।

एसईसीएल के उत्तर कंपनी (संशोधन) नियम 2021 के आलोक में विचार किया जा सकता है, जिसके तहत सीएसआर समिति को उस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित व्यक्तिगत गतिविधियों की एक सूची तैयार करने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए सूचीबद्ध अन्य आवश्यकताओं की भी आवश्यकता होती है। तथापि, एसईसीएल ने समय की मांग के अनुसार गतिविधियों को अंजाम दिया, जिससे संशोधित सीएसआर नियमों में उल्लिखित वार्षिक कार्य योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

iv) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआएल) बोर्ड ने ₹118.04 करोड़ के बजट के साथ वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी (जुलाई 2022), जिसमें से ₹73.16 करोड़ 2022-23 के दौरान नई परियोजनाओं के लिए आबंटित किए गए। हालांकि, 25 नई परियोजनाओं के लिए केवल ₹32.95 करोड़ आबंटित किए गए तथा शेष ₹40.21 करोड़ की राशि के लिए कोई वार्षिक कार्य योजना नहीं थी।

सीआईएल ने उत्तर दिया (फरवरी 2024/ जून 2024) कि बाहरी कार्यान्वयन एजेंसियों से परियोजना प्रस्ताव वर्ष के दौरान प्राप्त हुए थे, न कि वर्ष की शुरुआत में। आवश्यकता और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के आधार पर, इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और सीएसआर निधि वर्ष के दौरान जारी की गई। इसलिए, पूरे वर्ष के लिए एक सटीक योजना शुरुआत में तैयार नहीं की जा सकी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सीआईएल ने समय की मांग के आधार पर योजनाओं को क्रियान्वित किया, जिससे संशोधित सीएसआर नियमों में अनिवार्य वार्षिक कार्य योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना और आगे कोई टिप्पणी नहीं की।

वार्षिक कार्य योजना बुनियादी ढांचा प्रदान करती है, जो लागू सीएसआर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। इस प्रकार, 15 कंपनियों ने 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने में कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया।

5.4 वित्तीय घटक

सीएसआर परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, जो मुख्यतः सीएसआर नियम 2014 के क्रियान्वयन से प्रेरित हैं। इस निर्देश के तहत कंपनियों को अपने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो *प्रतिशत* सामाजिक विकास के लिए आबंटित करना अनिवार्य है और इस निर्देश के कारण विकास पहलों के लिए संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकनों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

5.4.1 निधियों का उपयोग

अधिनियम की धारा 135(5) में कहा गया है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो *प्रतिशत* खर्च करे। डीपीई ने भी यह सलाह दी (अगस्त 2016) कि सीपीएसई द्वारा वर्ष के लिए आबंटित सीएसआर निधियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारित दो *प्रतिशत* ₹4,160.57 करोड़ के सापेक्ष और ₹296.27 करोड़ की राशि समायोजित करने के बाद, पिछले वर्ष से ₹10.90 करोड़ का अधिशेष जोड़ने के पश्चात, वास्तविक देयता ₹3,875.20 करोड़ थी। ₹3,875.20 करोड़ की वास्तविक देयता के मुकाबले, 2022-23 की अवधि के लिए सीएसआर व्यय ₹3,739.12 करोड़ था ***(अनुलग्नक XXIX)***। नौ सीपीएसई[69] ने वर्ष 2022-23 के लिए

---

[69] मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कंपनी (ईसीजीसी), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)।

किए गए सीएसआर व्यय की रिपोर्ट करते समय पिछले वर्षों से आगे बढ़ाए गए ₹43.05 करोड़ के सीएसआर व्यय को शामिल किया है ***(अनुलग्नक XXVIII)***।

इस प्रकार, व्यय में ₹136.08 करोड़ की कमी रही, जो वर्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम दायित्व से कम है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखी:

i. 43 सीपीएसई ने अपेक्षित देयता से ₹415.15 करोड़ अधिक व्यय किया (जिनमें सात सीपीएसई[70] शामिल हैं, जिनकी देयता 'शून्य' थी।)

ii. 76 सीपीएसई में से आठ सीपीएसई[71] ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर फंड का निर्धारित न्यूनतम व्यय किया।

iii. 25 सीपीएसई द्वारा ₹551.23 करोड़ की कमी की सूचना दी गई, जो 3.61 से 100 *प्रतिशत* तक थी ***(अनुलग्नक XXIX)***।

iv. एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) को सीएसआर गतिविधियों पर पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो *प्रतिशत* यानी ₹3.76 करोड़ खर्च करना था। हालांकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कोई राशि खर्च नहीं की। अपनी 47वीं बोर्ड बैठक (जून 2023) में एचबीएल ने अपने मूल मंत्रालय अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से एमसीए के समक्ष उसे सीएसआर से छूट दिए जाने के मामले को उठाने का प्रस्ताव रखा। प्रबंधन ने भी अपने जवाब (2024) में इस बात पर सहमति जताई। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार छूट का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, ऐसा कोई

---

[70] ***भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल), चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)***

[71] ***भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी), यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), पावरग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएमजेटीएल), पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएचटीएल), एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल), बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (बीएलआईएल), केआईओसीएल लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)।***

अभिलेख नहीं मिला जिससे पता चले कि एमसीए द्वारा अनुरोध स्वीकार किया गया था। यह देखते हुए कि कंपनी ने 2021-22 के दौरान ₹547.34 करोड़ का लाभ अर्जित किया, एचबीएल पर सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹3.76 करोड़ का व्यय करने की ज़िम्मेदारी थी। हालांकि, सीएसआर गतिविधियों के लिए कोई राशि आबंटित नहीं की गई। इस प्रकार कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रही।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना और आगे कोई टिप्पणी नहीं की।

5.4.2 श्रेणीवार एवं मंत्रालयवार सीएसआर व्यय

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 76 सीपीएसई के श्रेणीवार कुल सीएसआर व्यय का सारांश (अर्थात, ₹3,739.12 करोड़) नीचे तालिका 5.2 में दिया गया है। कंपनीवार व्यय का विवरण ***अनुलग्नक XXX*** में दिया गया है।

तालिका 5.2: श्रेणीवार सीएसआर व्यय

श्रेणी	सीपीएसई की संख्या	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)	कुल सीएसआर व्यय का *प्रतिशत*
महारत्न कंपनियां	13	2,291.70	61.29
नवरत्न कंपनियां	11	354.88	9.49
मिनीरत्न कंपनियां	36	886.94	23.72
अन्य कंपनियां	16	205.60	5.50
कुल	**76**	**3,739.12**	**100**

चार्ट 5.1: कुल सीएसआर व्यय का प्रतिशत

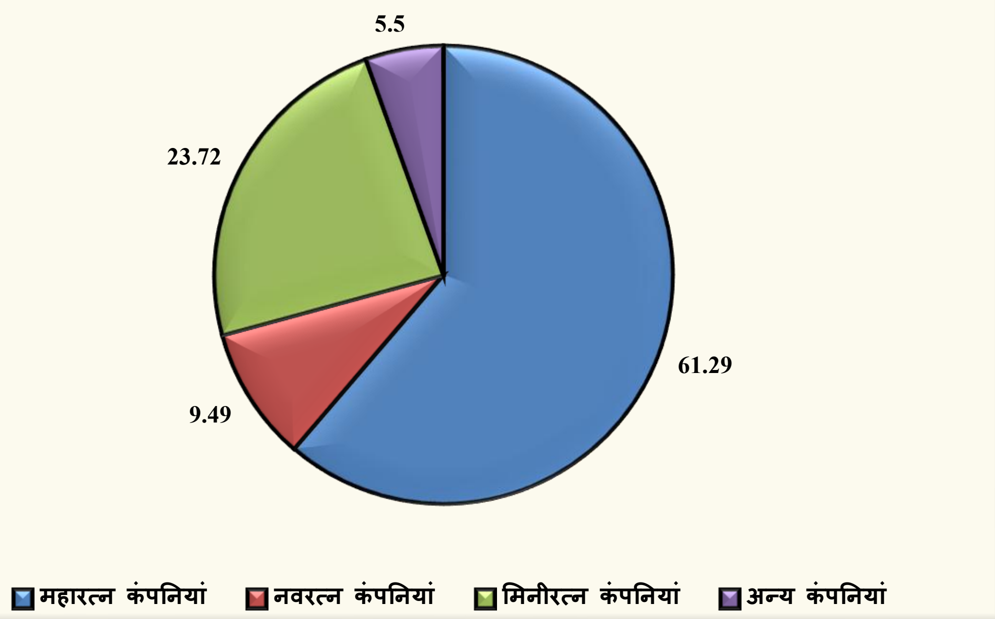

इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों के 76 चयनित सीपीएसई में से, सीएसआर पर सबसे अधिक व्यय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सीपीएसई (14 सीपीएसई, ₹1,259.61 करोड़) द्वारा किया गया, इसके बाद विद्युत मंत्रालय (10 सीपीएसई, ₹1,151.72 करोड़) और कोयला मंत्रालय (9 सीपीएसई, ₹540.92 करोड़) का स्थान रहा।

सबसे कम सीएसआर व्यय विमानन मंत्रालय (एक सीपीएसई, ₹4.09 करोड़) द्वारा किया गया। मंत्रालयवार सीएसआर व्यय तालिका 5.3 ***(अनुलग्नक XXXI)*** में दिया गया है।

तालिका 5.3: मंत्रालयवार/विभागवार सीएसआर व्यय

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	सीपीएसई की संख्या	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)
1	परमाणु ऊर्जा	4	164.05
2	नागरिक उड्डयन	1	4.09
3	कोयला	9	540.92
4	रासायनिक और उर्वरक	4	12.73
5	रक्षा	8	155.60
6	भारी उद्योग	2	6.10

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	सीपीएसई की संख्या	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)
7	खदानों	3	42.51
8	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	14	1,259.61
9	विद्युत	10	1,151.72
10	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	2	19.07
11	रेलवे	7	93.89
12	इस्पात	5	263.66
13	अन्य	7	25.17
	कुल	**76**	**3,739.12**

चार्ट 5.2: मंत्रालयवार सीएसआर व्यय

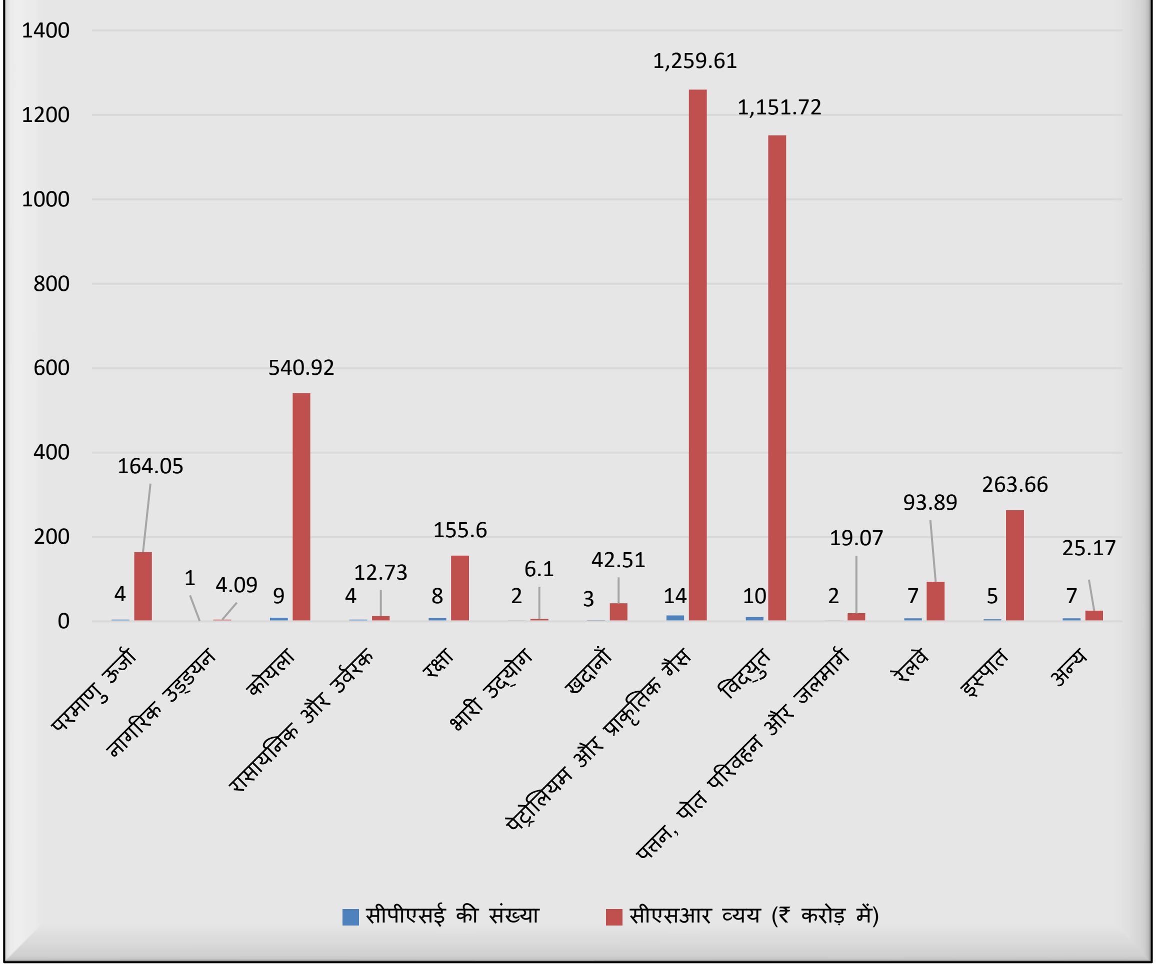

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना और आगे कोई टिप्पणी नहीं की।

5.4.3 सर्वाधिक व्यय वाले सीपीएसई

वर्ष 2022-23 में 76 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय ₹3,739.12 करोड़ था। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (ओएनजीसी) ने सबसे अधिक ₹475.89 करोड़ का सीएसआर व्यय किया, जो कुल सीएसआर व्यय का 12.73 *प्रतिशत* था। इसके बाद पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने ₹321.66 करोड़ (8.60 *प्रतिशत*), एनटीपीसी ने ₹315.32 करोड़ (8.43 *प्रतिशत*), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने ₹264.03 करोड़ (7.06 *प्रतिशत*) और आरईसी लिमिटेड ने ₹209.95 करोड़ (5.61 *प्रतिशत*) का योगदान दिया। ₹3,739.12 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय के मुकाबले, इन पांच सीपीएसई (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन दो, विद्युत मंत्रालय के अधीन तीन) ने ₹1,586.85 करोड़ के कुल व्यय के साथ 42.44 *प्रतिशत* का योगदान दिया ***(अनुलग्नक XXXII)***।

5.4.3.1 राज्य एवं संघ शासित प्रदेशवार सीएसआर व्यय

विभिन्न राज्यों में चयनित सीपीएसई द्वारा सीएसआर खर्च में व्यापक भिन्नता देखी गई। वर्ष 2022-23 के दौरान 76 सीपीएसई द्वारा राज्यवार सीएसआर खर्च नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 5.3: राज्य एवं संघ शासित प्रदेशवार सीएसआर व्यय

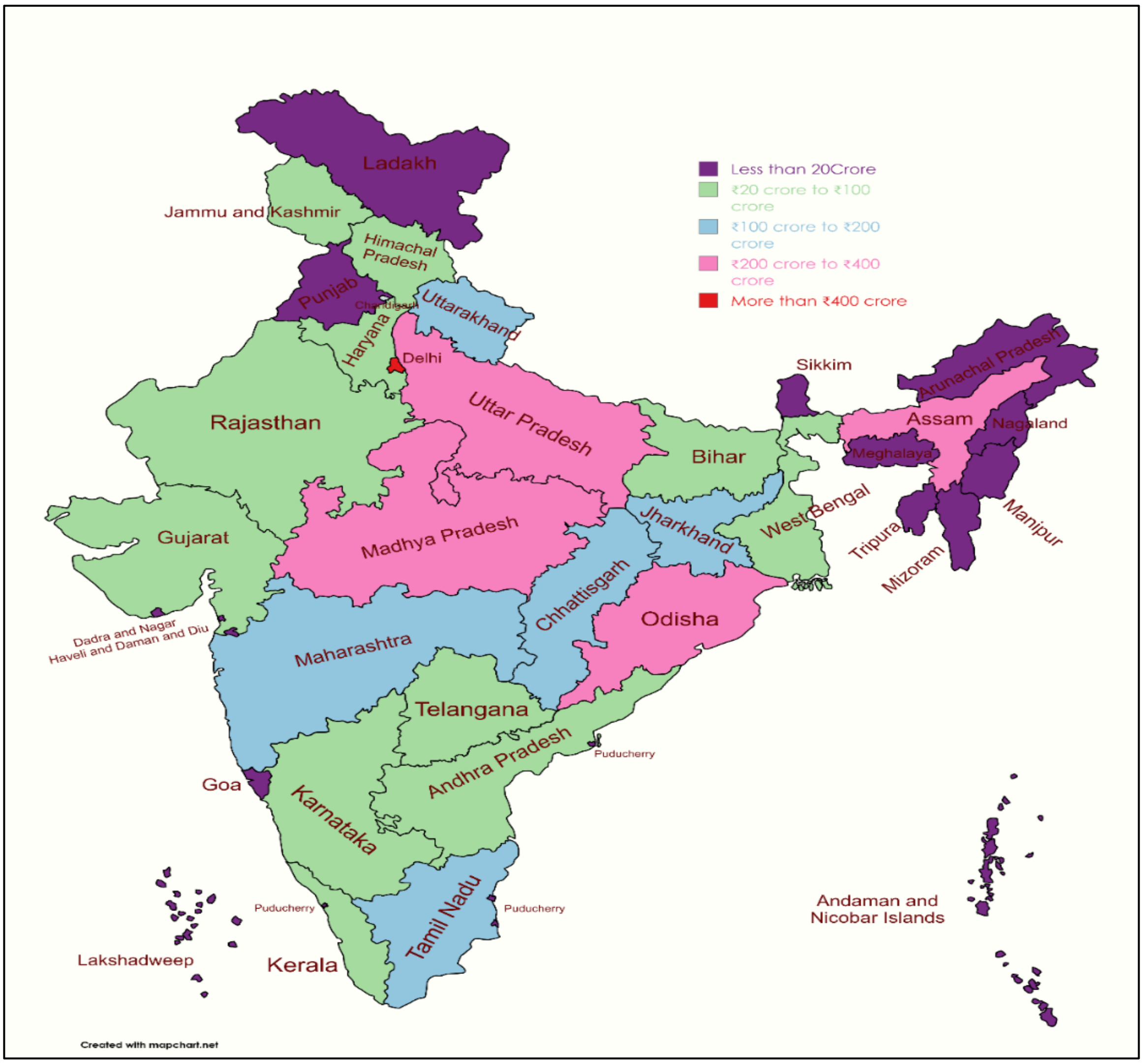

एक राज्य में सीपीएसई ने ₹400 करोड़ से अधिक (स्ट्रेटा ए) खर्च किए, चार राज्यों में सीपीएसई ने ₹200 करोड़ से ₹400 के बीच खर्च किए (स्ट्रेटा बी), पांच राज्यों में सीपीएसई ने ₹100 करोड़ से ₹200 करोड़ के बीच खर्च किए (स्ट्रेटा सी), 11 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में सीपीएसई ने ₹20 करोड़ से ₹100 करोड़ के बीच खर्च किए (स्ट्रेटा डी), और 15 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सीपीएसई ने ₹20 करोड़ से कम खर्च किए (स्ट्रेटा ई)[72]।

---

[72] *स्ट्रेटा ए - दिल्ली। स्ट्रेटा बी- ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, स्ट्रेटा सी- छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, तमिलनाडु, स्ट्रेटा डी- कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर स्तर ई- सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, मिजोरम, नागालैंड, गोवा, लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मेघालय, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप*

सीएसआर पर सर्वाधिक व्यय दिल्ली में हुआ जो ₹432.16 करोड़ (11.56 *प्रतिशत*) था, इसके बाद ओडिशा में ₹362.96 करोड़ (9.71 *प्रतिशत*) और असम में ₹231.45 करोड़ (6.18 *प्रतिशत*) का स्थान रहा।

दिल्ली में अधिकतम सीएसआर व्यय ओएनजीसी (₹339.24 करोड़) द्वारा किया गया, उसके बाद आईओसीएल (₹33.94 करोड़) का स्थान रहा।

ओडिशा में अधिकतम सीएसआर व्यय एमसीएल (₹207.97 करोड़) द्वारा किया गया, उसके बाद सेल (₹39.50 करोड़) का स्थान रहा।

इन तीन राज्यों (दिल्ली, ओडिशा और असम) ने कुल सीएसआर व्यय का 27.45 *प्रतिशत* हिस्सा खर्च किया।

दो संघ शासित प्रदेशों, अर्थात् लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार में सीएसआर व्यय शून्य था, सबसे कम मेघालय (₹37.97 लाख) और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (₹48.50 लाख) में था।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना और आगे कोई टिप्पणी नहीं की।

5.4.4 अव्ययित राशि अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार, किसी कंपनी द्वारा अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में शुरू की गई किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में, उप-धारा (5) के अंतर्गत, ऐसी शर्तों को पूरा करने वाली राशि जो निर्धारित की जा सकती है, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर किसी भी अनुसूचित बैंक में उस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा खोले गए विशेष खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी, जिसे अप्रयुक्त सीएसआर खाता कहा जाएगा। धारा 135(5) के अनुसार, जब तक कि अव्ययित राशि उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी चालू परियोजना से संबंधित न हो, ऐसी अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

i) वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में 34 सीपीएसई के पास ₹667.79 करोड़ की अव्ययित राशि थी। 34 सीपीएसई में से, 32 सीपीएसई ने शेष अप्रयुक्त सीएसआर बजट को

या तो अप्रयुक्त सीएसआर खाते में या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में निर्धारित समय के भीतर हस्तांतरित कर दिया।

ii) इन 32 सीपीएसई में से, पांच सीपीएसई[73] ने अव्ययित राशि को अप्रयुक्त सीएसआर खाते और अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया और एक सीपीएसई, यानी ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) ने अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में केवल ₹3.52 लाख की राशि स्थानांतरित की।

iii) दो सीपीएसई, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के बाद अप्रयुक्त धनराशि को अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित कर दिया था, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नहीं है ***(अनुलग्नक XXXIII)***।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना और आगे कोई टिप्पणी नहीं की।

5.4.5 प्रशासनिक व्यय और प्रभाव आकलन

सीएसआर नियम 2021 के नियम 7(1) के अनुसार, प्रशासनिक व्यय वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समग्र सीएसआर व्यय के पांच *प्रतिशत* से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी 40 सीपीएसई, जिन्होंने प्रशासनिक व्यय के रूप में ₹108.70 करोड़ खर्च किए, कंपनी के समग्र सीएसआर व्यय के पांच *प्रतिशत* की सीमा के भीतर थे। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2021 के नियम 8(3)(सी) के साथ कंपनी (सीएसआर) नियम, 2022 के नियम 4 के अनुसार, प्रभाव आकलन करने वाली कंपनी उस वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर हेतु व्यय दर्ज कर सकती है, जो उस वित्तीय वर्ष के कुल सीएसआर व्यय का दो *प्रतिशत* या ₹50 लाख, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा। सभी 26 सीपीएसई, जिन्होंने 2022-23 के दौरान प्रभाव आकलन पर ₹3.48 करोड़ खर्च किए, वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय के दो *प्रतिशत* की सीमा के भीतर थे ***(अनुलग्नक XXXIV)***।

---

[73] ***इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ईसीजीसी), गेल गैस लिमिटेड, हाउस एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)।***

5.4.6 सामान्य विषय पर डीपीई दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

डीपीई ने प्रत्येक वर्ष थीम-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर केन्द्रित तरीके से सीएसआर निधियों के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए (दिसंबर 2018) और दिशानिर्देशों में वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60 *प्रतिशत* सामान्य विषय पर खर्च करने की परिकल्पना की गई थी तथा आकांक्षी जिलों में व्यय करने को प्राथमिकता दी जानी थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखी:

i. वर्ष 2022-23 के लिए, डीपीई द्वारा जारी 5 अप्रैल 2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण, सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए चुना गया सामान्य विषय था। जबकि 36 सीपीएसई ने सामान्य विषय पर 60 *प्रतिशत* सीएसआर व्यय के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया, 40 सीपीएसई ने लक्ष्य से कम सीएसआर व्यय किया ***(अनुलग्नक XXXV)***।

ii. नीति आयोग ने पांच[74] व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों के अंतर्गत अपने सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्यों में 112 सर्वाधिक अविकसित जिलों (आकांक्षी जिलों) की पहचान की। आकांक्षी जिलों में सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार था:

- 51 सीपीएसई ने एक ही विषय पर आकांक्षी जिलों में सीएसआर व्यय (₹310.51 करोड़) किया, जो कुल सीएसआर व्यय (₹3,739.12 करोड़) का 8.30 *प्रतिशत* है।
- सामान्य विषय पर आकांक्षी जिलों में अधिकतम सीएसआर व्यय नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा ₹41.33 करोड़ किया गया, जिसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा ₹34.30 करोड़ और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा ₹24.08 करोड़ खर्च किया गया।

[74] ***स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास एवं बुनियादी ढांचा***

- भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) ने 62.13 *प्रतिशत* (₹6.07 करोड़) खर्च किए, इसके बाद भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) ने 57.23 *प्रतिशत* (₹39.90 लाख) और एसईसीएल ने सामान्य विषय पर आकांक्षी जिलों में अपने कुल सीएसआर व्यय का 52.23 *प्रतिशत* (₹24.08 करोड़) खर्च किया।
- झारखंड के आकांक्षी जिलों पर ₹51.45 करोड़ के सीएसआर व्यय का अधिकतम ध्यान दिया गया। इस राज्य में अधिकतम व्यय सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा किया गया, जिसने ₹13.42 करोड़ खर्च किए, उसके बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने ₹11.59 करोड़ खर्च किए।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना और कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की।

5.5 परियोजना कार्यान्वयन

5.5.1 आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के मार्गदर्शन नोट (जून 2021) के अनुसार, यह वांछनीय है कि सीपीएसई किसी भी सीएसआर गतिविधि के चयन से पहले आधारभूत सर्वेक्षण/ आवश्यकता मूल्यांकन करवा लें। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ***(अनुलग्नक XXXVI)***:

i. 76 सीपीएसई में से 34 सीपीएसई ने 3,381 परियोजनाओं के संबंध में सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन किए थे।

ii. 16 सीपीएसई ने 905 परियोजनाओं/कार्यकलापों के संबंध में आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया।

iii. 16 सीपीएसई ने आधारभूत सर्वेक्षण के साथ 643 परियोजनाएं और आधारभूत सर्वेक्षण के बिना 241 परियोजनाएं शुरू कीं।

iv. 7 सीपीएसई ने कोई परियोजना शुरू नहीं की और 3 सीपीएसई ने आधारभूत/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण के लिए डेटा उपलब्ध नहीं कराया।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना और कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की।

5.5.2 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

कंपनी (सीएसआर) नियम 2014 का नियम 4 (2) विशेष रूप से उस तरीके से संबंधित है जिससे अधिनियम की धारा 135 के तहत सीएसआर गतिविधि की जानी है। बोर्ड सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों को अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी या कंपनियों अथवा अन्य किसी माध्यम से क्रियान्वित करने का निर्णय ले सकता है।

76 सीपीएसई के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2,730 परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रत्यक्ष/आंतरिक रूप से किया गया तथा 3,645 परियोजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी/बाह्य एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, सोसाइटी के माध्यम से किया गया ***(अनुलग्नक XXXVII)***।

- आठ सीपीएसई ने 247 इन-हाउस परियोजनाएं शुरू कीं ***(अनुलग्नक XXXVIII);***
- सात सीपीएसई ने 682 परियोजनाएं बाहरी एजेंसियों को आउटसोर्स कीं;
- 53 सीपीएसई ने इन-हाउस परियोजनाएं (2,483) के साथ-साथ बाहरी एजेंसियों को आउटसोर्स की गई सीएसआर परियोजनाएं (2,963) भी शुरू की हैं और
- 7 सीपीएसई ने कोई परियोजना शुरू नहीं की और एक सीपीएसई ने सीएसआर गतिविधि के कार्यान्वयन के तरीके के लिए डेटा प्रदान नहीं किया।

बाह्य एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित 3,645 परियोजनाओं में से, सीपीएसई ने 636 परियोजनाओं के संबंध में निविदा का सहारा लिया था; 1,778 परियोजनाएं नामांकन के आधार पर और 1,231 परियोजनाएं या तो सरकारी एजेंसियों/संस्थाओं, स्थानीय निकायों/समुदाय-आधारित संगठनों के माध्यम से या गैर सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों आदि से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर शुरू की गई थीं ***(अनुलग्नक XXXIX)***।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना और कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की।

5.5.3 मुख्य क्षेत्र: अधिकतम और न्यूनतम सीएसआर खर्च वाले मुख्य क्षेत्र

स्वास्थ्य देखभाल पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया, जिस पर ₹1,313.04 करोड़ खर्च किए गए, जो कुल सीएसआर व्यय ₹3,739.12 करोड़ का 35.12 *प्रतिशत* था। अगला सर्वाधिक व्यय (₹933.40 करोड़) शिक्षा पर हुआ जो कुल व्यय का 24.96 *प्रतिशत* था। सबसे कम ध्यान सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए योगदान/निधि (₹4.69 करोड़) और झोपड़पट्टी क्षेत्र के विकास (₹27.36 करोड़) ***(अनुलग्नक XL)*** पर दिया गया।

शीर्ष चार मदों में, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना (₹1,313.04 करोड़), शिक्षा को बढ़ावा देना (₹933.40 करोड़), पीएमकेयर्स/पीएमएनआरएफ में योगदान और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य कोष (₹486.05 करोड़) और अनुसूची VII के अनुसार ग्रामीण विकास (₹336.90 करोड़):

i. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) स्वास्थ्य सेवा पर सबसे अधिक खर्च करने वाली कंपनी रही (₹159.69 करोड़),

ii. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाली कंपनी रही (₹129.08 करोड़),

iii. पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) पीएमकेयर्स, पीएमएनआरएफ और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में योगदान के मामले में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला था (₹105.00 करोड़) और

iv. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ग्रामीण विकास के मामले में सबसे अधिक खर्च करने वाली कंपनी रही (₹49.06 करोड़)।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना और कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की।

5.5.4 स्थानीय क्षेत्र

अधिनियम की धारा 135(5) में प्रावधान है कि सीपीएसई सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि खर्च करने में स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे जहां वे परिचालन करते हैं। 76 सीपीएसई के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार,

17 सीपीएसई ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया है, जबकि 59 सीपीएसई ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया है ***(अनुलग्नक XLI)***।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया:

i. 62 सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्र को वरीयता दी और नौ सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्र को वरीयता नहीं दी। तीन सीपीएसई अर्थात् हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) ने कहा कि यह उन पर लागू नहीं है क्योंकि उनका परिचालन पूरे भारत में है।

ii. एक सीपीएसई (पीएमजेटीएल) ने अपना संपूर्ण सीएसआर फंड (₹1.88 करोड़) पीएमकेयर्स फंड में दान किया।

iii. एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) ने सीएसआर व्यय से छूट का अनुरोध किया है।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना और कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की।

5.6 निगरानी ढांचा

सीएसआर नियम 2014 के नियम 5(2) के अनुसार, सीएसआर समिति सीपीएसई द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। डीपीई ने 1 अगस्त 2016 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीपीएसई को सीएसआर की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने का निर्देश दिया।

सीएसआर की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए संस्थागत तंत्र के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 76 सीपीएसई में से,

- 17 सीपीएसई ने मासिक समीक्षा की,
- दो सीपीएसई ने द्विमासिक समीक्षा की,
- 24 सीपीएसई ने तिमाही समीक्षा आयोजित की।

- ➢ तीन सीपीएसई ने अर्ध-वार्षिक समीक्षा आयोजित की।
- ➢ पांच सीपीएसई ने वार्षिक निगरानी की,
- ➢ तीन सीपीएसई को आवश्यकतानुसार संचालित किया गया।
- ➢ सात सीपीएसई ने एमओयू/परियोजना/आवश्यकता के आधार पर समीक्षा की,
- ➢ पांच सीपीएसई ने लगातार समीक्षा की,
- ➢ सात सीपीएसई ने निगरानी की आवधिकता निर्दिष्ट नहीं की,
- ➢ तीन सीपीएसई ने अपनी सीएसआर नीति के अनुसार समीक्षा की।

उपर्युक्त सीपीएसई का विवरण ***(अनुलग्नक XLII)*** में दिया गया है।

5.6.1 निगरानी ढांचे में कमी

कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम 2021 के नियम 4(5) के अनुसार, किसी कंपनी का बोर्ड स्वयं संतुष्ट होगा कि इस प्रकार वितरित धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और तरीके के लिए किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय का प्रमाणन करेगा।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि एनटीपीसी से छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आदिवासी नृत्य महोत्सव-2022, जिसे 01 नवंबर 2022 से 3 नवंबर 2022 की अवधि के दौरान आयोजित किया जाना था के सफल आयोजन के लिए विशेष सचिव, वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक उद्यम और सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार से वित्तीय सहायता की मांग प्राप्त हुई थी। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि एनटीपीसी ने 20 अक्टूबर 2022 को प्रस्ताव को मंजूरी दी और कंपनी अधिनियम 2013 के सीएसआर प्रावधानों और अनुसूची VII के अनुपालन में आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के लिए 30 अक्टूबर 2022 को सीएसआईडीसी लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार को ₹20 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की। एनटीपीसी ने (जून 2023 और सितंबर 2023) प्रदान किए गए अग्रिमों के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जारी करने के लिए कार्यकारी निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) से अनुरोध किया लेकिन एनटीपीसी को मार्च 2024 तक यूसी प्राप्त नहीं हुए। यूसी, चालान और भुगतान

वाउचर की अनुपस्थिति में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि वित्तीय सहायता का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया है या नहीं।

एनटीपीसी ने अपने उत्तर (अप्रैल 2024) में बताया कि यूसी प्राप्त करने के लिए सीएसआईडीसी के साथ मामले पर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना और कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की।

5.7 रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

सीएसआर नियम 2014 के नियम 8 के अनुसार, किसी कंपनी को अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल करना आवश्यक है। सीएसआर नियम 2022 के अनुलग्नक II के अनुसार, कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित का खुलासा करना होगा:

i. सीएसआर नीति की विषय-वस्तु और उसका वेब लिंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं, औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक खर्चे, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि तथा अव्ययित राशि के कारण।

ii. निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)।

इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

5.7.1 अपनी वेबसाइट पर सीएसआर गतिविधियों का प्रदर्शन न करना

76 सीपीएसई में से 70 सीपीएसई ने सार्वजनिक पहुंच के लिए वेबसाइट पर सीएसआर गतिविधियों का खुलासा किया और छह[75] सीपीएसई ने 2022-23 के दौरान इसका खुलासा नहीं किया ***(अनुलग्नक XLIII)***।

[75] *पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएचटीएल), चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल), सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)।*

5.7.2 अव्ययित राशि पर रिपोर्टिंग

यदि कोई कंपनी अपने सीएसआर दायित्व के तहत खर्च की जाने वाली राशि से कम खर्च करती है, तो बोर्ड धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ओ) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में कम खर्च के कारणों को निर्दिष्ट करेगा।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) वर्ष 2022-23 के लिए आबंटित ₹7.24 करोड़ की राशि के मुकाबले सीएसआर पर केवल ₹4.48 करोड़ की राशि ही खर्च कर सकी तथा ₹2.76 करोड़ की राशि खर्च नहीं हो सकी। तथापि, निदेशक मंडल ने अपनी रिपोर्ट में पूरी राशि खर्च न करने का कोई कारण नहीं बताया।

आईआरईडीए ने अपने उत्तर (मार्च 2024) में कहा कि दिए गए वर्ष के लिए सीएसआर फंड के तहत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना के लिए, सीएसआर समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल ने कई वर्षों में फैले पूर्व-निर्धारित चरणों के आधार पर किश्तों को जारी करने को मंजूरी दी है और विशेष रूप से उसी वित्तीय वर्ष में वितरित नहीं किया जाना है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ओ) के तहत राशि खर्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट नहीं किया था।

5.7.3 रिपोर्टिंग प्रारूप

76 सीपीएसई में से 49 सीपीएसई ने प्रकटीकरण प्रारूप का अनुपालन किया और 27 सीपीएसई ने कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2022 (नियम 5-अनुलग्नक-II) द्वारा निर्धारित अनुसार अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करते समय प्रकटीकरण प्रारूप का अनुपालन नहीं किया ***(अनुलग्नक XLIV)***।

5.7.4 परिसंपत्ति निर्माण

कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम 2022 के अनुलग्नक-II के अनुसार, कंपनी को सीएसआर राशि के माध्यम से सृजित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 76 सीपीएसई में से 22 सीपीएसई ने वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन/अर्जन किया था और वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया था। शेष 54 सीपीएसई

में से तीन सीपीएसई ने पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाई थीं, लेकिन इसका खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में नहीं किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है ***(अनुलग्नक XLV)***:

i. ओएनजीसी के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि इसने लगभग 420 पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन का खुलासा नहीं किया है, जो या तो सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से बनाई गई हैं या अधिग्रहित की गई हैं। इसकी सीएसआर रिपोर्ट में इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

ओएनजीसी ने जवाब दिया (जुलाई 2024) कि उसने वित्त वर्ष 2022-23 में बड़ी संख्या में सीएसआर गतिविधियों को क्रियान्वित किया और इस प्रक्रिया में अंतिम लाभार्थियों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खरीदी/अधिग्रहित सभी पूंजीगत वस्तुओं की रिपोर्ट करना बेहद मुश्किल था। सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित डेटा को प्रकटीकरण/रिपोर्टिंग हेतु एकत्रित करने के लिए हमारे कार्यान्वयन भागीदारों के साथ समन्वय/सहयोग से एक प्रणाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

ii. मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से बनाई गई/अधिग्रहित किसी भी संपत्ति का खुलासा नहीं किया था। प्रबंधन ने कहा कि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाई गई/अधिग्रहित की गई और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया था। इसके अलावा, प्रबंधन ने अपने बाद के उत्तर (मार्च 2024) में कहा कि सूची में उल्लिखित सभी कार्य लोगों के लाभ के लिए किए गए हैं और एमओआईएल के नाम पर कोई पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाई गई है।

मॉयल के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि मॉयल ने सीएसआर गतिविधियों पर धन खर्च किया है, जो पूंजीगत परिसंपत्तियों की प्रकृति के थे। तथापि, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा नहीं किया गया है। लोगों के लाभ के लिए सीएसआर के तहत बनाई गई पूंजीगत परिसंपत्तियों की सूची कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में बताई जानी चाहिए थी।

iii. यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ने पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, सड़कों आदि के निर्माण के लिए ₹3.27 करोड़ का सीएसआर व्यय किया। तथापि, सीएसआर गतिविधियों के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट

2022-23 में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन या अधिग्रहण को 'शून्य' के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। यूसीआईएल ने अपने जवाब (मार्च 2024) में कहा कि संपत्ति/परिसंपत्तियां उसके स्वामित्व में नहीं थीं और सीएसआर व्यय एकमुश्त व्यय था तथा किसी भी प्रकार की संपत्ति/संपत्तियों के सृजन के लिए नहीं था। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि सीएसआर फंड से उपरोक्त व्यय का उपयोग पूंजी/अचल संपत्तियों के निर्माण के लिए किया गया था और इसका खुलासा 2022-23 के लिए सीएसआर पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट में किया जाना चाहिए था, भले ही उपरोक्त संपत्ति यूसीआईएल के स्वामित्व में नहीं थी।

5.7.5 प्रभाव आकलन

संशोधित सीएसआर नियम, 2021 के नियम 8 (3) (ए) के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ₹10 करोड़ या उससे अधिक की औसत सीएसआर बाध्यता वाली प्रत्येक कंपनी को एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करना होगा, जो प्रभाव आकलन करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो गई हों।

उपर्युक्त मानदंडों के अंतर्गत आने वाले सभी 30 सीपीएसई (पीएफसी लिमिटेड को छोड़कर) ने प्रभाव आकलन किया था तथा अपनी सीएसआर रिपोर्ट में इसकी सूचना दी थी। ***(अनुलग्नक XLVI)***।

पीएफसी लिमिटेड में 2022-23 से पहले पूरी की गई 20 सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन होना था। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सीएसआर संशोधित नियम, 2021 के नियम 8 (3) (ए) का पालन नहीं किया गया।

पीएफसी लिमिटेड ने बताया (मार्च 2024) कि प्रभाव आकलन के लिए सूचीबद्ध एजेंसी की नियुक्ति हेतु बोली प्रक्रिया समय लेने वाली प्रक्रिया है और वर्तमान में चल रही है। नौ सीएसआर परियोजनाओं के लिए बोलियां पहले ही आमंत्रित की जा चुकी हैं, जिनमें से सात को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके अलावा, 11 सीएसआर परियोजनाओं के लिए बोलियां अनुमोदनाधीन हैं।

डीपीई ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में उस टिप्पणी को तथ्यात्मक कथन माना और कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की।

5.8 निष्कर्ष

सीएसआर नियम 2014 के नियम 5(2) के अनुसार पारदर्शी निगरानी तंत्र के लिए आदेश और डीपीई और एमसीए के बाद के दिशानिर्देशों के बावजूद, कई सीपीएसई अपनी सीएसआर गतिविधियों से संबंधित प्रभावी निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन प्रक्रियाएं स्थापित करने में विफल रहे हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियों में सीएसआर परियोजना समीक्षाओं की आवृत्ति में अनियमितताएं, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कमियां और सीएसआर व्यय की अनुचित रिपोर्टिंग जैसे मुद्दे उजागर हुए हैं। इसके अलावा, निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूपों का अनुपालन न करना, कंपनी की वेबसाइटों पर सीएसआर गतिविधियों का अपर्याप्त खुलासा, तथा परिसंपत्ति निर्माण और प्रभाव आकलन आवश्यकताओं के अनुपालन में कमी सीएसआर दायित्वों के निष्पादन में प्रणालीगत समस्या का संकेत देती है। ये निष्कर्ष सीपीएसई के लिए अपने सीएसआर प्रशासन ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, ताकि जवाबदेही, पारदर्शिता और वैधानिक और नियामक दिशानिर्देशों के साथ संरेखण सुनिश्चित हो सके, जिससे उनकी पहलों की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता बढ़ सके।

अध्याय VI

प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनीरत्न सीपीएसई के मध्य समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

अध्याय 6

प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनीरत्न सीपीएसई के मध्य समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

6.1 परिचय

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के मुख्य शेयरधारक होने के कारण सरकार के प्रमुख स्वामित्व कार्यों में से एक सीपीएसई का नियमित निष्पादन मूल्यांकन करना है ताकि उन मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिसके लिए इनका गठन किया गया है, उनकी प्रभावकारिता का आँकलन किया जा सके।

सीपीएसई और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन की प्रणाली सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों सीपीएसई के लिए अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सीपीएसई के निष्पादन का आकलन करने के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया का एक प्रकार का तंत्र है। समझौता ज्ञापन वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग और सीपीएसई के प्रबंधन के साथ एक पारस्परिक चर्चा से किया गया समझौता है, जो चयनित मापदंडों पर लक्ष्य निर्धारित करता है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत इन लक्ष्यों के सापेक्ष निष्पादन के मापन हेतु परिणामों का मूल्यांकन करता है।

सभी सीपीएसई (धारक और सहायक दोनों) को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है; धारक कंपनियों को अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है जबकि सहायक कंपनियों को अपनी संबंधित धारक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। हालांकि, धारक सीपीएसई अपनी सहायक कंपनियों के संबंध में समझौता ज्ञापन से छूट के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

6.1.1 समझौता ज्ञापन हेतु संस्थागत तंत्र

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों के मध्य एक समन्वयक के रूप में कार्य करता है और समझौता ज्ञापन लक्ष्य निर्धारण की प्रणाली के साथ-साथ

निष्पादन मापदंडों के मूल्यांकन के माध्यम से सीपीएसई के प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली प्रदान करता है।

डीपीई द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत पोर्टल सहित एक डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग समझौता ज्ञापन समझौतों को दर्ज करने, हस्ताक्षर, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। समझौता ज्ञापन संरचना को सक्षम बनाने के लिए सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों को उचित उपयोगकर्ता नियमों के साथ इस पोर्टल पर जोड़ा गया है।

संस्थागत स्तर पर, समझौता ज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं विद्यमान हैं:

- **उच्च शक्ति समिति (एचपीसी)**

समझौता ज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत संस्थागत व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर एचपीसी, अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा अनुशंसित, नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित कर रही है। एचपीसी में समिति के अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट सचिव, सीईओ (नीति आयोग), वित्त सचिव, सचिव (व्यय), सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन), अध्यक्ष (सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड), मुख्य आर्थिक सलाहकार (आर्थिक मामलों का विभाग) और सचिव (सार्वजनिक उद्यम) सम्मिलित होंगे। विशेष रूप से, एचपीसी सामान्य टेम्पलेट (समझौता ज्ञापन मापदंड) को अनुमोदन प्रदान करेगी।

- **अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी)**

वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) में अध्यक्ष के रूप में सचिव (डीपीई), मुख्य आर्थिक सलाहकार (आर्थिक मामलों का विभाग), वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग के प्रतिनिधि और प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में एवं आवश्यकता के आधार पर सहयोजित कोई अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) में अध्यक्ष के रूप में सचिव (डीपीई), मुख्य आर्थिक सलाहकार (आर्थिक मामलों का विभाग), व्यय विभाग, एमओएसपीआई, नीति आयोग के प्रतिनिधि और प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव/ प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित के रूप में और आवश्यकता के आधार पर सहयोजित कोई अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

आईएमसी क्षेत्रीय टेम्पलेट/ सीपीएसई वार समझौता ज्ञापन मापदंडों को अंतिम रूप देगा। क्षेत्रीय टेम्पलेट का उद्देश्य उस क्षेत्र और/ या सीपीएसई में मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रासंगिक मापदंडों एवं भारिता का चयन व पहचान करना है। आईएमसी बेंचमार्क लक्ष्यों के रूप में प्रत्येक मापदंड के लिए निष्पादन के अपेक्षित स्तर को भी निर्धारित करेगी। बेंचमार्क लक्ष्य "उत्कृष्ट" स्तर के लिए होगा। आईएमसी को विभिन्न मापदंडों के लिए बेंचमार्क निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, सीपीएसई आधार वर्ष[76] अर्थात, समझौता ज्ञापन लक्ष्य वर्ष 2021-22 के लिए 2020-21 के 31 मार्च तक और समझौता ज्ञापन लक्ष्य वर्ष 2022-23 के लिए आधार वर्ष 2021-22 के 31 दिसंबर तक डैशबोर्ड पर कुछ वित्तीय और भौतिक विशेषताओं के अनुमानित आंकड़े अपलोड करेगा। एक बार आधार वर्ष के वास्तविक परिणाम उपलब्ध होने के पश्चात उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय और भौतिक विशेषताओं के आंकड़े, सीपीएसई द्वारा समझौता ज्ञापन वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर तक डैशबोर्ड पर अद्यतित किए जाएंगे। डैशबोर्ड पर वास्तविक डेटा अपलोड करने पर, लीगेसी डेटा स्वचालित रूप से अद्यतित हो जाएगा और तदनुसार बेंचमार्क लक्ष्य संशोधित/अद्यतित हो जाएंगे। इसी प्रकार, आधार वर्ष 2020-21 (2021-22 के लिए) के 31 मार्च तक और वर्ष 2021-22 (2022-23 के लिए) के 31 दिसंबर तक, प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग वार्षिक आदर्श लक्ष्य (माइलस्टोन) के साथ तीन वर्षों के लिए क्षेत्रीय दूरदर्शिता (विजन) योजना का विवरण डैशबोर्ड पर अपलोड करेंगे जिससे आईएमसी द्वारा बेंचमार्किंग के समय इसे ध्यान में रखा जा सके।

6.1.2 समझौता ज्ञापन के मापदंडों एवं लक्ष्यों का निर्धारण

समझौता ज्ञापन प्रक्रिया में सम्मिलित मापदंड बाजार उन्मुख हैं, जो सूचीबद्ध सीपीएसई के लिए राजस्व में वृद्धि, निवल मूल्य पर रिटर्न, परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात और बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में शेयरधारकों के हित को दर्शाते हैं। सीपीएसई के मुख्य संचालन से संबंधित उत्पादकता से जुड़े मापदंडों को पर्याप्त महत्व दिया गया है। मापदंडों को सीपीएसई के पिछले निष्पादन और भविष्य के अनुमानों, प्रशासनिक मंत्रालय की दूरदर्शिता योजना, क्षेत्रीय बेंचमार्किंग और समकक्ष तुलना, यदि कोई हो, के अनुसार अनुक्रमित किया गया है। सभी मापदंड सार्वजनिक डोमेन में दस्तावेजों से मात्रात्मक और सत्यापन योग्य हैं। समझौता

[76] ***समझौता ज्ञापन लक्ष्य से पिछले वर्ष।***

ज्ञापन मापदंड को समूहों में सम्मिलित किया गया है जिससे किसी क्षेत्र/सीपीएसई के लिए गैर-लागू मापदंडों, यदि कोई हो, की भारिता को उसी समूह के अन्य मापदंडों में पुनर्वितरित किया जा सके। इसके अलावा सरकार की कुछ प्राथमिकताएँ/कार्यक्रम जैसे कि सीएसआर, जीईएम/ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से खरीद आदि को भी सीपीएसई द्वारा अनुपालन के लिए शामिल किया गया है, जिसका अनुपालन न करने पर पूरे अंक काटे जायेंगे, यानि कोई आंशिक कटौती नहीं होगी। समझौता ज्ञापन के मापदण्ड और अंकन पैटर्न का उल्लेख ***अनुलग्नक-XLVII*** में किया गया है।

6.1.3 समझौता ज्ञापन अंक व रेटिंग:

समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को निर्धारित करने और उसके अनुरूप निष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया नीचे बताई गई है:

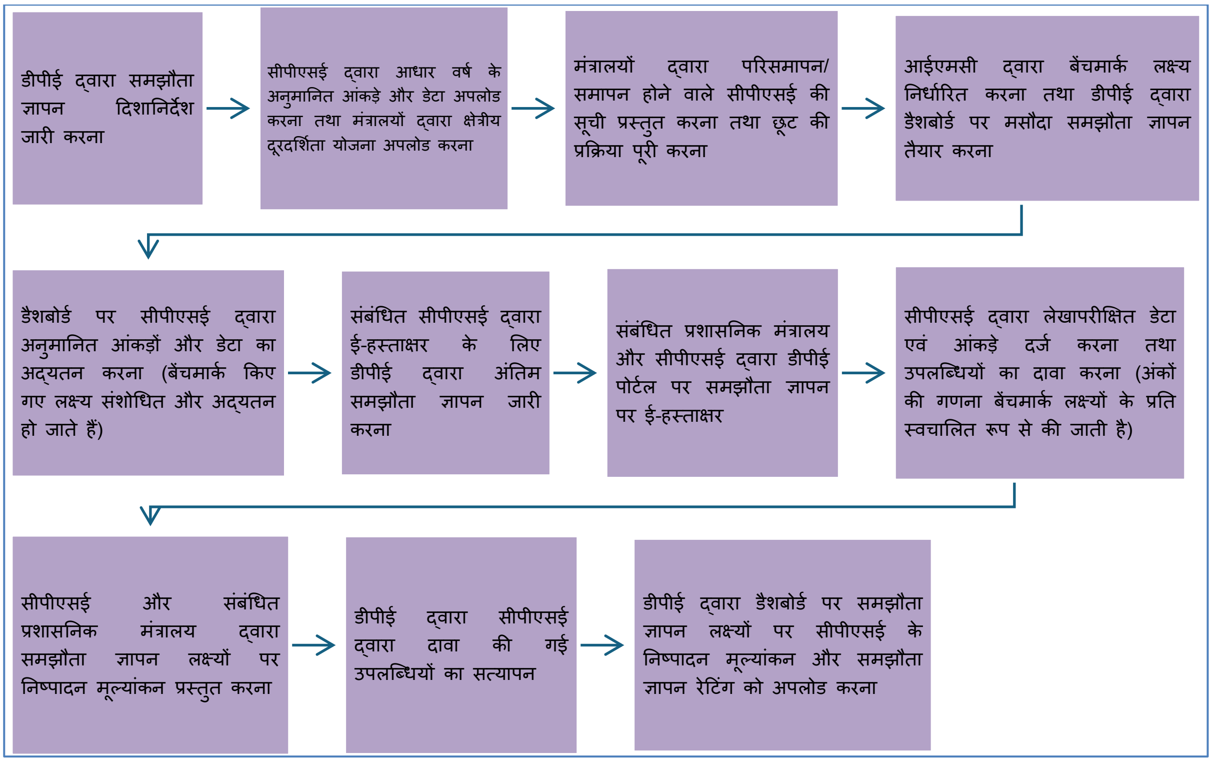

संबंधित सीपीएसई के समझौता ज्ञापन अंक के आधार पर सीपीएसई की समझौता ज्ञापन रेटिंग समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

समझौता ज्ञापन अंक	समझौता ज्ञापन रेटिंग
अंक >= 90	उत्कृष्ट
अंक>= 70	बहुत अच्छा
अंक>= 50	अच्छा

समझौता ज्ञापन अंक	समझौता ज्ञापन रेटिंग
अंक>= 33	संतोषजनक
अंक< 33	खराब

6.1.4 समझौता ज्ञापनों का मूल्यांकन

एक बार जब सीपीएसई के लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों से डेटा डैशबोर्ड पर उपलब्ध हो जाता है, तो बेंचमार्क लक्ष्यों के प्रति अंकों की गणना स्वचालित रूप से की जाएगी। विनिमय दर, कच्चे माल अथवा तैयार माल की कीमत में बदलाव अथवा किसी अन्य कारण से ऑफसेट के कारण समझौता ज्ञापन समझौते में कोई समायोजन नहीं होगा क्योंकि इन्हें सामान्य व्यावसायिक गतिविधि माना जाता है और घोषित लेखों की लेखापरीक्षित विवरण मान्य होगी। सीपीएसई को प्रत्येक मापदंड के लिए लक्ष्यित आंकड़ों के 50% से 100% तक की उपलब्धि के लिए आनुपातिक रूप से अंक आवंटित किए जाएंगे (वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन के संबंध में 'तीसरी तिमाही तक 90% कैपेक्स उपलब्धि' और वर्ष 2022-23 के लिए 'घाटे में चल रहे सीपीएसई के संबंध में घाटे/ व्यय में कमी' पर मापदंड को छोड़कर)। लक्ष्य के 50% से कम उपलब्धि वाले मापदंडों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे (2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन के संबंध में 'बाजार पूंजीकरण' और वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन के संबंध में शेयरधारकों को कुल रिटर्न के मापदंड को छोड़कर)। समग्र अंक पर पहुंचने के लिए सभी मापदंडों के अंको को जोड़ा जाएगा।

6.2 विश्लेषण का कवरेज

डीपीई वेबसाइट पर वर्ष 2020-21 के लिए उपलब्ध रेटिंग के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत 68 मिनीरत्न[77] सीपीएसई (57 श्रेणी-I और 11 श्रेणी-II) थे, जिनमें से 49 सीपीएसई

---

[77] *मिनीरत्न कंपनी एक सीपीएसई है जिसे निरंतर लाभप्रदता के कारण वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्रदान की जाती है, जिससे निर्णय लेने और बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है।*
श्रेणी I - ऐसे सीपीएसई जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया है, कम से कम 3 वर्षों में से एक वर्ष में कर-पूर्व लाभ ₹30 करोड़ अथवा उससे अधिक है तथा जिनका निवल मूल्य सकारात्मक है।
श्रेणी II - वे सीपीएसई जो पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ अर्जित कर रहे हैं तथा जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक है।
मिनीरत्न सीपीएसई को सरकार को देय किसी भी ऋण/ब्याज भुगतान के पुनर्भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिए तथा उन्हें बजटीय सहायता या सरकारी प्रत्याभूति पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

धारक सीपीएसई थे। मिनीरत्न सीपीएसई के समझौता ज्ञापन के विश्लेषण के लिए, 49 धारक मिनीरत्न सीपीएसई में से 11 मिनीरत्न (10 श्रेणी-I और एक श्रेणी-II) को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया।

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए चयनित सीपीएसई द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन का विश्लेषण लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक चयनित सीपीएसई के साथ उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और समझौता ज्ञापन रेटिंग का विवरण नीचे तालिका 6.1 में दिया गया है:

तालिका 6.1: चयनित सीपीएसई की समझौता ज्ञापन रेटिंग और प्रशासनिक मंत्रालय का विवरण

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	समझौता ज्ञापन रेटिंग		
			2020-21	2021-22	2022-23
1	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	शिपिंग	बहुत अच्छा	अच्छा	अच्छा
2	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	आवास और शहरी मामले	बहुत अच्छा	अच्छा	बहुत अच्छा
3	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	अच्छा	अच्छा	बहुत अच्छा
4	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	रेल	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
5	भारत संचार निगम लिमिटेड	दूरसंचार	संतोषजनक	खराब	अच्छा
6	एनएचपीसी लिमिटेड	विद्युत	अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
7	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	रक्षा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
8	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	बहुत अच्छा	अच्छा	छूट प्राप्त

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	समझौता ज्ञापन रेटिंग		
			2020-21	2021-22	2022-23
9	केंद्रीय भंडारण निगम	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा
10	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	परमाणु ऊर्जा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
11	मेकॉन लिमिटेड	इस्पात	संतोषजनक	संतोषजनक	संतोषजनक

6.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में चयनित 11 मिनीरत्न सीपीएसई द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों और उनकी निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की जांच की गई। समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। ऐसी समीक्षा/ जांच के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

6.3.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

6.3.1.1 समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने एवं हस्ताक्षर करने में विलम्ब

डीपीई द्वारा जारी समझौता ज्ञापन दिशा-निर्देशों में समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने और डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई गई थी। हालांकि, डीपीई ने 11 नवंबर 2022 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी मंत्रालयों/ विभागों/सीपीएसई को यह निर्देश दिया कि वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन को समझौता ज्ञापन डैशबोर्ड पर जारी कर दिया गया है, जिन्हें समझौता ज्ञापन डैशबोर्ड के माध्यम से 21 दिनों के भीतर ई-हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए, 11 चयनित सीपीएसई में से नौ सीपीएसई के संबंध में, आईएमसी की बैठक अगस्त 2021 से सितंबर 2021 में आयोजित की गई थी। इसी प्रकार, 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य को अंतिम रूप देने के लिए सभी 11 सीपीएसई के संबंध में आईएमसी बैठकें अक्टूबर 2022 में आयोजित की गईं। वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापनों पर इन 11 सीपीएसई ने फरवरी 2022 से मार्च 2022 के दौरान 145 दिनों से 212 दिनों के

विलम्ब से हस्ताक्षर किए। इसी प्रकार, 10 सीपीएसई (एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को छोड़कर, जिसे छूट प्राप्त थी) ने अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापनों पर नवंबर 2022 से जनवरी 2023 के दौरान पांच दिनों से 33 दिनों के विलम्ब से ई-हस्ताक्षर किए। विवरण ***अनुलग्नक-XLVIII*** और ***XLIX*** के अनुसार है।

इससे यह पता चलता है कि आईएमसी की बैठकें वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में आयोजित की गईं, जबकि सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 2021-22 के लिए वर्ष की अंतिम तिमाही में और वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य रूप से तीसरी तिमाही में किए गए। इस प्रकार, सीपीएसई को अंतिम समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रमशः वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए लगभग 1-2 महीने और 3-4 महीने की नाममात्र अवधि मिल सकी। इससे यह पता चलता है कि समझौता ज्ञापन को समय पर अंतिम रूप देने के लिए डीपीई द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए।

डीपीई ने प्रतिउत्तर दिया (सितंबर 2024) कि डैशबोर्ड विकसित करने और हितधारकों को नवीन प्रणाली से परिचित कराने में लगने वाले समय के कारण वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन में विलम्ब हुआ। हालांकि, बाद के वर्ष में समयसीमा में सुधार करने के प्रयास किए गए और 2021-22 के लिए लगे समय के विपरीत, वर्ष 2022-23 हेतु समझौता ज्ञापनों पर दो-तीन सप्ताह में हस्ताक्षर किए गए।

प्रतिउत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 दोनों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर संबंधित वित्तीय वर्षों की शुरुआत के काफी बाद हुए, जिससे सीपीएसई को समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त समय से वंचित होना पड़ा।

6.3.1.2 मंत्रालयों की क्षेत्रीय दूरदर्शिता (विजन) योजना के बिना समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देना

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1 में उल्लेख किया गया है कि समझौता ज्ञापन में मापदंडों को सीपीएसई के पिछले निष्पादन, प्रशासनिक मंत्रालय की दूरदर्शिता योजना, क्षेत्रीय बेंचमार्किंग और समकक्ष तुलना, यदि कोई हो, के अनुसार अनुक्रमित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन दिशा-निर्देशों के पैरा 3.4 में यह

आवश्यक है कि प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग आधार वर्ष के 31 मार्च अर्थात 31 मार्च 2021 तक (वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन के संबंध में) और आधार वर्ष के 31 दिसंबर अर्थात 31 दिसंबर 2021 तक (वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन के संबंध में) वार्षिक आदर्श लक्ष्य (माइलस्टोन) के साथ तीन वर्षों के लिए क्षेत्रीय दूरदर्शिता (विजन) योजना का विवरण डैशबोर्ड पर अपलोड करेंगे, जिससे आईएमसी द्वारा बेंचमार्किंग के समय इसे ध्यान में रखा जा सके।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसीएल) के संबंध में रेल मंत्रालय (एमओआर) ने वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए समझौता ज्ञापन डैशबोर्ड पर क्षेत्रीय दूरदर्शिता (विजन) योजना अपलोड नहीं की। इस प्रकार, आईआरएफसीएल के संबंध में वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन को समझौता ज्ञापन डैशबोर्ड पर क्षेत्रीय दूरदर्शिता (विजन) योजना अपलोड किए बिना मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया और हस्ताक्षरित किया गया, जोकि समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

रेल मंत्रालय ने यह स्वीकार किया (मार्च 2025) कि आईआरएफसीएल के लिए कोई क्षेत्रीय योजना उपलब्ध अथवा प्रक्रियाधीन नहीं थी।

6.3.1.3 सहायक कंपनियों को उनकी धारक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए छूट देने में विलम्ब

वर्ष 2022-23 के लिए डीपीई समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के पैरा 2 के अनुसार, सभी सीपीएसई (धारक और सहायक) को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था। धारक कंपनियों को अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था, जबकि सहायक कंपनियों को अपनी संबंधित धारक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था। धारक कंपनियां अपनी सहायक कंपनी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट देने के लिए स्वतंत्र हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट की प्रक्रिया क्रमशः वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 31 मई 2021 और 31 मार्च 2022 तक पूर्ण की जानी थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सहायक कंपनियों द्वारा धारक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट देने की लक्ष्य तिथि 31 मार्च 2022 के प्रति, एनएचपीसी

ने वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी तीन सहायक कंपनियों78 को एक वर्ष से अधिक के विलम्ब से छूट प्रदान की (3 अप्रैल 2023)।

इसी प्रकार, बीएसएनएल के संबंध में यह देखा गया कि इनके द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए अपनी सहायक कंपनी बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीटीसीएल) के साथ न तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और न ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट पर सहमति व्यक्त की गई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात ही बीएसएनएल द्वारा 31 मई 2021 की लक्ष्य तिथि के प्रति पूर्वव्यापी अनुमोदन (19 मई 2024) दिया गया।

एनएचपीसी ने प्रतिउत्तर दिया (जून 2024) कि 26 दिसंबर 2022 को विद्युत मंत्रालय के साथ एनएचपीसी के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के पश्चात (28 दिसंबर 2022 को ई-हस्ताक्षरित), सहायक/ संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए समझौता ज्ञापन मापदंडों के निर्धारण और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई एवं 03 अप्रैल 2023 को अनुमोदित की गई।

एनएचपीसी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन पर डीपीई के दिशा-निर्देश, सहायक/ संयुक्त उद्यम को अपनी धारक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट के संबंध में, स्व-व्याख्यात्मक थे एवं धारक कंपनी के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने तक सहायक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की छूट को रोकने के लिए निर्धारित नहीं किया गया था।

बीएसएनएल ने प्रतिउत्तर दिया (सितंबर 2024) कि बीएसएनएल और बीटीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन से छूट के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन मई 2024 में प्रदान किया गया है।

बीएसएनएल के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बीएसएनएल ने अपनी सहायक कंपनी को धारक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की

---

[78] ***एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल), लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) और बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)।***

छूट के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन लगभग तीन वर्षों के विलंब से दिया था, जो डीपीई दिशानिर्देशों के विपरीत था।

6.3.2 डीपीई दिशानिर्देशों की गैर अनुपालना

6.3.2.1 व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) पर मापदंड

डीपीई ने 04 मई 2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी सीपीएसई को टीआरईडीएस पोर्टल पर पंजीकरण करने और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया था। सीपीएसई को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्रणाली के समान एक वास्तविक समय बिल ट्रैकिंग प्रणाली लागू करनी चाहिए, जिससे विक्रेताओं को बिल अपलोड करने और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित हो सके। माल/सेवाओं की प्राप्ति के पश्चात, सीपीएसई को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार 15 दिनों में स्वीकृति/अस्वीकृति पर निर्णय लेना चाहिए, जिसे इस अवधि के पश्चात अनापत्ति को स्वीकृति मान लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 हेतु समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार निर्धारित समय में टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से सीपीएसई द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति के पांच अंक होंगे।

आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय (परमाणु ऊर्जा विभाग) के साथ वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (18 नवंबर 2022) और ई-हस्ताक्षर (23 नवंबर 2022) किए, जिसमें पांच भारिता अंकों के साथ 'टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति' पर समझौता ज्ञापन लक्ष्य सम्मिलित था।

समझौता ज्ञापन निष्पादन मूल्यांकन (26 सितंबर 2023) से जुड़े अनुपालन प्रमाणपत्रों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि आईआरईएल टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के साथ पंजीकृत क्रेता था। टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होने के पश्चात भी, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर कोई संव्यवहार नहीं हुआ। हालांकि, समझौता ज्ञापन मूल्यांकन रिपोर्ट में, आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड को डीपीई द्वारा 'पांच' अंक दिए गए थे।

इसी प्रकार, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) के संबंध में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि हुडको टीआरईडीएस पोर्टल पर एमएसएमई विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित

करने में विफल रहा है। यद्यपि, हुडको/ एमओएचयूए ने 2022-23 के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में पूरे पांच अंकों का दावा करते हुए यह तर्क दिया है कि उन्होंने इस मापदंड का पूरी तरह से अनुपालन किया है। हालांकि, डीपीई ने निष्पादन मूल्यांकन में इस मापदंड के लिए तीन अंक दिए क्योंकि हुडको द्वारा एमएसएमई की कोई ऑनबोर्डिंग नहीं की गई थी। स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में यह दावा करना कि हुडको ने वर्ष 2022-23 के लिए टीआरईडीएस के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन किया था, सही नहीं था और इसके परिणामस्वरूप डीपीई ने हुडको को शून्य (0) अंक के स्थान पर तीन (03) अंक दिए क्योंकि कोई भी एमएसएमई विक्रेता टीआरईडीएस पर पंजीकृत नहीं थे।

आईआरईएल (मई 2024) ने कहा है कि आईआरईएल ने फरवरी 2019 में टीआरईडीएस पर ऑनबोर्ड किया और एमएसई विक्रेताओं को लगातार इसके लाभों की सुविधा प्राप्त करवाने के लिए इसमें ऑनबोर्ड होने के लिए मनाया गया। जबकि आईआरईएल 2021 में 131 विक्रेताओं को मनाने में सफल रहा, परंतु वर्तमान में आज की तिथि में यह संख्या घटकर 74 रह गई है। विक्रेता विभिन्न कारणों से इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक थे जैसे कि आईआरईएल से समय पर भुगतान, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड होने पर पंजीकरण और वार्षिक शुल्क, विक्रेताओं को बिल छूट के अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। समझौता ज्ञापन 2022-23 के मूल्यांकन के लिए इस प्रकरण को डीपीई के समक्ष उठाया गया है।

आईआरईएल के प्रतिउत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर आईआरईएल और एमएसई विक्रेताओं के पंजीकरण के बाद भी, 2022-23 के दौरान टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई संव्यवहार नहीं हुआ है।

हुडको ने प्रतिउत्तर दिया (सितंबर 2024) कि शुरू से ही, उसने डीपीई के साथ इस बात पर चर्चा की थी कि टीआरईडीएस मापदंड किस प्रकार से प्राप्त किया जाए और उसने एमएसएमई को पोर्टल पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। हालांकि, विक्रेताओं ने उच्च पंजीकरण शुल्क, टीआरईडीएस के माध्यम से भुगतान पर ब्याज, क्रय मूल्य कम होने आदि जैसे विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए टीआरईडीएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया।

हुडको के प्रतिउत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि दिशा-निर्देशों में टीआरईडीएस पोर्टल पर विक्रेताओं को ऑनबोर्ड करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए अंक देने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, बिना किसी आधार के तीन अंक देना उचित नहीं है।

6.3.3 समझौता ज्ञापन मापदंड की गैर अनुपालना (अनुपालन मापदंड)

2021-22 और 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार, समझौता ज्ञापन मापदंडों को क्रमशः चार और पांच प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया था। एक समूह अर्थात अनुपालन मापदंड समूह में, यह उल्लेख किया गया कि कुल अंक समूह में सभी मापदंडों के अनुपालन के अधीन होगा, जिसके विफल होने पर पूरे अंक काटे जाएंगे और कोई आंशिक कटौती नहीं होगी। समूह में वेतन संशोधन के लिए डीपीई दिशानिर्देश, प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 का कार्यान्वयन, सीएसआर व्यय, कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (एलओडीआर), 2015 के प्रावधान आदि जैसे अनेक अनुपालन मापदंड थे।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि डीपीई द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देशों का सीपीएसई द्वारा अनुपालन न करने के बाद भी समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के सापेक्ष इन सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन करते समय, डीपीई ने सीपीएसई द्वारा प्राप्त समग्र समझौता ज्ञापन अंकों से मापदंडों के अनुपालन न करने के लिए अंक नहीं काटे, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

6.3.3.1 सीएसआर और प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 पर डीपीई दिशानिर्देशों का गैर अनुपालन

अनुपालन मापदंड समूह में चयनित मामलों पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन सीएसआर व्यय और प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 सहित सम्मिलित था, जिसके विफल होने पर सीपीएसई द्वारा प्राप्त समग्र समझौता ज्ञापन अंक से 2021-22 के लिए दो (2) अंक काटे जाने थे। इसी प्रकार, सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने पर वर्ष 2022-23 के लिए एक (1) अंक काटा जाना था।

सीपीएसई के सीएसआर व्यय पर डीपीई के दिनांक 10 दिसंबर 2018 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीएसआर निधियों का उपयोग प्रत्येक वर्ष विषयगत दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति केंद्रित तरीके से किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देशों में आगे यह कहा गया है कि विषयगत कार्यक्रम के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसई के वार्षिक सीएसआर

व्यय का लगभग 60 *प्रतिशत* होना चाहिए। वर्ष 2021-22 के लिए विषय 'कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य और पोषण' और 2022-23 के लिए 'स्वास्थ्य और पोषण' था, जिसे सीएसआर व्यय करने के लिए डीपीई द्वारा अनुमोदित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेकॉन लिमिटेड ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान विषयगत कार्यक्रम पर 60 *प्रतिशत* सीएसआर व्यय का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। वर्ष 2021-22 में कुल ₹149.84 लाख के सीएसआर व्यय में से केवल ₹34.30 लाख अर्थात 22.89 *प्रतिशत* राशि विषयगत गतिविधियों पर व्यय की गई जबकि वर्ष 2022-23 में कुल ₹61.45 लाख के सीएसआर व्यय में से विषयगत गतिविधियों पर कोई राशि व्यय नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के कार्यान्वयन हेतु डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को कर्मचारियों की कुल संख्या के 2.5 *प्रतिशत* से 10 *प्रतिशत* के बीच प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करके प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 2021-22 के दौरान, मेकॉन लिमिटेड ने जून 2021 में 1,515 कर्मचारियों के प्रति मात्र एक प्रशिक्षु को नियुक्त किया, अर्थात कर्मचारियों की कुल संख्या का 0.07 *प्रतिशत*, जो कि प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन पर डीपीई दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन है।

यद्यपि मेकॉन लिमिटेड ने 2021-22 और 2022-23 के दौरान सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देशों और 2021-22 के दौरान प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 का अनुपालन नहीं किया, फिर भी डीपीई द्वारा वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए मेकॉन लिमिटेड द्वारा प्राप्त कुल समझौता ज्ञापन अंक से कोई अंक नहीं काटा गया।

मेकॉन लिमिटेड ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

6.3.3.2 समझौता ज्ञापन मापदंड का अपालन - कंपनी अधिनियम और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015

समझौता ज्ञापन वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 या कॉर्पोरेट प्रशासन पर सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और

प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर, सीपीएसई द्वारा प्राप्त कुल समझौता ज्ञापन अंक से तीन अंक काटे जाने थे।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि कॉर्पोरेट प्रशासन पर सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के बाद भी, डीपीई ने सीपीएसई के कुल समझौता ज्ञापन अंक से तीन अंक नहीं काटे, जैसा कि समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में अपेक्षित है, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

(क) बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों का न होना

किसी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति, बोर्ड प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता का तत्व लाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे कंपनी के सामान्य हितों में कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार हो सके और इससे अल्पसंख्यक हितों और छोटे शेयरधारकों को लाभ प्राप्त हो सके, जिनकी आवाज अन्यथा सुनी नहीं जा सकती।

सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(बी) के अनुसार, 'जहां सूचीबद्ध इकाई के पास नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, वहां निदेशक मंडल में कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।'

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने 2021-22 हेतु चयनित छह सूचीबद्ध सीपीएसई में से चार और 2022-23 के लिए चयनित छह सूचीबद्ध सीपीएसई में से दो के संबंध में इस मापदंड का गैर अनुपालन पाया, जैसा कि निम्न में चर्चा की गई है:

एनएचपीसी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), आईआरएफसीएल और हुडको के निदेशक मंडल में 2021-22 और 2022-23 की निम्नलिखित अवधि के दौरान आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व नहीं था:

सीपीएसई का नाम	निदेशक मंडल की अवधि जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है
आईआरएफसी	01.04.2021 से 31.03.2023
एनएचपीसी	01.04.2021 से 30.11.2021, 01.04.2022 से 31.08.2022 और 13.12.2022 से 09.03.2023
सीएसएल	01.04.2021 से 21.11.2021
हुडको	01.04.2021 से 31.03.2022

अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 के दौरान एनएचपीसी और हुडको के बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण, चार बोर्ड स्तरीय समितियां अर्थात लेखापरीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति, सीएसआर समिति एवं स्थिरता और जोखिम प्रबंधन समिति, जिनमें स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित होने चाहिए थे, स्वतंत्र निदेशकों के बिना गठित की गईं।

(ख) बोर्ड में महिला निदेशक का अभाव

निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियमन 17(1) (ए) के अनुसार, 'निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होगा, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक होगी।'

तथापि, यह देखा गया कि चयनित छह सूचीबद्ध सीपीएसई में से दो अर्थात एनएचपीसी और सीएसएल के बोर्ड में क्रमश: 01.04.2021 से 29.11.2021 और 01.04.2021 से 25.11.2021 के दौरान कोई महिला निदेशक नहीं थी।

(ग) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियमन 21(3ए) के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

हालाँकि, यह पाया गया कि हुडको में जोखिम प्रबंधन समिति की 2021-22 में मात्र एक बार बैठक हुई।

(घ) इसके अतिरिक्त, चयनित छह में से दो सीपीएसई अर्थात सीएसएल और एनएचपीसी के संबंध में, कंपनी अधिनियम 2013/सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत आवश्यक निम्नलिखित समितियों का गठन निम्नलिखित अवधि के दौरान नहीं किया गया:

सीपीएसई का नाम	समिति का नाम	गैर अनुपालन की अवधि
सीएसएल	लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	01.04.2021 से 19.12.2021
	जोखिम प्रबंधन समिति	05.08.2021 से 19.12.2021
एनएचपीसी	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	01.04.2021 से 06.12.2021

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आईआरएफसीएल, एनएचपीसी, सीएसएल और हुडको के संबंध में समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए कोई अंक नहीं काटा गया।

एनएचपीसी ने प्रतिउत्तर दिया है (जून 2024) कि 2021-22 के दौरान, प्रशासनिक मंत्रालय यानी विद्युत मंत्रालय द्वारा बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण, कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकी।

सीएसएल ने प्रतिउत्तर दिया (मई 2024) कि उसने महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पद को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचनाएं भेज दी हैं। तथापि, गैर अनुपालन पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण था।

आईआरएफसी ने अपने प्रतिउत्तर (जुलाई 2024) में यह कहा है कि निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार रेल मंत्रालय के पास है और कंपनी का अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। आईआरएफसी अपने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध एवं इस पर कार्रवाई कर रहा है।

हुडको ने प्रतिउत्तर दिया (सितंबर 2024) कि पिछले वर्षों में, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण जो हुडको के अधिकार-क्षेत्र में नहीं है, डीपीई ने गैर अनुपालन के लिए कोई अंक नहीं काटा था।

एनएचपीसी, आईआरएफसीएल, सीएसएल और हुडको के प्रतिउत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण सीपीएसई कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ सेबी (एलओडीआर) विनियमों का अनुपालन नहीं कर सके। इस प्रकार, समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार, इन सीपीएसई द्वारा प्राप्त समझौता ज्ञापन अंक से सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण तीन अंकों की कटौती (2021-2022 के लिए) और आनुपातिक कटौती अर्थात प्रत्येक प्रावधान के लिए 0.6 (2022-2023 के लिए) की जानी चाहिए थी।

6.3.3.3 समझौता ज्ञापन मापदंड का गैर अनुपालन - सीपीएसई के वेतन संशोधन पर डीपीई दिशानिर्देश

अनुपालन मापदंड समूह में चयनित मामलों पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन सीपीएसई के वेतन संशोधन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन सहित सम्मिलित था, जिसके विफल होने पर समझौता ज्ञापन लक्ष्य वर्ष 2021-22 हेतु सीपीएसई द्वारा प्राप्त समग्र समझौता ज्ञापन अंक से दो (2) अंक काटे जाने थे।

हुडको और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-22 हेतु समझौता ज्ञापन ई-हस्ताक्षरित (09 फरवरी 2022) किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वेतन संशोधन दिशा-निर्देशों पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुपालन और वेतन संशोधन के लिए सीपीएसई की लाभप्रदता की समीक्षा से संबंधित एक अनुपालन मापदंड सम्मिलित था। दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन मापदंडों के अनुपालन के लिए स्रोत/सत्यापन सीएजी रिपोर्ट आदि होंगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीएजी की केंद्र सरकार (वाणिज्यिक) 2019 की रिपोर्ट संख्या 13 में 'अनुलब्धियों के अनियमित भुगतान' पर एक पैरा सम्मिलित था, अर्थात 2009-10 से 2018-19 की अवधि के दौरान हुडको द्वारा किए गए ₹16.22 करोड़ की राशि के अनुलाभों का अनियमित भुगतान कैफेटेरिया दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुलब्धियों और भत्तों हेतु डीपीई द्वारा निर्धारित सीमा से परे था। तथापि, हुडको ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान भी अनुलाभ का ऐसा अनियमित भुगतान करना जारी रखा, जिसकी वर्ष 2021-22 के लिए राशि ₹1.21 करोड़ सहित ₹4.57 करोड़ थी।

तथापि समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के प्रति अपने निष्पादन मूल्यांकन में हुडको ने यह प्रमाणित किया कि उसने वेतन संशोधन पर डीपीई दिशानिर्देशों से संबंधित अनुपालन मापदंडों का अनुपालन किया और वेतन संशोधन के लिए सीपीएसई की लाभप्रदता की समीक्षा की है। इस प्रकार के गैर अनुपालन के बाद भी, डीपीई ने समझौता ज्ञापन मापदंडों के प्रति हुडको के निष्पादन का मूल्यांकन करते समय कोई अंक नहीं काटा।

हुडको ने प्रतिउत्तर दिया (सितंबर 2024) कि इस प्रकार का अंतर ब्याज डीपीई द्वारा अधिसूचित भत्तों/ सुविधाओं के सीमा-क्षेत्र में नहीं आता और डीपीई ने सुविधाओं और भत्तों सहित विभिन्न मामलों पर अपने दिशानिर्देशों में कर्मचारियों को प्रदान किए गए अग्रिम पर अंतर ब्याज और उपहार वाउचरों और स्मृति चिन्हों को निर्धारित सीमा में कैफेटेरिया दृष्टिकोण के अंतर्गत भत्ते के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है।

प्रतिउत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि समझौता ज्ञापन के दिशा-निर्देशों में यह स्वयं कहा गया है कि डीपीई दिशा-निर्देशों के मापदंडों के अनुपालन के लिए स्रोत/सत्यापन सीएजी रिपोर्ट होगी और सीएजी रिपोर्ट में एक पैरा सम्मिलित था जिसमें डीपीई द्वारा निर्धारित सीमा से परे सुविधाओं के अनियमित भुगतान को प्रकाशित किया गया था, जिस पर प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस प्रकार, डीपीई के वेतन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन न करने पर विचार करते हुए, हुडको के समग्र अंक से पूरे दो अंक काटे जाने चाहिए थे।

6.3.3.4 सीपीएसई की वेबसाइट पर समझौता ज्ञापन को होस्ट न करना

वर्ष 2021-22 के लिए पोर्टल जनित समझौता ज्ञापन को एनएचपीसी (12 जनवरी 2022) और 2022-23 के लिए बीएसएनएल (23 सितंबर 2022) को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ अग्रेषित करते हुए, डीपीई ने उनसे 21 दिनों के भीतर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और उसे अपनी वेबसाइटों पर पोस्ट करने का अनुरोध किया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एनएचपीसी और बीएसएनएल द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ क्रमशः वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन उनकी वेबसाइटों पर होस्ट नहीं की गई थी।

एनएचपीसी ने अपने प्रतिउत्तर (जून 2024) में लेखापरीक्षा अवलोकन को भविष्य के अनुपालन हेतु नोट किया है।

बीएसएनएल ने प्रतिउत्तर दिया है (सितंबर 2024) कि भविष्य में सार्वजनिक डोमेन में सुलभ बीएसएनएल वेबसाइट पर समझौता ज्ञापन की होस्टिंग का प्रबंधन किया जाएगा।

6.3.3.5 डीपीई द्वारा समझौता ज्ञापन निष्पादन रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है

समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपीई द्वारा समझौता ज्ञापन निष्पादन रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा समझौता ज्ञापन डैशबोर्ड पर निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अपलोड करने और डीपीई द्वारा समझौता ज्ञापन डैशबोर्ड पर अंतिम निष्पादन रेटिंग अपलोड करने के बीच का समय अंतराल वर्ष 2021-22 के लिए 3 दिन से 98 दिन और वर्ष 2022-23 के लिए 38 दिन से 100 दिन के बीच था। विवरण ***अनुलग्नक-L*** और ***LI*** के अनुसार हैं।

इस पर समय-सीमा का प्रावधान न होने के कारण विलम्ब का पता नहीं लगाया जा सका। समय पर मूल्यांकन के लिए, समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में समय-सीमा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

डीपीई ने प्रतिउत्तर दिया (सितंबर 2024) कि समझौता ज्ञापन मूल्यांकन के लिए प्रामाणिक स्रोतों से डेटा/सूचना का सत्यापन आवश्यक है, जिसे पूर्ण करने में सामान्यतः 3-4 सप्ताह का समय लगता है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि डीपीई द्वारा एमओयू विष्पादन मूल्यांकन में लिया गया समय उसकी घोषित 3-4 सप्ताह की समय-सीमा से अधिक था।

6.4 निष्कर्ष

सीपीएसई और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रणाली सीपीएसई के निष्पादन का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य शासन में सहायता प्रदान करना है। तथापि, वर्ष 2021-22 और 2022-23 हेतु चयनित मिनीरत्न सीपीएसई के समझौता ज्ञापन लक्ष्यों एवं मूल्यांकन के विश्लेषण से यह

संकेत मिलता है कि समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने एवं हस्ताक्षर करने में पांच दिनों से 212 दिनों तक का विलम्ब हुआ, डीपीई के दिशा-निर्देशों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुपालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन के निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में डीपीई द्वारा कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

टिप्पणियों हेतु मार्च 2025 में यह अध्याय डीपीई को जारी किया गया था एवं प्रत्युत्तर अभी प्रतीक्षित है।

(आनंद मोहन बजाज)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(वाणिज्यिक और रिपोर्ट केन्द्रीय) एवं
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक: 28 नवंबर 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 03 दिसंबर 2025

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I (पैरा संख्या 1.1.3 देखें)
31 मार्च, 2023 तक सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों/वैधानिक निगमों की सूची

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
	सरकारी कंपनियाँ
1.	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड
2.	एग्रीनोवेटिव इंडिया लिमिटेड
3.	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
4.	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड
5.	एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड
6.	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड
7.	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागवानी विकास निगम लिमिटेड
9.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड
10.	अंडमान फिशरीज लिमिटेड
11.	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
13.	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड
14.	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15.	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड
16.	अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड
17.	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड
18.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
19.	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड
20.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
21.	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
22.	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
24.	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
25.	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेज लिमिटेड
26.	बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड
27.	बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड
28.	बीईएमएल लिमिटेड
29.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
30.	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड
31.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड
32.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड
33.	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
34.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
35.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
36.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
37.	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड
38.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
39.	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
40.	भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड
41.	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड
42.	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड
43.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
44.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
45.	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड
46.	भारत संचार निगम लिमिटेड
47.	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
48.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
49.	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
50.	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
51.	बीको लॉरी लिमिटेड
52.	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
53.	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड
54.	बिहार मेगा पावर लिमिटेड
55.	बीजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड
56.	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद
57.	बर्ड्स, जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड
58.	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड
59.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड
60.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
61.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
62.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
63.	ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
64.	ब्रशवेयर लिमिटेड
65.	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
66.	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
67.	कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड
68.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
69.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
70.	केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड
71.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
72.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड
73.	केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड
74.	भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री
75.	केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
76.	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड
77.	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड
78.	चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
79.	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
80.	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड
81.	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
82.	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड
83.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
84.	चैयूर इंफ्रा लिमिटेड
85.	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
86.	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड
87.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
88.	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
89.	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
90.	सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड
91.	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड
92.	कोल इंडिया लिमिटेड
93.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
94.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
95.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
96.	कॉनकॉर एयर लिमिटेड
97.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
98.	क्रिएटिव म्यूजियम डिज़ाइनर्स
99.	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
100.	साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
101.	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव एससी/एसटी वित्त और विकास निगम लिमिटेड
102.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
103.	डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन
104.	दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड
105.	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
106.	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
107.	देवघर इंफ्रा लिमिटेड
108.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
109.	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
110.	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड
111.	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
112.	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
113.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
114.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
115.	ईसीजीसी लिमिटेड
116.	एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड
117.	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
118.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
119.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
120.	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड
121.	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
122.	फतेहगढ़-III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
123.	फतेहगढ़-III ट्रांसमिशन लिमिटेड
124.	फतेहगढ़-IV ट्रांसमिशन लिमिटेड
125.	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
126.	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
127.	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
128.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
129.	गेल गैस लिमिटेड
130.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
131.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
132.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
133.	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड
134.	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
135.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
136.	गोल्डमोहर डिजाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड
137.	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस
138.	ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
139.	ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड
140.	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड
141.	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
142.	हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
143.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
144.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
145.	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
146.	हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी
147.	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड
148.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
149.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
150.	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
151.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
152.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
153.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड
154.	हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड
155.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
156.	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
157.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
158.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड
159.	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
160.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
161.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
162.	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
163.	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड
164.	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
165.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
166.	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड
167.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
168.	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड
169.	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड
170.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
171.	एचएमटी लिमिटेड
172.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
173.	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
174.	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
175.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
176.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
177.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
178.	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड
179.	एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड
180.	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड
181.	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
182.	आईटीआई लिमिटेड
183.	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्राइवेट) लिमिटेड
184.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड
185.	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
186.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
187.	आईएफसीआई लिमिटेड
188.	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड
189.	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड
190.	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड
191.	आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड
192.	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
193.	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
194.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
195.	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
196.	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड
197.	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
198.	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड
199.	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
200.	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन
201.	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
202.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
203.	भारतीय चिकित्सा औषधि निगम लिमिटेड
204.	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
205.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
206.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
207.	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड
208.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
209.	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड
210.	इंडियन वैक्सीन्स कंपनी लिमिटेड
211.	इंडो-रशियन हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड
212.	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
213.	इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
214.	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड
215.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
216.	इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
217.	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
218.	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड
219.	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड
220.	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड
221.	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
222.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
223.	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड
224.	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
225.	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड
226.	इरकॉन शिव पुरी गुना लिमिटेड
227.	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
228.	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड
229.	आईटीपीओ सर्विसेज लिमिटेड
230.	जेएंडके डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
231.	जेएंडके मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
232.	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
233.	जल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
234.	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
235.	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड
236.	झारखंड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
237.	जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड
238.	कर्मयोगी भारत
239.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
240.	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
241.	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन
242.	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड
243.	कवारत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड
244.	खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड
245.	केआईओसीएल लिमिटेड
246.	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड
247.	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
248.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
249.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
250.	केपीएसआई ट्रांसमिशन लिमिटेड
251.	कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
252.	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड
253.	लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
254.	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड
255.	लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड
256.	लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
257.	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
258.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
259.	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
260.	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
261.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
262.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
263.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
264.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
265.	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
266.	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड
267.	मंड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
268.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
269.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
270.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
271.	मेकॉन लिमिटेड
272.	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
273.	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
274.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
275.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
276.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
277.	एमजेएसजे कोल लिमिटेड
278.	एमएमटीसी लिमिटेड
279.	एमएनएच शक्ति लिमिटेड
280.	एमओआईएल लिमिटेड
281.	एमएसटीसी लिमिटेड
282.	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
283.	मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
284.	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
285.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
286.	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड
287.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
288.	नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
289.	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
290.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
291.	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र
292.	नेशनल ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
293.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
294.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
295.	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
296.	राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम
297.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
298.	राष्ट्रीय हाइ स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
299.	राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
300.	नेशनल इन्फॉर्मैटिक्स सेंटर सर्विसेस इकॉर्पोरटेड
301.	नेशनल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
302.	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष ट्रस्टी लिमिटेड
303.	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
304.	राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड
305.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
306.	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रकशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
307.	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटड
308.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
309.	नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
310.	नेशनल शेड्यूलड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
311.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
312.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
313.	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
314.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
315.	एनबीसीसी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड
316.	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड
317.	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड
318.	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
319.	एनईपीए लिमिटेड
320.	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
321.	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
322.	न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल स्मार्ट सिटी लिमिटेड
323.	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
324.	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
325.	एनएचडीसी लिमिटेड
326.	एनएचपीसी लिमिटेड
327.	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
328.	एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड
329.	एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड
330.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
331.	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
332.	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड
333.	एनएमडीसी लिमिटेड
334.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड
335.	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
336.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड
337.	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
338.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
339.	उत्तरी कोलफील्ड्स लिमिटेड
340.	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
341.	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
342.	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
343.	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड
344.	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
345.	एनटीपीसी लिमिटेड
346.	एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड
347.	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
348.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
349.	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
350.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
351.	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड
352.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
353.	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड
354.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
355.	ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली लिमिटेड
356.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
357.	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
358.	ओडिशा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
359.	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
360.	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
361.	पवन हंस लिमिटेड
362.	पीईसी लिमिटेड
363.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
364.	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
365.	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर
366.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
367.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
368.	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड
369.	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
370.	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
371.	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड
372.	पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
373.	पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड
374.	पावरग्रिड भड़ला-III ट्रांसमिशन लिमिटेड
375.	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड
376.	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड
377.	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
378.	पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
379.	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड
380.	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड
381.	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
382.	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
383.	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड
384.	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड
385.	पावरग्रिड खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड
386.	पावरग्रिड खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड
387.	पावरग्रिड खावड़ा री ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
388.	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
389.	पावरग्रिड केपीएस 2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
390.	पावरग्रिड केपीएस 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड
391.	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड
392.	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड
393.	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड
394.	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड
395.	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
396.	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड
397.	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
398.	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड
399.	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
400.	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड
401.	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
402.	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
403.	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
404.	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
405.	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
406.	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड
407.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
408.	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड
409.	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
410.	रेल विकास निगम लिमिटेड
411.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
412.	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड
413.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
414.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
415.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
416.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
417.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
418.	रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
419.	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड
420.	आरईसी लिमिटेड
421.	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
422.	रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
423.	आरईएमसी लिमिटेड
424.	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड
425.	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड
426.	रेरोल बर्न लिमिटेड
427.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
428.	राइट्स लिमिटेड
429.	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड
430.	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
431.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
432.	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड
433.	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
434.	सांभर साल्ट्स लिमिटेड
435.	स्कूटर इंडिया लिमिटेड
436.	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
437.	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
438.	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड
439.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड
440.	सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड
441.	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड
442.	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
443.	सिओट ट्रांसमिशन लिमिटेड
444.	एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
445.	एसजेवीएन लिमिटेड
446.	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड
447.	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
448.	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
449.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
450.	एसटीसीएल लिमिटेड
451.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
452.	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
453.	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
454.	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड
455.	सूरत इंटेग्रटेड ट्रांसपोटेसन डेवलपमेंट लिमिटेड
456.	सूटी टेक ऑप्शंस लिमिटेड
457.	तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड
458.	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन
459.	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड
460.	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड
461.	टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
462.	टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड
463.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
464.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
465.	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
466.	ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड
467.	कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
468.	एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड
469.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
470.	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
471.	हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड0
472.	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
473.	जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
474.	केरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
475.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
476.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
477.	उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
478.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
479.	दक्षिणी पेस्टिसाइड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
480.	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
481.	ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
482.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
483.	ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड
484.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
485.	टीयूएससीओ लिमिटेड
486.	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
487.	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
488.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
489.	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
490.	उर्वरक विदेश लिमिटेड
491.	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
492.	उत्कर्षा एल्युमिनियम धातु निगम लिमिटेड
493.	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड
494.	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड
495.	वैपकोस लिमिटेड
496.	वेइबर्ड (इंडिया) लिमिटेड
497.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
498.	यंत्र इंडिया लिमिटेड
499.	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
500.	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड
501.	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
	सांविधिक निगम
1.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
2.	केंद्रीय भंडारण निगम
3.	दामोदर घाटी निगम
4.	भारतीय खाद्य निगम
5.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
6.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ
1.	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड
2.	एक्यूमेज़र्स (पंजाब) लिमिटेड
3.	एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड
4.	एएफसी इंडिया लिमिटेड
5.	एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
6.	अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे कंपनी लिमिटेड
7.	एआईसी-आरआरयू इनक्यूबेशन फाउंडेशन
8.	एलाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
9.	आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
10.	एपीआईटीसीओ लिमिटेड
11.	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
12.	एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड
13.	अवंतिका गैस लिमिटेड
14.	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15.	बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
16.	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
17.	बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
18.	बेंगलूरु एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड
19.	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
20.	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
21.	भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड
22.	भोर सागर पोर्ट लिमिटेड
23.	बिहार इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड
24.	बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
25.	बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
26.	बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
27.	बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड
28.	बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
29.	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी (पी) लिमिटेड
30.	ब्रेथवेट एनएसीओएफ़ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड
31.	कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
32.	केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड
33.	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
34.	केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
35.	कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
36.	कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
37.	कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
38.	कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
39.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
40.	सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
41.	सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड
42.	सेंट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड
43.	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
44.	चेन्नई एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
45.	सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
46.	कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड
47.	कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड
48.	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
49.	सीएससी ग्रामीण ईस्टोर प्राइवेट लिमिटेड
50.	सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
51.	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
52.	देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड
53.	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड
54.	धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड
55.	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड
56.	डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड
57.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
58.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
59.	ईएसजी रिस्क असेसमेंट एंड इनसाइट लिमिटेड
60.	एक्सेलसियर प्लांट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
61.	फ्लेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड
62.	गंगावती शुगर्स लिमिटेड
63.	गैस एंड पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
64.	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
65.	गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क
66.	ग्रीन गैस लिमिटेड
67.	हार्डिकॉन लिमिटेड
68.	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड
69.	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड
70.	आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
71.	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड
72.	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड
73.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
74.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
75.	आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड
76.	आईआईडीएल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
77.	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड
78.	इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड
79.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
80.	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
81.	इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड
82.	इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
83.	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
84.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
85.	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
86.	आईटीसीओटी लिमिटेड
87.	जेएंडके इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड
88.	झाबुआ पावर लिमिटेड
89.	कामराजर पोर्ट लिमिटेड
90.	कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
91.	खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड
92.	केआईटीसीओ लिमिटेड
93.	कोच्चि सेलम पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
94.	कोलकाता पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
95.	कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड
96.	कृष्णापटनम रेल कंपनी लिमिटेड
97.	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड
98.	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड
99.	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
100.	लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
101.	महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
102.	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
103.	एमएएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
104.	मीनाचिल रबरवुड लिमिटेड
105.	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
106.	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड
107.	मिलेनियम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड
108.	मोरमुगाओ पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
109.	एमपीकॉन लिमिटेड
110.	मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
111.	मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
112.	एनएबी फाउंडेशन
113.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
114.	नैबफिन्स लिमिटेड
115.	नबकिसान फ़ाइनेंस लिमिटेड
116.	नैबसमृद्धि फ़ाइनेंस लिमिटेड
117.	नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड
118.	नैबवेंचर्स लिमिटेड
119.	लंदा सेरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
120.	नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
121.	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड
122.	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
123.	नेशनल हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
124.	नेशनल हाईवे इनविट प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
125.	नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड
126.	राष्ट्रीय अद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड
127.	नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
128.	नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
129.	एनईडीएफ़आई ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
130.	एनईडीएफ़आई वेंचर कैपिटल लिमिटेड
131.	एनईएसएल ई-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
132.	एनईएसएल-एसेट डेटा लिमिटेड
133.	न्यू मैंगलोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
134.	एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड
135.	एनआईसीडीसी पंजाब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
136.	एनआईसीडीसी उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड
137.	एनआईटीसीओएन सोशल फाउंडेशन
138.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
139.	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
140.	नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड
141.	नॉर्थ इंडिया टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड
142.	एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड
143.	एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड
144.	एनआरटीयू फाउंडेशन
145.	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
146.	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
147.	एनटीपीसी-सेलपावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
148.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड
149.	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड
150.	उड़ीसा इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड
151.	पंबा रबर्स लिमिटेड
152.	पारादीप पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
153.	पजहस्सी रबर्स (पी) लिमिटेड
154.	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड
155.	पेट्रोनेट वीके लिमिटेड
156.	पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
157.	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
158.	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
159.	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
160.	पोनमुडी रबर्स (पी) लिमिटेड
161.	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड
162.	पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड
163.	रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
164.	रत्ना गिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
165.	रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
166.	रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
167.	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी लिमिटेड
168.	रबर पार्क इंडिया (पी) लिमिटेड
169.	रबरवुड इंडिया (पी) लिमिटेड
170.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
171.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड
172.	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
173.	एसबीआई फाउंडेशन
174.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
175.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
176.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड
177.	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
178.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
179.	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
180.	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
181.	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
182.	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
183.	एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड
184.	एसबीआईकैप ट्रस्टी लिमिटेड
185.	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड
186.	सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशन
187.	सिडबी ट्रस्टीज कंपनी लिमिटेड
188.	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड
189.	स्मरा ग्रेडिंग्स एंड रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
190.	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
191.	स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
192.	एसटीसीसीआई कमोडिटीज लिमिटेड
193.	एसटीसीसीआई फाइनेंस लिमिटेड
194.	एसटीसीसीआई प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड
195.	सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड
196.	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड
197.	टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
198.	तूतीकोरिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
199.	यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड
200.	उज्ज्वला प्लस फाउंडेशन
201.	यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
202.	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
203.	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड
204.	यूपी इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स लिमिटेड
205.	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड
206.	वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड
207.	विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
208.	वैगन इंडिया लिमिटेड
209.	वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड

अनुलग्नक-II (पैरा संख्या 1.1.3 देखें)

2022-23 के दौरान सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में आई/क्षेत्र से बाहर हुई सीपीएसई

सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में आईं सरकारी कंपनियाँ

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1.	एआईसी-आरआरयू इनक्यूबेशन फाउंडेशन
2.	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
3.	बेंगलुरु एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड
4.	ब्रेथवेट नैकॉफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड
5.	डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड
6.	फतेहगढ़-III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
7.	फतेहगढ़-III ट्रांसमिशन लिमिटेड
8.	फतेहगढ़-IV ट्रांसमिशन लिमिटेड
9.	ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
10.	झाबुआ पावर लिमिटेड
11.	खावड़ा II-D ट्रांसमिशन लिमिटेड
12.	केपीएसआई ट्रांसमिशन लिमिटेड
13.	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
14.	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
15.	राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड
16.	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
17.	एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड
18.	एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड
19.	एनआईसीडीसी पंजाब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
20.	एनआईसीडीसी उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड
21.	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
22.	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड
23.	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड
24.	पावरग्रिड भादला-III ट्रांसमिशन लिमिटेड
25.	पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
26.	पावरग्रिड ईआरडब्लयूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
27.	पावरग्रिड खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड
28.	पावरग्रिड खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
29.	पावरग्रिड खावड़ा री ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
30.	पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
31.	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड
32.	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
33.	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
34.	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड
35.	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड
36.	एसआईओटी ट्रांसमिशन लिमिटेड
37.	स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
38.	ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर हुईं सरकारी कंपनियां

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1.	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
2.	भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड
3.	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड
4.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
5.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
6.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
7.	एचएमटी चिनार वॉचेज लिमिटेड
8.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड
9.	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
10.	किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
11.	कोलकाता रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
12.	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड
13.	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
14.	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
15.	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
16.	शोंगटोंग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड
17.	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड
18.	तटीय आंध्र मेगा पावर लिमिटेड

सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर हुईं सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1.	नेशनल हाईवेज़ इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड

अनुलग्नक-III क (पैरा सं.1.1.3 और पैरा सं. 2.3.2 देखें)

बकाया खातों या बकाया न होने वाले खातों या परिसमापनधीन कंपनी का विवरण - सरकारी कंपनियाँ

क्र.सं.	सेक्टर का नाम /सीपीएसई	31 मार्च 2024 तक जिन वर्षों के लिए लेखा प्राप्त नहीं हुआ
कृषि		
1	लक्ष्यद्वीप विकास निगम लिमिटेड	2022-23
रसायन और उर्वरक		
2**	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
3**	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2020-21 से 2022-23
4**	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्राइवेट) लिमिटेड	2010-11 से 2022-23
5**	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2019-20 से 2022-23
6	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2022-23
7**	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
8	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2022-23
9**	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
10**	द सदर्न पेस्टिसाइड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
वाणिज्य एवं उद्योग		
11**	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र	परिसमापन के अधीन
12**	टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण		
13	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22, 2022-23
पर्यावरण और वन		
14	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागवानी विकास निगम लिमिटेड	2022-23
वित्त		
15**	इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
16**	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम		
17**	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
18**	भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
19**	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
20**	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
21**	साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन

क्र.सं.	सेक्टर का नाम /सीपीएसई	31 मार्च 2024 तक जिन वर्षों के लिए लेखा प्राप्त नहीं हुआ
22**	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
23**	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
24**	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	2017-18 से 2022-23
25**	मंड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
26**	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
27**	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	2017-18 से 2022-23
28**	रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
29**	रेरोल बर्न लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
30**	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
31**	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
32**	वेइबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	परिसमापन के अधीन

क्र.सं.	सेक्टर का नाम/सीपीएसई	31 मार्च 2024 तक जिन वर्षों के लिए लेखा प्राप्त नहीं हुआ
आवासन और शहरी कार्य		
33	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		
34**	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
विद्युत		
35	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	2022-23
36**	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखा देय नहीं है
37**	ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड	प्रथम लेखा देय नहीं है
पोत		
38	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	2022-23
वस्त्र		
39	अपोलो डिज़ाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	2021-22, 2022-23
40	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	2021-22, 2022-23
41**	ब्रशवेयर लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
42**	कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
43	गोल्डमोहर डिज़ाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	2021-22, 2022-23
44	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	2021-22, 2022-23
45	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22, 2022-23

क्र.सं.	सेक्टर का नाम/सीपीएसई	31 मार्च 2024 तक जिन वर्षों के लिए लेखा प्राप्त नहीं हुआ
46	न्यू सिटी ऑफ़ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	2021-22, 2022-23
47	द ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23
48**	द एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
49	द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	2022-23
पर्यटन		
50**	लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम	2020-21 से 2022-23
संघ शासित प्रदेश प्रशासन		
51**	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड	2019-20 से 2022-23
52	चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2022-23
53**	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2020-21 से 2022-23
शहरी विकास		
54**	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
55	कवारत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23
56	नई दिल्ली नगर परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23
57**	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर	2020-21 से 2022-23
58	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22, 2022-23

** ऐसे सीपीएसई जिनके खाते तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन की प्रक्रिया में थे या पहले खाते देय/प्राप्त नहीं हुए थे

अनुलग्नक-III ख (पैरा सं.1.1.3 और पैरा सं.2.3.2 देखें)

बकाया खातों या बकाया न होने वाले खातों या परिसमापनधीन कंपनी का विवरण - सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ

क्र.सं.	सेक्टर का नाम/सीपीएसई	31 मार्च 2024 तक जिन वर्षों के लिए लेखा प्राप्त नहीं हुआ
1**	एक्यूमेज़र्स (पंजाब) लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
2**	एलाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
3	बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	2022-23
4**	बेंगलूरु एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड	प्रथम लेखा देय नहीं है
5**	बिहार इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
6**	ब्रेथवेट एनएसीओएफ़ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	प्रथम लेखा देय नहीं है
7**	एक्सेलसियर प्लांट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
8**	गंगावती शुगर्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
9**	गैस एंड पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2020-21 से 2022-23
10**	इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
11**	मिलेनियम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
12**	नालंदा सिरेमिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
13**	एनआईसीडीसी उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	प्रथम लेखा प्राप्त नहीं हुआ
14**	नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	2012-13 से 2022-23
15**	उड़ीसा इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	1997-98 से 2022-23
16**	पजहस्सी रबर्स (पी) लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
17**	पोनमुडी रबर्स (पी) लिमिटेड	2017-18 से 2022-23
18**	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
19**	टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
20**	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
21	लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2021-22, 2022-23
22**	रबरवुड इंडिया (पी) लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
23**	एसटीसीआई कमोडिटीज लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
24**	सिंड बैंक सर्विसेज लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
25	केरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23

क्र.सं.	सेक्टर का नाम/सीपीएसई	31 मार्च 2024 तक जिन वर्षों के लिए लेखा प्राप्त नहीं हुआ
26**	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
27	यूपी इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स लिमिटेड	2022-23
28	वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड	2022-23

** ऐसे सीपीएसई जिनके खाते तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन की प्रक्रिया में थे या पहले खाते देय/प्राप्त नहीं हुए थे

अनुलग्नक-IV (पैरा सं.1.2.2.2 देखें)

सरकारी कंपनियों की सूची, जहाँ कुल परिसंपत्तियों का मूल्य 31 मार्च, 2023 तक बकाया दीर्घकालिक ऋणों से कम था

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	अंडमान फिशरीज लिमिटेड
2	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड
3	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड
4	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड
5	बिको लॉरी लिमिटेड
6	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
8	एफ़एसीटी आरसीएफ़ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
9	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड
10	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
11	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड
12	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड
14	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
15	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
16	इरकॉन शिव पुरी गुना लिमिटेड
17	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
18	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
19	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
21	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड
22	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
23	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड
24	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड
25	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
26	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अनुलग्नक-V (पैरा सं.1.2.4 देखें)

65 सूचीबद्ध सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि और कमी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण 2022-23	बाजार पूंजीकरण 2021-22	अंतर
1.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	91,296.15	49,726.77	41,569.38
2.	एनटीपीसी लिमिटेड	1,69,934.07	1,30,856.51	39,077.56
3.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	71,306.89	51,375.56	19,931.33
4.	कोल इंडिया लिमिटेड	1,31,666.69	1,12,777.93	18,888.76
5.	एनएचपीसी लिमिटेड	40,381.04	27,925.20	12,455.84
6.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	40,063.24	29,687.72	10,375.52
7.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	13,379.11	4,832.49	8,546.62
8.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	18,121.93	10,018.15	8,103.78
9.	रेल विकास निगम लिमिटेड	14,303.24	6,818.02	7,485.22
10.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	24,419.71	17,183.98	7,235.73
11.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	34,762.23	28,031.95	6,730.28
12.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,57,435.97	1,51,262.70	6,173.27
13.	आरईसी लिमिटेड	30,400.57	24,291.49	6,109.08
14.	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	13,281.15	8,479.88	4,801.27
15.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	23,500.19	19,982.62	3,517.57
16.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	5,217.27	2,592.88	2,624.39
17.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	6,258.69	3,866.63	2,392.06
18.	एसजेवीएन लिमिटेड	13,066.57	10,787.29	2,279.28
19.	राइट्स लिमिटेड	8,522.31	6,315.13	2,207.18
20.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,676.23	6,546.21	2,130.02
21.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	10,703.45	8,673.41	2,030.04
22.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	9,215.16	7,273.28	1,941.88
23.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,542.60	1,901.60	1,641.00
24.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	5,266.89	3,738.55	1,528.34
25.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	27,289.06	25,835.95	1,453.11
26.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3,554.24	2,602.52	951.72
27.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	4,181.60	3,597.07	584.53

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण 2022-23	बाजार पूंजीकरण 2021-22	अंतर
28.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,244.69	2,699.09	545.60
29.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	3,454.55	3,098.60	355.95
30.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	5,260.90	4,943.13	317.77
31.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	929.07	798.26	130.81
32.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	69,202.92	69,136.80	66.12
33.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	989.15	987.68	1.47
34.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	17.46	18.76	-1.30
35.	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	95.82	121.34	-25.52
36.	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	787.23	819.97	-32.74
37.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1,894.72	1,928.07	-33.35
38.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	150.27	187.75	-37.48
39.	स्कूटर इंडिया लिमिटेड	231.45	274.47	-43.02
40.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	6,370.20	6,534.00	-163.80
41.	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	410.16	582.60	-172.44
42.	आईएफसीआई लिमिटेड	2,158.60	2,334.32	-175.72
43.	एचएमटी लिमिटेड	2,939.19	3,124.62	-185.43
44.	द उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	1,425.60	1,709.79	-284.19
45.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	1,128.34	1,420.65	-292.31
46.	एमएसटीसी लिमिटेड	1,780.42	2,156.35	-375.93
47.	आई टी आई लिमिटेड	8,552.84	9,027.17	-474.33
48.	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2,530.63	3,251.09	-720.46
49.	एमओआईएल लिमिटेड	2,899.66	3,753.28	-853.62
50.	हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	2,349.26	3,258.98	-909.72
51.	द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,378.51	5,363.68	-985.17
52.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	9,519.38	10,990.23	-1,470.85
53.	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1,10,060.93	1,11,981.42	-1,920.49
54.	बीईएमएल लिमिटेड	5,233.46	7,567.43	-2,333.97
55.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15,985.60	18,391.68	-2,406.08
56.	केआईओसीएल लिमिटेड	10,246.68	12,653.38	-2,406.70
57.	एमएमटीसी लिमिटेड	4,185.00	6,622.50	-2,437.50

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण 2022-23	बाजार पूंजीकरण 2021-22	अंतर
58.	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	74,633.14	77,919.56	-3,286.42
59.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	33,591.22	38,208.60	-4,617.38
60.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	35,387.82	40,968.95	-5,581.13
61.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	34,275.10	40,706.33	-6,431.23
62.	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	14,410.21	22,360.99	-7,950.78
63.	एनएमडीसी लिमिटेड	32,705.56	47,622.35	-14,916.79
64.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड	45,840.00	61,968.00	-16,128.00
65.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	1,89,962.22	2,06,190.78	-16,228.56

अनुलग्नक-VI (पैरा सं. 1.3.1 देखें)

सरकारी कंपनियों और निगमों की सूची, जिन्हें 2021-22 में घाटे की तुलना में 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सीपीएसई में जोड़ा गया

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 2022-23 में प्रचालन लाभ ही लाभ कमाने का कारण है
1.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	नहीं
2.	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	नहीं
3.	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	नहीं
4.	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	हाँ
5.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
6.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	नहीं
7.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
8.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	नहीं
9.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	नहीं
10.	ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	नहीं
11.	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	नहीं
12.	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	नहीं
13.	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	हाँ
14.	इंडियन वैक्सीन कंपनी लिमिटेड	नहीं
15.	इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	हाँ
16.	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	हाँ
17.	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	नहीं
18.	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
19.	कर्मयोगी भारत	हाँ
20.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
21.	एमएमटीसी लिमिटेड	नहीं
22.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	नहीं
23.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	नहीं
24.	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
25.	राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड	नहीं
26.	एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	नहीं
27.	एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	नहीं
28.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	नहीं

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 2022-23 में प्रचालन लाभ ही लाभ कमाने का कारण है
29.	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	हाँ
30.	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	नहीं
31.	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	नहीं
32.	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
33.	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
34.	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
35.	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
36.	पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	हाँ
37.	राटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
38.	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	नहीं
39.	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	नहीं
40.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड	नहीं
41.	द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
42.	द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं
43.	यंत्र इंडिया लिमिटेड	हाँ

* क्रम संख्या 10, 17, 19, 25, 26, 27 और 29 की सात कंपनियां नई थीं और 2022-23 के दौरान अपने संचालन के पहले वर्ष में लाभ दर्ज किया।

अनुलग्नक-VII (पैरा सं. 1.3.1 देखें)

2022-23 में लाभ कमाने वाली कंपनियों की सूची से बाहर की गई सरकारी कंपनियों की सूची

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या प्रचालन हानि हीं 2022-23 में हानि का कारण है
1.	बीको लॉरी लिमिटेड	हाँ
2.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	हाँ
3.	हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड लिमिटेड	हाँ
4.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
5.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	नहीं
6.	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड	हाँ
7.	आई टी आई लिमिटेड	हाँ
8.	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	हाँ
9.	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	हाँ
10.	केआईओसीएल लिमिटेड	हाँ
11.	लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
12.	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
13.	एनबीसीसी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड	हाँ
14.	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड	हाँ
15.	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड	हाँ
16.	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	नहीं
17.	पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
18.	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
19.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	हाँ
20.	एसटीसीएल लिमिटेड	हाँ
21.	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	नहीं
22.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
23.	डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	हाँ

अनुलग्नक-VIII (पैरा सं. 1.3.3 देखें)
31 मार्च 2023 तक शून्य या नकारात्मक निवल मूल्य वाली सरकारी कंपनियों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कर के बाद लाभ	निवल परिसंपत्ति	प्रदत्त पूंजी
1.	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	628	-790	167
2.	एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	-551	-70	62,365
3.	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	-567	-3,664	402
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागवानी विकास निगम लिमिटेड	-3	-25	4
5.	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	-7	-55	1
6.	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1	-1	-
7.	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	-61	-2,044	51
8.	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड	-	-57	60
9.	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड	-13	-104	54
10.	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-
11.	बीको लॉरी लिमिटेड	-3	-117	75
12.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-4	-151	-
13.	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	1	-4	9
14.	ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24	-325	366
15.	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	-3	-
16.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-13	-81	11
17.	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-3	-
18.	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	-	-	-
19.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	-	-	-
20.	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-
21.	एफ़एसीटी आरसीएफ़ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-8	-146	70
22.	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-5	-18	19
23.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-231	-1,081	606.08
24.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-54	-677	72
25.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	-5	-84	20
26.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	65	-479	302
27.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-132	-1,817	277
28.	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड	1	-2,681	6
29.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	4	-0	29
30.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-70	-682	138

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कर के बाद लाभ	निवल परिसंपत्ति	प्रदत्त पूंजी
31.	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड	-1	-1	1
32.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	5	-363	146
33.	झारखंड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-	-	-
34.	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-1	-3	-
35.	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-2	-
36.	केपीएसआई ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1	-1	-
37.	लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-161	-	141
38.	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1	-	-
39.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	185	-287	162
40.	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-	-6	-
41.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-2911	-20,843	630
42.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-626	-758	1
43.	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-2	-
44.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-43	-514	1
45.	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-
46.	नेशनल बाइसिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-21	-693	6
47.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-3,865	-949	9,375
48.	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड	-	-	-
49.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	31	-197	56
50.	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-2	-42	9
51.	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	-1	-3	-
52.	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	-	-	-
53.	पीईसी लिमिटेड	-244	-2467	60
54.	पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	-	-1	2
55.	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-
56.	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1	-1	-
57.	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-
58.	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	-	-
59.	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1	-1	-
60.	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-19	-
61.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-2	-101	5
62.	रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	-1	-17	5
63.	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	11	-19	1
64.	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1	-1	-

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कर के बाद लाभ	निवल परिसंपत्ति	प्रदत्त पूंजी
65.	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	-2	-
66.	एसटीसीएल लिमिटेड	-1	-4,558	2
67.	सूटी टेक ऑप्शंस लिमिटेड	-	-	1
68.	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	-3	-43	20
69.	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड	-1	-	23
70.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	12	-131	87
71.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-79	-1304	32
72.	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	-	-	-
73.	उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-17	-13	1
74.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	33	-144	60
75.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-	-99	8
76.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-2,829	-732	3,905
77.	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1	-28	1
78.	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	-	-	-
79.	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-	-	-
	कुल	**-11,543**	**-49,506**	**79,845**

अनुलग्नक-IX (पैरा सं. 1.4.1 देखें)

सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
1	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड				2,573.47	6.16	0.24	5,290.35	18.59	0.35
2	एग्रीइनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	71.07	1.86	2.62	72.61	2.06	2.84	76.12	4.71	6.19
3	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	184.40	-223.09	-120.98	361.65	-1.94	-0.54	423.07	96.91	22.91
4	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	-2,218.34	-9.58	0.43	776.78	575.28	74.06	-790.02	1,036.02	-131.14
5	एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	22,162.77	2,327.83	10.50	8,718.88	1,974.15	22.64	14,915.35	906.21	6.08

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
6	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	14,747.17	-2,726.42	-18.49	15,379.24	97.16	0.63	18,147.67	4,060.98	22.38
7	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	-2,651.16	-198.69	7.49	-3,098.55	-262.71	8.48	-3,664.32	-324.28	8.85
8	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
9	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड	-21.91	-0.89	4.06	-24.52	-2.61	10.64	-24.52	-2.61	10.64
10	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड	192.35	26.41	13.73	209.14	32.77	15.67	233.55	46.51	19.91

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
11	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	-0.06	-0.02	33.33	-0.09	-0.02	22.22	-0.11	-0.02	18.18
12	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	215.12	83.06	38.61	286.58	97.59	34.05	378.45	105.66	27.92
13	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	190.68	22.80	11.96	189.97	17.02	8.96	192.47	16.68	8.67
14	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	1,649.81	0.00	0.00	2,230.49	0.64	0.03	2,950.07	0.52	0.02
15	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,567.31	77.22	4.93	1,513.87	36.24	2.39	1,486.72	65.13	4.38
16	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
17	अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	122.50	-0.99	-0.81	122.50	-0.99	-0.81	122.50	-0.99	-0.81

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
18	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड				12,302.08	73.65	0.60	13,289.17	383.57	2.89
19	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	533.64	52.26	9.79	599.26	64.15	10.70	671.56	72.93	10.86
20	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	13.30	-0.78	-5.86	13.30	-0.78	-5.86	13.30	-0.78	-5.86
21	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1,310.66	159.57	12.17	1,319.86	171.98	13.03	1,356.25	211.30	15.58
22	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	167.16	86.13	51.53	159.96	67.80	42.39	156.25	75.16	48.10
23	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	30,693.10	-797.12	-2.60	34,849.28	-519.32	-1.49	38,503.19	-314.27	-0.82

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
24	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	294.60	0.73	0.25	293.71	-1.18	-0.40	292.79	-1.24	-0.42
25	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.71	-0.76	107.04
26	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेज लिमिटेड	240.52	7.57	3.15	244.32	7.91	3.24	271.21	9.14	3.37
27	बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	57.65	3.98	6.90	62.85	5.60	8.91	68.29	8.97	13.14
28	बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड				0.00	-0.01		8.58	-0.59	-6.88
29	बीईएमएल लिमिटेड	2,273.39	105.22	4.63	2,280.73	233.90	10.26	2,394.09	323.91	13.53
30	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	146.08	7.74	5.30	76.96	9.24	12.01	163.74	11.17	6.82

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
31	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	71.82	-2.09	-2.91	250.31	-5.78	-2.31	633.92	-15.11	-2.38
32	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	87.41	2.17	2.48	84.92	-2.49	-2.93	85.02	0.13	0.15
33	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	3,088.81	-1,512.16	-48.96	3,273.77	191.31	5.84	3,784.13	502.88	13.29
34	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	2,684.75	340.88	12.70	3,030.56	709.91	23.43	3,211.50	481.80	15.00
35	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	10,761.20	2,934.81	27.27	11,984.26	3,157.80	26.35	13,581.99	3,984.88	29.34
36	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	-120.16	217.63	-181.12	-123.04	1.02	-0.83	11.52	8.44	73.26
37	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	26,448.87	-3,571.49	-13.50	26,971.16	484.34	1.80	27,226.98	747.60	2.75
38	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड	41.04	-19.85	-48.37	50.18	-4.59	-9.15	47.86	-15.22	-31.80

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
	बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
39	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड	-1.67	12.24	-732.93	-1.97	-0.31	15.74	-2.14	-0.16	7.48
40	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड	4,380.12	-1,600.31	-36.54	5,582.33	131.14	2.35	3,794.79	-2,216.93	-58.42
41	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	70,333.31	22,393.64	31.84	63,837.42	12,176.00	19.07	80,459.90	4,419.38	5.49
42	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	-202.49	-70.77	34.95	-90.42	-46.84	51.80	7.60	27.05	355.92
43	भारत संचार निगम लिमिटेड	46,012.06	-5,372.42	-11.68	34,441.88	-4,825.16	-14.01	47,477.65	-5,994.85	-12.63
44	भारतीय नाभिकीय	5,518.93	0.29	0.01	5,869.04	0.24	0.00	6,064.02	0.10	0.00

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
	विद्युत निगम लिमिटेड									
45	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	6,309.35	757.24	12.00	7,681.85	820.15	10.68	7,741.27	736.72	9.52
46	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.07	0.03	42.86	0.07	-0.01	-14.29	-0.10	-0.11	110.00
47	बीको लॉरी लिमिटेड	10.66	11.59	108.72	11.55	0.89	7.71	8.77	-2.77	-31.58
48	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
49	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	49.48	0.00	0.00	50.27	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
50	बिजावर विदर्भा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01		0.00	-0.01	
51	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान	120.65	6.79	5.63	130.13	9.00	6.92	139.17	9.06	6.51

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
	सहायता परिषद									
52	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-11.92	-0.71	5.96	-12.16	-0.60	4.93	-9.74	1.63	-16.74
53	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	9.72	-5.05	-51.95	5.32	-2.90	-54.51	6.32	1.98	31.33
54	ब्रहमपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	4,747.07	1,244.12	26.21	3,390.03	994.53	29.34	3,386.36	194.36	5.74
55	ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	321.47	-137.75	-42.85	223.83	-97.64	-43.62	248.21	24.47	9.86
56	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	118.13	31.23	26.44	150.55	46.70	31.02	200.32	64.94	32.42
57	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	376.67	44.70	11.87	395.84	62.99	15.91	429.06	67.11	15.64

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
58	प्रसारण इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	11.32	9.60	84.81	111.85	25.86	23.12	114.54	19.08	16.66
59	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.79	0.01	-0.36	-2.79	-0.01	0.36	-2.60	0.26	-10.00
60	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	48.67	-0.18	-0.37	155.03	-0.88	-0.57	227.03	5.57	2.45
61	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	121.10	13.15	10.86	162.34	40.20	24.76	258.78	95.29	36.82
62	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	7,548.53	1,913.18	25.35	8,411.98	2,094.73	24.90	10,317.49	3,743.61	36.28
63	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	-44.33	-29.81	67.25	-68.66	-23.96	34.90	-81.06	-12.60	15.54

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
64	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	107.71	36.57	33.95	122.34	36.62	29.93	134.77	26.27	19.49
65	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	56.17	14.85	26.44	56.50	1.32	2.34	56.50	1.32	2.34
66	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड	784.47	414.49	52.84	995.62	366.04	36.77	1,217.65	366.95	30.14
67	भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री	869.95	62.56	7.19	935.51	88.66	9.48	1,154.75	118.01	10.22
68	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ	0.02	-0.03	-150.00	40.05	53.49	133.56	26.16	68.49	261.81

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
	इंडिया लिमिटेड									
69	केंद्रीय भंडारण निगम	2,868.61	565.54	19.71	3,088.15	589.73	19.10	3,453.10	490.95	14.22
70	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	80.67	15.02	18.62	79.30	11.25	14.19	81.44	13.22	16.23
71	चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	56.53	3.97	7.02	60.82	0.84	1.38	60.82	0.84	1.38
72	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	200.00	-0.55	-0.28	203.44	1.78	0.87	203.44	1.78	0.87
73	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-2.15	-0.01	0.47	-2.15	0.00	0.00	-2.55	-0.01	0.39
74	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	17,195.61	-477.99	-2.78	19,635.79	-539.73	-2.75	21,260.80	-367.86	-1.73
75	चेन्नई पेट्रोलियम	4,442.43	1,651.58	37.18	5,181.69	2,244.08	43.31	8,588.97	5,138.88	59.83

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
	कॉरपोरेशन लिमिटेड									
76	चेय्युर इन्फ्रा लिमिटेड	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
77	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
78	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड	0.06	-0.11	-183.33	0.05	-0.10	-200.00	0.08	-0.06	-75.00
79	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	2,675.20	21.59	0.81	3,084.81	5.98	0.19	3,292.24	-227.09	-6.90
80	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	1,029.87	-0.27	-0.03	1,500.41	-0.28	-0.02	2,130.15	-0.24	-0.01
81	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	0.00	-0.01		0.00	-0.01		-0.01	0.00	0.00
82	सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड				0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
83	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड				0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
84	कोल इंडिया लिमिटेड	16,751.71	7,673.98	45.81	16,357.95	11,358.34	69.44	16,706.45	15,093.51	90.35
85	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	0.00	0.00		-0.01	-0.01	100.00	-0.04	-0.03	75.00
86	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	149.29	0.00	0.00	157.58	0.00	0.00	166.66	0.00	0.00
87	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	4,081.25	810.59	19.86	4,462.86	794.39	17.80	4,427.12	459.02	10.37
88	कॉनकोर एयर लिमिटेड	33.91	-2.07	-6.10	24.24	-9.21	-38.00	23.13	3.19	13.79
89	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10,203.74	679.10	6.66	10,777.30	1,407.02	13.06	11,244.98	1,553.73	13.82
90	क्रिएटिव म्यूजियम डिज़ाइनर्स	20.91	3.41	16.31	10.19	4.16	40.82	28.64	5.72	19.97

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
91	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	236.53	28.80	12.18	235.66	29.63	12.57	242.06	27.64	11.42
92	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव एससी/एसटी वित्त और विकास निगम लिमिटेड	10.70	0.33	3.08	15.16	4.47	29.49	15.81	0.64	4.05
93	दामोदर घाटी निगम	21,621.75	2,821.45	13.05	23,413.91	2,552.13	10.90	23,401.41	2,628.00	11.23
94	डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	41,109.34	1,369.35	3.33	48,416.84	1,521.39	3.14	53,372.18	2,263.05	4.24
95	डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाईजेशन	85.81	0.00	0.00	123.77	0.00	0.00	160.98	0.00	0.00

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
96	दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड	0.08	-0.01	-12.50	0.07	-0.01	-14.29	0.06	-0.01	-16.67
97	दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	69,613.92	-3,117.90	-4.48	67,461.06	-4,288.10	-6.36	67,648.57	-1,734.30	-2.56
98	दिल्ली पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड	12.82	0.67	5.23	12.98	0.22	1.69	13.79	1.08	7.83
99	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.36	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
100	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	23.16	0.00	0.00	23.85	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
101	डिजिटल इंडिया निगम	36.27	0.00	0.00	33.35	1.43	4.29	45.78	2.13	4.65
102	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1.99	0.03	1.51	2.02	0.03	1.49	0.54	0.41	75.93

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
103	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	771.58	270.19	35.02	877.43	118.45	13.50	681.12	64.35	9.45
104	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-2.09	-0.01	0.48	-2.10	0.00	0.00	-2.48	-0.01	0.40
105	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2,980.50	-907.26	-30.44	1,971.93	-1,437.37	-72.89	2,707.60	806.58	29.79
106	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	270.43	0.46	0.17	269.99	0.27	0.10	266.41	-4.81	-1.81
107	ईसीजीसी लिमिटेड	13,765.91	582.65	4.23	15,375.28	1,131.02	7.36	11,386.60	2,761.06	24.25
108	एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड	173.00	49.44	28.58	211.79	71.33	33.68	260.12	86.94	33.42
109	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,078.42	156.42	14.50	1,255.73	301.66	24.02	1,433.07	357.91	24.98

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
110	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	148.52	-35.77	-24.08	83.46	-59.83	-71.69	83.90	5.45	6.50
111	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	1,701.01	350.57	20.61	1,925.05	447.84	23.26	2,105.66	441.48	20.97
112	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-77.23	-0.61	0.79	-79.87	-2.58	3.23	-81.91	-1.21	1.48
113	फतेहगढ़-III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
114	फतेहगढ़-III ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
115	फतेहगढ़-IV ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
116	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	226.68	32.32	14.26	212.00	54.18	25.56	218.53	51.35	23.50

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
117	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	631.86	61.46	9.73	666.50	42.97	6.45	712.75	58.78	8.25
118	भारतीय खाद्य निगम	42,500.33	29,067.72	68.39	45,004.55	3,715.06	8.25	46,658.86	3,678.23	7.88
119	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	31.56	-4.84	-15.34	33.29	-3.73	-11.20	38.92	-2.57	-6.60
120	गेल (इंडिया) लिमिटेड	51,333.45	6,656.33	12.97	60,416.88	13,895.52	23.00	63,213.72	6,895.53	10.91
121	गेल गैस लिमिटेड	2,511.28	233.52	9.30	3,065.96	416.42	13.58	3,840.02	423.84	11.04
122	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	1,137.12	207.12	18.21	1,248.60	257.24	20.60	1,413.82	309.54	21.89
123	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,27,917.40	3,163.38	2.47	1,39,087.47	3,560.14	2.56	1,50,108.59	7,749.44	5.16

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
124	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	15.01	0.00	0.00	15.01	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
125	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड				529.96	0.96	0.18	651.85	11.39	1.75
126	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-3.80	-10.88	286.32	-10.06	-5.69	56.56	-16.64	-4.81	28.91
127	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	1,098.26	172.33	15.69	1,148.40	135.43	11.79	1,246.43	205.01	16.45
128	गोल्डमोहर डिजाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	116.03	-1.63	-1.40	116.03	-1.63	-1.40	116.03	-1.63	-1.40
129	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस	0.01	-4.76	-47600.00	98.83	140.24	141.90	551.18	384.96	69.84
130	ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड							0.12	0.03	25.00

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
131	ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड	468.36	26.92	5.75	508.19	60.13	11.83	561.83	78.49	13.97
132	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	2,664.53	98.60	3.70	2,558.30	164.37	6.42	2,590.90	152.52	5.89
133	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	169.16	1.24	0.73	155.99	5.77	3.70	184.24	10.57	5.74
134	हसन मंगलौर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	347.60	-26.00	-7.48	307.60	-34.79	-11.31	276.77	-25.89	-9.35
135	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-582.25	-165.01	28.34	-844.07	-245.31	29.06	-1,080.66	-188.28	17.42
136	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	417.63	-8.77	-2.10	440.25	-12.82	-2.91	430.86	-1.33	-0.31
137	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर	2.42	-0.19	-7.85	46.71	2.50	5.35	50.02	4.43	8.86

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
138	उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी	8,043.15	551.05	6.85	7,861.84	551.06	7.01	6,976.53	397.90	5.70
139	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	4.52	0.13	2.88	4.59	0.10	2.18	4.67	0.11	2.36
140	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	15,356.55	4,270.89	27.81	19,264.00	5,289.29	27.46	23,506.17	6,492.94	27.62
141	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-217.08	-24.96	11.50	-91.63	-2.91	3.18	-144.25	-23.57	16.34
142	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	-31.23	269.56	-863.14	57.16	88.39	154.64	354.86	15.74	4.44
143	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	1,297.92	149.60	11.53	998.73	410.70	41.12	869.20	410.47	47.22
144	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स	147.65	11.01	7.46	150.16	3.20	2.13	160.45	12.62	7.87

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
145	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	-72.64	-24.07	33.14	-78.81	-5.49	6.97	-83.92	-4.48	5.34
146	हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	185.41	22.70	12.24	185.02	28.50	15.40	132.74	-42.19	-31.78
147	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	526.46	68.74	13.06	505.80	27.83	5.50	460.46	-0.23	-0.05
148	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	62,630.83	15,082.64	24.08	73,028.96	8,991.03	12.31	76,841.39	-9,941.67	-12.94
149	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	20.88	1.08	5.17	8.63	-12.25	-141.95	0.94	-7.68	-817.02
150	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	50.64	8.81	17.40	52.06	4.14	7.95	64.95	12.89	19.85

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
151	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	-53.95	-79.45	147.27	-6.10	68.15	-1117.21	62.27	66.65	107.03
152	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	125.61	32.57	25.93	146.06	37.65	25.78	166.00	31.51	18.98
153	हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड	13,598.89	-15.93	-0.12	17,697.59	-18.83	-0.11	21,038.52	996.81	4.74
154	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10.14	0.41	4.04	10.14	0.41	4.04	10.14	0.41	4.04
155	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	397.03	7.14	1.80	636.42	671.72	105.55	624.81	24.98	4.00
156	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड	19.81	15.41	77.79	30.70	24.04	78.31	42.55	35.00	82.26

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
157	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	408.58	172.84	42.30	768.91	572.10	74.40	658.83	84.53	12.83
158	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड	3.52	-0.76	-21.59	3.19	1.64	51.41	2.97	-0.22	-7.41
159	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	37.17	1.20	3.23	36.78	0.28	0.76	37.03	0.31	0.84
160	एचएमटी लिमिटेड	1,020.42	48.80	4.78	1,068.27	46.82	4.38	1,075.65	15.02	1.40
161	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-1,539.84	-49.67	3.23	-1,684.73	-61.49	3.65	-1,816.72	-48.78	2.69
162	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	10.46	2.70	25.81	11.50	1.05	9.13	13.00	1.64	12.62
163	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	142.65	-4.08	-2.86	170.82	-3.82	-2.24	196.48	-9.48	-4.82
164	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	0.28	3.90	1392.86	2.82	6.58	233.33	0.00	0.07	

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
165	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-529.61	-62.18	11.74	-110.90	-36.53	32.94	-134.19	-22.20	16.54
166	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	64,153.67	6,993.46	10.90	58,986.01	6,878.47	11.66	66,130.57	6,792.65	10.27
167	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड	400.89	-40.98	-10.22	310.18	-44.04	-14.20	393.49	-14.94	-3.80
168	एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड				1,522.53	-14.03	-0.92	2,991.63	-7.20	-0.24
169	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	6,724.37	178.96	2.66	15,505.44	514.58	3.32	28,161.83	-299.52	-1.06
170	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	117.74	13.61	11.56	143.61	33.21	23.13	162.22	23.39	14.42
171	आई टी आई लिमिटेड	1,233.52	155.42	12.60	1,233.52	286.78	23.25	1,356.58	-215.87	-15.91

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
172	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	273.97	5.81	2.12	264.35	6.22	2.35	244.67	14.16	5.79
173	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड	68.39	-1.59	-2.32	69.74	1.08	1.55	65.44	-3.82	-5.84
174	आईएफसीआई इन्फ्रास् ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	505.04	8.66	1.71	506.80	10.15	2.00	522.89	16.46	3.15
175	आईएफसीआई लिमिटेड	8,895.01	-1,028.26	-11.56	6,540.74	-862.22	-13.18	6,430.32	445.73	6.93
176	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	242.03	12.17	5.03	179.79	1.83	1.02	174.43	5.87	3.37
177	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड	4.74	-0.38	-8.02	4.13	-0.66	-15.98	3.43	-0.66	-19.24
178	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	1.97	-0.01	-0.51	1.98	0.00	0.00	1.99	0.01	0.50
179	आईएफआईएन सिक्योरिटीज	28.66	0.23	0.80	28.96	0.43	1.48	29.35	0.33	1.12

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	फाइनेंस लिमिटेड									
180	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	24.74	1.98	8.00	27.14	2.89	10.65	29.16	2.73	9.36
181	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	18.55	3.32	17.90	22.93	5.14	22.42	24.47	2.06	8.42
182	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	49,700.55	2,544.61	5.12	51,537.78	2,935.32	5.70	54,942.61	3,972.56	7.23
183	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	2,353.21	0.82	0.03	3,051.17	1.33	0.04	3,800.02	0.44	0.01
184	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड				5,778.55	84.80	1.47	6,234.03	315.89	5.07
185	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	10.00	-0.99	-9.90	10.00	6.51	65.10	10.00	-0.06	-0.60

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
186	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	461.61	-326.89	-70.82	473.06	-169.47	-35.82	892.98	25.99	2.91
187	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	319.87	-23.79	-7.44	319.26	10.43	3.27	376.35	86.93	23.10
188	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	2,367.04	-81.37	-3.44	2,371.44	-52.83	-2.23	2,863.56	242.84	8.48
189	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	173.54	13.74	7.92	173.54	13.74	7.92	173.54	13.74	7.92
190	इंडियन मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	85.90	15.71	18.29	117.85	45.41	38.53	128.12	30.13	23.52
191	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,56,130.19	32,175.58	20.61	1,92,637.33	34,200.93	17.75	1,91,718.89	16,628.41	8.67
192	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म	1,466.95	269.04	18.34	1,883.88	889.51	47.22	2,478.40	1,354.01	54.63

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
193	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,51,407.03	21,953.71	6.25	4,12,985.23	14,654.16	3.55	4,40,422.10	32,830.74	7.45
194	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	1,167.47	415.08	35.55	1,548.15	746.63	48.23	2,106.05	1,144.37	54.34
195	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	26,275.93	2,008.72	7.64	32,374.35	2,360.64	7.29	45,702.47	3,227.69	7.06
196	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड	3,340.52	-100.51	-3.01	3,255.38	-99.31	-3.05	3,158.37	-97.01	-3.07
197	इंडियन वैक्सीन कंपनी लिमिटेड	8.24	-0.04	-0.49	4.54	-2.42	-53.30	6.12	0.38	6.21
198	इंडो रशियन-हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड	7.92	-0.80	-10.10	7.59	-0.33	-4.35	7.56	-0.03	-0.40

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
199	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	289.60	2.82	0.97	577.55	2.45	0.42	987.38	7.02	0.71
200	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड	0.70	-0.25	-35.71	0.31	-0.89	-287.10	0.53	-0.68	-128.30
201	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	194.68	34.79	17.87	204.43	26.75	13.09	209.29	4.86	2.32
202	इरकॉन अकलोली-शिरसद एक्सप्रेसवे लिमिटेड				0.05	0.00	0.00	82.50	0.44	0.53
203	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड							6.77	0.00	0.00
204	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	506.80	26.15	5.16	560.97	35.45	6.32	570.59	63.50	11.13
205	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	0.06	0.00	0.00	18.40	0.00	0.00	75.07	4.91	6.54

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
206	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड							82.99	1.03	1.24
207	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	159.64	14.11	8.84	164.94	13.39	8.12	170.26	7.13	4.19
208	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	4,406.48	574.02	13.03	4,620.96	610.50	13.21	5,178.48	883.19	17.06
209	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड				0.05	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00
210	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	425.28	-13.10	-3.08	410.07	-9.18	-2.24	351.31	1.56	0.44
211	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड							54.71	-0.32	-0.58
212	इरकॉन शिव पुरी गुना लिमिटेड	599.75	27.44	4.58	554.76	29.46	5.31	536.14	23.06	4.30

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
213	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	707.52	18.15	2.57	760.44	122.31	16.08	977.85	78.08	7.98
214	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड	1.01	-0.03	-2.97	1.87	-0.05	-2.67	3.75	-0.12	-3.20
215	आईटीपीओ सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
216	जे&के डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	163.11	3.90	2.39	165.42	3.81	2.30	170.02	6.70	3.94
217	जे&केमिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.74	-1.35	-15.45	7.83	-0.90	-11.49	6.59	-1.24	-18.82
218	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	-1,120.36		281.49	-0.35	-0.12	561.49	0.28	0.05

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
219	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	90.86	2.16	2.38	448.77	3.03	0.68	545.05	8.13	1.49
220	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
221	झारखण्ड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	-0.07	-0.01	14.29	-0.08	-0.01	12.50	-0.09	-0.01	11.11
222	जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
223	कर्मयोगी भारत							31.97	2.89	9.04
224	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	222.72	31.48	14.13	239.84	33.16	13.83	260.69	34.51	13.24
225	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	178.90	61.04	34.12	210.36	67.15	31.92	215.82	25.81	11.96

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
226	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	143.14	3.08	2.15	144.46	1.32	0.91	148.29	3.83	2.58
227	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	640.77	-0.68	-0.11	640.42	-0.70	-0.11	-2.60	-0.68	26.15
228	कवरत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
229	खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.03	-0.02	-66.67
230	केआईओसीएल लिमिटेड	1,985.99	410.23	20.66	2,152.64	412.75	19.17	2,032.87	-118.16	-5.81
231	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	6,442.58	-147.69	-2.29	6,701.44	-152.57	-2.28	6,642.66	-113.89	-1.71
232	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.92	-0.01	0.52	-1.92	0.00	0.00	-2.28	-0.01	0.44
233	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7,446.57	0.00	0.00	8,298.10	0.06	0.00	8,612.38	0.75	0.01

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
234	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,250.91	-161.94	-3.81	4,609.97	102.34	2.22	4,815.76	486.45	10.10
235	केपीएसआई ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.57	-0.62	108.77
236	कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	24.70	6.87	27.81	27.29	5.84	21.40	33.96	10.42	30.68
237	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	365.08	34.34	9.41	388.64	28.61	7.36	388.64	28.61	7.36
238	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	997.16	-0.21	-0.02	1,440.50	-0.20	-0.01	2,274.41	-0.22	-0.01
239	लोकटक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	151.88	0.01	0.01	160.21	0.01	0.01	-0.30	-161.28	53760.00
240	लखनऊ सोलर पावर	-1.46	2.28	-156.16	-0.18	1.78	-988.89	0.07	0.39	557.14

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
241	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.46	-0.51	110.87
242	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	-139.93	79.18	-56.59	816.32	235.12	28.80	1,088.16	314.63	28.91
243	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-5.97	-0.03	0.50	-5.99	-0.02	0.33	-6.02	-0.03	0.50
244	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-0.87	-0.06	6.90	89.07	-0.02	-0.02	88.64	-0.43	-0.49
245	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	5,538.07	9,328.56	168.44	8,217.48	11,462.43	139.49	13,312.60	18,493.02	138.91
246	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2,132.30	-460.63	-21.60	-2,090.91	-598.55	28.63	2,656.79	-731.72	-27.54
247	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड	-131.40	-0.03	0.02	-757.51	-523.77	69.14	-757.51	-523.77	69.14

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड									
248	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12,986.25	-164.72	-1.27	14,502.08	-260.27	-1.79	17,557.26	-201.99	-1.15
249	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	101.43	1.81	1.78	614.18	5.69	0.93	559.59	34.60	6.18
250	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.87	-0.01	0.53	-1.87	0.00	0.00	-2.23	-0.01	0.45
251	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	17,450.61	169.26	0.97	21,411.84	3,573.81	16.69	22,252.62	5,290.19	23.77
252	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-220.68	0.00	0.00	-470.99	-172.01	36.52	-513.90	-3.72	0.72

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
253	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	2,919.01	629.92	21.58	3,321.31	772.69	23.26	4,177.51	1,429.33	34.21
254	मेकॉन लिमिटेड	371.09	19.63	5.29	382.93	20.16	5.26	394.44	35.18	8.92
255	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.39	-0.44	112.82
256	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	5.50	0.19	3.45	5.69	0.27	4.75	5.95	0.43	7.23
257	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	674.06	201.07	29.83	679.06	28.49	4.20	662.77	20.86	3.15
258	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	1,072.63	238.09	22.20	1,190.72	243.75	20.47	1,373.55	234.00	17.04
259	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	74.04	-0.44	-0.59	74.13	0.09	0.12	74.84	0.71	0.95
260	एमएमटीसी लिमिटेड	422.46	-896.23	-212.15	193.40	326.43	168.78	1,264.83	1,392.05	110.06

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
261	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	90.69	1.71	1.89	41.55	1.15	2.77	41.73	0.24	0.58
262	मोइल लिमिटेड	2,819.90	240.11	8.51	2,141.51	523.29	24.44	2,244.32	334.45	14.90
263	एमएसटीसी लिमिटेड	359.28	115.52	32.15	471.36	222.69	47.24	595.41	313.57	52.66
264	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15,051.22	-20.11	-0.13	17,741.85	-24.37	-0.14	19,811.22	-30.63	-0.15
265	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	240.30	23.25	9.68	235.19	7.57	3.22	321.74	87.42	27.17
266	मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड				6,549.75	25.40	0.39	7,580.91	101.89	1.34
267	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	4.76	-11.04	-231.93	-8.26	-12.82	155.21	0.88	-6.08	-690.91
268	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	10,680.70	1,316.52	12.33	12,184.34	3,954.87	32.46	13,238.45	1,954.99	14.77
269	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2,036.30	34.21	1.68	2,068.65	30.56	1.48	2,099.28	30.36	1.45

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
270	नेशनल बाईसाइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3.85	0.14	3.64	3.52	-0.33	-9.38	3.35	-0.17	-5.07
271	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	4,983.18	74.87	1.50	8,999.05	136.00	1.51	14,000.11	657.72	4.70
272	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	16.89	3.87	22.91	24.39	10.00	41.00	34.39	13.49	39.23
273	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2,921.34	612.96	20.98	3,013.16	268.48	8.91	3,410.43	886.70	26.00
274	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	28.50	0.64	2.25	21.76	-6.74	-30.97	26.77	1.85	6.91
275	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	1.20	0.04	3.33	1.21	0.03	2.48	1.24	0.03	2.42
276	राष्ट्रीय विकलांग वित्त	490.06	9.21	1.88	496.22	6.20	1.25	501.28	5.09	1.02

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	एवं विकास निगम									
277	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	78.59	-9.81	-12.48	76.76	-2.64	-3.44	81.63	6.51	7.98
278	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10,721.35	25.40	0.24	13,351.85	105.14	0.79	14,750.79	68.51	0.46
279	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	323.09	113.53	35.14	410.39	152.21	37.09	601.10	304.78	50.70
280	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा आईएनसी.	695.69	131.52	18.90	741.86	61.80	8.33	892.24	200.36	22.46
281	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,484.78	-488.28	-32.89	3,661.32	-1,599.95	-43.70	-54.15	-3,790.67	7000.31

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
282	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड	-0.13	0.06	-46.15	-0.10	0.03	-30.00	-0.01	0.09	-900.00
283	राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम लिमिटेड	6.27	-2.03	-32.38	-9.99	-7.77	77.78	21.08	49.60	235.29
284	राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड							152.99	4.00	2.61
285	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	2,870.68	65.66	2.29	3,039.34	67.64	2.23	3,285.48	65.26	1.99
286	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	216.05	34.10	15.78	241.48	50.45	20.89	280.26	62.14	22.17
287	राष्ट्रीय भारतीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड	9.45	0.31	3.28	9.50	0.20	2.11	5.78	-3.72	-64.36

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
288	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	854.25	23.62	2.76	875.22	15.92	1.82	890.22	14.99	1.68
289	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	2,136.24	47.82	2.24	2,185.31	48.78	2.23	2,235.33	47.61	2.13
290	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	1,103.82	26.35	2.39	1,128.22	24.45	2.17	1,152.51	24.29	2.11
291	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	660.84	8.41	1.27	668.26	17.57	2.63	712.96	54.48	7.64
292	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1,108.53	216.72	19.55	1,180.06	208.03	17.63	1,258.12	239.05	19.00
293	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	1,204.12	-297.79	-24.73	1,204.12	-297.79	-24.73	1,204.12	-297.79	-24.73
294	एनबीसीसी (भारत) लिमिटेड	1,691.50	244.45	14.45	1,774.75	236.73	13.34	1,914.54	312.28	16.31

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
295	एनबीसीसी पर्यावरण इंजीनियरिंग लिमिटेड	1.02	0.01	0.98	1.03	0.01	0.97	1.01	-0.02	-1.98
296	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड	1.03	0.03	2.91	1.04	0.02	1.92	1.02	-0.03	-2.94
297	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	31.45	12.20	38.79	32.97	6.12	18.56	37.70	9.93	26.34
298	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	0.96	-0.05	-5.21	0.98	0.03	3.06	0.99	0.00	0.00
299	नेपा लिमिटेड	202.78	-16.87	-8.32	366.52	-16.05	-4.38	260.72	-57.21	-21.94
300	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	61.94	-1.39	-2.24	61.94	-1.39	-2.24	61.94	-1.39	-2.24
301	नई दिल्ली नगर परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	100.35	-176.03	-175.42	135.96	2.35	1.73	135.96	2.35	1.73

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
302	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	167.74	163.33	97.37	1,441.77	459.15	31.85	6,606.40	625.76	9.47
303	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	10,573.84	-0.96	-0.01	12,450.56	-0.33	0.00	14,014.36	-0.15	0.00
304	एनएचडीसी लिमिटेड	5,692.53	862.11	15.14	5,644.67	725.95	12.86	5,693.27	1,168.43	20.52
305	एनएचपीसी लिमिटेड	51,246.58	5,364.54	10.47	56,811.32	3,305.69	5.82	61,470.96	6,087.40	9.90
306	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	18.41	-1.91	-10.37
307	एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	11.87	0.48	4.04
308	एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	545.13	3.08	0.57

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
309	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	23,272.58	2,730.29	11.73	22,632.70	3,390.20	14.98	22,455.77	2,396.20	10.67
310	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	4,693.67	908.45	19.35	4,063.94	538.58	13.25	3,847.94	625.32	16.25
311	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड	5.02	-3.90	-77.69	6.04	1.02	16.89	4.56	-1.48	-32.46
312	एनएमडीसी लिमिटेड	30,302.57	8,911.23	29.41	36,512.19	13,013.67	35.64	22,332.31	7,705.82	34.51
313	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	0.00	-0.01		0.04	-0.01	-25.00	6,748.90	0.00	0.00
314	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	184.49	-3.60	-1.95	181.66	-4.03	-2.22	178.54	-4.06	-2.27
315	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड	12,396.63	220.94	1.78	13,096.80	490.46	3.74	12,780.23	1,228.19	9.61
316	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा	5.37	-1.16	-21.60	3.85	-28.18	-731.95	3.07	-1.60	-52.12

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	विकास निगम लिमिटेड									
317	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	-34.42	-2.32	6.74	-19.98	-2.38	11.91	14.14	4.44	31.40
318	उत्तरी कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,616.08	6,267.78	94.74	7,871.34	6,937.64	88.14	11,176.47	9,357.46	83.72
319	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.41	0.08	5.67	1.45	0.05	3.45	1.50	0.07	4.67
320	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	5.39	-0.58	-10.76	7.29	2.31	31.69	9.76	4.06	41.60
321	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन	-0.71	-0.91	128.17	-2.76	-2.05	74.28	-3.32	-0.56	16.87

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	प्राइवेट लिमिटेड									
322	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड	55.28	6.27	11.34	55.58	-0.25	-0.45	20.27	0.33	1.63
323	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	9,949.05	68.72	0.69
324	एनटीपीसी लिमिटेड	2,63,924.60	23,013.70	8.72	2,88,738.96	30,489.82	10.56	3,09,800.05	35,630.84	11.50
325	एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
326	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	291.54	-3.47	-1.19	767.78	0.17	0.02	1,452.53	9.58	0.66
327	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	442.31	128.20	28.98	562.57	201.08	35.74	768.96	257.74	33.52
328	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन	97,366.67	8,837.09	9.08	1,08,783.01	11,533.23	10.60	1,26,626.20	10,468.88	8.27

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	ऑफ इंडिया लिमिटेड									
329	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	5,496.03	4,091.43	74.44	9,237.72	4,849.68	52.50	14,286.13	4,956.98	34.70
330	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.35	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
331	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	2,10,870.13	16,709.40	7.92	2,43,529.03	41,344.74	16.98	2,64,419.76	50,714.99	19.18
332	ऑयल इंडिया लिमिटेड	37,096.68	1,160.71	3.13	40,994.16	5,558.83	13.56	44,994.60	9,441.04	20.98
333	ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली लिमिटेड	209.08	35.57	17.01	232.93	32.92	14.13	277.31	54.65	19.71
334	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	55,710.31	3,294.77	5.91	65,365.11	6,177.21	9.45	68,801.02	5,529.41	8.04

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
335	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	19,776.43	51.23	0.26	22,067.20	-419.58	-1.90	27,173.29	2,467.34	9.08
336	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	145.69	0.00	0.00	153.17	0.00	0.00	109.13	0.00	0.00
337	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	3,934.80	205.59	5.22	5,750.81	278.78	4.85	7,937.57	393.42	4.96
338	पवन हंस लिमिटेड	982.23	-17.94	-1.83	970.01	-3.94	-0.41	902.55	-6.47	-0.72
339	पीईसी लिमिटेड	-1,909.21	-15.28	0.80	-2,223.98	-5.27	0.24	-2,466.86	-243.93	9.89
340	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	87.18	36.96	42.40	120.83	51.11	42.30	172.69	87.01	50.39
341	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1.83	-1.35	73.77	-1.71	0.16	-9.36	-1.40	0.58	-41.43
342	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,90,567.53	33,401.80	8.55	3,91,999.26	34,898.95	8.90	4,34,586.18	36,618.29	8.43

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
343	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,98,658.91	23,677.43	11.92	2,08,298.61	27,649.90	13.27	2,11,684.45	25,877.31	12.22
344	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	57.67	14.07	24.40	59.61	21.34	35.80	61.91	18.37	29.67
345	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड	543.98	-0.02	0.00	582.36	32.96	5.66	579.92	46.20	7.97
346	पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	633.59	-0.02	0.00	876.87	51.23	5.84
347	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.01	0.00	0.00
348	पावरग्रिड भाडला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
349	पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.67	-0.72	107.46	299.47	8.86	2.96	497.17	28.21	5.67
350	पावरग्रिड भडला-III ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.01	0.00	0.00
351	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	291.31	0.00	0.00	456.08	20.86	4.57	545.40	27.60	5.06
352	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	429.23	0.00	0.00	945.72	-0.04	0.00	1,146.59	65.78	5.74
353	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	448.82	-0.03	-0.01	1,136.58	52.32	4.60
354	पावरग्रिड धरमजयगढ़	-	-	-	-	-	-	0.01	0.00	0.00

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	ट्रांसमिशन लिमिटेड									
355	पॉवरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.67	-12.47	-1861.19
356	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-0.26	-0.31	119.23	14.71	0.18	1.22
357	पावरग्रिड ईआर डब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.04	-0.01	-25.00
358	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	572.43	21.40	3.74	660.32	36.85	5.58	661.24	53.68	8.12
359	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	0.01	0.00	0.00	434.39	7.25	1.67

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
360	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	403.89	21.61	5.35	447.26	46.86	10.48	473.80	50.63	10.69
361	पावरग्रिड खावड़ा II-B ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.01	-20.00
362	पावरग्रिड खावड़ा II-C ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.01	-20.00
363	पावरग्रिड खावड़ा री ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.01	-20.00
364	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	794.00	-0.05	-0.01	994.58	57.40	5.77	968.77	91.01	9.39

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
365	पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.01	-20.00
366	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.01	-20.00
367	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	2,941.79	188.65	6.41	3,215.88	430.54	13.39	3,140.24	485.56	15.46
368	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	194.00	0.00	0.00	751.45	-0.02	0.00	1,009.36	53.18	5.27
369	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,096.93	55.85	5.09	1,181.91	113.62	9.61	1,178.43	122.32	10.38

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
370	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	429.47	7.48	1.74
371	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	186.97	-0.29	-0.16
372	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,144.22	86.23	7.54	1,155.63	80.60	6.97	1,356.01	325.93	24.04
373	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.01	0.00	0.00
374	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-0.69	-0.74	107.25
375	पावरग्रिड रामगढ़	5.36	-0.66	-12.31	92.86	-0.01	-0.01	256.97	12.17	4.74

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	ट्रांसमिशन लिमिटेड									
376	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	126.02	2.84	2.25	551.40	-0.01	0.00	738.94	48.16	6.52
377	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.54	-0.59	109.26	525.86	16.37	3.11	851.95	43.44	5.10
378	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	3,570.06	356.43	9.98	3,291.11	141.21	4.29	3,193.98	361.20	11.31
379	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	-	-	-	8.67	-0.44	-5.07	8.61	-0.09	-1.05
380	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	826.11	0.02	0.00	934.60	75.85	8.12	938.27	93.41	9.96

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
381	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-19.41	-0.01	0.05	-19.42	-0.01	0.05	-19.43	-0.01	0.05
382	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	115.30	3.59	3.11	109.53	-5.79	-5.29	73.04	-36.49	-49.96
383	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	157.54	26.25	16.66	167.40	14.84	8.86	167.74	4.59	2.74
384	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	2.27	-0.01	-0.44	2.26	-0.01	-0.44	2.25	-0.01	-0.44
385	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	233.55	-7.07	-3.03	221.25	-3.89	-1.76	219.58	3.86	1.76
386	रेल विकास निगम लिमिटेड	10,637.09	1,155.67	10.86	11,946.84	1,935.82	16.20	12,509.73	2,173.87	17.38
387	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,402.73	196.44	14.00	1,516.02	282.77	18.65	1,636.50	252.58	15.43

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
388	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	20.09	4.81	23.94	21.39	1.76	8.23	22.40	1.52	6.79
389	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-46.17	-9.34	20.23	-27.30	-2.06	7.55	-27.30	-2.06	7.55
390	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	81.09	-18.20	-22.44	72.94	-7.49	-10.27	62.86	-16.58	-26.38
391	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-14.88	-2.75	18.48	-15.63	-0.53	3.39	-16.81	-0.83	4.94
392	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4,585.74	682.59	14.89	5,250.46	1,049.52	19.99	5,730.89	1,443.39	25.19
393	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	12,580.24	414.88	3.30	11,947.06	2,363.94	19.79	11,203.69	-1,741.66	-15.55
394	रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक	-	-	-	186.27	-0.53	-0.28	375.89	8.59	2.29

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
395	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	3.74	0.20	5.35	3.82	0.10	2.62	3.90	0.12	3.08
396	आरईसी लिमिटेड	3,72,650.28	32,245.21	8.65	3,83,528.83	34,477.81	8.99	4,18,834.95	15,527.00	3.71
397	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	297.98	32.62	10.95	328.58	68.87	20.96	440.92	186.35	42.26
398	आरईएमसी लिमिटेड	204.56	37.55	18.36	233.22	66.43	28.48	235.37	84.04	35.71
399	रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	5.31	2.41	45.39	5.74	2.45	42.68	4.83	3.07	63.56

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
400	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	141.00	27.05	19.18	185.04	28.37	15.33	261.71	46.50	17.77
401	रिचर्डसन एंड क्रुडास)1972) लिमिटेड	227.97	18.42	8.08	247.31	25.44	10.29	260.04	16.99	6.53
402	राइट्स लिमिटेड	2,321.93	562.35	24.22	2,399.26	674.56	28.12	2,503.04	708.54	28.31
403	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	-0.02	-0.03	150.00	-0.02	-0.01	50.00	29.70	-4.62	-15.56
404	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	687.99	1.22	0.18	794.77	9.38	1.18	908.81	18.97	2.09
405	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	79.82	18.50	23.18	68.98	5.99	8.68	61.96	0.59	0.95
406	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	105.71	16.31	15.43	120.38	27.75	23.05	125.12	24.35	19.46
407	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	16.39	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
408	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	-5.59	10.98	-196.42	5.25	15.15	288.57	16.53	15.87	96.01
409	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	57.50	-48.65	-84.61	65.08	13.16	20.22	65.85	6.30	9.57
410	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,469.97	858.44	19.20	4,854.23	923.09	19.02	6,416.14	2,341.21	36.49
411	सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड	800.80	1.23	0.15	800.70	-0.10	-0.01	800.28	-0.41	-0.05
412	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड	79.22	23.09	29.15	91.73	28.60	31.18	95.08	19.43	20.44
413	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	2,886.43	17.58	0.61

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
414	सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	90.08	-0.59	-0.65	90.29	0.02	0.02	91.90	2.06	2.24
415	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.67	-0.72	107.46
416	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-1.90	-0.16	8.42	-1.90	-0.16	8.42	-1.90	-0.16	8.42
417	सिओट ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
418	एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड							2,818.95	-2.97	-0.11
419	एसजेवीएन लिमिटेड	14,617.52	2,165.82	14.82	18,190.97	1,460.96	8.03	20,577.30	1,927.50	9.37
420	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	2,147.43	1.18	0.05	3,689.50	-0.81	-0.02	6,416.65	-1.16	-0.02

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
421	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	873.58	237.59	27.20	2,060.46	320.00	15.53	2,379.33	427.19	17.95
422	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4,308.00	2,044.50	47.46	5,442.08	2,137.34	39.27	6,936.01	3,529.95	50.89
423	एसटीसीएल लिमिटेड	-4,564.22	0.97	-0.02	-4,557.11	7.16	-0.16	-4,558.19	-1.10	0.02
424	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	60,315.55	9,696.17	16.08	60,917.09	17,736.60	29.12	59,917.82	4,524.64	7.55
425	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,684.20	86.41	3.22	4,552.99	161.70	3.55	5,956.02	209.79	3.52
426	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	65.70	-11.95	-18.19	66.33	6.82	10.28	56.58	9.95	17.59
427	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज	12.00	-1.85	-15.42	12.93	-2.30	-17.79	14.24	-1.85	-12.99

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	आईएफएससी लिमिटेड									
428	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट लिमिटेड	7.48	0.42	5.61	7.73	0.33	4.27	7.94	0.29	3.65
429	सूटी टेक ऑप्शंस लिमिटेड	-0.31	-0.01	3.23	-0.32	-0.01	3.13	-0.33	-0.01	3.03
430	तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड	1,591.29	7.85	0.49	2,394.30	-5.87	-0.25	2,881.71	-2.50	-0.09
431	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	306.87	6.33	2.06	310.20	3.89	1.25	339.54	29.51	8.69
432	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	45.83	9.71	21.19	42.31	8.02	18.96	52.17	6.81	13.05
433	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड	78.31	2.67	3.41	76.66	0.82	1.07	83.69	5.53	6.61
434	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स	611.19	74.06	12.12	612.79	47.75	7.79	618.56	67.03	10.84

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
	ऑफ इंडिया लिमिटेड									
435	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	15,558.49	1,572.42	10.11	16,832.13	1,586.44	9.43	21,190.30	1,008.11	4.76
436	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	-146.72	7.55	-5.15	-141.10	8.44	-5.98	-116.21	12.91	-11.11
437	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	207.46	16.03	7.73	211.99	5.12	2.42	219.82	14.00	6.37
438	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1,155.47	-24.26	2.10	-1,234.52	-3.21	0.26	-1,234.52	-3.21	0.26
439	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	372.64	1,371.37	368.01	363.38	491.37	135.22	288.53	-72.84	-25.25
440	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	251.61	18.22	7.24	250.82	15.57	6.21	248.19	13.46	5.42

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
441	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1,615.90	594.79	36.81	1,975.16	595.21	30.13	3,049.46	857.77	28.13
442	द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	20.82	-8.49	-40.78	87.03	-18.05	-20.74	87.03	-18.05	-20.74
443	द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.06	-0.01	16.67
444	द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	155.24	15.99	10.30	133.69	-13.78	-10.31	143.70	12.75	8.87
445	द केरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड				4.90	-0.10	-2.04	4.90	-0.10	-2.04

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
446	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	36,450.64	2,036.72	5.59	38,191.19	159.91	0.42	37,957.33	1,245.22	3.28
447	द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8,552.36	-1,512.06	-17.68	7,533.32	-3,146.87	-41.77	3,765.12	-4,890.23	-129.88
448	उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	296.15	-20.96	-7.08	131.47	16.42	12.49	-12.80	-2.86	22.34
449	द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10,413.75	728.32	6.99	10,966.77	899.90	8.21	8,699.51	850.05	9.77
450	द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-109.20	-51.23	46.91	-197.57	-48.60	24.60	-144.07	37.11	-25.76
451	ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड				4,573.67	23.04	0.50	4,852.84	34.63	0.71
452	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-54.46	-0.30	0.55	-44.89	-0.18	0.40	-44.69	0.20	-0.45
453	टीयूएससीओ लिमिटेड	9.74	-0.35	-3.59	18.71	-1.46	-7.80	37.17	-0.38	-1.02

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
454	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	141.53	-1.31	-0.93	139.32	-17.52	-12.58	155.66	-10.57	-6.79
455	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7,674.79	-910.61	-11.86	6,047.69	-2,061.30	-34.08	-732.05	-2,829.33	386.49
456	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,557.25	623.21	17.52	3,944.70	777.48	19.71	3,702.73	97.17	2.62
457	उर्वरक विदेश लिमिटेड	0.06	-0.01	-16.67	0.06	-0.01	-16.67	0.05	-0.01	-20.00
458	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-22.93	-0.12	0.52	-23.81	-0.18	0.76	-24.85	-0.12	0.48
459	उत्कर्ष एल्युमिनियम धातु निगम लिमिटेड	37.01	0.38	1.03	37.63	0.65	1.73	38.40	0.78	2.03
460	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-5.90	-5.48	92.88	53.85	-4.95	-9.19	30.28	0.09	0.30

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	% में आरओसीई
461	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	186.60	-5.79	-3.10	180.24	-0.49	-0.27	162.27	-2.20	-1.36
462	वैपकोस लिमिटेड	617.14	58.30	9.45	659.28	65.36	9.91	702.29	16.24	2.31
463	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	548.88	383.53	69.88	1,505.82	1,259.73	83.66	2,090.93	626.19	29.95
464	यंत्र इंडिया लिमिटेड				2,577.89	-123.12	-4.78	3,760.21	51.34	1.37
465	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	-0.07	0.00	0.00	-0.08	-0.01	12.50	-0.08	0.00	0.00
466	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-0.03	-0.01	33.33	-0.04	-0.01	25.00	-0.04	-0.01	25.00
467	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड	17.85	3.35	18.77	22.65	43.70	192.94	37.40	78.45	209.76
		36,47,544.38	**3,62,327.67**	**9.93**	**39,99,546.96**	**4,14,298.25**	**10.36**	**43,72,416.87**	**4,00,216.47**	**9.15**

अनुलग्नक-X (पैरा सं 1.4.2 देखें)

सरकारी कंपनियों और निगमों की इक्विटी पर लाभ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
1	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	-	-	-	4.71	2,573.47	0.00	12.17	5,290.35	0.00
2	एग्रीइनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	1.39	71.07	0.02	1.54	72.61	0.02	3.51	76.12	0.05
3	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	-203.66	184.40	-1.10	15.33	361.65	0.04	77.92	423.07	0.18
4	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	-9.58	-2,218.34	0.00	837.12	-1,381.51	-0.61	628.47	-790.02	-0.80
5	एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	43.70	177.77	0.25	-1,057.47	-6,266.13	0.17	-551.22	-69.65	7.91
6	एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया	-1,962.06	12,849.96	-0.15	8.76	12,227.30	0.00	2,972.05	15,762.38	0.19
7	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	-360.09	-2,651.16	0.14	-447.76	-3,098.55	0.14	-566.57	-3,664.32	0.15

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
8	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	-0.16	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
9	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड	-0.89	-21.91	0.04	-2.61	-24.52	0.11	-2.61	-24.52	0.11
10	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड	19.30	192.35	0.10	23.93	209.14	0.11	34.87	233.55	0.15
11	अंडमान मत्स्य पालन लिमिटेड	-4.91	-40.56	0.12	-7.22	-47.78	0.15	-7.27	-55.05	0.13
12	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड	56.74	215.12	0.26	71.98	286.58	0.25	92.15	378.45	0.24
13	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	21.20	190.14	0.11	-0.90	183.14	0.00	1.17	186.61	0.01
14	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	0.70	851.41	0.00	0.53	857.07	0.00	0.44	910.71	0.00
15	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	55.71	1,567.31	0.04	24.96	1,513.87	0.02	48.54	1,486.72	0.03

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
16	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	0.00	0.02	-0.03	0.00	0.01	-0.14	0.00	0.01	-0.35
17	अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	-1.03	122.50	-0.01	-1.03	122.50	-0.01	-1.03	122.50	-0.01
18	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड	-	-	-	54.19	12,302.08	0.00	271.17	13,289.17	0.02
19	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	52.26	533.64	0.10	64.15	599.26	0.11	72.93	671.56	0.11
20	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	-0.76	13.30	-0.06	-0.76	13.30	-0.06	-0.76	13.30	-0.06
21	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	116.45	1,307.73	0.09	122.81	1,319.86	0.09	153.86	1,356.25	0.11
22	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	84.62	167.16	0.51	66.62	159.96	0.42	73.42	156.25	0.47
23	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-902.54	7,545.44	-0.12	-476.92	11,147.71	-0.04	-467.12	12,498.42	-0.04
24	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.54	294.60	0.00	-0.89	293.71	0.00	-0.93	292.79	0.00

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
25	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-0.76	-0.71	1.07
26	बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेज लिमिटेड	4.90	240.52	0.02	5.16	244.32	0.02	6.76	271.21	0.02
27	बीईएल थेल्स सिस्टम्स-लिमिटेड	3.15	57.65	0.05	5.21	62.85	0.08	7.00	68.29	0.10
28	बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड	-	-	-	-0.01	0.00	-4.26	-0.63	8.58	-0.07
29	बीईएमएल लिमिटेड	74.80	2,173.39	0.03	134.59	2,280.73	0.06	158.78	2,394.09	0.07
30	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	6.08	-47.63	-0.13	7.47	76.96	0.10	10.16	163.74	0.06
31	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	-2.09	71.82	-0.03	-3.82	250.31	-0.02	-10.89	478.05	-0.02
32	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	1.45	87.41	0.02	-2.49	84.92	-0.03	0.10	85.02	0.00
33	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	-1,202.48	3,088.81	-0.39	111.62	3,273.77	0.03	589.32	3,784.13	0.16
34	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	257.77	2,684.75	0.10	499.92	3,030.56	0.16	352.17	3,211.50	0.11

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
35	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2,065.42	10,761.20	0.19	2,348.93	11,984.26	0.20	3,006.67	13,581.99	0.22
36	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	147.39	-1,913.66	-0.08	-68.88	-1,982.54	0.03	-61.46	-2,044.01	0.03
37	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	-2,717.14	26,448.87	-0.10	410.24	26,971.16	0.02	447.55	27,226.98	0.02
38	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-18.11	34.04	-0.53	-8.75	43.18	-0.20	-16.64	43.18	-0.39
39	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड	12.24	-56.21	-0.22	-0.31	-56.52	0.01	-0.16	-56.68	0.00
40	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड	-1,796.85	2,290.12	-0.78	-22.81	3,392.33	-0.01	-2,252.55	3,339.79	-0.67
41	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19,041.67	53,300.47	0.36	8,788.73	48,355.45	0.18	1,870.10	51,767.10	0.04
42	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड	-83.89	-204.95	0.41	-53.69	-90.42	0.59	-13.43	-103.99	0.13
43	भारत संचार निगम लिमिटेड	-7,441.12	11,478.46	-0.65	-6,981.62	5,000.00	-1.40	-8,161.56	31,386.44	-0.26

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
44	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	0.22	4,806.39	0.00	0.19	4,806.58	0.00	0.08	4,806.66	0.00
45	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	282.48	2,770.13	0.10	328.70	2,921.98	0.11	243.99	2,877.99	0.08
46	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.02	0.07	0.30	-0.01	0.07	-0.09	-0.11	-0.10	1.07
47	बिएक्को लॉरी लिमिटेड	11.84	-115.00	-0.10	0.89	-114.11	-0.01	-2.77	-116.88	0.02
48	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
49	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.01	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05
50	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	-80.00	-0.01	0.00	-80.00
51	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल	6.72	120.65	0.06	9.00	130.13	0.07	9.06	139.17	0.07
52	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-5.43	-141.96	0.04	-5.40	-147.36	0.04	-3.89	-151.25	0.03

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
53	बीपीसीएल केआईएएल-फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	-6.06	-0.80	7.58	-3.85	-4.65	0.83	0.99	-3.65	-0.27
54	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	739.89	2,811.26	0.26	690.53	3,280.79	0.21	134.23	3,201.64	0.04
55	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-137.75	-251.28	0.55	-97.64	-348.92	0.28	24.38	-324.54	-0.08
56	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	24.72	108.13	0.23	42.42	150.55	0.28	49.73	200.32	0.25
57	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	7.80	376.67	0.02	21.28	395.84	0.05	40.90	429.06	0.10
58	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	2.55	10.17	0.25	11.09	21.14	0.52	4.06	23.50	0.17
59	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.01	-2.79	0.00	0.00	-2.79	0.00	0.20	-2.60	-0.08
60	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	-0.13	48.67	0.00	-0.70	95.03	-0.01	-3.00	94.03	-0.03

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
61	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	13.15	-29.80	-0.44	40.20	11.44	3.51	95.29	107.88	0.88
62	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,221.28	7,548.53	0.16	1,696.92	8,411.98	0.20	2,751.67	10,317.49	0.27
63	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-29.92	-44.33	0.68	-24.38	-68.66	0.36	-13.01	-81.06	0.16
64	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	23.26	105.82	0.22	23.78	122.34	0.19	17.49	134.77	0.13
65	सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	13.75	56.17	0.24	0.34	56.50	0.01	0.34	56.50	0.01
66	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड	316.96	784.47	0.40	282.12	995.62	0.28	296.66	1,217.65	0.24
67	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया	44.62	869.95	0.05	65.57	935.51	0.07	118.25	1,154.75	0.10

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
68	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-0.03	0.02	-1.24	40.03	40.05	1.00	51.11	26.16	1.95
69	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन	438.17	2,868.61	0.15	450.56	3,088.15	0.15	369.58	3,453.10	0.11
70	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	11.23	80.67	0.14	8.11	79.30	0.10	9.82	81.44	0.12
71	चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-1.33	56.53	-0.02	4.61	60.82	0.08	4.61	60.82	0.08
72	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-2.92	200.00	-0.01	1.29	203.44	0.01	1.29	203.44	0.01
73	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	-2.15	0.00	0.00	-2.15	0.00	-0.01	-2.55	0.00
74	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	-613.37	4,487.07	-0.14	-722.98	5,967.43	-0.12	-566.73	5,731.59	-0.10
75	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	237.56	1,424.48	0.17	1,342.42	2,790.14	0.48	3,533.81	6,280.87	0.56
76	चेयूर इंफ्रा लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
77	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	-0.19

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
78	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड	-0.11	0.06	-1.97	-0.10	0.05	-2.03	-0.06	0.08	-0.75
79	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	7.76	656.03	0.01	62.33	819.62	0.08	-118.59	751.05	-0.16
80	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	-0.27	503.09	0.00	-0.28	592.81	0.00	-0.24	720.03	0.00
81	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	-0.01	0.00	-2.12	-0.01	0.00	1.73	0.00	-0.01	0.44
82	सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड	-	-	-	0.00	0.05	-0.07	0.00	0.04	-0.08
83	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड	-	-	-	0.00	0.05	-0.04	0.00	0.05	-0.05
84	कोल इंडिया लिमिटेड	7,640.10	16,751.71	0.46	11,201.57	16,357.95	0.68	14,802.31	16,706.45	0.89
85	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.99	-0.03	-0.04	0.82
86	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
87	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	610.10	3,958.25	0.15	586.57	4,339.86	0.14	334.49	4,404.10	0.08
88	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	-2.93	33.91	-0.09	-9.65	24.24	-0.40	-1.10	23.13	-0.05

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
89	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	503.33	10,203.74	0.05	1,062.34	10,777.30	0.10	1,169.08	11,244.98	0.10
90	क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स	3.41	20.91	0.16	4.16	10.19	0.41	3.58	28.64	0.13
91	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	15.19	114.97	0.13	17.26	126.90	0.14	16.33	131.10	0.12
92	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव एससी/एसटी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.33	10.70	0.03	4.47	15.16	0.29	0.64	15.81	0.04
93	दामोदर घाटी निगम	301.96	5,817.69	0.05	634.89	6,738.82	0.09	704.24	7,684.66	0.09
94	समर्पित माल गलियारा निगम लिमिटेड	112.45	14,370.56	0.01	-16.15	15,994.76	0.00	-19.70	15,975.94	0.00
95	रक्षा नवाचार संगठन	0.00	85.81	0.00	0.00	123.77	0.00	0.00	160.98	0.00
96	दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड	-0.01	0.08	-0.08	-0.01	0.07	-0.13	-0.01	0.06	-0.13

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
97	दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	-2,368.74	26,735.32	-0.09	-3,815.11	24,130.39	-0.16	-1,569.95	23,359.97	-0.07
98	दिल्ली पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड	0.48	12.82	0.04	0.17	12.98	0.01	0.81	13.79	0.06
99	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
100	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.01	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.01
101	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	0.00	36.27	0.00	1.43	33.35	0.04	2.13	45.78	0.05
102	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.03	1.99	0.01	0.03	2.02	0.01	0.41	0.54	0.76
103	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	229.91	771.58	0.30	105.84	877.43	0.12	40.61	681.12	0.06
104	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	-2.09	0.00	0.00	-2.10	0.00	-0.01	-2.48	0.00
105	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	-759.58	888.82	-0.85	-1,060.66	1,813.71	-0.58	616.42	2,543.87	0.24
106	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	0.79	270.43	0.00	-0.44	269.99	0.00	-3.58	266.41	-0.01

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
107	ईसीजीसी लिमिटेड	460.30	13,765.91	0.03	875.16	15,375.28	0.06	2,164.25	11,386.60	0.19
108	एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड	36.89	173.00	0.21	50.41	211.79	0.24	64.55	260.12	0.25
109	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	112.17	1,078.42	0.10	220.78	1,255.73	0.18	269.70	1,433.07	0.19
110	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	-49.74	148.52	-0.33	-65.06	83.46	-0.78	0.44	83.90	0.01
111	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	259.50	1,701.01	0.15	344.41	1,925.05	0.18	342.15	2,105.66	0.16
112	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-5.99	-129.07	0.05	-8.58	-137.71	0.06	-7.91	-146.44	0.05
113	फतेहगढ़-III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	-0.20
114	फतेहगढ़-III ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	-0.19
115	फतेहगढ़-IV ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	-0.85
116	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	22.75	226.68	0.10	40.36	212.00	0.19	38.38	218.53	0.18

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
117	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	51.05	631.86	0.08	35.74	666.50	0.05	46.82	712.75	0.07
118	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	0.00	5,500.33	0.00	0.00	8,004.55	0.00	0.00	9,958.86	0.00
119	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	-4.84	31.56	-0.15	-3.73	33.29	-0.11	-2.57	38.92	-0.07
120	गेल (इंडिया) लिमिटेड	4,890.18	46,506.37	0.11	10,363.97	55,586.79	0.19	5,301.51	55,376.64	0.10
121	गेल गैस लिमिटेड	157.70	2,100.96	0.08	283.36	2,430.75	0.12	297.04	2,953.41	0.10
122	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	153.47	1,137.12	0.13	189.53	1,248.60	0.15	228.12	1,413.82	0.16
123	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,920.44	1,27,917.40	0.02	2,005.74	1,39,087.47	0.01	6,312.50	1,50,108.59	0.04
124	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.02
125	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड	-	-	-	0.71	529.96	0.00	6.87	651.85	0.01
126	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-11.55	-5.39	2.14	-6.67	-11.38	0.59	-4.75	-18.13	0.26

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
127	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	127.91	1,098.26	0.12	101.09	1,148.40	0.09	154.54	1,246.43	0.12
128	गोल्डमोहर डिजाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	-1.59	116.03	-0.01	-1.59	116.03	-0.01	-1.59	116.03	-0.01
129	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस	-4.02	0.01	-401.88	104.07	98.83	1.05	279.94	551.18	0.51
130	ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.02	0.12	0.16
131	ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड	20.50	468.36	0.04	44.39	508.19	0.09	58.18	561.83	0.10
132	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	38.84	1,227.43	0.03	31.20	1,358.27	0.02	48.19	1,390.87	0.03
133	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	0.67	40.04	0.02	3.34	43.14	0.08	2.27	88.18	0.03
134	हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-32.04	347.60	-0.09	-40.00	307.60	-0.13	-30.83	276.77	-0.11
135	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-175.78	-582.25	0.30	-256.07	-844.07	0.30	-230.85	-1,080.66	0.21
136	हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	-7.45	376.63	-0.02	-14.86	372.33	-0.04	-6.47	365.87	-0.02

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
137	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.21	2.42	-0.09	1.91	46.71	0.04	3.30	50.02	0.07
138	हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी	441.59	6,131.75	0.07	447.52	6,579.27	0.07	397.26	6,976.53	0.06
139	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	0.11	4.52	0.03	0.07	4.59	0.02	0.08	4.67	0.02
140	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	3,232.96	15,356.55	0.21	5,086.50	19,264.00	0.26	5,811.17	23,506.17	0.25
141	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-38.26	-607.24	0.06	-16.21	-623.45	0.03	-53.88	-677.33	0.08
142	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	269.56	-31.23	-8.63	88.39	57.16	1.55	15.74	354.86	0.04
143	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	109.98	528.04	0.21	373.78	805.61	0.46	295.31	851.99	0.35
144	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.42	135.89	0.07	2.52	138.40	0.02	10.29	148.69	0.07
145	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	-24.83	-72.64	0.34	-6.13	-78.81	0.08	-5.11	-83.92	0.06

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
146	हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	1.15	105.58	0.01	2.21	107.80	0.02	-68.70	54.29	-1.27
147	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	15.47	59.85	0.26	-23.24	53.23	-0.44	-50.22	7.89	-6.36
148	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10,663.88	35,561.11	0.30	6,382.63	38,052.04	0.17	-8,974.03	27,088.43	-0.33
149	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	1.67	20.88	0.08	-12.25	8.63	-1.42	-7.68	0.94	-8.14
150	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	5.80	50.04	0.12	1.52	52.06	0.03	8.21	52.54	0.16
151	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	-14.01	-595.16	0.02	50.78	-547.31	-0.09	65.24	-478.94	-0.14
152	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	29.48	125.61	0.23	27.77	146.06	0.19	23.15	166.00	0.14
153	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	-16.32	3,807.43	0.00	-19.84	5,356.35	0.00	-61.04	7,295.02	-0.01
154	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.25	10.14	0.02	0.25	10.14	0.02	0.25	10.14	0.02

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
155	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	-31.99	89.09	-0.36	547.34	636.42	0.86	-10.23	624.81	-0.02
156	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड	10.86	19.81	0.55	17.60	30.70	0.57	25.01	42.55	0.59
157	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	112.33	385.74	0.29	408.23	768.91	0.53	39.77	658.83	0.06
158	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड	-0.85	3.52	-0.24	1.37	3.19	0.43	-0.22	2.97	-0.07
159	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	0.97	37.17	0.03	0.21	36.78	0.01	0.20	37.03	0.01
160	एचएमटी लिमिटेड	27.49	387.14	0.07	38.36	426.66	0.09	7.06	433.93	0.02
161	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-132.79	-1,539.84	0.09	-145.73	-1,684.73	0.09	-131.65	-1,816.72	0.07
162	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	2.70	-2,683.33	0.00	1.05	-2,682.28	0.00	1.50	-2,680.79	0.00
163	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	-3.16	42.65	-0.07	-2.84	39.82	-0.07	-20.34	65.48	-0.31
164	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	2.80	0.28	9.94	2.50	2.82	0.89	3.98	0.00	-

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
165	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-97.37	-529.61	0.18	-84.81	-613.86	0.14	-70.38	-682.42	0.10
166	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,578.58	9,312.17	0.17	1,716.60	11,343.13	0.15	1,701.62	12,548.29	0.14
167	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड	-80.07	265.86	-0.30	-66.95	206.92	-0.32	-41.41	393.49	-0.11
168	एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड	-	-	-	-14.09	1,230.54	-0.01	-7.48	1,223.15	-0.01
169	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	-33.41	2,334.12	-0.01	-22.37	5,646.75	0.00	-299.57	9,347.18	-0.03
170	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	9.82	117.74	0.08	25.18	143.61	0.18	22.67	162.22	0.14
171	आई टी आई लिमिटेड	11.20	933.52	0.01	121.06	933.52	0.13	-360.10	1,056.58	-0.34
172	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	-9.80	116.22	-0.08	-9.67	106.44	-0.09	-4.22	103.59	-0.04
173	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	-1.32	68.39	-0.02	1.07	69.74	0.02	-3.82	65.44	-0.06

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
174	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	6.14	505.04	0.01	8.32	506.80	0.02	16.13	522.89	0.03
175	आईएफसीआई लिमिटेड	-1,957.81	2,124.17	-0.92	-1,991.33	445.45	-4.47	-287.58	626.10	-0.46
176	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	2.47	169.57	0.01	-2.97	166.74	-0.02	5.42	172.23	0.03
177	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड	-0.38	4.74	-0.08	-0.66	4.13	-0.16	-0.66	3.43	-0.19
178	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	-0.01	1.97	0.00	0.00	1.98	0.00	0.01	1.99	0.00
179	आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड	0.20	28.66	0.01	0.31	28.96	0.01	0.39	29.35	0.01
180	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1.46	24.74	0.06	2.16	27.14	0.08	2.04	29.16	0.07
181	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2.46	18.55	0.13	3.74	22.93	0.16	1.56	24.47	0.06
182	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	285.27	9,999.92	0.03	514.26	10,731.19	0.05	1,075.60	11,891.35	0.09

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
183	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	0.49	2,207.34	0.00	0.94	2,453.86	0.00	0.30	2,454.17	0.00
184	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	-	-	-	60.11	5,778.55	0.01	236.39	6,234.03	0.04
185	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	-1.16	10.00	-0.12	6.38	10.00	0.64	-0.02	10.00	0.00
186	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	-320.54	444.61	-0.72	-159.62	473.06	-0.34	20.16	892.98	0.02
187	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-27.20	319.87	-0.09	6.86	319.26	0.02	60.33	376.35	0.16
188	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	-81.37	2,030.78	-0.04	-52.83	1,971.87	-0.03	232.22	2,236.72	0.10
189	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	10.29	173.54	0.06	10.29	173.54	0.06	10.29	173.54	0.06
190	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	11.05	85.90	0.13	33.76	117.85	0.29	20.81	128.12	0.16

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
191	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	21,836.04	1,07,164.32	0.20	24,184.10	1,29,321.49	0.19	8,241.82	1,33,561.26	0.06
192	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड	189.90	1,466.95	0.13	663.69	1,883.88	0.35	1,005.88	2,478.40	0.41
193	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	4,416.13	35,913.38	0.12	6,089.84	40,996.34	0.15	6,337.01	45,470.32	0.14
194	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	315.66	1,167.47	0.27	555.51	1,548.15	0.36	808.13	2,106.05	0.38
195	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	346.41	2,736.08	0.13	633.53	4,962.72	0.13	864.63	5,537.19	0.16
196	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	-100.51	3,340.52	-0.03	-99.31	3,255.38	-0.03	-97.01	3,158.37	-0.03
197	इंडियन वैक्सीन कंपनी लिमिटेड	-0.04	8.24	0.00	-3.70	4.54	-0.81	1.57	6.12	0.26
198	इंडो रशियन-हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड	-0.80	7.92	-0.10	-0.33	7.59	-0.04	-0.03	7.56	0.00

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
199	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	2.03	289.60	0.01	1.95	577.55	0.00	7.35	987.38	0.01
200	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड	-0.25	0.70	-0.35	-0.89	-0.19	4.79	-0.68	-0.87	0.79
201	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	34.76	-389.89	-0.09	22.26	-367.63	-0.06	4.86	-362.77	-0.01
202	इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	-	-	-	0.00	0.05	-0.01	0.31	51.80	0.01
203	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	6.77	0.00
204	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	0.65	168.25	0.00	5.87	196.92	0.03	26.37	223.29	0.12
205	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	0.01	0.06	0.17	-0.01	18.40	0.00	3.67	75.07	0.05
206	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.77	82.99	0.01
207	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	5.75	159.64	0.04	5.30	164.94	0.03	5.33	170.26	0.03
208	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	404.56	4,406.48	0.09	544.32	4,620.96	0.12	776.83	5,178.48	0.15

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटि	आरओई (में %)
209	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	-	-	-	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.94	0.00
210	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	-21.39	128.24	-0.17	-24.62	169.41	-0.15	-17.17	152.07	-0.11
211	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-0.29	54.71	-0.01
212	इरकॉन शिव पुरी गुना लिमिटेड	-14.06	73.75	-0.19	-12.05	61.70	-0.20	-14.34	47.36	-0.30
213	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.28	136.34	0.00	60.16	239.90	0.25	21.74	288.21	0.08
214	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड	-0.03	1.01	-0.03	-0.05	1.87	-0.03	-0.12	3.75	-0.03
215	आईटीपीओ सर्विसेज लिमिटेड	0.00	0.05	-0.05	0.00	0.05	-0.05	0.00	0.04	-0.05
216	जेएंडके डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.02	163.11	0.01	2.31	165.42	0.01	4.60	170.02	0.03

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
217	जम्मू एवं कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड	-1.35	8.74	-0.15	-0.90	7.83	-0.12	-1.24	6.59	-0.19
218	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1,120.36	0.00	-	-0.48	281.49	0.00	0.28	281.49	0.00
219	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	1.28	90.86	0.01	2.02	92.87	0.02	5.40	111.53	0.05
220	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
221	झारखंड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	-0.01	-0.07	0.10	-0.01	-0.08	0.10	-0.01	-0.09	0.09
222	जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	-	-	-	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
223	कर्मयोगी भारत	-	-	-	-	-	-	1.97	31.97	0.06
224	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	23.18	218.97	0.11	24.66	239.09	0.10	24.89	259.93	0.10
225	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	45.43	178.90	0.25	49.92	210.36	0.24	18.64	215.82	0.09

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
226	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	3.08	143.14	0.02	1.32	144.46	0.01	3.83	148.29	0.03
227	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-0.68	-1.21	0.56	-0.70	-1.91	0.37	-0.68	-2.60	0.26
228	कावारत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.05	-0.08	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00
229	खावदा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-0.02	0.03	-0.85
230	केआईओसीएल लिमिटेड	301.17	1,985.99	0.15	313.41	2,143.64	0.15	-97.67	2,002.04	-0.05
231	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	-334.18	2,541.87	-0.13	-339.73	2,551.88	-0.13	-334.59	2,409.84	-0.14
232	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	-1.92	0.01	0.00	-1.92	0.00	-0.01	-2.28	0.00
233	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	1,402.92	0.00	0.06	3,758.62	0.00	0.75	3,759.35	0.00
234	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-366.41	1,570.18	-0.23	-135.08	1,458.68	-0.09	278.93	1,792.43	0.16
235	केपीएसआई ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-0.62	-0.57	1.09

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
236	कुमारकृप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	5.17	24.70	0.21	4.16	27.29	0.15	7.64	33.96	0.22
237	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	29.14	365.08	0.08	23.56	388.64	0.06	23.56	388.64	0.06
238	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	-0.21	995.50	0.00	-0.20	1,440.50	0.00	-0.22	1,724.41	0.00
239	लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	151.88	0.00	0.01	160.21	0.00	-161.28	-0.30	541.58
240	लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	1.65	-1.46	-1.13	1.28	-0.18	-6.95	0.26	0.07	3.50
241	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-0.51	-0.46	1.11
242	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2.87	-695.23	0.00	162.05	-505.39	-0.32	185.33	-287.07	-0.65
243	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-0.03	-5.97	0.00	-0.02	-5.99	0.00	-0.03	-6.02	0.00
244	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-0.06	-0.87	0.07	-0.02	89.07	0.00	-0.43	88.64	0.00

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
245	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,872.35	5,533.04	1.24	8,480.51	8,212.55	1.03	13,475.21	13,308.02	1.01
246	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-2,461.79	-16,039.88	0.15	-2,602.59	-18,656.46	0.14	-2,910.74	-20,842.90	0.14
247	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-0.03	-131.64	0.00	-625.87	-757.51	0.83	-625.87	-757.51	0.83
248	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-161.78	4,626.35	-0.03	-237.42	4,868.78	-0.05	-166.22	4,156.16	-0.04
249	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.28	101.43	0.01	3.41	514.13	0.01	25.89	359.59	0.07
250	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	-1.87	0.01	0.00	-1.87	0.00	-0.01	-2.23	0.00
251	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	-240.46	7,528.37	-0.03	2,955.27	7,196.34	0.41	2,638.39	9,834.66	0.27
252	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-36.91	-220.68	0.17	-250.31	-470.99	0.53	-42.91	-513.90	0.08

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
253	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	479.57	2,919.01	0.16	586.47	3,321.31	0.18	1,072.72	4,177.51	0.26
254	मेकॉन लिमिटेड	6.24	371.09	0.02	13.70	382.93	0.04	31.01	394.44	0.08
255	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-0.44	-0.39	1.13
256	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	0.14	5.50	0.03	0.20	5.69	0.03	0.32	5.95	0.05
257	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	149.79	674.06	0.22	20.21	679.06	0.03	13.94	662.77	0.02
258	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	166.29	1,072.63	0.16	176.31	1,190.72	0.15	155.88	1,286.19	0.12
259	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	-0.44	74.04	-0.01	0.09	74.13	0.00	0.71	74.84	0.01
260	एमएमटीसी लिमिटेड	-769.69	422.46	-1.82	-241.93	193.40	-1.25	1,076.07	1,264.83	0.85
261	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	1.28	90.69	0.01	0.86	41.55	0.02	0.18	41.73	0.00
262	मॉयल लिमिटेड	176.63	2,819.90	0.06	376.98	2,141.51	0.18	250.59	2,244.32	0.11
263	एमएसटीसी लिमिटेड	101.07	354.96	0.28	200.09	465.48	0.43	239.23	594.03	0.40
264	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-21.39	3,741.37	-0.01	-19.49	4,313.71	0.00	-28.14	4,679.08	-0.01

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
265	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	23.25	240.30	0.10	7.57	235.19	0.03	87.42	321.74	0.27
266	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड	-	-	-	18.10	6,549.75	0.00	73.35	7,580.91	0.01
267	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	-11.04	4.76	-2.32	-12.82	-8.26	1.55	-6.08	0.88	-6.91
268	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	1,299.53	10,680.70	0.12	2,951.97	12,184.34	0.24	1,544.49	13,238.45	0.12
269	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	34.21	2,036.30	0.02	30.56	2,068.65	0.01	30.36	2,099.28	0.01
270	नेशनल बाइसिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-20.96	-650.22	0.03	-21.26	-671.48	0.03	-21.09	-692.57	0.03
271	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	43.41	1,490.31	0.03	47.04	1,829.50	0.03	79.91	2,260.27	0.04
272	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	2.91	16.89	0.17	7.49	24.39	0.31	10.00	34.39	0.29
273	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	249.63	2,168.93	0.12	108.20	2,279.03	0.05	456.10	2,771.32	0.16

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
274	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	0.64	28.50	0.02	-6.74	21.76	-0.31	5.01	26.77	0.19
275	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	0.03	1.20	0.02	0.02	1.21	0.02	0.02	1.24	0.02
276	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	9.21	490.06	0.02	6.20	496.22	0.01	5.09	501.28	0.01
277	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-9.63	78.59	-0.12	-1.57	76.76	-0.02	5.21	81.63	0.06
278	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	22.43	10,721.35	0.00	83.93	13,351.85	0.01	53.79	14,750.79	0.00
279	नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	84.35	323.09	0.26	113.29	410.39	0.28	224.70	601.10	0.37
280	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित	98.23	695.69	0.14	46.17	741.86	0.06	149.77	892.24	0.17
281	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-561.87	589.78	-0.95	-1,674.72	2,766.32	-0.61	-3,865.40	-949.15	4.07
282	राष्ट्रीय निवेश एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड	0.06	-0.13	-0.45	0.03	-0.10	-0.27	0.09	-0.01	-8.56

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
283	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.39	-224.98	0.01	-8.13	-228.52	0.04	31.06	-197.45	-0.16
284	राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	2.99	152.99	0.02
285	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	65.66	2,870.68	0.02	67.64	3,039.34	0.02	65.26	3,285.48	0.02
286	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24.51	216.05	0.11	35.10	241.48	0.15	45.25	280.26	0.16
287	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड	0.19	9.45	0.02	0.05	9.50	0.01	-3.72	5.78	-0.64
288	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनैंस ऐंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	23.62	854.25	0.03	15.92	875.22	0.02	14.99	890.22	0.02
289	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	47.82	2,136.24	0.02	48.78	2,185.31	0.02	47.61	2,235.33	0.02

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
290	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	26.35	1,103.82	0.02	24.45	1,128.22	0.02	24.29	1,152.51	0.02
291	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	2.44	659.90	0.00	10.76	668.26	0.02	53.30	712.96	0.07
292	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	101.59	1,056.33	0.10	108.23	1,131.70	0.10	110.48	1,210.03	0.09
293	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-344.66	1,204.12	-0.29	-344.66	1,204.12	-0.29	-344.66	1,204.12	-0.29
294	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	201.74	1,691.50	0.12	182.86	1,774.75	0.10	231.13	1,914.54	0.12
295	एनबीसीसी पर्यावरण इंजीनियरिंग लिमिटेड	0.01	1.02	0.01	0.01	1.03	0.01	-0.02	1.01	-0.02
296	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड	0.02	1.03	0.02	0.02	1.04	0.02	-0.03	1.02	-0.03
297	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	9.55	31.45	0.30	4.26	32.97	0.13	7.24	37.70	0.19
298	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	-0.04	0.96	-0.04	0.02	0.98	0.02	0.00	0.99	0.00
299	नेपा लिमिटेड	-53.90	101.21	-0.53	-59.90	119.72	-0.50	-105.80	13.92	-7.60

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
300	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	-1.33	61.94	-0.02	-1.33	61.94	-0.02	-1.33	61.94	-0.02
301	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-176.17	100.35	-1.76	2.36	135.96	0.02	2.36	135.96	0.02
302	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	121.84	167.74	0.73	342.99	1,441.77	0.24	467.03	6,606.40	0.07
303	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	-0.97	3,245.89	0.00	-0.33	3,870.14	0.00	-0.47	4,386.63	0.00
304	एनएचडीसी लिमिटेड	664.63	5,692.53	0.12	512.96	5,644.67	0.09	774.43	5,693.27	0.14
305	एनएचपीसी लिमिटेड	3,233.37	30,005.36	0.11	3,537.71	32,119.85	0.11	3,833.79	34,278.66	0.11
306	एनएचपीसी अक्षय ऊर्जा लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-1.59	18.41	-0.09
307	एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.36	11.87	0.03
308	एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	2.26	438.76	0.01

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
309	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1,041.79	13,574.68	0.08	1,236.78	13,806.64	0.09	1,248.24	14,638.86	0.09
310	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	363.00	2,785.08	0.13	211.28	2,625.16	0.08	278.65	2,794.40	0.10
311	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड	-3.90	5.02	-0.78	1.02	6.04	0.17	-1.48	4.56	-0.32
312	एनएमडीसी लिमिटेड	6,253.05	29,756.14	0.21	9,398.48	34,843.97	0.27	5,529.31	22,332.31	0.25
313	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	-0.01	0.00	-8.00	-0.01	0.04	-0.22	0.00	2,930.61	0.00
314	एनएमडीसी सीएमडीसी-लिमिटेड	-2.80	184.49	-0.02	-2.52	181.66	-0.01	-3.12	178.54	-0.02
315	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड	47.91	5,802.98	0.01	148.89	5,908.70	0.03	342.08	5,935.30	0.06
316	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-1.16	-12.63	0.09	-28.33	-40.77	0.70	-1.60	-42.24	0.04
317	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	-6.54	-51.65	0.13	-4.63	-21.98	0.21	4.28	14.14	0.30
318	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4,398.39	6,616.08	0.66	4,857.05	7,871.34	0.62	6,973.99	11,176.47	0.62

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
319	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड	0.06	1.41	0.04	0.04	1.45	0.03	0.05	1.50	0.03
320	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	-0.61	5.39	-0.11	1.90	7.29	0.26	3.04	9.76	0.31
321	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	-0.91	-0.71	1.28	-2.05	-2.76	0.74	-0.56	-3.32	0.17
322	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड	5.52	55.28	0.10	0.29	55.58	0.01	0.25	20.27	0.01
323	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	173.08	4,894.05	0.04
324	एनटीपीसी लिमिटेड	13,769.52	1,12,694.98	0.12	16,111.42	1,22,357.81	0.13	17,196.73	1,33,825.19	0.13
325	एनटीपीसी खनन लिमिटेड	0.00	0.05	-0.05	0.00	0.04	-0.06	0.00	0.04	-0.05
326	एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड	-3.51	291.54	-0.01	0.11	727.78	0.00	-1.37	1,089.69	0.00
327	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	92.02	442.31	0.21	150.26	562.57	0.27	175.90	718.96	0.24

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
328	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,370.73	42,933.90	0.10	6,394.78	46,147.08	0.14	5,146.01	50,058.89	0.10
329	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	3,036.10	5,496.03	0.55	3,561.56	8,288.08	0.43	3,702.79	11,326.94	0.33
330	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
331	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	11,246.44	2,04,542.61	0.05	40,305.74	2,37,132.13	0.17	38,828.87	2,57,829.88	0.15
332	ऑयल इंडिया लिमिटेड	1,741.59	25,678.65	0.07	3,887.31	29,358.52	0.13	6,810.40	33,833.27	0.20
333	ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम दमन, दीव एवं दादर एवं नागर हवेली लिमिटेड	26.16	209.08	0.13	24.50	232.93	0.11	44.46	277.31	0.16
334	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	1,826.95	30,561.36	0.06	3,247.53	35,681.78	0.09	3,062.02	40,713.06	0.08
335	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	151.31	2,948.80	0.05	-610.63	5,402.20	-0.11	2,465.82	9,100.29	0.27
336	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	0.00	-0.07	-0.03	0.00	-0.07	0.00	0.00	-0.07	-0.05

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
337	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-0.21	1,197.45	0.00	-0.03	1,670.39	0.00	-0.51	2,345.55	0.00
338	पवन हंस लिमिटेड	-8.87	981.56	-0.01	-13.13	970.01	-0.01	-23.56	902.55	-0.03
339	पीईसी लिमिटेड	-129.62	-1,909.21	0.07	-314.29	-2,223.98	0.14	-243.93	-2,466.86	0.10
340	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	27.10	87.18	0.31	37.68	111.31	0.34	63.81	162.99	0.39
341	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1.37	-1.83	0.75	0.16	-1.71	-0.09	0.34	-1.40	-0.25
342	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,444.01	52,393.12	0.16	10,021.90	59,350.28	0.17	11,605.47	68,202.23	0.17
343	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11,935.78	69,578.84	0.17	17,093.76	76,151.57	0.22	15,333.02	82,832.96	0.19
344	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.94	21.61	0.23	16.76	25.02	0.67	14.83	28.57	0.52
345	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड	-0.01	111.66	0.00	0.91	115.57	0.01	10.25	118.57	0.09
346	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	-0.16	-0.01	62.34	0.00	0.01	77.94	0.00
347	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	-0.19

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
348	पावरग्रिड भडला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	-0.16	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.46
349	पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.72	-0.67	1.08	0.15	19.75	0.01	-0.09	31.56	0.00
350	पावरग्रिड भडला-III ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	-0.19
351	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	49.40	0.00	-0.07	89.43	0.00	9.18	118.31	0.08
352	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	97.71	0.00	-0.03	179.97	0.00	2.31	234.28	0.01
353	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.00	0.01	-0.11	-0.02	22.19	0.00	-0.30	99.67	0.00
354	पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	-0.54
355	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-9.33	0.67	-14.00
356	पॉवरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-0.31	-0.26	1.19	-0.12	-0.38	0.32

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
357	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-0.01	0.04	-0.12
358	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	113.41	0.00	2.26	143.26	0.02	12.86	145.69	0.09
359	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	0.00	0.01	-0.16	-0.77	-0.77	1.01
360	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.04	78.24	0.01	17.12	101.60	0.17	18.97	120.57	0.16
361	पावरग्रिड खावदा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	-0.10
362	पावरग्रिड खावदा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	-0.10
363	पावरग्रिड खावदा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	-0.10
364	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-0.04	161.03	0.00	5.96	203.84	0.03	26.84	206.88	0.13

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
365	पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	-0.10
366	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	-0.10
367	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.15	568.78	0.03	191.62	692.24	0.28	223.55	706.53	0.32
368	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	32.01	0.00	-0.02	129.69	0.00	-0.17	194.95	0.00
369	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.95	214.44	0.00	38.09	254.51	0.15	41.11	245.01	0.17
370	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	-0.16	0.00	0.01	0.00	-0.38	-0.37	1.02
371	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-0.22	-0.17	1.30
372	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	-37.05	252.87	-0.15	7.50	264.27	0.03	222.39	488.66	0.46

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
373	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	-0.54
374	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-0.74	-0.69	1.07
375	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.51	-0.46	1.11	-0.01	0.58	-0.02	-0.01	24.47	0.00
376	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	20.64	0.00	-0.06	108.06	0.00	6.79	147.95	0.05
377	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.59	-0.54	1.09	0.12	46.88	0.00	-0.13	79.40	0.00
378	पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	108.68	824.77	0.13	-37.51	639.79	-0.06	129.91	751.27	0.17
379	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	-	-	-	-0.33	8.67	-0.04	-0.06	8.61	-0.01
380	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.01	168.06	0.00	20.16	195.00	0.10	29.16	195.83	0.15

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
381	पॉवरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	-19.41	0.00	-0.01	-19.42	0.00	-0.01	-19.43	0.00
382	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	3.59	115.30	0.03	-5.79	109.53	-0.05	-36.49	73.04	-0.50
383	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	19.07	157.54	0.12	10.81	167.40	0.06	3.58	167.74	0.02
384	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	-0.01	2.27	-0.01	-0.01	2.26	0.00	-0.01	2.25	0.00
385	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	-9.13	166.65	-0.05	-5.93	160.69	-0.04	-0.91	158.98	-0.01
386	रेल विकास निगम लिमिटेड	940.55	4,965.57	0.19	1,087.21	5,631.41	0.19	1,267.97	6,479.15	0.20
387	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	140.41	1,402.73	0.10	208.34	1,516.02	0.14	187.38	1,636.50	0.11
388	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	2.05	20.09	0.10	1.30	21.39	0.06	1.01	22.40	0.04
389	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-9.34	-99.27	0.09	-2.13	-101.40	0.02	-2.13	-101.40	0.02

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
390	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	-12.78	81.09	-0.16	-8.46	72.94	-0.12	-10.06	62.86	-0.16
391	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-3.02	-14.88	0.20	-0.75	-15.63	0.05	-1.13	-16.81	0.07
392	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	373.11	3,338.47	0.11	704.36	3,889.23	0.18	967.15	4,598.32	0.21
393	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	-789.10	2,464.25	-0.32	913.19	3,174.55	0.29	-2,858.74	391.24	-7.31
394	रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-0.43	186.27	0.00	6.32	375.89	0.02
395	रियल एस्टेट विकास एवं निर्माण निगम राजस्थान लिमिटेड	0.15	3.74	0.04	0.08	3.82	0.02	0.09	3.90	0.02
396	आरईसी लिमिटेड	8,361.78	42,867.97	0.20	10,045.92	50,427.20	0.20	11,054.64	57,121.27	0.19
397	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	25.62	297.98	0.09	53.03	328.58	0.16	139.79	440.92	0.32
398	आरईएमसी लिमिटेड	24.13	179.91	0.13	45.32	216.24	0.21	59.04	235.37	0.25

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
399	केरल नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड	1.92	5.31	0.36	1.99	5.74	0.35	1.66	4.83	0.34
400	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	13.45	40.88	0.33	12.75	49.93	0.26	26.82	73.05	0.37
401	रिचर्डसन और क्रुडास (1972) लिमिटेड	13.41	227.97	0.06	19.35	247.31	0.08	12.72	260.04	0.05
402	राइट्स लिमिटेड	424.35	2,321.93	0.18	497.10	2,399.26	0.21	530.54	2,503.04	0.21
403	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	-0.02	-0.02	1.08	0.00	-0.02	0.19	6.72	29.70	0.23
404	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	0.88	687.99	0.00	6.98	794.77	0.01	14.08	908.81	0.02
405	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2.48	60.02	0.04	1.62	61.63	0.03	0.33	61.96	0.01
406	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	11.88	105.71	0.11	19.66	120.38	0.16	17.75	125.12	0.14
407	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.02
408	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	5.35	-41.36	-0.13	10.85	-30.52	-0.36	11.30	-19.23	-0.59
409	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-48.65	0.50	-96.83	7.58	8.08	0.94	0.76	8.85	0.09

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
410	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	423.81	4,469.97	0.09	689.19	4,854.23	0.14	1,779.25	6,416.14	0.28
411	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.81	800.80	0.00	-0.10	800.70	0.00	-0.41	800.28	0.00
412	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड	17.16	79.22	0.22	21.35	91.73	0.23	13.89	95.08	0.15
413	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड	-	-	-	0.00	0.01	-0.20	35.58	2,886.43	0.01
414	सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	-0.29	90.08	0.00	0.21	90.28	0.00	1.61	91.90	0.02
415	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-0.72	-0.67	1.07
416	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-0.16	-1.90	0.08	-0.16	-1.90	0.08	-0.16	-1.90	0.08
417	सिओट ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01	-0.19
418	एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-10.56	1,289.04	-0.01

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
419	एसजेवीएन लिमिटेड	1,633.04	12,761.84	0.13	977.52	13,128.61	0.07	1,363.45	13,821.97	0.10
420	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	1.14	2,147.43	0.00	-1.14	2,511.29	0.00	-1.16	2,510.13	0.00
421	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	177.71	873.58	0.20	240.32	2,060.46	0.12	315.65	2,376.31	0.13
422	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,439.95	4,308.00	0.33	1,544.87	5,442.08	0.28	2,498.19	6,936.01	0.36
423	एसटीसीएल लिमिटेड	0.77	-4,564.22	0.00	7.12	-4,557.11	0.00	-1.10	-4,558.19	0.00
424	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,850.02	42,408.98	0.09	12,015.04	51,484.42	0.23	1,903.07	51,763.72	0.04
425	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	68.84	2,684.20	0.03	136.55	4,552.99	0.03	178.11	5,956.02	0.03
426	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	-13.00	35.03	-0.37	1.57	36.63	0.04	4.95	41.49	0.12
427	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड	-1.85	11.74	-0.16	-2.30	12.93	-0.18	-1.86	14.24	-0.13

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
428	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट लिमिटेड	0.20	7.48	0.03	0.24	7.73	0.03	0.22	7.94	0.03
429	सूटी टेक ऑप्शंस लिमिटेड	-0.01	-0.31	0.03	-0.01	-0.32	0.03	-0.01	-0.33	0.04
430	तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड	6.57	1,591.29	0.00	-5.94	2,394.30	0.00	-2.53	2,391.78	0.00
431	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	6.33	306.87	0.02	3.89	310.20	0.01	28.85	339.54	0.08
432	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	1.39	-40.73	-0.03	0.08	-40.65	0.00	-2.55	-43.19	0.06
433	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड	-3.00	6.02	-0.50	-5.20	0.82	-6.34	-1.07	-0.25	4.27
434	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	52.77	611.19	0.09	30.33	612.79	0.05	35.49	618.56	0.06
435	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	1,092.41	9,837.93	0.11	894.78	10,178.15	0.09	673.09	10,242.28	0.07
436	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	6.91	-148.23	-0.05	7.81	-141.10	-0.06	11.74	-131.21	-0.09

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
437	ब्रेथवेट बर्न और जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	11.68	204.84	0.06	3.15	209.37	0.02	8.86	217.41	0.04
438	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-105.06	-1,225.39	0.09	-79.05	-1,304.44	0.06	-79.05	-1,304.44	0.06
439	भारतीय कपास निगम लिमिटेड	26.12	372.64	0.07	13.29	363.38	0.04	-55.54	288.53	-0.19
440	एफसीआई अरावली जिप्सम और मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	13.48	251.61	0.05	11.59	250.82	0.05	9.74	248.19	0.04
441	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	351.98	-174.98	-2.01	353.28	189.37	1.87	612.99	1,273.87	0.48
442	भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड	-10.21	13.82	-0.74	-19.37	13.82	-1.40	-19.37	13.82	-1.40
443	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	0.00	-0.05	0.05	0.00	-0.05	0.02	-0.01	-0.06	0.18

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
444	भारतीय जूट निगम लिमिटेड	12.15	155.24	0.08	-13.78	133.69	-0.10	10.01	143.70	0.07
445	केरल औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-0.10	4.90	-0.02	-0.10	4.90	-0.02
446	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,604.69	36,450.64	0.04	164.27	38,191.19	0.00	1,055.39	37,957.33	0.03
447	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-1,525.44	7,802.36	-0.20	-3,115.16	6,783.32	-0.46	-4,968.11	3,015.12	-1.65
448	उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-39.65	18.07	-2.19	-14.49	3.53	-4.11	-16.54	-12.80	1.29
449	भारतीय नौवहन निगम	618.10	7,749.97	0.08	794.79	8,820.58	0.09	800.12	6,371.44	0.13
450	दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-51.23	-109.20	0.47	-93.97	-197.57	0.48	32.89	-144.07	-0.23
451	ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड	-	-	-	16.38	4,573.67	0.00	18.95	4,852.84	0.00
452	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-7.78	-108.38	0.07	9.57	-98.81	-0.10	0.20	-98.61	0.00

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
453	टुस्को लिमिटेड	-0.26	9.74	-0.03	-1.03	18.71	-0.05	-0.25	37.17	-0.01
454	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	-1.36	136.53	-0.01	-12.94	124.32	-0.10	-8.67	140.66	-0.06
455	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-984.68	6,774.79	-0.15	-2,135.55	5,147.69	-0.41	-2,829.33	-732.05	3.86
456	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	470.74	3,557.25	0.13	576.72	3,944.70	0.15	65.70	3,702.73	0.02
457	उर्वरक विदेश लिमिटेड	-0.01	0.06	-0.12	-0.01	0.06	-0.12	-0.01	0.05	-0.12
458	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.64	-26.43	0.02	-0.88	-27.31	0.03	-1.04	-28.35	0.04
459	उत्कर्ष एल्युमीनियम धातु निगम लिमिटेड	0.26	37.01	0.01	0.62	37.63	0.02	0.78	38.40	0.02
460	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-6.12	-5.90	1.04	-6.00	53.85	-0.11	-0.79	30.28	-0.03
461	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	-12.59	97.83	-0.13	-8.21	89.62	-0.09	-10.54	78.15	-0.13
462	वाप्कोस लिमिटेड	40.52	617.14	0.07	40.85	619.45	0.07	-26.80	559.46	-0.05

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
		कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)	कर एवं अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%में)
463	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	234.29	548.88	0.43	942.41	1,505.82	0.63	466.46	2,090.93	0.22
464	यंत्र इंडिया लिमिटेड	-	-	-	-123.12	2,577.89	-0.05	42.36	3,760.21	0.01
465	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	0.00	-0.07	0.07	-0.01	-0.08	0.10	0.00	-0.08	0.06
466	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-0.01	-0.03	0.18	-0.01	-0.04	0.19	-0.01	-0.04	0.12
467	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	3.15	17.85	0.18	41.20	22.65	1.82	74.75	37.40	2.00
महायोग		**1,59,284.88**	**16,04,116.91**	**9.93**	**2,36,370.39**	**18,29,816.00**	**12.92**	**2,08,989.79**	**20,04,682.56**	**10.43**

अनुलग्नक-XI (संदर्भित पैरा संख्या 2.5.1.1)

अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन करने वाले सीपीएसई की सूची

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
1	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	जीसीओसी
2	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
3	एनएमडीसी लिमिटेड	जीसी
4	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	जीसी
5	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	जीसी
6	बीईएमएल लैंड एसेट लिमिटेड	जीसी
7	आर्मर्ड वाहन निगम लिमिटेड	जीसी
8	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	जीसी

अनुलग्नक-XII (संदर्भित पैरा संख्या 2.5.1.2)
उन सीपीएसई की सूची जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट संशोधित की

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
1	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी
2	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
3	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	जीसी
4	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	जीसी
5	आर्मर्ड वाहन निगम लिमिटेड	जीसी
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
7	बीईएल थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	जीसी
8	बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड	जीसी
9	बीईएमएल लिमिटेड	जीसी
10	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	जीसीओसी
11	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	जीसी
12	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	जीसी
13	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	जीसी
14	कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
15	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
16	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
17	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (2021-22)	जीसीओसी
18	सीआईएल सोलर पीवीलिमिटेड	जीसी
19	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड (2021-22)	जीसीओसी
20	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	जीसी
21	एफएसीटी-आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	जीसी
22	हार्डिकॉन लिमिटेड	जीसीओसी
23	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसी
24	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	जीसी
25	हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड	जीसी
26	एचएमटी लिमिटेड	जीसी
27	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	जीसी
28	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	जीसी
29	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
30	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	जीसी
31	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	जीसी
32	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	जीसी
33	इंडोरशियन हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड-	जीसी

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
34	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	जीसी
35	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	जीसी
36	जेकेआईटीसीओ लिमिटेड	जीसीओसी
37	कर्नाटक विजयनगरस्टील लिमिटेड	जीसी
38	कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
39	एमएएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जीसीओसी
40	मीनाचिल रबरवुड लिमिटेड	जीसीओसी
41	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	जीसी
42	मॉयल लिमिटेड	जीसी
43	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	जीसी
44	नेडफी ट्रस्टी लिमिटेड	जीसीओसी
45	नेडफी वेंचर कैपिटल लिमिटेड	जीसीओसी
46	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	जीसी
47	एनपीसीआईएल - इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
48	एनआरटीयू फाउंडेशन	जीसीओसी
49	ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड	जीसीओसी
50	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	जीसी
51	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	जीसीओसी
52	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	जीसी
53	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	जीसी
54	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	जीसी
55	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	जीसी
56	सेल-राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
57	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	जीसी
58	तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	जीसी
59	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	जीसी
60	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	जीसी
61	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जीसी
62	विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी

अनुलग्नक-XIII (संदर्भित पैरा संख्या 2.5.1.3)
उन सीपीएसई की सूची जहाँ सीएजी द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गईं

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
1	एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (2021-22)	जीसीओसी
2	एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	जीसी
3	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (2021-22)	जीसी
4	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (2021-22)-सीएफएस	जीसी
5	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (2021-22)	जीसी
6	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड	जीसी
7	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	जीसी
8	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	जीसी
9	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
10	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
11	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	जीसी
12	भारत संचार निगम लिमिटेड	जीसी
13	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
14	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	जीसी
15	भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
16	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	जीसी
17	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
18	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
19	सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
20	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री	जीसी
21	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (2021-22)	जीसीओसी
22	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	जीसी
23	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
24	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
25	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड (2021-22)	जीसीओसी
26	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड (2021-22)	जीसीओसी
27	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसीओसी
28	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
29	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	जीसी

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
30	एफएसीटीआरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड-	जीसी
31	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
32	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड	जीसी
33	हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	जीसी
34	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसीओसी
35	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	जीसी
36	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	जीसी
37	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	जीसी
38	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
39	एचपीसीएल-बायोफ्यूल्स लिमिटेड	जीसी
40	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	जीसी
41	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	जीसी
42	आईएफसीआई लिमिटेड	जीसी
43	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	जीसी
44	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
45	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	जीसी
46	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	जीसी
47	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
48	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन	जीसी
49	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड	जीसी
50	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	जीसी
51	आईटीआई लिमिटेड	जीसी
52	झाबुआ पावर लिमिटेड	जीसीओसी
53	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	जीसी
54	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
55	कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
56	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
57	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	जीसी
58	मेकॉन लिमिटेड	जीसी
59	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
60	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	जीसी
61	मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (2021-22)	जीसीओसी
62	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
63	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड	जीसी
64	नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड	जीसीओसी
65	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	जीसी
66	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
67	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
68	नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021-22)	जीसी
69	नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड	जीसीओसी
70	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित	जीसी
71	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
72	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
73	एनईपीए लिमिटेड	जीसी
74	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	जीसी
75	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
76	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	जीसी
77	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	जीसी
78	एनटीपीसी लिमिटेड	जीसी
79	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
80	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड	जीसीओसी
81	पवन हंस लिमिटेड (2021-22)	जीसी
82	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
83	पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	जीसी
84	रेल विकास निगम लिमिटेड	जीसी
85	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	जीसी
86	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
87	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	जीसी
88	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड (2021-22)	जीसी
89	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	जीसी
90	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	जीसी
91	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड	जीसी
92	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
93	स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
94	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
95	तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	जीसी
96	टीसीआईएल - लखनादौन टोल रोड लिमिटेड	जीसी
97	टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	जीसी
98	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	जीसी
99	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
100	उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	जीसी
101	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
102	विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
103	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी

अनुलग्नक-XIV (संदर्भित पैरा संख्या 2.6)
उन सीपीएसई का विवरण जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानक/इंड एएस का अनुपालन न करने की रिपोर्ट की गई

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	श्रेणी (सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध)	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	लेखांकन मानक (एएस)/ भारतीय लेखांकन मानक की संख्या
1	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसीओसी	इंड एएस 29
2	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 1, इंड एएस 20 एवं इंड एएस 21
3	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 16, 36, 116, 37, 20
4	भारत संचार निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 16,36,109 एवं 115
5	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसीओसी	इंड एएस 8, इंड एएस 109, इंड एएस 36 एवं इंड एएस 37
6	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 36
7	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 19
8	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 105
9	एचएमटी लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 2, इंड एएस 16, इंड एएस 19, इंड एएस 36, इंड एएस 109
10	एचएमटी लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 2, इंड एएस 16 इंड एएस 19, इंड एएस 36, इंड एएस 109, इंड एएस 116
	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 2, इंड एएस 36, इंड एएस 116, इंड एएस 19, इंड एएस 16
11	आईटीआई लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 2
12	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	असूचीबद्ध	जीसी	एएस 29
13	लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 16, 8, 20, 36

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	श्रेणी (सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध)	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	लेखांकन मानक (एएस)/ भारतीय लेखांकन मानक की संख्या
14	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 7, 12, 16, 18, 24, 36 एवं 37
15	पीईसी लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 105
16	एसटीसीएल लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 105
17	तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसीओसी	इंड एएस 109
18	टीसीआईएल बीना टोल - रोड लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 109
19	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 10, 21, 36, 105, 109 एवं 116

अनुलग्नक-XV (संदर्भित पैरा संख्या 2.7)
उन सीपीएसई का विवरण जहाँ सीएजी द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण सुधार किया गया

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
1.	अवंतिका गैस लिमिटेड	जीसीओसी	• कम निष्पादन अवधि वाली मदों अर्थात अंतिम मील संबद्धता कार्य एवं निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में अन्य पूंजीगत कार्य के बीच उधार लागत की पहचान करना तथा उसे पृथक करना। • मानव संसाधन नियमवाली में अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण और रूपान्तरण के लिए उपधारा को संशोधित करना, ताकि लागू शर्तों को शामिल किया जा सके और देयताओं के संदर्भ में परिणामी प्रावधान किया जा सके। • वित्तीय वर्ष 2022-23 से भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार अर्हक परिसंपत्तियों की उधार लागत से संबंधित लेखांकन प्रशोधन को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में शामिल किया जाए।	• अंतिम मील संबद्धता पर उधार लागत सीडब्ल्यूआईपी से नहीं ली गई तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 से इसे राजस्व से लिया जा रहा है। • अर्ध वेतन अवकाश का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया और वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया। • अर्ह परिसंपत्तियों की उधार लागत से संबंधित लेखांकन प्रशोधन को वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में शामिल किया गया।
2.	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	जीसी	• तीन माह तक की परिपक्वता अवधि वाले निवेशों को नकदी समतुल्य माना जाए। • कंपनी को खराब ऋणों और दावों (व्यापार प्राप्य) को बट्टे खाते में डालने के लिए एक नीति बनाने की जरूरत है और इसे कंपनी के वित्तीय विवरण की	• वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में संशोधित एवं नकदी समकक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया। • वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में खराब ऋणों को बट्टे खाते में डालने की नीति शामिल की गई।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
			महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। सीएसआर की अप्रयुक्त राशि का उचित लेखा-जोखा एवं प्रकटीकरण आवश्यक है।	सीएसआर के संबंध में उचित लेखांकन एवं प्रकटीकरण किया गया।
3.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	• जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और कंपनी के बीच लाइसेंस समझौते के संबंध में पूर्ववर्ती शर्तों की स्थिति के आधार पर, भुगतान की गई सुरक्षा जमा राशि को इंड एएस 109 के अनुसार वित्तीय विवरणों के नोट्स के तहत उचित मूल्य पर दिखाया जाए। • सीजीडी परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में पीपीई पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के संबंध में उद्योग प्रथाओं की समीक्षा करना और वित्तीय विवरणों में अपेक्षित समावेशन करना।	• सुरक्षा जमा का उचित मूल्यांकन किया गया है तथा लेखा बही में इसका लेखा-जोखा रखा गया है। • वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखा नीति में संशोधन किया गया है।
4.	भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड	जीसी	• कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में तेल और गैस उत्पादक कार्यकलापों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन नोट में 'हित के निपटान' संबंधी पैरा के अनुरूप तेल और गैस परिसंपत्तियों में अपने हित के एक भाग की बिक्री के कारण होने वाले लाभ अथवा हानि के प्रशोधन पर प्रकटीकरण शामिल हो सकता है।	• वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के विवरण में आवश्यक परिवर्धन किया गया है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
5.	भारत संचार निगम लिमिटेड	जीसी	• अप्रचलित इन्वेंट्री को हटाना • बीएमसी से संपत्ति कर की बकाया मांग का लेखा-जोखा पूंजी प्रतिबद्धताओं की समीक्षा।	• हटाया गया। • मांग का प्रावधान किया। तदनुसार समीक्षा की गई और उसका लेखा-जोखा रखा गया।
6.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	जीसी	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ संबंधी नीति के प्रकटीकरण में सुधार की आवश्यकता है, ताकि ई.एल. नकदीकरण को भी इसमें शामिल किया जा सके।	कंपनी द्वारा वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में इंडस्ट्रीज़ एएस 19 के तहत महत्वपूर्ण लेखा नीति {नोट.24 (VII) (ए)} में प्रकटीकरण दिया गया था।
7.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	जीसीओसी	• कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 12 में बंद किए गए ऋण खातों के संबंध में प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (डीएसए) के कमीशन के परिशोधन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बंद किए गए ऋण खातों के संबंध में डीएसए कमीशन का परिशोधन नहीं किया। एनपीए खातों को बट्टे खाते में डालने की नीति को और अधिक विस्तृत बनाने की आवश्यकता है, अर्थात किस आधार पर ऐसे खातों को बहीखातों में रहने की अनुमति दी जाती है, कंपनी को ऐसे एनपीए खातों को बट्टे खाते में डालने में कितना समय लगेगा और बट्टे खाते में डालने की विस्तृत प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा, नीति का उचित खुलासा भी किया जाना चाहिए।	• कंपनी ने बंद ऋण खातों के संबंध में अशोध्य लागत को वसूलने के संबंध में एक लेखांकन नीति तैयार की और वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया। कंपनी ने एनपीए खातों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में अपनी नीति को विस्तृत किया और वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 24(12)(डी) में खुलासा किया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
8	कोल इंडिया भारत लिमिटेड	जीसी	वित्तीय विवरण में चिकित्सा लागत प्रवृत्ति दरों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इंड एएस 19 का प्रकटीकरण आवश्यकताओं से विचलन हुआ है।	वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में आवश्यक खुलासे किए गए।
9	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की रिपोर्टिंग की विधि का खुलासा नहीं किया, जैसा कि इंड एएस 7 के पैरा 1(जी) के अंतर्गत आवश्यक है।	कंपनी ने वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग की विधि का खुलासा किया।
10	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	• उन अचल संपत्तियों के विवरण का खुलासा न करना जिनके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रारूप में। इंड एएस 115 के पैरा 117, 123 और 124 द्वारा अपेक्षित सूचना का प्रकटीकरण न करना।	• अनुसूची-III में निर्दिष्ट प्रारूप में अपेक्षित प्रकटीकरण वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 1 के व्याख्यात्मक नोट संख्या 1.10 के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में इंड एएस 115 के पैरा 117, 123 और 124 के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं।
11	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	जीसी	कंपनी राई, सोनीपत, हरियाणा में 66400 वर्ग मीटर भूमि का उपयोग कर रही है। यह भूमि हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईडीसी) द्वारा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई थी (मार्च 2003)। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। हालांकि, कंपनी ने इस भूमि को न तो 'उपयोग के अधिकार' वाली परिसंपत्ति के रूप में	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अपने तुलन पत्र में इस भूमि को एचएसआईडीसी भूमि से संबंधित 'उपयोग के अधिकार' वाली परिसंपत्ति के रूप में दिखाया है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
			दिखाया है और न ही एचएसआईडीसी भूमि से संबंधित पट्टा देयता को अपने तुलन पत्र में बनाया है, जो कि इंड एएस 116 का उल्लंघन है।	
12	भारतीय साधारण बीमा निगम	जीसी	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार एनएसई के बजाय बीएसई पर शेयर के समापन मूल्य का मूल्यांकन करना। • शेयरधारक निधि की गणना करते समय आस्थगित कर परिसंपत्ति की कटौती की गई जो कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुरूप नहीं थी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमन द्वारा अपेक्षित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति का विस्तार नहीं किया गया।	• कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार शेयरों के समापन मूल्य का सही मूल्यांकन किया। • कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शेयरधारकों के फंड का निर्धारण करते समय आस्थगित कर परिसंपत्ति में कटौती नहीं की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट मुद्रित करते समय महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 9.12 में परिवर्तन किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, पॉलिसी को और अधिक विस्तृत बनाया गया है और पॉलिसीधारक निधि और शेयरधारक निधि की गणना आईआरडीएआई परिपत्र के अनुसार दर्शाई गई है।
13.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	जीसी	इस तथ्य पर विचार करते हुए कि साख को विभाजन के आदेश के अनुसार लेखांकित किया गया है, इंड एएस 103 के उल्लंघन में सद्भावना के लेखांकित आधार के संबंध में उचित प्रकटीकरण लेखों में किया जाना चाहिए था।	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों में कंपनी द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण दिया गया।
14.	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	जीसी	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, सीएसआर समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।	सीएसआर समिति गठित की गई है और सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड ने सीएसआर नीति को मंजूरी दी और अपनाया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
15.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	• प्राकृतिक गैस (सीएनजी/पीएनजी) परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में आवश्यक संशोधनों के लिए निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करना। • इंड एएस 36 के पैरा 9 के अनुसार प्रत्येक पवनचक्की परिसंपत्ति के लिए अलग से हानि मूल्यांकन करना तथा पीपीई से प्राप्त राशि में छूट देना। • यह सुनिश्चित करना कि उधार लागत को पूंजीकृत न किया जाए तथा इसे चल रहे निर्माण और स्थापना गतिविधियों के पूरा होने के बाद अंतिम मील कनेक्टिविटी व्यय (एलएमसी) पर व्यय के रूप में माना जाए। • सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त होने वाले सीमा शुल्क रिफंड के संबंध में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय को तर्कसंगत और भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप मानना तथा 2022-23 के वित्तीय विवरणों में तदनुसार प्रावधान करना। • सूचीबद्ध जीटीजी स्पेयर घटकों के लिए निपटान प्रक्रिया शुरू होने के बाद पिछले प्रमुख निरीक्षणों के आधार पर नेट ब्लॉक की मान्यता रद्द करना।	• वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में प्राकृतिक गैस परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में उपयुक्त नीति शामिल की गई है। • कंपनी ने आवश्यक कार्रवाई की है और वर्ष 2022-23 के लिए लेखा पुस्तकों में हानि की भरपाई का प्रावधान किया है। • उठाए गए मुद्दे का वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन किया गया, जहां तक एलएमसी व्यय के लिए उधार लागत का संबंध है, जिसे चालू परियोजना गतिविधियों के पूरा होने के बाद पूंजीकृत नहीं किया गया. • सीमा शुल्क पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ की कानूनी राय ली गई और राय के आधार पर सीमा शुल्क की पूरी राशि का प्रावधान किया गया। • वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द कर दी गई।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
16.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	जीसी	• कंपनी ने इंड एएस 1 के उल्लंघन में नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने में अपनाई गई नकदी प्रवाह पद्धति पर लेखांकन नीति का खुलासा नहीं किया। 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनाने के दौरान पारित प्रस्ताव और उन पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल नहीं थीं और इस प्रकार, प्रस्ताव अपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) का अनुपालन नहीं हुआ।	• कंपनी ने वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में नकदी प्रवाह पद्धति का खुलासा किया। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण को अपनाते समय वार्षिक आम बैठक के प्रस्ताव में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल कीं।
17.	एचएससी सी (इंडिया) लिमिटेड	जीसी	• नोट संख्या 38 विरोधाभासी थी क्योंकि इसमें उल्लेख किया गया था कि ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अनुसार एक परिभाषित ग्रेच्युटी योजना और योजना का प्रबंधन एक स्थान पर ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट द्वारा किया गया था, जबकि इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटी सह जीवन बीमा पॉलिसी ली थी।	• वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों के नोट 36 में आवश्यक खुलासे किए गए हैं।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
			31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनाने के दौरान पारित प्रस्ताव और निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल नहीं थीं और इस प्रकार, प्रस्ताव अपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) का अनुपालन नहीं हुआ।	कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण अपनाते समय वार्षिक आम बैठक के प्रस्ताव में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल कीं।
18.	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने अंबरनाथ में रेल नीर संयंत्र की स्थापना के लिए भारतीय रेलवे से पट्टे के आधार पर जमीन ली थी। पट्टा समझौता 17 दिसंबर 2009 से 16 दिसंबर 2012 तक की अवधि के लिए निष्पादित किया गया था। पट्टा समझौते की अवधि समाप्त होने के 9 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक इसका नवीनीकरण नहीं किया गया है। कंपनी भूमि का उपयोग कर रही है और 'उपयोग के अधिकार परिसंपत्ति' के अंतर्गत इसका खुलासा कर रही है। हालांकि, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में इस तथ्य का खुलासा किया।	कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अवलोकन का अनुपालन किया है।
19.	भारतीय रेलवे वित्त निगम	जीसी	• वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, न ही	• कंपनी ने वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में मुख्य प्रबंधन कार्मिक (नोट 53.1) के अंतर्गत सीएफओ के नाम का खुलासा किया। साथ ही, कंपनी के सीएफओ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
			कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय विवरणों में प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (नोट 53.1) के अंतर्गत कंपनी के सीएफओ का विवरण प्रकट किया गया है।	द्वारा हस्ताक्षरित वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का वित्तीय विवरण भी।
20.	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	जीसी	• यह सुनिश्चित करना कि आरईईपी इकाई के राजस्व के लेखांकन के लिए मुआवजा मूल्य को नवीनतम अनुमोदित दरों पर अपनाया जाना चाहिए। • यह सुनिश्चित करना कि एनजीएडीयू की इन्वेंटरी का मूल्यांकन और बुकिंग नवीनतम अनुमोदित दरों पर की जाए। • यह सुनिश्चित करना कि बिक्री के वर्ष में एनजीएडीयू की नवीनतम दरों पर राजस्व को सही ढंग से पहचाना जा सके। • यह सुनिश्चित करना कि बिक्री के वर्ष में एनजीएडीयू की नवीनतम दरों पर राजस्व पर देय आईजीएसटी सही ढंग से दर्ज किया गया है। सर्वर और एमएस लाइसेंस जैसी परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन में सुधार की आवश्यकता है।	• कंपनी ने इस मामले को डीएई के समक्ष उठाया और बिलिंग के उद्देश्य से नवीनतम स्वीकृत दर (अनंतिम दर) पर विचार करने के लिए डीएई की मंजूरी प्राप्त की। • वित्तीय वर्ष 2022-23 से अनुपालन किया गया। • कंपनी ने इस मामले को डीएई के समक्ष उठाया और बिलिंग प्रयोजन के लिए नवीनतम अनुमोदित दर (अनंतिम दर) पर विचार करने के लिए डीएई का अनुमोदन प्राप्त किया। • अनुपालन किया गया वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तदनुसार मूल्यह्रास लगाया गया है।
21.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	जीसी	• आगामी वित्तीय विवरणों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लेखांकन नीति में "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद रिजर्व खाता" को उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाए।	• लेखांकन नीति संख्या 3(x) डबल्यूआरटी. “विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपान्तरण आरक्षित खाता” संशोधित।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
			यह सुनिश्चित करना कि जीईएफ-एमएनआरई-यूएनआईडीओ परियोजना और अन्य ऐसे फंडों के संबंध में लेखांकन नीति को लेखा पुस्तकों में सम्मिलित किया जा सके।	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लेखों में सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन से राजस्व के संबंध में लेखांकन नीति संख्या 3(xxiii) को संशोधित किया गया है।
22.	भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	जीसी	• परियोजना विस्थापित परिवार (पीडीएफ) कर्मचारियों के नियमितीकरण की तिथि से नई पेंशन प्रणाली के खाते में जमा किए जाने वाले कंपनी के अंशदान के प्रति देयता के वित्तीय निहितार्थ को वित्तीय विवरणों में मात्राबद्ध और लेखांकित किया जा सके। • ओआईडीबी से आवश्यक अनुदान प्राप्त न होने के कारण विभिन्न गतिविधियों के लिए देयता का प्रावधान न करने के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय मांगी जाए एवं राय के आधार पर उचित लेखांकन उपचार/प्रकटीकरण किया जाए।	• कंपनी ने कर्मचारी लाभ के प्रावधान के अंतर्गत नई पेंशन योजना (एनपीएस) में अंशदान के लिए देयता का प्रावधान किया और उसके बाद उसका भुगतान भी किया गया। • परियोजना-पूर्व व्यय के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को मत पत्र भेजा गया, जहां तथ्यों का स्रोत ज्ञात नहीं था। आवश्यक धनराशि ओआईडीबी द्वारा स्वीकृत की गई और इसलिए, वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रावधान और देयता को शामिल किया गया।
23.	आईटीआई लिमिटेड	जीसी	• सीसीएमएस परियोजना में एलडी, अअनुपालन प्रभार और आईडीसी की समीक्षा। • पूंजी प्रतिबद्धताओं की समीक्षा।	• अनुपालन किया गया • अनुपालन किया गया
24.	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	जीसी	₹5,000 और उससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालने संबंधी लेखांकन नीति में सुधार की आवश्यकता है।	लेखांकन नीति संशोधित की गई।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
25.	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति में संयंत्र और मशीनरी का उपयोगी जीवन 12 वर्ष दर्शाया है, जबकि कंपनी अपने संयंत्र और मशीनरी के मूल्यह्रास की गणना 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के उपयोगी जीवन को ध्यान में रखकर कर रही है। इस प्रकार, उक्त लेखांकन नीति उस सीमा तक गलत थी।	कंपनी द्वारा वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण में लेखांकन नीति में आवश्यक संशोधन किया गया है।
26.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	जीसी	• प्राप्य राशि से बट्टे खाते में डाली गई ₹46.56 करोड़ की जीएसटी आईटीसी राशि को प्रावधान में वापस लिखा जाना है। "जो संयंत्र और मशीनरी नवीनीकरण के अभाव में उपयोग में नहीं हैं, उन्हें उपयोग में लाने तक उनकी वहन लागत पर सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत पुनर्समूहित किया जाता है" संबंधी लेखांकन नीति की आवश्यकता की समीक्षा की जानी चाहिए।	• वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में इसका विधिवत अनुपालन किया गया है। • लेखांकन नीति की समीक्षा की गई और वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में तदनुसार संशोधन किया गया।
27.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	जीसी	• लेखों में किए गए सुधारों का प्रकटीकरण। • आकस्मिक देयता की समीक्षा।	• अनुपालन किया गया • समीक्षा की गई और अनुपालन किया गया
28.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	• ₹1230.76 करोड़ की राशि के अनवशोषित मूल्यह्रास का निर्धारण वर्षवार ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया, जिसमें अप्रयुक्त कर घाटे के साथ-साथ समाप्ति तिथि, यदि कोई हो, दर्शाई गई है, जिसके लिए इंड एएस 12 के पैरा संख्या 81(ई)	• कंपनी ने वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
			के अनुसार कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। • इंड एएस 1 के अनुसार वित्तपोषण पैटर्न का खुलासा नहीं किया गया।	• कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 1 के अनुसार नोट्स में वित्तपोषण पैटर्न का खुलासा किया।
29.	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	जीसीओसी	• इंड एएस 116 के पैरा 31 के अनुसार पट्टे पर ली गई निर्दिष्ट परिसंपत्तियों पर लगाए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास को ठीक करना। • कंपनी की पट्टा देयता को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुरूप, चालू देयताओं और अस्तित्व हीन देयताओं के अंतर्गत सही ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है। • इंड एएस 116 के पैरा 9 के अनुसार चार समाप्त पट्टा परिसंपत्तियों के संयुक्त डब्लूडीवी को छूट देना।	• इस मुद्दे का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया और वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया। • वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में आवश्यक वर्गीकरण किया गया। इस मुद्दे का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया और वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।
30.	एमपीकॉन लिमिटेड	जीसीओसी	कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में व्यापार प्राप्य और व्यापार देय और अनुपात विश्लेषण की आयु अनुसूची को शामिल नहीं किया, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में संशोधन के संबंध में निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुरूप नहीं था।	कंपनी ने सुधारात्मक कार्रवाई की और वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रकटीकरण किया।
31.	नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी	नकदी प्रवाह विवरण में देय उपार्जित ब्याज का गलत लेखा-जोखा किया गया, जो कि आवश्यक नहीं था,	कंपनी ने अभ्युक्ति का अनुपालन किया है और वर्ष 2022-23 के नकदी प्रवाह विवरण में केवल वास्तविक अर्जित ब्याज को ही शामिल किया है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
			क्योंकि नकदी प्रवाह विवरण में केवल नकदी लेनदेन को ही अभिलेखित/लेखांकित किया जाना होता है।	
32.	राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	जीसी	भूमि को पूंजीकृत किया जाना चाहिए था तथा उसे प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के स्थान पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था।	अनुपालन किया गया
33.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक	जीसी	• वर्गीकरण त्रुटियों से बचने के लिए लेखांकन शीर्षों का सही उपयोग। नकदी प्रवाह का सही चित्रण।	• अनुपालन किया गया सही ढंग से चित्रित किया गया।
34.	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	जीसीओसी	• सीएसआर को लाभ और हानि खाते/आय और व्यय खाते में एक अलग लाइन मद के रूप में प्रकट नहीं किया गया था, जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय के लिए लेखांकन पर तकनीकी मार्गदर्शिका द्वारा अपेक्षित है। • कंपनी ने राजस्व प्रतिबद्धताओं को पूंजी प्रतिबद्धताओं के रूप में दर्ज किया है।	• सीएसआर व्यय को आय और व्यय खाते में व्यय शीर्षक के अंतर्गत एक अलग पंक्ति मद के रूप में दिखाया गया है। • कंपनी ने आवश्यक सुधार किए।
35.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	जीसी	• जैक्सन गेट, अगरतला और अलवर, राजस्थान में स्थित रियल एस्टेट परियोजना सूची के संबंध में, कंपनी ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि परियोजनाएं 'रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016' के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं और	• कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में नोट 53 (v) और (vi) में आवश्यक खुलासे किए हैं। • कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण को अपनाते समय वार्षिक आम बैठक के प्रस्ताव में भारत

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
			उक्त परियोजनाओं के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र/अधिभोग प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। • 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनाने के दौरान पारित प्रस्ताव और निदेशक मंडल और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल नहीं थीं और इस प्रकार, प्रस्ताव अपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) का अनुपालन नहीं हुआ।	के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को शामिल किया।
36.	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	जीसी	• कंपनी ने एनबीसीसी सेंटर, ओखला, नई दिल्ली में 5746 वर्गफुट का कार्यालय परिसर खरीदा। हालाँकि, नोट में क्षेत्रफल 7934 वर्गफुट दिखाया गया था। • 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनाने के दौरान पारित प्रस्ताव और निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की	• कंपनी ने 2022-23 के वित्तीय विवरण में 5746 वर्ग फुट का क्षेत्रफल सही ढंग से दिखाया है। • कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण को अपनाते समय वार्षिक आम बैठक के प्रस्ताव में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को शामिल किया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
			टिप्पणियां शामिल नहीं थीं और इस प्रकार, प्रस्ताव अपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) का अनुपालन नहीं हुआ।	
37.	एनसीआर टीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	जीसी	वित्तीय विवरणों में एनसीआरटीसी के साथ किराया करार के संबंध में खुलासा किया जाना आवश्यक है।	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों में कंपनी द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण दिया गया।
38.	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	जीसी	• कंपनी सचिव, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक है, के संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (कर्मचारी लाभ) को इंड एएस 24 के प्रावधानों के अनुसार प्रकट किया जाना आवश्यक है। • अनुसूची-III में संशोधन के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक अनुपात में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। 12 महीने के भीतर परिपक्व होने वाली एफडी को चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्रकट किया जाना चाहिए।	• प्रकटीकरण इंड एएस 24 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। • संशोधित अनुसूची-III के प्रावधानों के अनुसार अनुपातों का स्पष्टीकरण दिया गया है। वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत सुधारा गया और खुलासा किया गया।
39.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने फ्लोटिंग इंजनों पर व्यय की बुकिंग में एकसमान नीति का पालन नहीं किया।	कंपनी ने एचईएमएम के मूल जीवन के अनुसार फ्लोट इंजन का पूंजीकरण करना शुरू कर दिया और तदनुसार मूल्यह्रास लगाया।
40.	एनटीपीसी-तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी	• अप्रयुक्त सीएसआर राशि की प्रस्तुति के लिए आईसीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर व्यय का खुलासा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया गया था।	अप्रयुक्त सीएसआर राशि की प्रस्तुति के लिए आईसीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण किया गया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
41.	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी	• यह सुनिश्चित करना कि प्रकटीकरण में दोनों स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों में इंड एएस 16, 37, 103 और 109 (पैरा 30 और पैरा 31 के अनुसार) में संशोधनों के संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रासंगिक ज्ञात या उचित अनुमान जानकारी का उल्लेख किया जा सके। • यह सुनिश्चित करना कि कंपनी इक्विटी में परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रारूप का उपयोग कर सकती है। • यह सुनिश्चित करना कि नोट 41 के अंतर्गत दिए गए संबंधित पक्ष प्रकटीकरण को उचित प्रकटीकरण के लिए संशोधित किया जा सके। • विरोध के अंतर्गत सांविधिक प्राधिकरणों के पास जमा राशि को सुरक्षा जमा के रूप में रखा गया है। नोट में जमा की आकस्मिक प्रकृति के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता है। • यह सुनिश्चित करना कि इंड एएस 21 'विदेशी विनिमय दरों पर प्रभाव' के पैरा 23(बी) के अनुसार विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी जाने वाली अमौद्रिक वस्तुओं को लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके अनूदित किया	• वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है। • अनुपालन किया गया. • डीएई के साथ लेनदेन के लिए उपयुक्त खुलासे किए गए। • तदनुसार प्रकटीकरण किया गया है। • अमौद्रिक वस्तुएं जैसे पारगमन में माल को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संबंधित लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित दर पर रूपांतरित किया जाता है। • वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया अनुपालन।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
			जाएगा और प्रगति में पूंजीगत कार्य को सही ढंग से बुक किया गया है। • यह सुनिश्चित करना कि तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित विवादित राशि का उचित खुलासा किया जाना चाहिए तथा उसे क्रेडिट हानि के अधीन नहीं माना जाना चाहिए।	
42.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	जीसी	• सागर लक्ष्मी संशोधन परियोजना के संविदाकार को जारी किए गए गैस टरबाइन जेनरेटर को अन्य ओएनजीसी परिसंपत्तियों में लगाया जाएगा, या अन्यथा, सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत क्षतिग्रस्त किया जाएगा। • पट्टा परिसंपत्तियां जैसे अगरतला में मोबाइल ईटीपी इकाइयों को किराये पर लेना और आरएसएस-एमडब्ल्यूडी सेवाओं को किराये पर लेना, को आरओयू परिसंपत्तियों में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए। • एसएआरआई-1 कुएं के संबंध में ईडब्ल्यूआईपी व्यय के लेखांकन उपचार में समीक्षा करना तथा आवश्यक परिवर्तन करना, साथ ही पीईएल ब्लॉक कांगड़ा मंडी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा पुनः अनुदान स्वीकृति के परिणाम की समीक्षा करना।	• सुधारात्मक कार्रवाई की गई और वर्ष 2022-23 के दौरान सागर लक्ष्मी संशोधन परियोजना को जारी जीटीजी को बाधित कर दिया गया। • वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखा पुस्तकों में मोबाइल ईटीपी और आरएसएस-एमडब्ल्यूडी को किराये पर देने के अनुबंध के प्रति पट्टा परिसंपत्तियां बनाई गईं। • कंपनी ने पीईएल ब्लॉक कांगड़ा-मंडी में किए गए सभी व्यय को बट्टे खाते में डाल दिया है और वर्ष 2022-23 के दौरान लेखा पुस्तकों में उचित रूप से इसका लेखा-जोखा रखा है। • वर्ष 2022-23 के दौरान तिरुवरुर और तंजौर जिलों में प्रगति पर चार अन्वेषण कुओं की लागत को माफ कर दिया गया, जो डेल्टा क्षेत्र में आते हैं, जहां नई परियोजना या नई गतिविधि पर टीएनपीएजेडडी द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
			• अधिसूचित संरक्षित कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थानों पर होने वाली लागत की समीक्षा की जानी चाहिए, जहां तमिलनाडु सरकार ने अन्वेषण और ड्रिलिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तथा उचित लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए। • संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास अधिनियम 2020 के अंतर्गत अधिसूचित पांच कुओं और संरक्षित कृषि क्षेत्र के अंतर्गत न आने वाले पांच कुओं की लागत को तेल और गैस परिसंपत्तियों में स्थानांतरित किया जाएगा और उस पर कमी लागत लगाई जाएगी।	• रिग प्लान बीई 2022-23 में इन कुओं की अनुपलब्धता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ कुओं को पीईसी के लिए निर्धारित किया गया था, इन डीडब्ल्यूआईपी कुओं की लागत को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ओ एंड जी परिसंपत्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया।
43.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड	जीसीओसी	• ग्रेच्युटी दावा निपटान की प्रक्रिया के साथ-साथ इसके भुगतान के लिए तंत्र तैयार करने की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि इसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके। • यदि समीक्षा के बाद आगे कोई गतिविधि प्रस्तावित नहीं है, तो तकनीकी टीम के साथ उचित परामर्श के साथ, तीन निलंबित परियोजनाओं अर्थात (i) अटाली टाउनशिप, (ii) रेलवे साइडिंग परियोजना और (iii) सी4 मिश्रण को परिवर्तित करने के लिए सुविधा और बुनियादी ढांचे के संबंध में हानि के लिए प्रावधान किया जा सकता है।	• ग्रेच्युटी दावों के समय पर निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है और सभी भुगतान ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार संसाधित किए जा रहे हैं। • तकनीकी टीम की मदद से परियोजनाओं की समीक्षा की गई और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखा पुस्तकों में उचित तरीके से निपटाया गया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
44.	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी	• कंपनी ने आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को संबंधित शेष राशि के प्रमुख घटकों में विभाजित करने का खुलासा नहीं किया, जिसके कारण इंड एएस 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन के पैरा 31 का अनुपालन नहीं हुआ।	• कंपनी ने सुधारात्मक कार्रवाई की और वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रकटीकरण किया।
45.	रेल विकास निगम लिमिटेड	जीसी	• कंपनी ने इंड एएस 10 के पैरा 17 के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किया।	• कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अभ्युक्ति का अनुपालन किया है।
46.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी	• कंपनी ने इंड एएस 10 के पैरा 17 के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किया।	• कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अभ्युक्ति का अनुपालन किया है।
47.	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	जीसी	• कंपनी ने अलग से 'इक्विटी में परिवर्तन का विवरण' तैयार करने के बजाय वित्तीय विवरणों के नोट 11 के अंतर्गत 'इक्विटी में परिवर्तन का विवरण' रखा। यह इंड एएस 01 के पैरा 10 के अनुपालन में नहीं था। • कंपनी ने परिचालन खंड के संबंध में खुलासा नहीं किया है, जैसा कि इंड एएस 108, परिचालन खंड के पैरा 20 के अंतर्गत अपेक्षित है। • कंपनी ने इंड एएस 10 के पैरा 17 के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किया।	• कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अभ्युक्तियों का अनुपालन किया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
48.	राइट्स लिमिटेड	जीसी	• 'निर्यात प्रोत्साहन' पर कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में निर्यात प्रोत्साहन (सरकारी अनुदान) के लिए अपनाई गई लेखांकन नीति का उल्लेख नहीं किया गया, जिसमें इंड एएस 20 के पैरा 39 के अंतर्गत अपेक्षित वित्तीय विवरणों में अपनाई गई प्रस्तुति की विधियां भी शामिल हैं।	• कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अभ्युक्ति का अनुपालन किया।
49.	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी	मूर्त परिसंपत्तियां अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप मे दर्शाई गई थी।	• अनुपालन किया गया
50.	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी	• यह सुनिश्चित करना कि 3 गीगावाट सौर विनिर्माण संयंत्र से जुड़े 7 गीगावाट आईएसटीएस सौर पीवी विद्युत संयंत्र के संबंध में 8900 मेगावाट की सफलता शुल्क और 3100 मेगावाट के 100% को अप्राप्त सफलता शुल्क के रूप में मान्यता देने के तथ्य का खुलासा किया जा सके। • यह सुनिश्चित करना कि डिस्कॉम से प्राप्त राशि और एसपीडी को देय राशि के बीच अंतर दर्शाया जा सके।	• इसका खुलासा भी हो चुका है। • वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया गया है
51.	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड	जीसी	• परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर ब्याज को अन्य व्यय-नोट संख्या 18 में शामिल किया गया है तथा लाभ-हानि विवरण में वित्त लागत में अलग से इसका वर्णन नहीं किया गया है।	• कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का अलग से खुलासा किया है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	किए गए सुधार
52.	स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड	जीसी	• इंड एएस 7 के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य के अंतर्गत सावधि जमा (जिन्हें गिरवी रखने के उद्देश्य से रखा जाता है) को शामिल करना गलत था।	• वित्तीय विवरणों में सावधि जमा को शामिल न करके सुधारात्मक प्रभाव दिया गया है।
53.	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	जीसी	• सीएसआर की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ।	• अनुपालन किया गया
54.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	जीसी	• ऐसे पीपीई के उपयोगी जीवन का प्रकटीकरण जिसका उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II से भिन्न है।	• आवश्यक प्रकटीकरण वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में किया गया।

अनुलग्नक-XVI (पैरा संख्या 2.7 देखें)

उन सीपीएसई का विवरण जहाँ सीएजी द्वारा प्रबंधन पत्र जारी किए गए

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड
2.	कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड
3.	एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड
4.	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड
5.	आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
6.	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
7.	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड
8.	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9.	एपीआईटीसीओ लिमिटेड
10.	एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड
11.	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
12.	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13.	बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
15.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
16.	बीईएल थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड
17.	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड
18.	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
19.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
20.	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड
21.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
22.	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23.	भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड
24.	भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड
25.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
26.	भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड
27.	बिहार मेगा पावर लिमिटेड
28.	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस परिषद
29.	बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
30.	बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड
31.	बीपीसीएल केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड
32.	ब्रहमपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
33.	केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड
34.	केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
35.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
36.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
37.	सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
38.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
39.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
40.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
41.	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन इंटरेस्ट एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड
42.	केंद्रीय भंडारण निगम
43.	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड
44.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
45.	कोल इंडिया लिमिटेड
46.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
47.	कॉनकॉर एयर लिमिटेड
48.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
49.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
50.	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
51.	दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
52.	देवघर इंफ्रा लिमिटेड
53.	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड
54.	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
55.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
56.	ईसीजीसी लिमिटेड
57.	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
58.	ऊर्जा दक्षता सेवाएँ लिमिटेड
59.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
60.	ईएसजी रिस्क असेसमेंट एंड इनसाइट्स लिमिटेड
61.	भारतीय खाद्य निगम
62.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
63.	गेल गैस लिमिटेड
64.	भारतीय सामान्य बीमा निगम
65.	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
66.	सरकार ई-मार्केटप्लेस
67.	हार्डिकॉन लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
68.	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड
69.	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड
70.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
71.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
72.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
73.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स निगम लिमिटेड
74.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड
75.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
76.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
77.	एचएमटी लिमिटेड
78.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
79.	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
80.	एचपी ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड
81.	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड
82.	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
83.	आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
84.	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड
85.	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड
86.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
87.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
88.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड
89.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
90.	आईएफसीआई लिमिटेड
91.	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड
92.	आईएचबी लिमिटेड
93.	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
94.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
95.	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
96.	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
97.	भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
98.	इंडियाफर्स्ट जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
99.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
100.	इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
101.	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड
102.	भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
103.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
104.	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
105.	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड
106.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
107.	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
108.	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
109.	आईआरसीटीसी लिमिटेड
110.	आईआरएफसी लिमिटेड
111.	आईटीसीओटी लिमिटेड
112.	झाबुआ पावर लिमिटेड
113.	कामराजर पोर्ट लिमिटेड
114.	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
115.	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन
116.	केआईओसीएल लिमिटेड
117.	केआईटीसीओ लिमिटेड
118.	कोच्चि सेलम पिपलीन प्राइवेट लिमिटेड
119.	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
120.	कृष्णापटनम रेल कंपनी लिमिटेड
121.	कुमारकृपा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड
122.	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड
123.	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड
124.	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
125.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
126.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
127.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
128.	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
129.	एमएएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
130.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
131.	मेकॉन लिमिटेड
132.	मीनाचिल रबरवुड प्राइवेट लिमिटेड
133.	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
134.	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड
135.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
136.	एमएमटीसी लिमिटेड
137.	एमओआईएल लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
138.	एमपीकॉन लिमिटेड
139.	एमएसटीसी लिमिटेड
140.	मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी लिमिटेड
141.	मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड
142.	मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड
143.	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
144.	नैब फाउंडेशन
145.	नबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड
146.	नैबवेंचर्स लिमिटेड
147.	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड
148.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
149.	नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
150.	भारतीय हथकरघा विकास निगम
151.	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
152.	नेशनल हाई स्पीड रेल निगम लिमिटेड
153.	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम
154.	राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड
155.	राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड
156.	राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम निगम लिमिटेड
157.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
158.	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड
159.	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
160.	नेपा लिमिटेड
161.	नेस्ल एसेट डेटा लिमिटेड
162.	नेस्ल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड
163.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
164.	नेसल ई-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
165.	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
166.	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
167.	एनएचडीसी लिमिटेड
168.	एनएचपीसी लिमिटेड
169.	एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड
170.	एनआईटीसीओएन लिमिटेड
171.	एनआईटीसीओएन सोशल फाउंडेशन लिमिटेड
172.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
173.	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
174.	एनएमडीसी लिमिटेड
175.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड
176.	उत्तर पूर्व ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
177.	पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर निगम लिमिटेड
178.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
179.	एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड
180.	एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड
181.	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड
182.	एनटीपीसी हरित ऊर्जा लिमिटेड
183.	एनटीपीसी लिमिटेड
184.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
185.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
186.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
187.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
188.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
189.	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
190.	पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
191.	पवन हंस लिमिटेड
192.	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड
193.	पिपावाव रेलवे निगम लिमिटेड
194.	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
195.	पीएनबी गिल्ट लिमिटेड
196.	पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड
197.	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
198.	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
199.	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
200.	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड
201.	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
202.	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड
203.	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड
204.	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड
205.	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड
206.	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
207.	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
208.	रेल विकास निगम लिमिटेड
209.	रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
210.	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड
211.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड
212.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
213.	राटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
214.	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
215.	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड
216.	आरईसी लिमिटेड
217.	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
218.	आरईएमसी लिमिटेड
219.	केरल अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
220.	रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
221.	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड
222.	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। सेल-राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
223.	सांभर साल्ट्स लिमिटेड
224.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
225.	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
226.	एसबीआई फाउंडेशन
227.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड
228.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
229.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड
230.	एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
231.	एसबीआई पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
232.	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
233.	एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड
234.	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
235.	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड
236.	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
237.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड।
238.	सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड
239.	एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
240.	एसजेवीएन लिमिटेड
241.	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट। लिमिटेड
242.	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
243.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
244.	स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
245.	स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
246.	एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड
247.	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमिटेड
248.	एसटीसीएल लिमिटेड
249.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड
250.	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
251.	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
252.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
253.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
254.	कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
255.	रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड त्रावणकोर
256.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
257.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
258.	उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
259.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
260.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
261.	यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड
262.	यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
263.	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
264.	यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
265.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
266.	यंत्र इंडिया लिमिटेड

अनुलग्नक-XVII (पैरा संख्या 3.1.2 देखें)

उन सीपीएसई की सूची जिनके शेयर/बांड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे और लेखापरीक्षा में शामिल थे

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	एचएमटी लिमिटेड
3	केआईओसीएल लिमिटेड
4	एनएमडीसी लिमिटेड
5	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
7	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
8	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
9	बीईएमएल लिमिटेड
10	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
11	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
12	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
13	मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड
14	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
15	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
17	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन
18	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
19	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
21	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
22	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
23	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
24	एमएसटीसी लिमिटेड
25	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
26	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
27	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
28	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
29	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन
30	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन
31	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
32	राइट्स लिमिटेड
33	रेल विकास निगम लिमिटेड
34	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
35	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
36	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड
37	आईटीआई लिमिटेड
38	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
39	भारतीय सामान्य बीमा निगम
40	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
41	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
42	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
43	द रसायन एवं उर्वरक त्रावणकोर लिमिटेड
44	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
45	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
46	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
47	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
48	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
49	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
50	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
51	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड
52	इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड
53	मॉयल लिमिटेड
54	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
55	एनटीपीसी लिमिटेड
56	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
57	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
58	गेल (इंडिया) लिमिटेड
59	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
60	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
61	एनएचपीसी लिमिटेड
62	आरईसी लिमिटेड
63	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
64	एसजेवीएन लिमिटेड
65	कोल इंडिया लिमिटेड
66	ऑयल इंडिया लिमिटेड
67	एमएमटीसी लिमिटेड
68	दि स्टेट ट्रैडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
69	आईएफसीआई लिमिटेड
70	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
71	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

अनुलग्नक-XVIII (पैरा संख्या 3.1.2 देखें)

उन सीपीएसई/वैधानिक निगमों की सूची जिनके बांड/डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे

क्र. सं.	सीपीएसई / वैधानिक निगम का नाम
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन
4	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड
5	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
7	एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड
8	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
9	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड
10	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन
11	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
12	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
14	भारतीय खाद्य निगम
15	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम
16	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
17	एनटीपीसी लिमिटेड
18	पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
19	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	गेल (इंडिया) लिमिटेड
21	आरईसी लिमिटेड
22	एनएचपीसी लिमिटेड
23	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
24	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
25	एसजेवीएन लिमिटेड
26	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
27	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
28	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
29	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
30	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
31	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
32	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
33	आईएफसीआई लिमिटेड
34	द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
35	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
36	भारत संचार निगम लिमिटेड

अनुलग्नक-XIX (पैरा संख्या 3.1.2 देखें)

उन सीपीएसई की सूची जिनके शेयर और बॉन्ड दोनों स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं

क्र. सं.	सीपीएसई / वैधानिक निगम का नाम
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन
6	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
7	एनटीपीसी लिमिटेड
8	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10	गेल (इंडिया) लिमिटेड
11	आरईसी लिमिटेड
12	एनएचपीसी लिमिटेड
13	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14	एसजेवीएन लिमिटेड
15	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
17	मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
18	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड
19	आईएफ़सीआई लिमिटेड
20	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

अनुलग्नक-XX (पैरा संख्या 3.2.2.1) देखें

वर्ष 2022-23 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या न रखने वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
1	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	3 4	कार्यकारी	3 4	2 2	1 (33) 2 (50)	जुलाई से अक्टूबर नवंबर से मार्च
2	एमओआईएल लिमिटेड	7 6 7	कार्यकारी	7 6 7	5 3 3	2 (28) 3 (50) 4 (57)	अप्रैल से अक्टूबर नवंबर से दिसंबर और फरवरी जनवरी और मार्च
3	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	2	2 (50)	जून से मार्च
4	केआईओसीएल लिमिटेड	5 6 6 6	कार्यकारी	5 6 6 6	4 4 3 2	1 (20) 2 (33) 3 (50) 4	जून से अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
		4		4	2	(67) 2 (50)	फरवरी और मार्च
5	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	10 9 8 7	गैर-कार्यकारी (सहायक)	10 9 8 7	4 4 4 4	6 (60) 5 (55) 4 (50) 3 (43)	अप्रैल और मई जून जुलाई से अगस्त सितम्बर से मार्च
6	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	6 6	कार्यकारी	6 6	4 5	2 (33) 1 (17)	अप्रैल मई से मार्च
7	राइट्स लिमिटेड	6 5	कार्यकारी	6 5	4 4	2 (33) 1 (20)	अप्रैल से जुलाई और अक्टूबर से मार्च अगस्त से सितंबर
8	रेल विकास निगम लिमिटेड	7 7	कार्यकारी	7 7	4 3	3 (43) 4	अप्रैल से जून

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
		6 7		6 7	2 2	(57) 4 (67) 5 (71)	जुलाई अगस्त से सितंबर फरवरी से मार्च अक्टूबर से जनवरी
9	रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5 5 4 3	कार्यकारी	5 5 4 3	3 2 2 2	2 (40) 3 (60) 2 (50) 1 (33)	अप्रैल से जून जुलाई अगस्त से जनवरी फरवरी से मार्च
10	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन	3	कार्यकारी	3	2	1 (33)	अप्रैल से मार्च
11	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	5 6	कार्यकारी	5 6	4 4	1 (20) 2 (33)	अप्रैल से जुलाई और फरवरी से मार्च अक्टूबर से जनवरी
12	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	6 6	कार्यकारी	6 6	5 4	1 (17) 2	अप्रैल से जून जुलाई और

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
						(33)	अक्टूबर से दिसंबर
		7		7	4	3 (43)	जनवरी
		5		5	4	1 (20)	फरवरी से मार्च
13	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन	5	कार्यकारी	5	2	3 (60)	अप्रैल से जुलाई और फरवरी से मार्च
		4		4	2	2 (50)	अगस्त से जनवरी
14	एचएमटी लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	2	2 (50)	अप्रैल से जनवरी
		4		4	0	4 (100)	फरवरी और मार्च
15	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	1	5 (83)	अप्रैल मई और जुलाई तथा अक्टूबर से नवंबर
		6		6	2	4 (67)	जून
		7		7	2	5 (71)	अगस्त से सितंबर तथा

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
		5		5	2	3 (60)	दिसंबर से मार्च
16	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	7 6 5	कार्यकारी	7 6 5	6 4 4	1 (14) 2 (33) 1 (20)	मई से जून जुलाई अगस्त से जनवरी और मार्च
17	बीईएमएल लिमिटेड	5 6	कार्यकारी	5 6	4 4	1 (20) 2 (33)	अगस्त से अक्टूबर और फरवरी मार्च
18	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	3 4	कार्यकारी	3 4	2 2	1 (33) 2 (50)	अप्रैल से जून जुलाई से मार्च
19	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	7 6	कार्यकारी	7 6	6 5	1 (14) 1 (17)	जून से अगस्त नवम्बर और मार्च
20	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9 9 9	गैर- कार्यकारी (सहायक)	9 9 9	5 3 2	4 (44) 6 (67) 7	अप्रैल से जुलाई अगस्त से अक्टूबर नवंबर से मार्च

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
						(78)	
21	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6 7 7 7	कार्यकारी	6 7 7 7	5 5 4 2	1 (17) 2 (28) 3 (43) 5 (71)	जून से जुलाई अगस्त सितंबर से जनवरी फरवरी से मार्च
22	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	3	3 (50)	अप्रैल से मार्च
23	एनएमडीसी लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	4	1 (20)	अप्रैल से जून और फरवरी से मार्च
24	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	5 5 4	कार्यकारी	5 5 4	4 3 3	1 (20) 2 (40) 1 (25)	अप्रैल से जुलाई अगस्त से अक्टूबर और मार्च नवंबर से फरवरी
25	आईटीआई लिमिटेड	5 4	कार्यकारी	5 4	3 3	2 (40) 1	अप्रैल से जून जनवरी से फरवरी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
						(25)	
		6		6	3	3 (50)	मार्च
26	ऑयल इंडिया लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	3	2 (40)	जुलाई
		6		6	3	3 (50)	अगस्त
		7		7	3	4 (57)	सितंबर से मार्च
27	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	2	4 (67)	अप्रैल से मार्च
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	3	2 (40)	अप्रैल से मई
		6		6	3	3 (50)	जून से अक्टूबर
		6		6	2	4 (67)	नवंबर और जनवरी
		5		5	2	3 (60)	फरवरी
		5		5	3	2 (40)	मार्च
29	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	8	कार्यकारी	8	6	2 (25)	अप्रैल

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
		8 9 11 11		8 9 11 11	7 7 7 6	1 (13) 2 (22) 4 (36) 5 (45)	मई से जून जुलाई से अगस्त सितंबर से अक्टूबर नवंबर से मार्च
30	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	3	3 (50)	अगस्त से मार्च
31	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	3	2 (40)	फरवरी से मार्च
32	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	5 5 7	कार्यकारी	5 5 7	3 2 2	2 (40) 3 (60) 5 (71)	जुलाई से दिसंबर जनवरी फरवरी से मार्च
33	एमएसटीसी लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	2	3 (60)	अप्रैल से मार्च
34	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	2	गैर-कार्यकारी (सहायक)	2	0	2 (100)	फरवरी से मार्च

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
35	एमएमटीसी लिमिटेड	7 6 7 6 7	कार्यकारी	7 6 7 6 7	2 2 2 1 1	5 (71) 4 (67) 5 (71) 5 (83) 6 (86)	अप्रैल से अगस्त सितंबर से अक्टूबर और जनवरी नवंबर से दिसंबर फरवरी मार्च
36	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	5 5 4 6	कार्यकारी	5 5 4 6	4 3 3 3	1 (20) 2 (40) 1 (25) 3 (50)	अगस्त से अक्टूबर नवम्बर और जनवरी दिसम्बर फरवरी से मार्च
37	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ऑफ त्रावणकोर लिमिटेड	6 6 5	कार्यकारी	6 6 5	1 2 2	5 (83) 4 (67) 3	अप्रैल मई से सितम्बर और मार्च अक्टूबर से फरवरी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
						(60)	
38	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	5 6	कार्यकारी	5 6	3 3	2 (40) 3 (50)	अप्रैल और जून से अगस्त मई और सितंबर से मार्च
39	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7 6 5 6 7	कार्यकारी	7 6 5 6 7	4 4 3 3 3	3 (43) 2 (33) 2 (40) 3 (50) 4 (57)	अप्रैल मई से जून जुलाई अगस्त से सितंबर अक्टूबर से मार्च
40	आईएफसीआई लिमिटेड	7 6	कार्यकारी	7 6	0 0	7 (100) 6 (100)	अप्रैल से अगस्त और नवंबर से दिसंबर फरवरी से मार्च
41	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	3	1 (25)	जुलाई से अगस्त

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
		5		5	3	2 (40)	सितम्बर से मार्च
42	एसजेवीएन लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	3	4 (57)	अप्रैल से जुलाई
		6		6	3	3 (50)	अगस्त से दिसंबर जनवरी से फरवरी
		5		5	3	2 (40)	मार्च
		6		6	4	2 (33)	
43	आरईसी लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	3	1 (25)	जुलाई से अगस्त
		5		5	3	2 (40)	सितंबर से फरवरी
		5		5	4	1 (20)	मार्च
44	एनटीपीसी लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	5	2 (29)	अप्रैल से मई
		8		8	4	4 (50)	जून और अगस्त से जनवरी
		7		7	4	3 (43)	जुलाई और फरवरी से मार्च

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2022-23 के दौरान कमी की अवधि
45	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9 8 9	कार्यकारी	9 8 9	8 7 7	1 (11) 1 (13) 2 (22)	अप्रैल से सितम्बर नवम्बर से दिसम्बर जनवरी से मार्च
46	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	6	1 (14)	सितंबर से मार्च

अनुलग्नक-XXI (पैरा संख्या 4.6.2.2) देखें

वर्ष 2022-23 से पहले के वर्षों के दौरान नियोजित बिक्री के प्रस्तावों की स्थिति

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)/वैकल्पिक तंत्र (एएम)/उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के अनुमोदन/सिफारिश की तिथि	लेन-देन की स्थिति
1	कोल इंडिया लिमिटेड	सीसीईए: 18.11.2015	• सीसीईए ने 18.11.2015 को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश की प्रक्रिया के माध्यम से भारत सरकार की 78.65% हिस्सेदारी में से सीआईएल की 10% चुकता इक्विटी पूंजी के विनिवेश को मंजूरी दी। • सीआईएल की चुकता इक्विटी के 3.19% के विनिवेश के लिए ओएफएस की पहली किश्त 2018-19 में आयोजित की गई थी। • सीआईएल की चुकता इक्विटी के 3.00% के विनिवेश के लिए ओएफएस की दूसरी किश्त 2023-24 में आयोजित की गई थी। कंपनी के ओएफएस को शुरू करने के लिए बाजार की स्थिति और निवेशकों की भावना के अनुसार उपयुक्त समय का इंतजार किया जा रहा है।
2	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	सीसीईए: 13.04.2017	• एएम ने 13.04.2017 को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश की प्रक्रिया के माध्यम से एनएलसी की 89.32% हिस्सेदारी में से 15% चुकता इक्विटी पूंजी के विनिवेश को मंजूरी दी। • 5% चुकता इक्विटी के विनिवेश के लिए ओएफएस की पहली किश्त 2017-18 के दौरान आयोजित की गई थी। • 7% चुकता इक्विटी के विनिवेश के लिए ओएफएस की दूसरी किश्त 2023-24 के दौरान आयोजित की गई थी।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)/वैकल्पिक तंत्र (एएम)/उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के अनुमोदन/सिफारिश की तिथि	लेन-देन की स्थिति
			कंपनी के ओएफएस को शुरू करने के लिए बाजार की स्थिति और निवेशकों की भावना के अनुसार उपयुक्त समय का इंतजार किया जा रहा है।
3	हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड	सीसीईए: 25.05.2022	• सीसीईए ने एचजेडएल में शेष बची 29.54 प्रतिशत हिस्सेदारी को खुले बाजार में सेबी द्वारा अनुमोदित तरीकों से किस्तों में विनिवेश करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। • 28.11.2022 से 07.12.2022 के बीच अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों के साथ रोड शो आयोजित किए गए। हालांकि, बिक्री के लिए प्रस्ताव शुरू करने के लिए निवेशकों की रुचि अपर्याप्त थी। • सरकार निवेशकों की रुचि और निवेश बैंकरों की सिफारिश के आधार पर एचजेडएल में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री की पहली किस्त शुरू करने के लिए उपयुक्त समय का इंतजार कर रही है।
4	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एएम:06.09.2018	• लाभप्रदता और शेयर मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। • इसलिए, मर्चेंट बैंकर बिक्री के लिए प्रस्ताव आयोजित करने के लिए पर्याप्त मांग नहीं पा सके हैं।
5	भारतीय सामान्य बीमा निगम	एएम:06.09.2018	• संभावित निवेशकों को पुनर्बीमा क्षेत्र में विकास की गति के बारे में बताने के लिए अक्टूबर 2023 में घरेलू रोड शो आयोजित किए गए, और फरवरी-मार्च 2024 में चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए गए।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)/वैकल्पिक तंत्र (एएम)/उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के अनुमोदन/सिफारिश की तिथि	लेन-देन की स्थिति
			• परिणामस्वरूप, 4-5 सितंबर 2024 को ओएफएस के माध्यम से जीआईसी की चुकता इक्विटी पूंजी का 3.39% विनिवेश किया गया। ओएफएस के बाद, जीआईसी में भारत सरकार की हिस्सेदारी घटकर 82.40% रह गई है। • पेशेवर मर्चेंट बैंकरों से प्राप्त सलाह, बाजार की स्थितियों और निवेशकों की रुचि के आधार पर आगे का विनिवेश किया जाएगा।
6	रेल विकास निगम लिमिटेड	विनिवेश के लिए एएम अनुमोदन: 13.08.2020 पहली किश्त के लिए एएम अनुमोदन: 23.03.2021 दूसरी किश्त के लिए एएम अनुमोदन: 26.07.2023	• पहली किस्त के रूप में मार्च, 2021 में 9.64% विनिवेश के लिए बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) आयोजित किया गया। • दूसरी किस्त के रूप में जुलाई, 2023 में शेष 5.36% विनिवेश के लिए ओएफएस आयोजित किया गया।
7	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	सीसीईए/एएम:अगस्त, 2021 एचएलसी: 22.07.2021	दीपम ने जवाब दिया कि बिक्री पेशकश का लेन-देन पूरा नहीं हुआ है।
8	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	एचएलसी- 21.11.2019 एएम अनुमोदन: 26.11.2019	
9	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	एएम अनुमोदन: 18.07.2018	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति पूरी हो गई है। अक्टूबर 2022- जनवरी 2023 की अवधि के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो (गैर-सौदा निवेशकों की बैठक) आयोजित की गई। हालांकि, निवेशकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, एमबी ने कहा है कि उर्वरक क्षेत्र में निवेशकों की रुचि

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)/वैकल्पिक तंत्र (एएम)/उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के अनुमोदन/सिफारिश की तिथि	लेन-देन की स्थिति
10	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	एएम अनुमोदन: 18.07.2018	की कमी और सदस्यता के लिए बड़े निवेशकों की प्रतिबद्धता के अभाव में, बिक्री के लिए प्रस्ताव शुरू करना मुश्किल है क्योंकि बाजार में इसकी सदस्यता नहीं ली जा सकती है।
11	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	सीसीईए/एएम:जुलाई, 2021 एचएलसी: 16.07.2021	वैकल्पिक तंत्र (एएम) ने जुलाई 2021 में स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) द्वारा एसजेवीएन लिमिटेड में भारत सरकार की 59.92% शेयरधारिता में से 8.92% चुकता इक्विटी के विनिवेश को स्वीकृति दी। उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, एएम ने 20.09.2023 को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से ओएफएस द्वारा ट्रांच-1 में 4.92% इक्विटी के विनिवेश को स्वीकृति दी। यह लेनदेन 21-22 सितंबर, 2023 को किया गया। उपरोक्त ओएफएस लेनदेन के बाद एसजेवीएन लिमिटेड में भारत सरकार की शेयरधारिता घटकर 55.00% (लगभग) हो गई है।हिमाचल प्रदेश सरकार के पास एसजेवीएन लिमिटेड में 26.85% हिस्सेदारी है। इस मामले में, उचित समय का चयन करके, दीपम ने भारत सरकार की केवल 4.92% हिस्सेदारी के विनिवेश से ₹1,348.471 करोड़ जुटाए।
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	एएम:26.11.2019	बाजार की स्थितियों और निवेशक भावना के अनुसार बिक्री के लिए प्रस्ताव शुरू करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा की जा रही है।
13	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	एएम:26.12.2019	बाजार की स्थितियों और निवेशक भावना के अनुसार बिक्री की पेशकश के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा की जा रही है।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)/वैकल्पिक तंत्र (एएम)/उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के अनुमोदन/सिफारिश की तिथि	लेन-देन की स्थिति
			इसके अलावा, बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) में से एक के हटने के कारण, केवल एक बीआरएलएम बचा था जिसने लेन-देन करने से मना कर दिया। इसलिए, नए बीआरएलएम नियुक्त करने होंगे।

अनुलग्नक-XXII (पैरा संख्या 4.6.4 देखें)

रणनीतिक विनिवेश की स्थिति

रणनीतिक विनिवेश की स्थिति	क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
दीपम द्वारा संसाधित किए जा रहे लेनदेन	1	बीईएमएल लिमिटेड
	2	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
	3	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
	4	भारतीय परियोजना एवं विकास लिमिटेड
	5	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (सहायक)
	6	इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स निगम लिमिटेड
	7	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
	8	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
	9	एनएमडीसी लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट
	10	(ए) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को छोड़कर)@ (बी) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में बीपीसीएल की हिस्सेदारी सीपीएसई रणनीतिक खरीदार को $
	11	पवन हंस लिमिटेड
	12	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)##
	13	मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर^; सेलम स्टील प्लांट; भद्रावती स्टील प्लांट@ - भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की इकाइयाँ
	14	आईडीबीआई बैंक
संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा चल रहे लेन-देन संसाधित किए जा रहे हैं	15	भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (विभिन्न इकाइयाँ)
	16	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
	17	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
लेन-देन रोक दिया गया क्योंकि पीएसई को बंद करने की सिफारिश/अनुमोदन किया गया था; या कोई अन्य कारण	18	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (सहायक)**
	19	स्कूटर इंडिया लिमिटेड**
	20	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड**
	21	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
	22	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयाँ (नयागांव इकाई) #
मुकदमेबाजी के कारण रुके हुए लेन-देन	23	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
एनसीएलटी में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत	24	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (सहायक) ***

रणनीतिक विनिवेश की स्थिति	क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
लेन-देन संभव नहीं	25	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
	26	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
पूरा हुए लेन-देन	27	हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (एचपीसीएल)
	28	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी)
	29	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
	30	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)
	31	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल)
	32	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
	33	उत्तर-पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड (नीपको)
	34	कामराजर पोर्ट लिमिटेड
	35	एयर इंडिया ^^
	36	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

@ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त बोलीदाताओं की रुचि की कमी के कारण ईओआई प्रक्रिया रद्द कर दी गई

$ लेनदेन पूरा हो गया

^ फिलहाल लेनदेन रोक दिया गया है।

##सफल बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और लेनदेन समाप्त कर दिया गया है

***सरकार ने कंपनी को बंद करने की मंज़ूरी दे दी है।*

 # लेनदेन संभव नहीं है और खदानें राज्य सरकारों को वापस की जा रही हैं

****एनसीएलटी, कोच्चि द्वारा दिनांक 29.01.2021 के आदेश के तहत अनुमोदित केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) की समाधान योजना वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है।*

^^एआईएएचएल के पास जो सहायक कंपनियाँ हैं, उनका विनिवेश अभी भी किया जाना है

अनुलग्नक-XXIII (पैरा संख्या 5.2 देखें)

लाभ कमाने वाले सीपीएसई

क्र. सं.	संबंधित समूह/सीपीएसई	वर्ष 2021-22 के लिए लाभ (₹ करोड़ में)
	₹500 करोड़ से अधिक लाभ वाली कंपनी	
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	40,305.74
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24,184.10
3	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	17,093.76
4	एनटीपीसी लिमिटेड	16,111.42
5	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	12,015.04
6	कोल इंडिया लिमिटेड	11,201.57
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	10,363.97
8	आरईसी लिमिटेड	10,045.92
9	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10,021.90
10	एनएमडीसी लिमिटेड	9,398.48
11	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,788.73
12	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	8,480.50
13	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6,394.78
14	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,382.63
15	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	6,089.84
16	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	5,086.50
17	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4,857.05
18	ऑयल इंडिया लिमिटेड	3,887.31
19	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	3,561.56
20	एनएचपीसी लिमिटेड	3,537.71
21	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2,955.27
22	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	2,951.97
23	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2,348.93
24	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,716.60
25	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,696.92
26	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,544.87
27	ओएनजीसी लिमिटेड	1,493.93
28	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,342.42
29	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1,236.78
30	रेल विकास निगम लिमिटेड	1,087.21
31	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	1,062.34
32	एसजेवीएन लिमिटेड	977.52
33	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	942.41

क्र. सं.	संबंधित समूह/सीपीएसई	वर्ष 2021-22 के लिए लाभ (₹ करोड़ में)
34	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	913.19
35	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	894.78
36	भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड	892.17
37	ईसीजीसी लिमिटेड	875.16
38	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	837.12
39	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	794.79
40	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	704.36
41	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	690.53
42	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	689.19
43	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	663.69
44	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	633.53
45	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	586.57
46	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	586.47
47	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	576.72
48	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	555.57
49	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	547.34
50	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	544.32
51	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	514.25
52	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	512.96
	₹100-500 करोड़ के बीच लाभ वाले कंपनी	
1	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	499.92
2	राइट्स लिमिटेड	497.10
3	केंद्रीय भंडारण निगम	450.56
4	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	436.99
5	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	410.24
6	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	408.23
7	कोंकण एलएनजी लिमिटेड	384.70
8	मॉयल लिमिटेड	376.99
9	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	373.78
10	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	353.28
11	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	344.41
12	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड	342.99
13	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	328.69
14	केआईओसीएल लिमिटेड .	313.41
15	गेल गैस लिमिटेड	283.36
16	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	282.12

क्र. सं.	संबंधित समूह/सीपीएसई	वर्ष 2021-22 के लिए लाभ (₹ करोड़ में)
17	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	240.32
18	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	220.78
19	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	212.29
20	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	211.28
21	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	208.34
22	एमएसटीसी लिमिटेड	200.09
23	पावर ग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	191.62
24	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	189.53
25	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	182.86
26	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	176.31
27	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	162.05
28	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	150.26
29	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड	149.84
30	बीईएमएल लिमिटेड	134.59
31	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	131.84
32	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	122.81
33	आईटीआई लिमिटेड	121.06
34	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	113.30
35	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	111.62
36	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	108.23
37	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	108.20
38	एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	105.21
39	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	101.09
	₹50-100 करोड़ के बीच लाभ वाले कंपनी	
1	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	67.64
2	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	66.62
3	भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई)	65.56
4	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	64.15
5	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	62.33
6	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	60.16
7	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड	54.19
8	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	53.03
9	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	51.28
10	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	50.78
11	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	50.42

क्र. सं.	संबंधित समूह/सीपीएसई	वर्ष 2021-22 के लिए लाभ (₹ करोड़ में)
	₹10-50 करोड़ के बीच लाभ वाले कंपनी	
1	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	48.78
2	नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड	46.17
3	रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	45.32
4	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	44.39
5	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	42.42
6	वाप्कोस लिमिटेड	40.86
7	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	40.36
8	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	40.20
9	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	40.03
10	एचएमटी लिमिटेड	38.36
11	पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	38.09
12	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	37.68
13	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	35.69
14	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	35.11
15	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	33.76
16	सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड	31.65
17	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	30.56
18	टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	30.33
19	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	27.77
20	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	25.18
21	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24.96
22	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	24.66
23	नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	24.45
24	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	23.78
25	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	22.09
26	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	21.28
27	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	20.21
28	पावर ग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन लिमिटेड	20.16
29	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	19.66
30	हूप कम्फर्ट्स लिमिटेड	19.51
31	रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड	19.34
32	एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड	17.60
33	पावर ग्रिड जवाहरपुर फ़िरोज़ाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	17.12
34	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.76
35	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनैंस ऐंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	15.92

क्र. सं.	संबंधित समूह/सीपीएसई	वर्ष 2021-22 के लिए लाभ (₹ करोड़ में)
36	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	15.33
37	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड	14.83
38	मेकॉन लिमिटेड	13.70
39	भारतीय कपास निगम लिमिटेड	13.29
40	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड	11.59
41	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	11.09
42	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	10.85
43	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	10.76
	₹5-10 करोड़ के बीच लाभ वाले कंपनी	
1	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	9.00
2	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	8.76
3	इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड	8.43
4	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	8.42
5	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	8.11
6	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	7.81
7	मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड	7.57
8	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	7.51
9	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	7.47
10	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	7.03
11	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	6.86
12	राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम.	6.20
13	पावर ग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.96
14	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	5.87
15	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	5.30
16	बेल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	5.21
17	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	5.16
	₹5 करोड़ से कम लाभ वाली कंपनी	
1	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	4.84
2	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	4.26
3	कुमारकृप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	4.16
4	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	3.89
5	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	3.74
6	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	3.15
7	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.52
8	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	2.31

क्र. सं.	संबंधित समूह/सीपीएसई	वर्ष 2021-22 के लिए लाभ (₹ करोड़ में)
9	पावर ग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.26
10	एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड	2.21
11	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2.16
12	एचएसआरसी इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड	1.91
13	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	1.90
14	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड	1.54
15	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	1.52
16	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	1.31
17	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	1.30
18	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन	1.02
19	पावर ग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.91
20	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	0.21
21	सिडकुल कॉनकॉर इन्फ्रा कंपनी लिमिटेड	0.21
22	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	0.20
23	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.16
24	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.16
25	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	0.08
26	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	0.05

क्रम सं.	विवरण	कुल कंपनी	संचयी कंपनी
1	कंपनी का मुनाफा ₹500 करोड़ से अधिक	52	52
2	कंपनी का मुनाफा ₹100-500 करोड़ के बीच	39	91
3	कंपनी का मुनाफा ₹50-100 करोड़ के बीच	11	102
4	कंपनी का मुनाफा ₹10-50 करोड़ के बीच	43	145
5	कंपनी का मुनाफा ₹5-10 करोड़ के बीच	17	162
6	5 करोड़ से कम लाभ वाली कंपनी	26	188

डीपीई के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए 188 कंपनियाँ लाभ कमाने वाली हैं। इनमें से 26 कंपनियों का लाभ ₹5 करोड़ से कम है, इसलिए वे 2022-23 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए योग्य नहीं हैं। इसलिए, 162 कंपनियों के लिए आईडीआ सैंपलिंग की गई है।

अनुलग्नक-XXIV (पैरा संख्या 5.2 देखें)

सीएसआर 2022-23 के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित समूह/सीपीएसई	वर्ष 2021-22 के लिए लाभ
	₹500 करोड़ से अधिक लाभ वाली चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	40,305.74
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24,184.10
3	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	17,093.76
4	एनटीपीसी लिमिटेड	16,281.99
5	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	12,015.04
6	कोल इंडिया लिमिटेड	11,201.57
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	10,363.97
8	आरईसी लिमिटेड	10,045.92
9	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10,021.90
10	एनएमडीसी लिमिटेड	9,447.59
11	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11,363.35
12	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	8,480.50
13	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6,394.78
14	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,382.63
15	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	6,089.84
16	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	5,086.50
17	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4,857.05
18	ऑयल इंडिया लिमिटेड	3,887.31
19	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	3,561.56
20	एनएचपीसी लिमिटेड	3,537.71
21	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2,955.27
22	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	2,951.97
23	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2,348.93
24	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,716.60
25	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,696.92
26	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,544.87
27	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	1,493.93
28	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,342.42
29	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1,236.78
30	रेल विकास निगम लिमिटेड	1,087.35
31	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	1,062.34
32	एसजेवीएन लिमिटेड	977.52

क्र. सं.	संबंधित समूह/सीपीएसई	वर्ष 2021-22 के लिए लाभ
33	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	942.41
34	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	913.19
35	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	894.78
36	भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड	892.17
37	ईसीजीसी लिमिटेड	875.16
38	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	822.39
39	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	790.11
40	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	704.36
41	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	690.53
42	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	670.00
43	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	659.55
44	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	633.53
45	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	586.57
46	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	586.47
47	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	576.72
48	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	555.57
49	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	547.15
50	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	544.32
51	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	514.25
52	एनएचडीसी लिमिटेड	512.96
	₹100-500 करोड़ के मुनाफे वाली चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	410.24
2	मॉयल लिमिटेड	376.99
3	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	373.78
4	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	346.37
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	344.41
6	केआईओसीएल लिमिटेड	313.41
7	गेल गैस लिमिटेड	283.36
8	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	282.12
9	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	220.78
10	रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	208.34
11	पावर ग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	191.62
12	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	189.53
13	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड	149.84
14	बीईएमएल लिमिटेड	134.59
15	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	131.84

क्र. सं.	संबंधित समूह/सीपीएसई	वर्ष 2021-22 के लिए लाभ
16	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	122.81
17	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	111.62
18	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	108.23
19	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	108.20
20	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	101.09
	₹50-100 करोड़ के मुनाफे वाली चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	
1	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	66.62
2	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	51.28
3	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	50.78
	₹10-50 करोड़ के मुनाफे वाली चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	
1	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	42.42
2	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	20.21
3	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड	11.59
4	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	10.85
	₹5-10 करोड़ के मुनाफे वाली चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	
1	बेलोपट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड	5.16

क्रम सं.	विवरण	चयनित कंपनी	प्रतिशत
1	₹500 करोड़ से अधिक लाभ वाली कंपनी का चयन	52/52	100%
2	₹100-500 करोड़ के लाभ वाली कंपनी का चयन	20/39	50%
3	₹50-100 करोड़ के लाभ के बीच चयनित कंपनी	3/11	25%
4	₹10-50 करोड़ के लाभ के बीच चयनित कंपनी	4/43	10%
5	₹5-10 करोड़ के लाभ के बीच चयनित कंपनी	1/17	5%
	कुल	**80/162**	

अनुलग्नक-XXV (पैरा संख्या 5.3.1 देखें)

सीएसआर समिति का गठन

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	वर्तमान सीएसआर समिति के गठन की तिथि	सीएसआर समिति में निदेशकों की कुल संख्या (स्वतंत्र निदेशकों सहित)	सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	01.05.2023	6	3
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	26.06.2023	6	3
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	हाँ	11.02.2022	8	3
4	रेल विकास निगम लिमिटेड	हाँ	10.02.2023	5	1
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	हाँ	01.01.2023	3	1
6	गेल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	25.02.2022	4	2
7	आरईसी लिमिटेड	हाँ	30.12.2022	3	1
8	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ	07.12.2021	6	4
9	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ	28.04.2022	3	3
10	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	15.12.2021	5	3
11	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	09.03.2022	6	4
12	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	01.03.2023	5	1
13	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	हाँ	07.06.2023	3	2
14	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	20.12.2021	4	2
15	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	15.01.2024	5	3
16	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	हाँ	07.12.2023	3	0
17	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ	12.07.2022	4	1
18	ऑयल इंडिया लिमिटेड	हाँ	12.07.2022	6	2
19	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ	12.11.2022	3	1
20	केआईओसीएल लिमिटेड	हाँ	21.10.2022	4	2

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	वर्तमान सीएसआर समिति के गठन की तिथि	सीएसआर समिति में निदेशकों की कुल संख्या (स्वतंत्र निदेशकों सहित)	सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
21	एनएमडीसी लिमिटेड	हाँ	20.04.2023	5	2
22	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	हाँ	01.12.2021	5	3
23	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	हाँ	05.02.2024	3	1
24	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	हाँ	29.01.2022	5	2
25	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	हाँ	22.07.2022	3	1
26	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	10.02.2023	5	3
27	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	हाँ	10.10.2023	4	2
28	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	29.10.2022	6	2
29	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	हाँ	05.08.2022	5	2
30	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	18.07.2022	5	2
31	कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ	12.11.2021	4	2
32	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	हाँ	22.07.2022	6	2
33	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	हाँ	10.01.2024	4	1
34	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	10.11.2022	3	1
35	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	हाँ	21.03.2023	3	2
36	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	हाँ	15.10.2023	4	2
37	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	हाँ	20.06.2022	3	1
38	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ	15.11.2022	8	5
39	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ	30.12.2021	5	3

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	वर्तमान सीएसआर समिति के गठन की तिथि	सीएसआर समिति में निदेशकों की कुल संख्या (स्वतंत्र निदेशकों सहित)	सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
40	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	हाँ	24.03.2023	4	2
41	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हाँ	10.02.2022	4	1
42	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	हाँ	10.02.2023	3	1
43	मॉयल लिमिटेड	हाँ	11.11.2022	4	2
44	बीईएमएल लिमिटेड	हाँ	01.11.2022	3	1

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	वर्तमान सीएसआर समिति के गठन की तिथि	सीएसआर समिति में निदेशकों की कुल संख्या (स्वतंत्र निदेशकों सहित)	सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
1	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	नहीं	29.11.2023	3	2
2	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं	13.12.2022	4	1
3	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं	21.12.2023	4	1
4	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं	04.08.2023	5	2
5	एनएचडीसी लिमिटेड	नहीं	31.10.2022	4	0
6	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	नहीं	23.12.2021	3	2
7	पावरग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं	24.01.2023	4	ना
8	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं	28.07.2023	3	0
9	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	नहीं	07.02.2024	3	0
10	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	नहीं	13.01.2022	6	2
11	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	नहीं	17.01.2022	6	4
12	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	16.11.2022	4	1

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	वर्तमान सीएसआर समिति के गठन की तिथि	सीएसआर समिति में निदेशकों की कुल संख्या (स्वतंत्र निदेशकों सहित)	सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
13	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	29.08.2022	4	1
14	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	19.09.2022	5	2
15	ईसीजीसी लिमिटेड	नहीं	24.05.2022	7	4
16	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	नहीं	नहीं गठित	नहीं	नहीं
17	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	नहीं	नहीं	ना	ना
18	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	नहीं	05.07.2023	5	2
19	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	नहीं	11.09.2022	5	2
20	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	नहीं	08.02.2022	4	1
21	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	नहीं	नहीं प्रदान किया	7	1
22	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	नहीं	23.12.2022	3	0
23	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	नहीं	24.03.2022	3	1
24	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	08.12.2022	7	1
25	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	नहीं	15.05.2023	5	1
26	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	28.10.2023	5	2
27	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	नहीं	12.09.2022	5	2
28	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	नहीं	24.06.2021	3	1
29	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	नहीं	16.01.2023	3	1
30	गेल गैस लिमिटेड	नहीं	04.12.2023	3	0
31	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	नहीं	04.04.2023	3	0
32	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	नहीं	26.07.2022	3	1

अनुलग्नक-XXVI (पैरा संख्या 5.3.2 देखें)

सीएसआर नीति का निर्माण

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति तैयार की थी और बोर्ड को इसकी सिफारिश की थी	क्या कंपनी के बोर्ड ने सीएसआर नीति को मंजूरी दी थी
1	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
2	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
3	गेल गैस लिमिटेड	हाँ	हाँ
4	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
5	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
7	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
8	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
9	रेल विकास निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
10	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	हाँ	हाँ
11	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	हाँ
12	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
13	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
14	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
15	एनएचडीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
16	गेल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	हाँ
17	आरईसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
18	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
19	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ	हाँ
20	पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
21	पावरग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
22	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
23	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	नहीं
24	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	हाँ	हाँ
25	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	हाँ
26	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
27	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
28	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
29	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
30	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ	हाँ
31	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	हाँ	हाँ
32	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति तैयार की थी और बोर्ड को इसकी सिफारिश की थी	क्या कंपनी के बोर्ड ने सीएसआर नीति को मंजूरी दी थी
33	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
34	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
35	ऑयल इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
36	ईसीजीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
37	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
38	केआईओसीएल लिमिटेड	हाँ	हाँ
39	एनएमडीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति तैयार की थी और बोर्ड को इसकी सिफारिश की थी?	क्या कंपनी के बोर्ड ने सीएसआर नीति को मंजूरी दी थी
40	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
41	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
42	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	हाँ	हाँ
43	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	हाँ	हाँ
44	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
45	ब्रहमपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	हाँ	हाँ
46	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	हाँ	हाँ
47	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
48	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	हाँ	हाँ
49	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड लिमिटेड	हाँ	हाँ
50	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	हाँ
51	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
52	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
53	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
54	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	हाँ	हाँ
55	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
56	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
57	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
58	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ	हाँ
59	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	हाँ	हाँ

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति तैयार की थी और बोर्ड को इसकी सिफारिश की थी?	क्या कंपनी के बोर्ड ने सीएसआर नीति को मंजूरी दी थी
60	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	हाँ	हाँ
61	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
62	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
63	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
64	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
65	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
66	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
67	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	हाँ	हाँ
68	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
69	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
70	मॉयल लिमिटेड	हाँ	हाँ
71	बीईएमएल लिमिटेड	हाँ	हाँ
72	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	नहीं उपयुक्त	हाँ
73	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	नहीं उपयुक्त	हाँ
74	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	कोई समिति नहीं था गठित	नहीं
75	कोल इंडिया लिमिटेड	नहीं	हाँ
76	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	नहीं	हाँ

अनुलग्नक-XXVII (पैरा संख्या 5.3.3 देखें)

वार्षिक सीएसआर योजना

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक सीएसआर कार्य योजना प्रस्तुत की गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई
1	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
2	केआईओसीएल लिमिटेड	हाँ
3	एनएमडीसी लिमिटेड	हाँ
4	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	हाँ
5	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	हाँ
6	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	हाँ
7	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
9	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	हाँ
10	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	हाँ
11	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
12	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
13	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
14	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
15	एनएचडीसी लिमिटेड	हाँ
16	गेल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
17	आरईसी लिमिटेड	हाँ
18	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ
19	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ
20	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	हाँ
21	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
22	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ
23	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
24	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	हाँ
25	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ
26	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
27	बामर एंड लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	हाँ
28	बामर एंड लॉरी कंपनी लिमिटेड	हाँ
29	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	हाँ
30	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
31	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
32	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
33	ऑयल इंडिया लिमिटेड	हाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक सीएसआर कार्य योजना प्रस्तुत की गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई
34	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ
35	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
36	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	हाँ
37	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	हाँ
38	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	हाँ
39	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	हाँ
40	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
41	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	हाँ
42	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	हाँ
43	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
44	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
45	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	हाँ
46	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ
47	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
48	कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ
49	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	हाँ
50	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	हाँ
51	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	हाँ
52	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
53	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	हाँ
54	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	हाँ
55	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	हाँ
56	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ
57	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ
58	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हाँ
59	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	हाँ
60	मॉयल लिमिटेड	हाँ
61	बीईएमएल लिमिटेड	हाँ
62	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	ना
63	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	लागू नहीं
64	रेल विकास निगम लिमिटेड	नहीं
65	पावरग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
66	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
67	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	नहीं
68	ईसीजीसी लिमिटेड	नहीं
69	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	नहीं
70	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक सीएसआर कार्य योजना प्रस्तुत की गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई
71	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	नहीं
72	गेल गैस लिमिटेड	नहीं
73	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	नहीं
74	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	नहीं
75	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	नहीं
76	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	ना

अनुलग्नक-XXVIII (पैरा संख्या 5.4.1 देखें)

पिछले वर्षों की आगे बढ़ाई गई राशि से व्यय

क्र. सं.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	अधिशेष राशि से व्यय (₹ करोड़ में)
1	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	6.23
2	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6.01
3	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	4.73
4	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	0.16
5	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.92
6	ईसीजीसी लिमिटेड	0.95
7	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	3.83
8	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.20
9	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	17.03
कुल		**43.05**

अनुलग्नक-XXIX (पैरा संख्या 5.4.1 देखें)

कुल सीएसआर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट ऑफ	पिछले वर्षों का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष निधि से कुल सीएसआर व्यय	सीएसआर व्यय और सीएसआर दायित्व के बीच अंतर
सीपीएसई ने दायित्व से अधिक खर्च किया								
1	एनएचपीसी लिमिटेड	3,607.15	72.14	60.04	0.00	12.10	127.31	115.21
2	ऑयल इंडिया लिमिटेड	1,646.44	32.93	0.00	0.00	32.93	98.21	65.28
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	22,586.95	451.74	21.98	0.00	429.76	475.89	46.14
4	कोल इंडिया लिमिटेड	354.96	7.10	0.00	0.00	7.10	42.04	34.94
5	एसजेवीएन लिमिटेड	1,822.94	36.46	0.00	0.00	36.46	59.84	23.38
6	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	9,784.12	195.68	0.00	0.18	195.86	207.97	12.11
7	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	-131.54	--	0.00	0.00	0.00	11.42	11.42
8	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	15,598.38	311.97	0.00	0.00	311.97	321.66	9.69
9	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड*	-683.34	--	0.00	0.00	0.00	8.73	8.73
10	गेल (इंडिया) लिमिटेड	8,252.64	165.05	74.27	0.00	90.78	99.10	8.32
11	आरईसी लिमिटेड	10,132.36	202.65	0.40	0.00	202.25	209.95	7.70
12	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	17,553.43	351.07	93.52	0.00	257.55	264.03	6.48
13	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6,596.77	131.94	1.39	0.00	130.55	136.87	6.32
14	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	4,441.22	88.82	0.00	8.25	97.07	103.28	6.21
15	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1,870.00	--	0.00	0.00	0.00	6.04	6.04
16	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड*	-1,301.61	--	0.00	0.00	0.00	6.01	6.01
17	एनटीपीसी लिमिटेड	15,500.18	310.00	0.00	0.00	310.00	315.32	5.32
18	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	8,586.01	171.72	13.77	0.00	157.95	162.46	4.51
19	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1,982.46	39.65	0.00	0.00	39.65	43.07	3.42

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट ऑफ	पिछले वर्षों का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष निधि से कुल सीएसआर व्यय	सीएसआर व्यय और सीएसआर दायित्व के बीच अंतर
20	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	3,545.86	70.92	10.00	0.00	60.92	64.12	3.20
21	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	422.32	8.45	0.00	0.00	8.45	11.62	3.18
22	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	1,832.20	36.64	0.00	0.00	36.64	39.54	2.90
23	रेल विकास निगम लिमिटेड	1,184.20	23.68	0.22	0.00	23.46	26.26	2.80
24	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड*	472.13	9.44	5.31	0.00	4.13	6.42	2.29
25	बीईएमएल लिमिटेड	107.54	2.15	0.00	0.00	2.15	4.28	2.13
26	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिटयूट लिमिटेड	364.78	7.30	0.00	0.00	7.30	8.92	1.62
27	एनएचडीसी लिमिटेड	930.55	18.61	0.00	0.00	18.61	20.12	1.51
28	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,730.29	134.61	2.47	0.00	132.14	133.64	1.50
29	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2,234.44	44.69	0.00	0.00	44.69	46.11	1.42
30	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	-23.15	--	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18
31	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	822.80	16.46	0.40	0.00	16.06	17.25	1.19
32	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	583.31	11.67	0.50	0.00	11.17	11.93	0.76
33	मॉयल लिमिटेड	355.31	7.11	0.00	0.00	7.11	7.74	0.63
34	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	521.52	10.43	0.00	0.00	10.43	10.99	0.56
35	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	-1,565.23	--	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33
36	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	-7.03	--	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
37	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	180.23	3.60	2.00	0.00	1.60	1.78	0.17
38	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड*	178.22	3.56	0.00	0.00	3.56	3.73	0.16
39	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	190.89	3.82	0.00	0.00	3.82	3.94	0.12

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट ऑफ	पिछले वर्षों का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष निधि से कुल सीएसआर व्यय	सीएसआर व्यय और सीएसआर दायित्व के बीच अंतर
40	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	504.77	10.10	0.00	0.00	10.10	10.12	0.03
41	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	18.28	0.37	0.00	0.00	0.37	0.37	0.0027
42	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	4.54	0.09	0.00	0.00	0.09	0.09	0.0003
43	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	139.13	2.78	0.00	0.00	2.78	2.78	0.0001
कुल		**1,44,187.43**	**2,995.39**	**286.27**	**8.43**	**2,717.54**	**3,132.70**	**415.15**

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट ऑफ	पिछले वर्षों का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष निधि से कुल सीएसआर व्यय	व्यय और दायित्व के बीच अंतर
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) का दायित्व के बराबर व्यय								
1	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	626.41	12.53	0.00	0.00	12.53	12.53	0.00
2	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	665.84	13.32	0.86	0.00	12.46	12.46	0.00
3	पावरग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	93.98	1.88	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00
4	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	64.03	1.28	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00
5	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	204.71	4.09	0.00	0.00	4.09	4.09	0.00
6	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	6.52	0.13	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00
7	केआईओसीएल लिमिटेड	294.98	5.90	0.35	0.00	5.55	5.55	0.00
8	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	228.66	4.60	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00
कुल		**2,185.14**	**43.73**	**1.21**	**0.00**	**42.52**	**42.52**	**0.00**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट ऑफ	पिछले वर्षों का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष निधि से कुल सीएसआर व्यय	सीएसआर व्यय और सीएसआर दायित्व के बीच अंतर	सीपीएसई द्वारा सीएसआर दायित्व के सापेक्ष किया गया व्यय प्रतिशत में घटाया गया (-)
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(इ)	(एफ)	(जी)	(एच)	(एच)/(एफ)* 100
सीपीएसई ने दायित्व से कम खर्च किया									
1	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	33.75	0.67	0.00	0.00	0.67	0.64	-0.04	5.22%
2	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	5.73	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	-0.11	100.00%
3	ईसीजीसी लिमिटेड	716.04	14.32	0.00	0.00	14.32	13.80	-0.52	3.61%
4	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	1,180.45	23.61	0.52	0.00	23.09	22.11	-0.98	4.26%
5	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	68.56	1.37	0.00	0.00	1.37	0.08	-1.29	94.06%
6	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	696.17	13.92	0.00	0.00	13.92	12.61	-1.31	9.41%
7	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	218.43	4.37	0.00	0.00	4.37	2.26	-2.11	48.19%
8	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	528.87	10.58	3.33	0.00	7.24	4.48	-2.76	38.10%
9	गेल गैस लिमिटेड	267.04	5.34	0.00	0.00	5.34	2.41	-2.93	54.87%
10	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	नहीं	3.76	नहीं	नहीं	3.76	0.00	-3.76	100.00%
11	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	235.70	4.71	0.50	0.00	4.21	0.35	-3.86	91.62%
12	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	205.07	4.10	0.00	0.00	4.10	0.20	-3.90	95.20%
13	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	606.74	12.13	0.00	0.00	12.13	1.82	-10.31	84.96%
14	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	2,313.54	46.27	0.00	1.79	48.06	36.12	-11.94	24.84%
15	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	898.89	17.98	4.44	0.00	13.54	0.70	-12.84	94.85%
16	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	1,260.72	25.22	0.00	0.00	25.22	9.77	-15.45	61.24%
17	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	1,263.45	25.27	0.00	0.00	25.27	7.97	-17.30	68.48%
18	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2,874.26	57.49	0.00	0.00	57.49	26.67	-30.82	53.61%

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट ऑफ	पिछले वर्षों का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष निधि से कुल सीएसआर व्यय	सीएसआर व्यय और सीएसआर दायित्व के बीच अंतर	सीपीएसई द्वारा सीएसआर दायित्व के सापेक्ष किया गया व्यय प्रतिशत में घटाया गया (-)
19	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड*	2,249.06	44.98	0.00	0.00	44.98	3.20	-41.78	92.89%
20	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7,742.46	154.85	0.00	0.00	154.85	96.11	-58.74	37.93%
21	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	4,565.41	91.31	0.00	0.00	91.31	32.31	-59.00	64.62%
22	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9,547.11	190.95	0.00	0.68	191.63	128.67	-62.96	32.85%
23	एनएमडीसी लिमिटेड	9,334.85	186.70	0.00	0.00	186.70	87.58	-99.12	53.09%
24	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,929.20	178.58	0.00	0.00	178.58	72.24	-106.34	59.55%
25	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	142.72	2.85	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	2.85	1.79	-1.06	37.13%
कुल		**55,884.22**	**1,121.45**	**8.79**	**2.47**	**1,115.13**	**563.90**	**551.23**	
कुल योग		**2,02,256.79**	**4,160.57**	**296.27**	**10.90**	**3,875.19**	**3,739.12**	**136.07**	
	*इन कंपनियों ने चालू वर्ष (2022-23) के लिए सीएसआर व्यय की रिपोर्टिंग में अधिशेष राशि को शामिल किया है।								

अनुलग्नक-XXX (पैरा संख्या 5.4.2 देखें)

श्रेणीवार सीएसआर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सीएसआर व्यय	कुल योग के कुल सीएसआर व्यय का प्रतिशत
महारत्न			
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	128.67	
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	96.11	
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	475.89	
4	गेल (इंडिया) लिमिटेड	99.10	
5	आरईसी लिमिटेड	209.95	
6	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	321.66	
7	ऑयल इंडिया लिमिटेड	98.21	
8	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	162.46	
9	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	264.03	
10	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	72.24	
11	कोल इंडिया लिमिटेड	42.04	
12	एनटीपीसी लिमिटेड	315.32	
13	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6.01	
कुल		**2,291.70**	**61.29**
नवरत्न			
1	रेल विकास निगम लिमिटेड	26.26	
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	10.12	
3	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	43.07	
4	एनएमडीसी लिमिटेड	87.58	
5	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	0.33	
6	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	39.54	
7	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	6.42	
8	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	1.82	
9	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	26.67	
10	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	9.77	
11	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	103.28	
कुल		**354.88**	**9.49**

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सीएसआर व्यय	कुल योग के कुल सीएसआर व्यय का प्रतिशत
लघु रत्न			
1	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	0.00	
2	केआईओसीएल लिमिटेड	5.55	
3	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.08	
4	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	11.42	
5	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	12.61	
6	बीईएमएल लिमिटेड	4.28	
7	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	10.99	
8	एनएचपीसी लिमिटेड	127.31	
9	एसजेवीएन लिमिटेड	59.84	
10	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	1.79	
11	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.20	
12	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	3.94	
13	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6.04	
14	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	8.73	
15	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	17.25	
16	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1.78	
17	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	64.12	
18	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	36.12	
19	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	207.97	
20	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	11.62	
21	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	22.11	
22	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	1.18	
23	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	8.92	
24	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	133.64	
25	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	46.11	
26	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	0.64	
27	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2.78	
28	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	12.53	
29	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2.26	
30	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	32.31	
31	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	4.60	
32	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	0.70	

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सीएसआर व्यय	कुल योग के कुल सीएसआर व्यय का प्रतिशत
33	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	4.48	
34	मॉयल लिमिटेड	7.74	
35	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	0.37	
36	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	11.93	
कुल		**886.94**	**23.72**
अन्य			
1	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12.46	
2	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3.73	
3	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	136.87	
4	एनएचडीसी लिमिटेड	20.12	
5	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.88	
6	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.28	
7	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	4.09	
8	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	0.13	
9	ईसीजीसी लिमिटेड	13.80	
10	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	0.09	
11	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	0.35	
12	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	7.97	
13	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	0.22	
14	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	0.20	
15	गेल गैस लिमिटेड	2.41	
16	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	0.00	
कुल		**205.60**	**5.5**
कुल योग		**3,739.12**	**100.00**

अनुलग्नक-XXXI (पैरा संख्या 5.4.2 देखें)

मंत्रालय/विभागवार सीएसआर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सीएसआर व्यय	कुल योग के कुल सीएसआर व्यय का का प्रतिशत
रेल मंत्रालय			
1	रेल विकास निगम लिमिटेड	26.26	
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	10.12	
3	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	9.77	
4	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	0.64	
5	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	12.53	
6	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2.26	
7	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	32.31	
	कुल	**93.89**	**2.51**
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय			
1	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.08	
2	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	0.37	
3	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	11.93	
4	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	0.35	
	कुल	**12.73**	**0.34**
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	128.67	
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	96.11	
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	475.89	
4	गेल (इंडिया) लिमिटेड	99.10	
5	ऑयल इंडिया लिमिटेड	98.21	
6	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	264.03	
7	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	6.42	
8	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6.04	
9	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	8.73	
10	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1.78	
11	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	64.12	

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सीएसआर व्यय	कुल योग के कुल सीएसआर व्यय का का प्रतिशत
12	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	0.13	
13	ब्रहमपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	7.97	
14	गेल गैस लिमिटेड	2.41	
	कुल	**1,259.61**	**33.69**
विद्युत मंत्रालय			
1	आरईसी लिमिटेड	209.95	
2	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	321.66	
3	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	72.24	
4	एनटीपीसी लिमिटेड	315.32	
5	एनएचपीसी लिमिटेड	127.31	
6	एसजेवीएन लिमिटेड	59.84	
7	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	22.11	
8	एनएचडीसी लिमिटेड	20.12	
9	पावरग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.88	
10	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.28	
	कुल	**1,151.72**	**30.80**
इस्पात मंत्रालय			
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	162.46	
2	एनएमडीसी लिमिटेड	87.58	
3	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	0.33	
4	केआईओसीएल लिमिटेड	5.55	
5	मॉयल लिमिटेड	7.74	
	कुल	**263.66**	**7.05**
कोयला मंत्रालय			
1	कोल इंडिया लिमिटेड	42.04	
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	43.07	
3	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	11.42	
4	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	36.12	
5	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	207.97	

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सीएसआर व्यय	कुल योग के कुल सीएसआर व्यय का का प्रतिशत
6	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	11.62	
7	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिटयूट लिमिटेड	8.92	
8	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	133.64	
9	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	46.11	
	कुल	**540.92**	**14.47**
भारी उद्योग मंत्रालय			
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6.01	
2	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	0.09	
	कुल	**6.10**	**0.16**
रक्षा मंत्रालय			
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	26.67	
2	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	103.28	
3	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	12.61	
4	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	3.94	
5	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	4.60	
6	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	0.22	
7	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	0.00	
8	बीईएमएल लिमिटेड	4.28	
	कुल	**155.60**	**4.16**
परमाणु ऊर्जा विभाग			
1	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	10.99	
2	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12.46	
3	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3.73	
4	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	136.87	
	कुल	**164.05**	**4.39**
खान मंत्रालय			
1	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	39.54	
2	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	1.79	
3	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	1.18	
	कुल	**42.51**	**1.14**

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सीएसआर व्यय	कुल योग के कुल सीएसआर व्यय का का प्रतिशत
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय			
1	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	1.82	
2	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	17.25	
	कुल	**19.07**	**0.51**
नागर विमानन मंत्रालय			
1	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	4.09	
	कुल	**4.09**	**0.11**
अन्य			
1	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	0.00	
2	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.20	
3	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2.78	
4	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	0.70	
5	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	4.48	
6	ईसीजीसी लिमिटेड	13.80	
7	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	0.20	
	कुल	**25.17**	**0.67**

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय	कुल सीएसआर व्यय का प्रतिशत
रेल मंत्रालय	7	93.89	2.51
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	4	12.73	0.34
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	14	1,259.61	33.69
विद्युत मंत्रालय	10	1,151.72	30.80
इस्पात मंत्रालय	5	263.66	7.05
कोयला मंत्रालय	9	540.92	14.47
भारी उद्योग मंत्रालय	2	6.10	0.16
रक्षा मंत्रालय	8	155.60	4.16
परमाणु ऊर्जा विभाग	4	164.05	4.39
खान मंत्रालय	3	42.51	1.14
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	2	19.07	0.51
नागर विमानन मंत्रालय	1	4.09	0.11
अन्य	7	25.17	0.67
कुल योग	**76**	**3,739.12**	**100.00**

अनुलग्नक-XXXII (पैरा संख्या 5.4.3 देखें)

सीपीएसई का उच्च से निम्न तक सीएसआर व्यय

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	व्यय (₹ करोड़ में)	कुल सीएसआर व्यय का प्रतिशत
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	475.89	12.73
2	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	321.66	8.60
3	एनटीपीसी लिमिटेड	315.32	8.43
4	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	264.03	7.06
5	आरईसी लिमिटेड	209.95	5.61
6	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	207.97	5.56
7	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	162.46	4.34
8	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	136.87	3.66
9	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	133.64	3.57
10	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	128.67	3.44
11	एनएचपीसी लिमिटेड	127.31	3.40
12	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	103.28	2.76
13	गेल (इंडिया) लिमिटेड	99.10	2.65
14	ऑयल इंडिया लिमिटेड	98.21	2.63
15	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	96.11	2.57
16	एनएमडीसी लिमिटेड	87.58	2.34
17	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	72.24	1.93
18	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	64.12	1.71
19	एसजेवीएन लिमिटेड	59.84	1.60
20	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	46.11	1.23
21	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	43.07	1.15
22	कोल इंडिया लिमिटेड	42.04	1.12
23	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	39.54	1.06
24	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	36.12	0.97
25	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	32.31	0.86
26	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	26.67	0.71
27	रेल विकास निगम लिमिटेड	26.26	0.70
28	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	22.11	0.59
29	एनएचडीसी लिमिटेड	20.12	0.54
30	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	17.25	0.46
31	ई सी जी सी लिमिटेड	13.80	0.37
32	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	12.61	0.34
33	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	12.53	0.34
34	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12.46	0.33

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	व्यय (₹ करोड़ में)	कुल सीएसआर व्यय का प्रतिशत
35	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	11.93	0.32
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	11.62	0.31
37	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	11.42	0.31
38	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	10.99	0.29
39	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	10.12	0.27
40	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	9.77	0.26
41	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	8.92	0.24
42	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	8.73	0.23
43	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	7.97	0.21
44	मॉयल लिमिटेड	7.74	0.21
45	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	6.42	0.17
46	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6.04	0.16
47	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6.01	0.16
48	केआईओसीएल लिमिटेड	5.55	0.15
49	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	4.60	0.12
50	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	4.48	0.12
51	बीईएमएल लिमिटेड	4.28	0.11
52	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	4.09	0.11
53	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	3.94	0.11
54	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3.73	0.10
55	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.20	0.09
56	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	1.79	0.05
57	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2.78	0.07
58	गेल गैस लिमिटेड	2.41	0.06
59	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2.26	0.06
60	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.88	0.05
61	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	1.82	0.05
62	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1.78	0.05
63	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.28	0.03
64	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	1.18	0.03
65	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	0.70	0.02
66	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	0.64	0.02
67	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	0.37	0.01
68	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	0.35	0.01
69	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	0.33	0.01
70	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	0.22	0.01
71	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	0.20	0.01

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	व्यय (₹ करोड़ में)	कुल सीएसआर व्यय का प्रतिशत
72	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	0.13	0.00
73	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	0.09	0.00
74	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.08	0.00
75	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	0.00	0.00
76	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	0.00	0.00
कुल		**3,739.12**	**100.00**

अनुलग्नक-XXXIII (पैरा संख्या 5.4.4 देखें)
अव्ययित एवं निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की गई राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	अप्रयुक्त खाते में हस्तांतरित	हस्तांतरण की तिथि	अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण	हस्तांतरण की तिथि
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	26.69	30.04.2023	0.00	
2	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	51.73	29.04.2023	0.00	
3	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2.50	18.04.2023	0.00	
4	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	2.44	28.04.2023	0.00	
5	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	0.51	22.06.2023	0.00	
6	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	1.06	29.04.2023	0.00	
7	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	1.51	27.04.2023	0.00	
8	केआईओसीएल लिमिटेड	1.96	29.04.2023	0.00	
9	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	0.11	27.04.2023	0.00	
10	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.54	04.05.2023	0.34	26.04.2023
11	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	0.98	26.04.2023	0.00	
12	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1.32	27.04.2023	0.0023	उपलब्ध नहीं कराया गया
13	ईसीजीसी लिमिटेड	1.51	21.04.2023	0.04	21.04.2023
14	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2.11	25.04.2023	0.00	
15	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	2.76	24.04.2023	0.00	
16	गेल गैस लिमिटेड	2.89	27.04.2023	0.03	उपलब्ध नहीं कराया गया
17	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	3.76		0.00	
18	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	3.86	28.04.2023	0.00	
19	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	3.90	30.04.2023	0.00	
20	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	5.14	26.04.2023	0.00	
21	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	10.31	28.04.2023	0.00	
22	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	12.15	28.04.2023	0.00	
23	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	12.93	28.04.2023	0.00	
24	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	15.45	29.04.2023	0.00	
25	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	17.30	29.04.2023	0.00	
26	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	30.82	28.04.2023	0.00	

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	अप्रयुक्त खाते में हस्तांतरित	हस्तांतरण की तिथि	अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण	हस्तांतरण की तिथि
27	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	26.68	29.04.2023	18.30	उपलब्ध नहीं कराया गया
28	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	58.74	28.04.2023	0.00	
29	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	59.00	29.04.2023	0.00	
30	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	79.99	29.04.2023	0.00	
31	एनएमडीसी लिमिटेड	99.12	29.04.2023	0.00	
32	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	106.34	28.04.2023	0.00	
33	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	2.92	26.04.2023	0.00	
34	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	0.00		0.04	02.06.2023
	कुल	**649.04**		**18.75**	

शून्य हस्तांतरण राशि

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	अप्रयुक्त खाते में हस्तांतरण (₹ करोड़ में)	अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण
1	एनएचपीसी लिमिटेड	0.00	0.00
2	ऑयल इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00
3	कोल इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00
4	एसजेवीएन लिमिटेड	0.00	0.00
5	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	0.00	0.00
6	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	0.00	0.00
8	आरईसी लिमिटेड	0.00	0.00
9	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00
10	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00
11	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	0.00	0.00
12	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00
13	एनटीपीसी लिमिटेड	0.00	0.00
14	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00
15	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	0.00	0.00
16	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	0.00	0.00
17	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00
18	रेल विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00
19	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	0.00	0.00
20	एनएचडीसी लिमिटेड	0.00	0.00
21	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	0.00	0.00

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	अप्रयुक्त खाते में हस्तांतरण (₹ करोड़ में)	अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण
22	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	0.00	0.00
23	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	0.00	0.00
24	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00
25	मॉयल लिमिटेड	0.00	0.00
26	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	0.00	0.00
27	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	0.00	0.00
28	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	0.00	0.00
29	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00
30	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	0.00	0.00
31	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	0.00	0.00
32	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	0.00	0.00
33	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00
34	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	0.00	0.00
35	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.00	0.00
36	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	0.00	0.00
37	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00
38	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	0.00	0.00
39	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.00
40	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.00
41	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00
42	बीईएमएल लिमिटेड	0.00	0.00

अप्रयुक्त खाते और निर्दिष्ट निधि दोनों में हस्तांतरित की गई राशि					
क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	अप्रयुक्त खाते में हस्तांतरण (₹ करोड़ में)	हस्तांतरण की तिथि	अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण (₹ करोड़ में)	हस्तांतरण की तिथि
1	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.54	04.05.2023	0.339	26.04.2023
2	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1.32	27.04.2023	0.0023	उपलब्ध नहीं कराया
3	ईसीजीसी लिमिटेड	1.51	21.04.2023	0.0369	21.04.2023
4	गेल गैस लिमिटेड	2.89	27.04.2023	0.0337	उपलब्ध नहीं कराया
5	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	26.68	29.04.2023	18.30	उपलब्ध नहीं कराया

केवल निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित की गई राशि					
क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	अप्रयुक्त खाते में हस्तांतरण (₹ करोड़ में)	हस्तांतरण की तिथि	अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण (₹ करोड़ में)	हस्तांतरण की तिथि
1	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	0.00		0.04	02.06.2023
निर्धारित समय सीमा के बाद अप्रयुक्त खाते में हस्तांतरित की गई राशि					
क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	अप्रयुक्त खाते में हस्तांतरण (₹ करोड़ में)	हस्तांतरण की तिथि	अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण (₹ करोड़ में)	हस्तांतरण की तिथि
1	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	0.51	22.06.2023	0.00	
2	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.54	04.05.2023	0.34	26.04.2023

अनुलग्नक-XXXIV (पैरा संख्या 5.4.5 देखें)

प्रशासनिक उपरिव्यय और प्रभाव आकलन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक व्यय	प्रभाव आकलन व्यय	कुल व्यय
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	22.21	0.00	22.21
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12.56	0.24	12.80
3	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10.83	0.32	11.15
4	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6.82	0.00	6.82
5	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	6.27	0.17	6.44
6	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	6.11	0.09	6.20
7	एनएमडीसी लिमिटेड	5.67	0.24	5.91
8	आरईसी लिमिटेड	5.30	0.34	5.64
9	एनएचपीसी लिमिटेड	5.15	0.12	5.27
10	गेल (इंडिया) लिमिटेड	4.49	0.49	4.98
11	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.82	0.25	4.07
12	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.93	0.09	3.02
13	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2.74	0.00	2.74
14	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2.09	0.14	2.23
15	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1.98	0.00	1.98
16	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	1.72	0.00	1.72
17	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	1.34	0.07	1.41
18	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	1.19	0.00	1.19
19	एनएचडीसी लिमिटेड	0.96	0.05	1.01
20	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	0.75	0.14	0.89
21	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	0.73	0.02	0.75
22	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	0.50	0.17	0.67
23	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	0.32	0.00	0.32
24	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.29	0.00	0.29
25	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0.29	0.00	0.29
26	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	0.27	0.00	0.27
27	कोल इंडिया लिमिटेड	0.27	0.06	0.33
28	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	0.27	0.00	0.27
29	रेल विकास निगम लिमिटेड	0.22	0.00	0.22
30	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	0.19	0.00	0.19
31	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.17	0.00	0.17
32	एसजेवीएन लिमिटेड	0.14	0.19	0.34

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक व्यय	प्रभाव आकलन व्यय	कुल व्यय
33	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	0.07	0.00	0.07
34	ईसीजीसी लिमिटेड	0.06	0.04	0.10
35	मॉयल लिमिटेड	0.03	0.00	0.03
36	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	0.01	0.01	0.02
37	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	0.0096	0.00	0.0096
38	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.0065	0.0053	0.0118
39	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	0.0017	0.00	0.0017
40	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	-0.0687	0.00	-0.0687
1	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.09	0.09
2	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	0.00	0.05	0.05
3	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	0.00	0.04	0.04
4	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	0.00	0.04	0.04
5	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	0.00	0.01	0.01
6	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
7	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
8	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
9	पावरग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
10	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
11	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
12	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
13	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
14	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
15	ऑयल इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
16	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
17	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
18	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
19	केआईओसीएल लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
20	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
21	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
22	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
23	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
24	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
25	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
26	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक व्यय	प्रभाव आकलन व्यय	कुल व्यय
27	गेल गैस लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
28	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
29	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
30	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
31	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
32	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
33	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
34	एनटीपीसी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
35	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
36	बीईएमएल लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
कुल		108.70	3.48	112.18
** एनएसडीसी द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से सीएसआर व्यय हेतु अप्रयुक्त राशि ₹8,37,387 की वापसी को ₹1,49,465 के प्रशासनिक व्यय के सापेक्ष समायोजित किया गया है, अर्थात ₹1,49,465 - ₹8,37,387 = (-) ₹6,87,922*				
40 सीपीएसई ने प्रशासनिक व्यय पर ₹108.70 करोड़ का व्यय किया है।				
26 सीपीएसई ने प्रभाव आकलन पर ₹3.48 करोड़ का व्यय किया है।				

अनुलग्नक-XXXV (पैरा संख्या 5.4.6 देखें)

सामान्य विषय पर सीएसआर निधि का आवंटन

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या डीपीई के 10.12.2018 के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2022-23 के दौरान सीएसआर पर कुल वार्षिक व्यय का लगभग 60 प्रतिशत खर्च किया गया।	डीपीई के दिनांक 10.12.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार 2022-23 के दौरान किए गए व्यय का वास्तविक प्रतिशत
1	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ	60.69
2	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	61.06
3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	66.00
4	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	66.25
5	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	हाँ	62.11
6	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	हाँ	62.00
7	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	86.41
8	गेल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	60.86
9	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ	64.06
10	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ	68.36
11	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	69.87
12	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	हाँ	60.45
13	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	60.54
14	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ	60.95
15	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	हाँ	71.37
16	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	हाँ	63.45
17	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	हाँ	79.50
18	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	63.57
19	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	हाँ	64.00
20	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	64.73
21	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	हाँ	61.41
22	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ	60.00
23	कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ	60.98
24	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	हाँ	63.02
25	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	हाँ	63.93
26	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	हाँ	67.96
27	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ	85.86
28	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	हाँ	उपलब्ध नहीं कराया
29	आरईसी लिमिटेड	हाँ	61.00
30	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	हाँ	60.90

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या डीपीई के 10.12.2018 के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2022-23 के दौरान सीएसआर पर कुल वार्षिक व्यय का लगभग 60 प्रतिशत खर्च किया गया।	डीपीई के दिनांक 10.12.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार 2022-23 के दौरान किए गए व्यय का वास्तविक प्रतिशत
31	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	हाँ	66.00
32	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	99.00
33	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	60.25
34	बामर एंड लॉरी कंपनी लिमिटेड	हाँ	उपलब्ध नहीं कराया
35	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ	उपलब्ध नहीं कराया
36	मॉयल लिमिटेड	हाँ	61.25
जिन सीपीएसई ने सामान्य विषय पर लक्षित 60 प्रतिशत व्यय हासिल नहीं किया है			
1	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं	40.41
2	गेल गैस लिमिटेड	नहीं	45.82
3	रेल विकास निगम लिमिटेड	नहीं	43.00
4	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	नहीं	57.00
5	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं	57.12
6	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं	26.16
7	एनएचडीसी लिमिटेड	नहीं	50.20
8	केआईओसीएल लिमिटेड	नहीं	46.13
9	पावरग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं	0.00
10	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं	58.95
11	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं	47.00
12	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	नहीं	0.00
13	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	नहीं	5.50
14	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	नहीं	54.42
15	बामर एंड लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	नहीं	0.00
16	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	41.56
17	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	32.44
18	ऑयल इंडिया लिमिटेड	नहीं	18.90
19	ईसीजीसी लिमिटेड	नहीं	36.00
20	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	नहीं	0.00
21	एनएमडीसी लिमिटेड	नहीं	25.11
22	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	नहीं	12.00
23	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	नहीं	13.57
24	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	नहीं	51.17

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या डीपीई के 10.12.2018 के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2022-23 के दौरान सीएसआर पर कुल वार्षिक व्यय का लगभग 60 प्रतिशत खर्च किया गया।	डीपीई के दिनांक 10.12.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार 2022-23 के दौरान किए गए व्यय का वास्तविक प्रतिशत
25	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	नहीं	30.89
26	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	नहीं	56.55
27	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं	24.74
28	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	नहीं	51.00
29	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं
30	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	नहीं	58.00
31	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	17.02
32	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	नहीं	नहीं
33	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	नहीं	50.47
34	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	नहीं	0.00
35	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	नहीं	40.00
36	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	नहीं	52.00
37	बीईएमएल लिमिटेड	नहीं	7.73
38	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	नहीं	नहीं
39	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	ना	ना
40	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं	57.00

अनुलग्नक-XXXVI (पैरा संख्या 5.5.1 देखें)

सीपीएसई ने सभी परियोजनाओं के लिए आधारभूत सर्वेक्षण किया

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	नई परियोजनाओं/गतिविधियों की पहचान	
		वर्ष 2022-23 में शुरू की गई नई परियोजनाओं /गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत सर्वेक्षण /आवश्यकता मूल्यांकन आयोजित किया गया	वर्ष 2022-23 में शुरू की गई नई परियोजनाओं /गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत सर्वेक्षण /आवश्यकता मूल्यांकन नहीं किया गया
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	71	0
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	123	0
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	949	0
4	रेल विकास निगम लिमिटेड	20	0
5	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	75	0
6	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	0
7	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	154	0
8	आरईसी लिमिटेड	24	0
9	एनएचपीसी लिमिटेड	108	0
10	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	80	0
11	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	29	0
12	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	84	0
13	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	38	0
14	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	240	0
15	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	226	0
16	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	94	0
17	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	64	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	28	0
19	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	24	0
20	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	120	0
21	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	58	0

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	नई परियोजनाओं/गतिविधियों की पहचान	
		वर्ष 2022-23 में शुरू की गई नई परियोजनाओं /गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत सर्वेक्षण /आवश्यकता मूल्यांकन आयोजित किया गया	वर्ष 2022-23 में शुरू की गई नई परियोजनाओं /गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत सर्वेक्षण /आवश्यकता मूल्यांकन नहीं किया गया
22	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	3	0
23	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1	0
24	कोल इंडिया लिमिटेड	26	0
25	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	42	0
26	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	24	0
27	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	46	0
28	एनटीपीसी लिमिटेड	504	0
29	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	14	0
30	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	8	0
31	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	53	0
32	मॉयल लिमिटेड	18	0
33	बीईएमएल लिमिटेड	6	0
34	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21	0
	कुल	**3,381**	**0**

जिन सीपीएसई ने किसी भी परियोजना के लिए आधारभूत सर्वेक्षण नहीं कराया			
क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	नई परियोजनाओं/गतिविधियों की पहचान	
		वर्ष 2022-23 में शुरू की गई नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत सर्वेक्षण / आवश्यकता मूल्यांकन आयोजित किया गया	वर्ष 2022-23 में शुरू की गई नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत सर्वेक्षण / आवश्यकता मूल्यांकन नहीं किया गया
1	एसजेवीएन लिमिटेड	0	18
2	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	0	27
3	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	1
4	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	19
5	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	0	20
6	ऑयल इंडिया लिमिटेड	0	21
7	ईसीजीसी लिमिटेड	0	21
8	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	0	1
9	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	0	13
10	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	0	77
11	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	637
12	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	0	3
13	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	0	7
14	गेल गैस लिमिटेड	0	6
15	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	0	19
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	0	15
	कुल	**0**	**905**

जिन सीपीएसई ने आधारभूत सर्वेक्षण के साथ/बिना परियोजनाएं शुरू कीं			
क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	नई परियोजनाओं/गतिविधियों की पहचान	
		वर्ष 2022-23 में शुरू की गई नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत सर्वेक्षण/ आवश्यकता मूल्यांकन आयोजित किया गया	वर्ष 2022-23 में शुरू की गई नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत सर्वेक्षण/ आवश्यकता मूल्यांकन नहीं किया गया
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	23	22
2	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	29	28
3	एनएचडीसी लिमिटेड	36	3
4	गेल (इंडिया) लिमिटेड	41	26
5	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	2	60
6	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	2	3
7	केआईओसीएल लिमिटेड	46	2
8	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	57	34
9	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	16	16
10	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	13	1
11	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	6	7
12	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	306	4
13	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	6	28
14	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	28	2
15	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	29	2
16	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3	3
कुल		**643**	**241**

जिन सीपीएसई ने कोई परियोजना नहीं शुरू की			
क्र.सं.	**सीपीएसई का नाम**	**नई परियोजनाओं/गतिविधियों की पहचान**	
		वर्ष 2022-23 में शुरू की गई नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन आयोजित किया गया	**वर्ष 2022-23 में शुरू की गई नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत/ सर्वेक्षण आवश्यकता मूल्यांकन नहीं किया गया**
1	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0
2	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	0	0
3	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	0	0
4	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	0	0
5	एनएमडीसी लिमिटेड	0	0
6	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	0	0
7	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	0	0
8	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	0	0
9	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	0	0
10	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0
कुल		**0**	**0**

अनुलग्नक-XXXVII (पैरा संख्या 5.5.2 देखें)

कुल सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या

क्रम सं.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	इन-हाउस कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहय एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	वर्ष के लिए शुरू की गई परियोजनाओं/ गतिविधियों की कुल संख्या 2022-23
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	39	235	274
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	151	30	181
3	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	135	1016	1151
4	रेल विकास निगम लिमिटेड	4	18	22
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	13	36	49
6	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	58	0	58
7	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	75	0	75
8	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	4	9
9	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	204	84	288
10	एनएचडीसी लिमिटेड	5	37	42
11	गेल (इंडिया) लिमिटेड	16	100	116
12	आरईसी लिमिटेड	6	79	85
13	एनएचपीसी लिमिटेड	108	76	184
14	एसजेवीएन लिमिटेड	4	38	42
15	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	27	0	27
16	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	149	109	258
17	पावरग्रिड मेदनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0	0
18	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1	0	1
19	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमेटेड	41	19	60
20	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	0	0	0
21	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	16	4	20
22	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	11	21

क्रम सं.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	इन-हाउस कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाह्य एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	वर्ष के लिए शुरू की गई परियोजनाओं/ गतिविधियों की कुल संख्या 2022-23
23	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	67	0	67
24	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	4	118	122
25	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	51	11	62
26	बामर एंड लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	0	0	0
27	बामर एंड लॉरी कंपनी लिमिटेड	1	4	5
28	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	47	20	67
29	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	202	38	240
30	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	337	101	438
31	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	87	18	105
32	ऑयल इंडिया लिमिटेड	14	18	32
33	ईसीजीसी लिमिटेड	1	21	22
34	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	0	0	0
35	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	16	48	64
36	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	0	1	1
37	केआईओसीएल लिमिटेड	42	6	48
38	एनएमडीसी लिमिटेड	0	0	0
39	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1	4	5
40	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	0	91	91
41	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	8	26	34
42	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	4	9	13
43	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	5	25	30
44	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	80	11	91
45	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	7	26	33
46	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0
47	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	21	3	24
48	केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड	53	21	74
49	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	3	0	3
50	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	1	29	30
51	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	273	193	466
52	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	148	33	181

क्रम सं.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	इन-हाउस कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाह्य एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	वर्ष के लिए शुरू की गई परियोजनाओं/ गतिविधियों की कुल संख्या 2022-23
53	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	0	0	0
54	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	6	28	34
55	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	47	58	105
56	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	3	1	4
57	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	4	4	8
58	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0	1	1
59	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13	17	30
60	गेल गैस लिमिटेड	0	6	6
61	कोल इंडिया लिमिटेड	0	51	51
62	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	30	1	31
63	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड	2	0	2
64	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	4	38	42
65	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	23	24
66	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	3	16	19
67	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	1	45	46
68	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	8	7	15
69	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	8	6	14
70	एनटीपीसी लिमिटेड	0	519	519
71	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	14	0	14
72	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	0	13	13
73	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	27	30	57
74	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0	0
75	मॉयल लिमिटेड	17	4	21
76	बीईएमएल लिमिटेड	2	6	8
कुल		**2,730**	**3,645**	**6,375**

अनुलग्नक-XXXVIII (पैरा संख्या 5.5.2 देखें)

इन-हाउस और आउटसोर्स सीएसआर परियोजना पर डेटा

सीपीएसई जो केवल इन-हाउस परियोजनाएं ही चलाते हैं		
क्र.सं.	**सीपीएसई का नाम**	**इन-हाउस कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या**
1	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	58
2	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	75
3	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	27
4	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1
5	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	67
6	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	3
7	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	2
8	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	14
कुल		**247**

सीपीएसई जो केवल बाहरी एजेंसियों को ही परियोजनाएं आउटसोर्स करते हैं			
क्र.सं.	**सीपीएसई का नाम**	**इन-हाउस कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या**	**बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या**
1	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	0	1
2	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	0	91
3	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0	1
4	गेल गैस लिमिटेड	0	6
5	कोल इण्डिया लिमिटेड	0	51
6	एनटीपीसी लिमिटेड	0	519
7	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	0	13
कुल		**0**	**682**

सीपीएसई जिन्होंने आंतरिक और बाहरी एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाएं शुरू की।

क्र. सं.	**सीपीएसई का नाम**	**इन-हाउस कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या**	**बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या**
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	39	235
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	151	30
3	तेलएवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	135	1016
4	रेल विकास निगम लिमिटेड	4	18

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	इन-हाउस कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	13	36
6	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	4
7	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	204	84
8	एनएचडीसी लिमिटेड	5	37
9	गेल (इंडिया) लिमिटेड	16	100
10	आरईसी लिमिटेड	6	79
11	एनएचपीसी लिमिटेड	108	76
12	एसजेवीएन लिमिटेड	4	38
13	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	149	109
14	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	41	19
15	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	16	4
16	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	11
17	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	4	118
18	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	51	11
19	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1	4
20	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	47	20
21	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	202	38
22	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	337	101
23	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	87	18
24	ऑयल इंडिया लिमिटेड	14	18
25	ईसीजीसी लिमिटेड	1	21
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	16	48
27	केआईओसीएल लिमिटेड	42	6
28	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1	4
29	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	8	26
30	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	4	9
31	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	5	25
32	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	80	11
33	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	7	26
34	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	21	3
35	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	53	21
36	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	1	29
37	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	273	193
38	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	148	33
39	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	6	28

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	इन-हाउस कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या
40	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	47	58
41	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	3	1
42	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	4	4
43	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13	17
44	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	30	1
45	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	4	38
46	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	23
47	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	3	16
48	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	1	45
49	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	8	7
50	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	8	6
51	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	27	30
52	मॉयल लिमिटेड	17	4
53	बीईएमएल लिमिटेड	2	6
	कुल	**2,483**	**2,963**

जिन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) ने कोई परियोजना नहीं शुरू की			
क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	इन-हाउस कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या
1	पावरग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0
2	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड	0	0
3	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	0	0
4	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	0	0
5	एनएमडीसी लिमिटेड	0	0
6	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0
7	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0
8	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	0	0
कुल		**0**	**0**

अनुलग्नक-XXXIX (पैरा संख्या 5.5.2 देखें)

बाहरी एजेंसियों के चयन के तरीके पर डेटा

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निविदा के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं /गतिविधियों की संख्या	नामांकन के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं /गतिविधियों की संख्या	किसी अन्य प्रक्रिया/विधि के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की कुल संख्या
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	235	235
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	30	30
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	0	1016	0	1016
4	रेल विकास निगम लिमिटेड	0	0	18	18
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	0	0	36	36
6	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0
7	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0
8	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	4	4
9	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	84	0	0	84
10	एनएचडीसी लिमिटेड	11	26	0	37
11	गेल (इंडिया) लिमिटेड	0	0	100	100
12	आरईसी लिमिटेड	0	79	0	79
13	एनएचपीसी लिमिटेड	0	0	76	76
14	एसजेवीएन लिमिटेड	3	35	0	38
15	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	0	0	0	0
16	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	109	109
17	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0	0	0
18	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0	0	0
19	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	19	19
20	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	0	0	0	0
21	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	0	4	0	4
22	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	5	4	11

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निविदा के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं /गतिविधियों की संख्या	नामांकन के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं /गतिविधियों की संख्या	किसी अन्य प्रक्रिया/विधि के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की कुल संख्या
23	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0
24	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	0	118	0	118
25	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0	0	11	11
26	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	0	0	0	0
27	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	0	2	2	4
28	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	0	0	20	20
29	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	0	0	38	38
30	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	0	0	101	101
31	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	0	18	0	18
32	ऑयल इंडिया लिमिटेड	3	15	0	18
33	ईसीजीसी लिमिटेड	0	0	21	21
34	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	0	0	0	0
35	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	10	0	38	48
36	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	0	0	1	1
37	केआईओसीएल लिमिटेड	0	0	6	6
38	एनएमडीसी लिमिटेड	0	0	0	0
39	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	0	4	0	4
40	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	0	0	91	91
41	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	13	9	4	26
42	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	0	9	0	9
43	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	0	0	25	25
44	ब्रहमपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	0	0	11	11
45	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	20	6	0	26
46	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0
47	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	2	1	0	3
48	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिटयूट लिमिटेड	0	21	0	21

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निविदा के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं /गतिविधियों की संख्या	नामांकन के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं /गतिविधियों की संख्या	किसी अन्य प्रक्रिया/विधि के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की कुल संख्या
49	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	0	0	0	0
50	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	1	0	28	29
51	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	193	0	193
52	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	0	33	0	33
53	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	0	0	0	0
54	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	0	0	28	28
55	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	0	58	0	58
56	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	0	0	1	1
57	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	4	0	0	4
58	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0	0	1	1
59	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	17	17
60	गेल गैस लिमिटेड	0	0	6	6
61	कोल इंडिया लिमिटेड	0	0	51	51
62	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1	0	0	1
63	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	0	0	0	0
64	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	0	0	38	38
65	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	23	23
66	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	0	0	16	16
67	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	0	45	0	45
68	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	2	1	4	7
69	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0	6	0	6
70	एनटीपीसी लिमिटेड	476	43	0	519
71	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	0	0	0	0
72	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	0	1	12	13

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निविदा के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं /गतिविधियों की संख्या	नामांकन के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं /गतिविधियों की संख्या	किसी अन्य प्रक्रिया/विधि के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की कुल संख्या
73	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	0	30	0	30
74	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0
75	मॉयल लिमिटेड	4	0	0	4
76	बीईएमएल लिमिटेड	0	0	6	6
कुल		**636**	**1,778**	**1,231**	**3,645**

अनुलग्नक-XL (पैरा संख्या 5.5.3 देखें)
फोकस क्षेत्र-अनुसूची VII के अनुसार

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	(i) स्वास्थ्य	(ii) शिक्षा	(iii) लैंगिक समानता	(iv) पर्यावरण	(v) राष्ट्रीय धरोहर	(vi) सशस्त्र बल	(vii) खेल	(viii) निधि		मद (ix)		(x) ग्रामीण विकास	(xi) स्लम क्षेत्र	मद xii (आपदा प्रबंधन)		कुल
									पीएम केयर	पीएम एनआरएफ	इनक्यूबेटर	विश्वविद्यालय			पुनर्वास	एसडीएमए	
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,489.47	2,441.97	0.00	133.06	0.00	0.00	395.85	0.00	0.00	793.00	0.00	206.91	0.00	0.00	0.00	12,460.26
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,654.03	4,762.32	7.95	1,133.86	541.19	77.79	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.60	68.33	0.00	0.00	9,309.13
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	14,111.90	12,907.70	2,397.80	1,351.00	283.00	6.50	209.50	10,000.00	0.00	1,943.50	0.00	1,616.30	2,660.80	101.20	0.00	47,589.20
4	रेल विकास निगम लिमिटेड	1,127.04	1,137.16	120.00	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.01
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	453.73	260.41	44.59	46.53	0.00	0.00	0.00	153.04	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	10.67	0.00	985.47
6	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	611.70	194.32	63.53	40.97	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.71	0.00	0.00	0.00	1,072.05
7	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	712.00	81.00	1.00	0.00	0.00	1.00	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	1,245.57
8	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	322.09	14.87	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00	372.73
9	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,600.41	4,668.47	0.00	186.57	0.00	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.67	0.00	1,000.00	0.00	13,686.02
10	एनएचडीसी लिमिटेड	1,010.15	638.79	0.00	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.85	0.00	0.00	0.00	1,911.00
11	गेल (इंडिया) लिमिटेड	2,742.09	2,020.45	636.77	3,569.00	171.32	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.99	0.00	109.56	0.00	9,411.68
12	आरईसी लिमिटेड	7,359.00	2,312.00	86.00	2,379.00	0.00	0.00	3,050.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	20,431.00
13	एनएचपीसी लिमिटेड	1,620.67	6,651.59	30.82	137.05	464.89	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	196.70	0.00	72.66	0.00	12,204.38
14	एसजेवीएन लिमिटेड	1,035.64	556.23	307.01	1,884.69	188.93	11.29	42.29	1,200.00	0.00	0.00	0.00	699.05	3.00	56.24	0.00	5,984.37
15	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	109.14	28.67	0.00	12.70	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	18.20	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.31

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	(i) स्वास्थ्य	(ii) शिक्षा	(iii) लैंगिक समानता	(iv) पर्यावरण	(v) राष्ट्रीय धरोहर	(vi) सशस्त्र बल	(vii) खेल	(viii) निधि		मद (ix)		(x) ग्रामीण विकास	(xi) स्लम क्षेत्र	मद xii (आपदा प्रबंधन)		कुल
									पीएम केयर	पीएम एनआरएफ	इनक्यूबेटर	विश्वविद्यालय			पुनर्वास	एसडीएमए	
16	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12,999.88	3,658.39	28.83	207.02	48.76	0.00	152.27	10,500.00	0.00	0.00	1,797.60	1,503.80	0.00	154.42	0.00	31,050.97
17	पावरग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.95
18	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.07
19	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	197.07	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00	320.73
20	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.40
21	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	275.32	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.06
22	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	136.57	194.50	27.50	0.00	0.00	0.00	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.36
23	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	131.59	390.85	116.62	70.20	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.26	0.00	0.00	0.00	872.42
24	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	858.02	491.99	49.75	69.42	32.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	138.43	0.00	0.00	0.00	1,649.61
25	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1,347.88	2,487.04	0.00	0.00	2.00	5.00	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	206.14	0.00	8.20	0.00	4,109.14
26	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04
27	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	25.27	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.27
28	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	3,287.49	983.23	33.66	86.93	76.12	2.00	781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	827.33	0.00	0.00	161.50	6,239.79
29	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,501.39	973.35	2.99	138.98	3.89	0.00	593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	256.37	0.00	1.50	0.00	3,471.52
30	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	8,451.76	5,660.01	95.05	1,182.44	304.79	0.00	1,139.54	0.00	0.00	17.54	0.00	3,944.50	0.00	0.00	0.00	20,795.63
31	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	376.78	469.88	38.34	5.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	237.36	0.00	32.68	0.00	1,164.24
32	ऑयल इंडिया लिमिटेड	1,856.00	4,332.00	345.00	360.00	6.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	9,821.00
33	ईसीजीसी लिमिटेड	476.69	803.57	0.00	2.65	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.46

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	(i) स्वास्थ्य	(ii) शिक्षा	(iii) लैंगिक समानता	(iv) पर्यावरण	(v) राष्ट्रीय धरोहर	(vi) सशस्त्र बल	(vii) खेल	(viii) निधि		मद (ix)		(x) ग्रामीण विकास	(xi) स्लम क्षेत्र	मद xii (आपदा प्रबंधन)		कुल
									पीएम केयर	पीएम एनआरएफ	इनक्यूबेटर	विश्वविद्यालय			पुनर्वास	एसडीएमए	
34	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	727.24	140.18	15.98	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.13	0.00	0.00	0.00	1,193.53
36	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
37	केआईओसीएल लिमिटेड	375.60	123.93	0.00	24.20	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	554.98
38	एनएमडीसी लिमिटेड	2,199.30	3,269.94	249.92	53.04	107.48	0.00	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.67	0.00	31.63	0.00	8,002.75
39	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	4.00	12.39	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	29.06
40	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	288.14	1,039.77	22.18	54.17	76.23	0.00	5.80	400.00	0.00	0.00	0.00	235.81	0.00	0.00	0.00	2,122.10
41	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	1,966.66	208.30	3.00	25.87	519.00	0.00	105.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	4.27	3,835.85
42	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	7.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30
43	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	397.19	215.62	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	637.26
44	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	262.35	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	289.85	0.00	0.00	0.00	797.19
45	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	71.63	35.25	0.00	9.69	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	125.18
46	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,020.00	4,259.00	1,013.00	2,110.00	1192.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	24.00	0.00	15,627.00
47	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	983.13	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00	1,130.14
48	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	453.96	300.92	6.59	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.45
49	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	0.10	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.79
50	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	440.73	311.15	0.00	0.00	0.00	55.00	3.47	290.67	0.00	14.46	0.00	78.92	0.00	0.00	0.00	1,194.40
51	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15,968.78	6,008.77	33.05	1,553.81	85.46	0.00	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	904.51	0.00	155.13	0.00	25,122.94
52	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2,273.89	3,820.23	0.00	253.80	179.93	0.00	1,203.20	0.00	0.00	83.06	0.00	4,905.74	0.00	0.00	0.00	12,719.85

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	(i) स्वास्थ्य	(ii) शिक्षा	(iii) लैंगिक समानता	(iv) पर्यावरण	(v) राष्ट्रीय धरोहर	(vi) सशस्त्र बल	(vii) खेल	(viii) निधि		मद (ix)		(x) ग्रामीण विकास	(xi) स्लम क्षेत्र	मद xii (आपदा प्रबंधन)		कुल
									पीएम केयर	पीएम एनआरएफ	इनक्यूबेटर	विश्वविद्यालय			पुनर्वास	एसडीएमए	
53	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
54	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	160.42	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.30
55	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2,984.78	1,094.52	0.00	41.47	0.00	2.91	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	247.89	0.00	0.00	0.00	4,387.58
56	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.83
57	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	42.19	0.00	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.01
58	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.27
59	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	868.95	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194.00	0.00	0.00	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00	6,541.78
60	गेल गैस लिमिटेड	236.30	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.30
61	कोल इंडिया लिमिटेड	2,563.99	975.82	149.89	181.44	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.07	0.00	0.00	0.00	4,170.45
62	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	240.53	2,145.18	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.79
63	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	470.38	220.52	41.52	289.57	0.00	5.00	1.50	150.00	0.00	55.28	0.00	15.78	3.44	0.00	0.00	1,252.99
65	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	115.73	76.94	2.06	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.10
66	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,030.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.52
67	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	196.97	279.50	0.00	289.89	10.00	100.08	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00	977.47
68	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	312.62	117.98	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
69	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2.67	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	(i) स्वास्थ्य	(ii) शिक्षा	(iii) लैंगिक समानता	(iv) पर्यावरण	(v) राष्ट्रीय धरोहर	(vi) सशस्त्र बल	(vii) खेल	(viii) निधि		मद (ix)		(x) ग्रामीण विकास	(xi) स्लम क्षेत्र	मद xii (आपदा प्रबंधन)		कुल
									पीएम केयर	पीएम एनआरएफ	इनक्यूबेटर	विश्वविद्यालय			पुनर्वास	एसडीएमए	
70	एनटीपीसी लिमिटेड	11,553.50	2,740.34	507.25	3,807.41	180.10	0.00	1,217.38	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,996.70	0.00	1,529.75	0.00	31,532.43
71	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	39.90	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.05
72	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	324.40	64.65	0.00	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.41
73	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	2,708.10	4,861.41	199.79	827.43	0.00	0.00	285.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.78	0.00	0.00	0.00	10,323.52
74	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	500.92	45.82	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.91
75	मॉयल लिमिटेड	241.33	299.02	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.62	0.00	0.00	0.00	770.25
76	बीईएमएल लिमिटेड	6.10	393.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	428.23
	कुल	**1,31,304.07**	**93,339.74**	**6,706.99**	**23,202.28**	**4,563.55**	**469.35**	**11,957.60**	**48,182.08**	**422.44**	**2,948.75**	**1,802.60**	**33,690.31**	**2,735.57**	**3,287.64**	**165.77**	**3,64,778.74**

अनुलग्नक-XLI (पैरा संख्या 5.5.4 का संदर्भ लें)

स्थानीय क्षेत्र में किया गया सीएसआर व्यय

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया गया है	क्या कंपनी ने सीएसआर निधियों को खर्च करने के लिए अपने परिचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी थी
1	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
2	रेल विकास निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
3	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	हाँ	हाँ
4	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	हाँ
5	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
6	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
7	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
8	एनएचडीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
9	गेल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	हाँ
10	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
11	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ	हाँ
12	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
13	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
14	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
15	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	हाँ
16	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
17	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
18	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	हाँ
19	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
20	बामर एंड लॉरी कंपनी लिमिटेड	हाँ	हाँ
21	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	हाँ	हाँ
22	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
23	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
24	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
25	ऑयल इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
26	ईसीजीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
27	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
28	केआईओसीएल लिमिटेड	हाँ	हाँ
29	एनएमडीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
30	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
31	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
32	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	हाँ	हाँ
33	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	हाँ	हाँ

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया गया है	क्या कंपनी ने सीएसआर निधियों को खर्च करने के लिए अपने परिचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी थी
34	ब्रहमपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	हाँ	नहीं
35	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	हाँ	हाँ
36	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	हाँ	हाँ
37	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	हाँ	हाँ
38	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	हाँ	हाँ
39	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	हाँ
40	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
41	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
42	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
43	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	हाँ	नहीं
44	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
46	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
47	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ	हाँ
48	गेल गैस लिमिटेड	हाँ	हाँ
49	कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
50	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
51	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
52	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
53	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
54	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
55	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
56	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
57	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
58	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
59	मॉयल लिमिटेड	हाँ	हाँ
1	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	उपलब्ध नहीं कराया	उपलब्ध नहीं कराया
2	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	नहीं	लागू नहीं
3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं	हाँ
4	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	नहीं	हाँ

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया गया है	क्या कंपनी ने सीएसआर निधियों को खर्च करने के लिए अपने परिचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी थी
5	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	नहीं	नहीं
6	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	नहीं	नहीं
7	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	नहीं	नहीं
8	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	नहीं	हाँ
9	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	नहीं	नहीं
10	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं	नहीं
11	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	नहीं	हाँ
12	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	नहीं	नहीं
13	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	नहीं	हाँ
14	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	नहीं	लागू नहीं
15	बीईएमएल लिमिटेड	नहीं	नहीं
16	आरईसी लिमिटेड	नहीं	लागू नहीं
17	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	नहीं	नहीं

अनुलग्नक-XLII (पैरा संख्या 5.6 का संदर्भ लें)

सीएसआर निधि और उपयोग की निगरानी

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी की सीएसआर नीति में सीएसआर की परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की अनुवीक्षण प्रक्रिया सम्मिलित है	वर्ष के दौरान सीएसआर निधियों के उपयोग के अनुवीक्षण की आवधिकता क्या है
मासिक			
1	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हाँ	मासिक
2	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	मासिक
3	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	मासिक
4	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	मासिक
5	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	मासिक
6	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ	मासिक
7	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	हाँ	मासिक
8	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	हाँ	मासिक
9	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	हाँ	मासिक
10	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	मासिक
11	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ	मासिक
12	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	मासिक
13	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	हाँ	मासिक
14	एनएचडीसी लिमिटेड	हाँ	मासिक
15	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	मासिक
16	एनएमडीसी लिमिटेड	हाँ	मासिक
17	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	मासिक
द्विमासिक			
1	रेल विकास निगम लिमिटेड	हाँ	द्विमासिक
2	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	हाँ	द्विमासिक
त्रैमासिक			
1	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
2	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
3	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
4	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
5	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
6	कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
7	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
8	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी की सीएसआर नीति में सीएसआर की परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की अनुवीक्षण प्रक्रिया सम्मिलित है	वर्ष के दौरान सीएसआर निधियों के उपयोग के अनुवीक्षण की आवधिकता क्या है
9	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
10	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
11	एसजेवीएन	हाँ	त्रैमासिक
12	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
13	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
14	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
15	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
16	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
17	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
18	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
19	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
20	मॉयल लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
21	ईसीजीसी लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
22	गेल गैस लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
23	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
24	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	हाँ	त्रैमासिक
अर्धवार्षिक			
1	बीईएमएल लिमिटेड	हाँ	अर्धवार्षिक
2	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	हाँ	अर्धवार्षिक
3	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	हाँ	अर्धवार्षिक
वार्षिक			
1	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ	वार्षिक
2	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	वार्षिक
3	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	नहीं	वार्षिक
4	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ	वार्षिक
5	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	हाँ	वार्षिक
आवश्यकतानुसार			
1	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	हाँ	आवश्यकतानुसार
2	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ	आवश्यकतानुसार
3	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	आवश्यकतानुसार
समझौते के अनुसार			

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी की सीएसआर नीति में सीएसआर की परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की अनुवीक्षण प्रक्रिया सम्मिलित है	वर्ष के दौरान सीएसआर निधियों के उपयोग के अनुवीक्षण की आवधिकता क्या है
1	गेल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	समझौते के अनुसार
2	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	हाँ	समझौते के अनुसार
3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	समझौते के अनुसार
4	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	हाँ	समझौते के अनुसार
5	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	हाँ	समझौते के अनुसार
6	आरईसी लिमिटेड	हाँ	समझौते के अनुसार
7	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	हाँ	समझौते के अनुसार
अनिर्दिष्ट			
1	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	हाँ	अनिर्दिष्ट
2	भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ	अनिर्दिष्ट
3	ब्रहमपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	हाँ	अनिर्दिष्ट
4	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ	अनिर्दिष्ट
5	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	अनिर्दिष्ट
6	ऑयल इंडिया लिमिटेड	हाँ	अनिर्दिष्ट
7	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	नहीं	नहीं
नीतिनुसार			
1	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	नीतिनुसार
2	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	हाँ	नीतिनुसार
3	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	हाँ	नीतिनुसार
नियमित/ बारंबार/ अंतराल			
1	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	हाँ	नियमित/बारंबार/ अंतराल
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	नियमित/बारंबार/ अंतराल
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	नियमित/बारंबार/ अंतराल
4	केआईओसीएल लिमिटेड	हाँ	नियमित/बारंबार/ अंतराल
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	हाँ	नियमित/बारंबार/ अंतराल

अनुलग्नक-XLIII (पैरा संख्या 5.7.1 का संदर्भ लें)

वेबसाइट पर सीएसआर डेटा का प्रकटीकरण

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति की संरचना, तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं, यदि कोई हो, को सार्वजनिक पहुंच के लिए उनकी वेबसाइट पर प्रकट किया गया है
1	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	हाँ
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	हाँ
4	रेल विकास निगम लिमिटेड	हाँ
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	हाँ
6	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
7	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
8	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
9	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
10	एनएचडीसी लिमिटेड	हाँ
11	गेल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
12	आरईसी लिमिटेड	हाँ
13	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ
14	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ
15	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
16	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
17	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ
18	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ
19	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	हाँ
20	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ
21	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
22	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	हाँ
23	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ
24	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	हाँ
25	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
26	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
27	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
28	ऑयल इंडिया लिमिटेड	हाँ
29	ईसीजीसी लिमिटेड	हाँ

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति की संरचना, तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं, यदि कोई हो, को सार्वजनिक पहुंच के लिए उनकी वेबसाइट पर प्रकट किया गया है
30	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ
31	केआईओसीएल लिमिटेड	हाँ
32	एनएमडीसी लिमिटेड	हाँ
33	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	हाँ
34	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
35	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	हाँ
36	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	हाँ
37	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	हाँ
38	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	हाँ
39	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	हाँ
40	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	हाँ
41	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	हाँ
42	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ
43	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	हाँ
44	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
45	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
46	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
47	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
48	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ
49	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	हाँ
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
51	गेल गैस लिमिटेड	हाँ
52	कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ
53	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	हाँ
54	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	हाँ
55	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	हाँ
56	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
57	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	हाँ
58	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
59	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	हाँ
60	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ
61	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति की संरचना, तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं, यदि कोई हो, को सार्वजनिक पहुंच के लिए उनकी वेबसाइट पर प्रकट किया गया है
62	भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ
63	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	हाँ
64	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हाँ
65	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	हाँ
66	मॉयल लिमिटेड	हाँ
67	बीईएमएल लिमिटेड	हाँ
68	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	हाँ
69	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	हाँ
70	एफसीआईई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	हाँ
1	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
2	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
3	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	नहीं
4	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	नहीं
5	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	नहीं
6	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	नहीं

अनुलग्नक-XLIV (पैरा संख्या 5.7.3 का संदर्भ लें)

सीएसआर रिपोर्टिंग प्रारूप

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 'सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट' सीएसआर नीति नियम 2022 द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट/ प्रारूप के अनुसार है
1	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	हाँ
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
3	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
4	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	हाँ
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	हाँ
6	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
7	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
8	गेल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
9	आरईसी लिमिटेड	हाँ
10	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ
11	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ
12	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
13	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
14	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
15	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	हाँ
16	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ
17	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
18	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	हाँ
19	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ
20	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	हाँ
21	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
22	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
23	ऑयल इंडिया लिमिटेड	हाँ
24	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
25	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	हाँ
26	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	हाँ
27	ब्रहमपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	हाँ
28	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	हाँ
29	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	हाँ
30	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	हाँ
31	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	हाँ
32	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 'सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट' सीएसआर नीति नियम 2022 द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट/ प्रारूप के अनुसार है
33	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
34	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	हाँ
35	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
36	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ
37	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	हाँ
38	गेल गैस लिमिटेड	हाँ
39	कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ
40	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	हाँ
41	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	हाँ
42	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
43	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
44	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ
45	भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ
46	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	हाँ
47	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हाँ
48	मॉयल लिमिटेड	हाँ
49	बीईएमएल लिमिटेड	हाँ
1	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	नहीं
2	एनएचडीसी लिमिटेड	नहीं
3	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	नहीं
4	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	नहीं
5	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	नहीं
6	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
7	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	नहीं
8	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	नहीं
9	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
10	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	नहीं
11	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	नहीं
12	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	नहीं
13	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	नहीं
14	रेल विकास निगम लिमिटेड	नहीं
15	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	नहीं
16	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं
17	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	नहीं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 'सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट' सीएसआर नीति नियम 2022 द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट/ प्रारूप के अनुसार है
18	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
19	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	नहीं
20	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं
21	ईसीजीसी लिमिटेड	नहीं
22	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	नहीं
23	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	नहीं
24	केआईओसीएल लिमिटेड	नहीं
25	एनएमडीसी लिमिटेड	नहीं
26	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	नहीं
27	एनटीपीसी लिमिटेड	नहीं

अनुलग्नक-XLV (पैरा संख्या 5.7.4 का संदर्भ लें)

निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियां

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित/अर्जित की गईं
1	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	हाँ
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
3	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
4	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	हाँ
5	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
6	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
7	एनएचडीसी लिमिटेड	हाँ
8	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ
9	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ
10	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ
11	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
12	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
13	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
14	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
15	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	हाँ
16	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
17	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	हाँ
18	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
19	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ
20	कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ
21	भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ
22	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	हाँ
सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से निर्मित/ अर्जित नहीं की गई पूंजीगत परिसंपत्तियां		
1	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	नहीं
2	गेल (इंडिया) लिमिटेड	नहीं
3	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	नहीं
4	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	नहीं
5	रेल विकास निगम लिमिटेड	नहीं
6	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं
7	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं
8	आरईसी लिमिटेड	नहीं
9	एसजेवीएन लिमिटेड	नहीं
10	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	नहीं

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित/अर्जित की गईं
11	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं
12	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
13	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
14	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
15	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
16	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	नहीं
17	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	नहीं
18	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	नहीं
19	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	नहीं
20	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	नहीं
21	ऑयल इंडिया लिमिटेड	नहीं
22	ईसीजीसी लिमिटेड	नहीं
23	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	नहीं
24	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	नहीं
25	केआईओसीएल लिमिटेड	नहीं
26	एनएमडीसी लिमिटेड	नहीं
27	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	नहीं
28	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	नहीं
29	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	नहीं
30	ब्रहमपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	नहीं
31	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	नहीं
32	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	नहीं
33	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	नहीं
34	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	नहीं
35	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	नहीं
36	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
37	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	नहीं
38	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	नहीं
39	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	नहीं
40	गेल गैस लिमिटेड	नहीं
41	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	नहीं
42	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	नहीं
43	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं
44	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं
45	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	नहीं
46	एनटीपीसी लिमिटेड	नहीं

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित/अर्जित की गईं
47	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	नहीं
48	बीईएमएल लिमिटेड	नहीं
49	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	नहीं
50	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	नहीं
51	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	नहीं
52	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	नहीं
53	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
54	मॉयल लिमिटेड	नहीं

अनुलग्नक-XLVI (पैरा संख्या 5.7.5 का संदर्भ लें)

प्रभाव आकलन

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी ने उन सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से करवाया है, जिनकी अनुमानित लागत एक करोड़ रुपए या उससे अधिक है और जिन्हें प्रभाव मूल्यांकन किए जाने से कम से कम एक वर्ष पूर्व पूरा किया जा चुका है
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	हाँ
4	रेल विकास निगम लिमिटेड	हाँ
5	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
6	एनएचडीसी लिमिटेड	हाँ
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
8	आरईसी लिमिटेड	हाँ
9	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ
10	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ
11	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
12	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ
13	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
14	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
15	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
16	ऑयल इंडिया लिमिटेड	हाँ
17	ईसीजीसी लिमिटेड	हाँ
18	एनएमडीसी लिमिटेड	हाँ
19	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
20	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
21	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
22	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
23	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	हाँ
24	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
25	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हाँ
26	भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ
27	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	हाँ
28	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	हाँ
29	कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी ने उन सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से करवाया है, जिनकी अनुमानित लागत एक करोड़ रुपए या उससे अधिक है और जिन्हें प्रभाव मूल्यांकन किए जाने से कम से कम एक वर्ष पूर्व पूरा किया जा चुका है
1	एनटीपीसी लिमिटेड	शून्य
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	लागू नहीं
3	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	लागू नहीं
4	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं
5	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य
6	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	लागू नहीं
7	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	लागू नहीं
8	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं
9	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	नहीं
10	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं
11	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	लागू नहीं
12	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
13	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	लागू नहीं
14	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	लागू नहीं
15	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं
16	मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	लागू नहीं
17	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं
18	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं
19	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	लागू नहीं
20	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लागू नहीं
21	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	लागू नहीं
22	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	लागू नहीं
23	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	लागू नहीं
24	केआईओसीएल लिमिटेड	लागू नहीं
25	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	लागू नहीं
26	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	लागू नहीं
27	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	लागू नहीं
28	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं
29	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं
30	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	लागू नहीं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी ने उन सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से करवाया है, जिनकी अनुमानित लागत एक करोड़ रुपए या उससे अधिक है और जिन्हें प्रभाव मूल्यांकन किए जाने से कम से कम एक वर्ष पूर्व पूरा किया जा चुका है
31	गेल गैस लिमिटेड	लागू नहीं
32	बेल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	लागू नहीं
33	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	नहीं
34	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	लागू नहीं
35	मॉयल लिमिटेड	लागू नहीं
36	बीईएमएल लिमिटेड	लागू नहीं
37	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	लागू नहीं
38	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं
39	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	नहीं
40	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	लागू नहीं
41	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	लागू नहीं
42	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं
43	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं
44	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	लागू नहीं
45	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	लागू नहीं
46	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	लागू नहीं
47	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	लागू नहीं

अनुलग्नक-XLVII (पैरा संख्या 6.1.2 का संदर्भ लें)
डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार समझौता ज्ञापन मापदंड और अंकन प्रतिमान

	2021-22		2022-23	
क्रम सं.	मापदंड	अंक	मापदंड	अंक
1	परिचालन से राजस्व (₹ करोड़)	5	परिचालन से राजस्व (₹ करोड़)	5
2	परिसंपत्ति आवर्त अनुपात (%)	5	परिसंपत्ति आवर्त अनुपात (%)	5
3	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	10	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	10
4	निवल संपत्ति पर रिटर्न (%)	10	निवल संपत्ति पर रिटर्न (%) या प्रयुक्त पूंजी पर रिटर्न	15
5	प्रयुक्त पूंजी पर रिटर्न (%)	5	टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की स्वीकृति/ अस्वीकृति	5
6	बाजार पूंजीकरण/ लाभांश भुगतान सहित शेयर मूल्य में क्षेत्रीय सूचकांक पर वार्षिक आधार पर सुधार, (सूचीबद्ध सीपीएसई के– हेतु) (%) अथवा प्रति शेयर आय (गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई हेतु)	15	प्रति शेयर आय (गैर-सूचीबद्ध के लिए) (₹) अथवा शेयरधारकों को कुल रिटर्न (सूचीबद्ध हेतु) (%)	15
7	भौतिक निर्गत	20	भौतिक निर्गत	20
8	परिचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्य	5	परिचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्य	3
9	(i) कैपेक्स (₹ करोड़)	10	कैपेक्स (₹ करोड़)	10
	(ii) तीसरी तिमाही (₹ करोड़) के अंत तक कैपेक्स उपलब्धि	3		
10	अनुसंधान एवं विकास/ नवाचार, पहल पर व्यय पीबीटी के प्रतिशत के रूप में (%)	2	अनुसंधान एवं विकास/ नवाचार, पहल पर व्यय पीबीटी के प्रतिशत के रूप में (%)	2
11	परिचालन से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में निर्यात	5	परिचालन से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में निर्यात	4
12	परिचालन से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में आयात	5	परिचालन से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में आयात	4
13	-	-	कुल प्रापण के % के रूप में जीईएम पोर्टल से प्रापण	2

इसके अतिरिक्त कुछ अनुपालन मापदंड थे अर्थात जीईएम पोर्टल से प्रापण (केवल 2021-22 के लिए), चयनित मामलों पर डीपीई दिशानिर्देश, कंपनी अधिनियम, 2013 {अथवा सेबी (एलओडीआर) विनियमों का अनुपालन}, डीआईपीएएम/ नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य, एमएसएमई से प्रापण, सीपीएसई में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल। इन मापदंडों का अनुपालन न करने की स्थिति में अंकों की कटौती होगी।

अनुलग्नक-XLVIII
(पैरा संख्या 6.3.1.1 का संदर्भ लें)

वर्ष 2021-22 के लिए सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का विवरण

क्रमांक	सीपीएसई का नाम	आईएमसी बैठक की तिथि (1)	आईएमसी बैठक के कार्यवृत जारी करने की तिथि (2)	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि (3)	कॉलम 2 और 3 के मध्य अंतर (दिनों में) (4)
1	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	19.08.2021	25.08.2021	08.02.2022	167
2	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	11.08.2021	13.08.2021	09.02.2022	180
3	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	31.08.2021	06.09.2021	08.02.2022	155
4	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	11.08.2021	13.08.2021	08.02.2022	179
5	भारत संचार निगम लिमिटेड	10.09.2021	16.09.2021	08.02.2022	145
6	एनएचपीसी लिमिटेड	03.08.2021	09.08.2021	09.03.2022	212
7	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	19.08.2021	25.08.2021	10.02.2022	169
8	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया	विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया	10.02.2022	विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया
9	केंद्रीय भंडारण निगम	विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया	विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया	08.02.2022	विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया
10	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	11.08.2021	17.08.2021	09.02.2022	176
11	मेकॉन लिमिटेड	13.09.2021	16.09.2021	10.02.2022	147

अनुलग्नक-XLIX
(पैरा संख्या 6.3.1.1 का संदर्भ लें)
वर्ष 2022-23 के लिए सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का विवरण

क्रमांक	सीपीएसई का नाम	आईएमसी बैठक की तिथि	आईएमसी बैठक के कार्यवृत जारी करने की तिथि (1)	डीपीई द्वारा पोर्टल पर समझौता ज्ञापन अपलोड किया गया (2)	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि (3)	कॉलम 2 और कॉलम 3 के मध्य अंतर (दिनों में) (4)
1	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	19.10.2022	21.10.2022	25.10.2022	15.11.2022	21
2	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	21.10.2022	28.10.2022	31.10.2022	16.11.2022	16
3	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	21.10.2022	28.10.2022	30.11.2022	05.12.2022	05
4	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	17.10.2022	21.10.2022	25.10.2022	15.11.2022	21
5	भारत संचार निगम लिमिटेड	14.10.2022	21.10.2022	16.12.2022	06.01.2023	21
6	एनएचपीसी लिमिटेड	21.10.2022	28.10.2022	22.12.2022	28.12.2022	6
7	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	31.10.2022	03.11.2022	07.11.2022	21.11.2022	14
8	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	28.10.2022	03.11.2022	छूट प्राप्त		-
9	केंद्रीय भंडारण निगम	28.10.2022	03.11.2022	04.11.2022	16.11.2022	12
10	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	17.10.2022	21.10.2022	09.11.2022	23.11.2022	14
11	मेकॉन लिमिटेड	17.10.2022	21.10.2022	25.10.2022	27.11.2022	33

अनुलग्नक-L

(पैरा संख्या 6.3.3.5 का संदर्भ लें)

वर्ष 2021-22 के लिए सीपीएसई की समझौता ज्ञापन उपलब्धियों के प्रदर्शन मूल्यांकन का विवरण

क्रमांक	सीपीएसई का नाम	वह तिथि जिस दिन सीपीएसई द्वारा समझौता ज्ञापन पोर्टल पर समझौता ज्ञापन लक्ष्यों पर प्रदर्शन मूल्यांकन अपलोड किया गया (1)	वह तिथि जब मंत्रालय द्वारा समझौता ज्ञापन लक्ष्यों पर प्रदर्शन मूल्यांकन अपलोड किया गया (2)	वह तिथि जिस दिन डीपीई द्वारा समझौता ज्ञापन लक्ष्यों पर प्रदर्शन मूल्यांकन अपलोड किया गया (3)	कॉलम 2 और कॉलम 3 के मध्य का अंतर (दिनों में) (4)
1	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	19.11.2022	06.12.2022	04.01.2023	29
2	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	18.11.2022	25.11.2022	13.12.2022	18
3	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	24.11.2022	21.12.2022	11.01.2023	21
4	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	18.11.2022	18.11.2022	01.02.2023	75
5	भारत संचार निगम लिमिटेड	30.11.2022	14.12.2022	29.12.2022	15
6	एनएचपीसी लिमिटेड	18.11.2022	31.12.2022	13.01.2023	13
7	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	23.11.2022	23.12.2022	11.01.2023	19
8	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	23.11.2022	13.12.2022	16.12.2022	03
9	केंद्रीय भंडारण निगम	18.11.2022	18.11.2022	24.02.2023	98
10	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	18.11.2022	06.12.2022	22.12.2022	16
11	मेकॉन लिमिटेड	25.11.2022	05.12.2022	14.12.2022	9

अनुलग्नक-LI
(पैरा संख्या 6.3.3.5 का संदर्भ लें)

वर्ष 2022-23 के लिए सीपीएसई की समझौता ज्ञापन उपलब्धियों के प्रदर्शन मूल्यांकन का विवरण

क्रमांक	सीपीएसई का नाम	सीपीएसई द्वारा समझौता ज्ञापन पोर्टल पर समक्षौता ज्ञापन लक्ष्यों पर प्रदर्शन मूल्यांकन अपलोड करने की तिथि (1)	मंत्रालय द्वारा समझौता ज्ञापन लक्ष्यों पर प्रदर्शन मूल्यांकन अपलोड करने की तिथि (2)	डीपीई द्वारा समझौता ज्ञापन लक्ष्यों पर प्रदर्शन मूल्यांकन अपलोड करने की तिथि (3)	कॉलम 2 और कॉलम 3 के मध्य अंतर (दिनों में) (4)
1	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	26.10.2023	31.10.2023	08.12.2023	38
2	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	31.10.2023	08.11.2023	16.02.2024	100
3	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	30.10.2023	01.11.2023	07.02.2024	98
4	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	28.10.2023	31.10.2023	08.12.2023	38
5	भारत संचार निगम लिमिटेड	31.10.2023	24.11.2023	01.02.2024	69
6	एनएचपीसी लिमिटेड	25.10.2023	28.11.2023	07.02.2024	71
7	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	27.10.2023	13.11.2023	07.02.2024	86
8	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	छूट प्राप्त			-
9	केंद्रीय भंडारण निगम	31.10.2023	12.12.2023	07.02.2024	57
10	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	30.10.2023	03.11.2023	07.02.2024	96
11	मेकॉन लिमिटेड	27.10.2023	20.11.2023	16.02.2024	88

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in